Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Prit) : 2350-0441

Shodh Chetna

IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal

Year : 12 **Vol. - 2** **(April to June , 2026)**

ADVISORY BOARD

- Dr. Surya Naryan Gautam
  (Director, Research & Development, Eklavya University, Dahoh, M.P.)
- Prof. Ashish Khare *(University of Allahabad)*
- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Alok Singh *(Principal, KNI of Social Science, Sultanpur)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(HOD. Animal Nutrition IVRI, Barilly)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Dr. D.N. Tripathi *(Retd. Sanskrit, D.S.P.G. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*
- Dr. Karuna Anand *(Psychology, G.D.H. Girls College, Moradabad, U.P.)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Prof. (Dr) Sheetla Prasad Verma
Head, Dept. of A.H. & Dairy Sceince,
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob.: 9415645164

Chief Managing Editor

Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor

Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa, M.P.)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh, Professor (Botany), (Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa, M.P.)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa, M.P.)
6. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
7. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa, M.P.)
8. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa-M.P.)
9. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
10. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College, Nashtigawan, Rewa, M.P.)
11. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
12. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
13. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
14. Sheetal Surodhiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
15. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
16. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)
17. Dr. Devendra Kumar (Chemistry), (Shri Mahendra Pal Shastri Mahavidyalaya, Aligarh, U.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issuesa will be released every year in (January to March)-Vol.-1, (Apr. to June) Vol.- 2, (July to Sept.) Vol.-3, (Oct. to Dec.) Vol.-4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, चक, जीरो रोड, प्रयागराज से मुद्रित
(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchentna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION

Registered Office :

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchetna.com

Branch Office :

R.L. VISHWAK¡RMA

C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Bipin Kumar, Plant Pathology (Prayagraj)
6. Prof. Abhay Kumar Singh, Militry Science Principal, K.S. Saket P.G. College (Ayodhya)
7. Prof. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Arvind Verma, Agri. Engg. (Mathura)
12. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareilly)
13. Dr. Salimuddin Uddin Genetic & Plant Breeding (Prayagraj)
14. Dr. Shikha Verma, Education (Ayodhya)
15. Dr. Sandeep Singh Kashyap L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
16. Dr. A.K. Rai, Agri. Eco. (Prayagraj)
17. Prof. Faizan Ahmed Political Science (Budaun)
18. Prof. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
19. Prof. Gyan Prak¡sh Verma Commerce (Meerut)
20. Prof. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
21. Dr. Vik¡s Singh, Physics (Prayagraj)
22. Prof. R.L. Pal, Agri. Chem. (Prayagraj)
23. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
24. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
25. Dr. Vinay Kumar Singh Patel Sociology (Prayagraj)
26. Dr. Manvendra Verma Defence Studiesa (Prayagraj)
27. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
28. Dr. R.B. Singh, Statistics (Meerut)
29. Dr. Arun Kumar Verma, Hindi (Pratapgarh)
30. Dr. Pramod Yadav, Librarary Science (Prayagraj)
31. Dr. Ramesh Kumar, Commerce (Ambedkar Nagar)

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003
दूरभाष : 0532-2563028 मो.-9532481205
E-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : आर.एल. विश्वकर्मा द्वारा प्रीति कम्प्यूटर
अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email-Id: **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificatesa issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि

Shodh Chetna

शोध-चेतना

A Peer-Reviewed & Reffereed
International Multifocal Research Journal
(Frequency - Quarterly)

में प्रकाशित माननीय शोधार्थियों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय), शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से निःशुल्क भेजी जा रही है, जिससे इन शोध दृष्टियों से

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'

का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

.... **प्रकाशक**

◆◆ आज ही आदेश करें ◆◆

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक-समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0532-2563028 मो.: 9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

© ***Publishers***

Registration Fee	: **Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	: **Rs. 250.00**
Institution	: **Rs. 500.00**
Annual Subscription (4 Issues)	: **Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	: **Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	: **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication

Union Bank of India
Main Branch, Civil Line, Prayagraj-3
A/c. 394301010122432
IFSC : UBIN0530271

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha

Please Research Paper will be sent in our E-mail : ghpublication@gmail.com
&
Our Watsapp No.: 9532481205

Our Life Time Member of Shodh-Chetna Research Journal

1. Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajsthan
2. Kulbhashker Ashram P.G. College, Prayagraj (U.P.)
3. International Federation of Astrology and Spiritual Science & Recognised by Govt. of India and Shri Lanka (Chandigarh)
4. Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh (U.P.)
5. Baba Barua Das P.G. College Ambedk¡r Nagar (U.P.)
6. Elite Public B.Ed. Colleg, Palamu (Jharkhand)
7. Dr. Aditi Sakia M.D.K.G. College,Dibrugarh (Assam)
8. Dr. Poonam Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
9. Dr. Jeetendra Kumar Pandey, Rewa (M.P.)
10. Dr. Shri Kant Shukla, Satna (M.P.)
11. Dr. Ram Kumar Arya, Chhatarpur (M.P.)
12. Prof. Sanjay Shankar Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
13. Dr. Surya Narayan Gautam Eklovya University, Damoh (M.P.)

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,**
Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

अनुक्रम

1. श्रीमद्भगवत गीता में वर्णित नेतृत्व एवं शासन व्यवस्था — 11-13
डॉ. लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी

2. भारतीय संस्कृति की अवधारणा और आवश्यकता — 14-16
डॉ. लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी

3. "Independence and Accountability of the Judiciary in India : A Comparative Study" — 17-24
Ratan Kumar Patel & Naved Naeem

4. वाल्मीकि और तुलसी के राम की ईश्वर सम्बन्धी अवधारणाएँ और उसकी तात्त्विक मीमांसा — 25-29
राजेश कुमार मिश्र

5. शैलेश मटियानी जी के कथा-साहित्य में राजनीतिक चेतना — 30-33
हरिश चन्द्र पटेल

6. सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण : एक आधुनिक सिद्धान्त — 34-40
प्रतिभा पाण्डेय एवं डॉ. प्रशोभ पौल डिसूजा

7. संभ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन — 41-48
अर्पित कुमार यादव

8. आचार्य शुक्ल की दृष्टि में लोकधर्म — 49-53
डॉ. कुश कुमार

9. "Determinants of Gender Wage Inequality in Urban and Rural Labour Markets : A Comparative Study of Prayagraj District" — 54-62
Richa Srivastava & Dr. Balendra Shukla

10. Migration, Displacement, and Cultural Identity in the Works of Mulk Raj Anand and Amitav Ghosh — 63-73
Shruti Singh & Ashvini Joshi

11. लोकतन्त्र सेनानी अजय खरे जी का व्यक्तित्व एवं उनका राजनीति में योगदान — 74-80
डॉ. अंजली पाण्डेय खरे

12. भारत छोड़ो आन्दोलन और तारा रानी श्रीवास्तव — 81-85
डॉ. फ़ैज़ान अहमद

13.	**रामराज्य का सामाजिक संदेश** डॉ. प्रदीप डहेरिया	**86-89**
14.	**कामकाजी महिलाओं के सेवाक्षेत्र एवं पारिवारिक जीवन के मध्य अन्तर्संघर्ष का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** आशा अनुरागी एवं डॉ. रचना श्रीवास्तव	**90-98**
15.	**THE COLONIAL SHADOW ON MODERNCONSENT : DECONSTRUCTING THE MARITAL RAPE EXCEPTION IN INDIA** Prof. Harish Sharma & Avani Bansal	**99-108**
16.	**Indigenous Knowledge Systems and Tribal Wisdom : Preservation Techniques for Traditional Grains in the Baiga Tribe of Madhya Pradesh** Dr. Vinay Kumar Tiwari	**109-113**
17.	**संस्कृतचम्पूकाव्यपरम्परायां विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य स्थानाम्** डॉ. रवीन्द्र कुमार भोजक	**114-117**
18.	**संगीत में रोजगार की परम्परा का विकासात्मक स्वरूप : एक समीक्षा** ऋचा वर्मा एवं प्रो. प्रवीण सैनी	**118-124**
19.	**प्लेटो का आदर्श राज्य : एक विश्लेषण** डॉ. गीता श्रीवास्तव	**125-130**
20.	**तिवा की लोक कथा 'जोवाई साधु' का एक अध्ययन** भारती लालुं	**131-132**
21.	**एक कर्मयोगी की राजस्थान यात्राएँ** डॉ. इन्द्रेश कुमार एवं डॉ. जुल्फिकार	**133-137**
22.	**बदलती पारिवारिक संरचना : संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमण–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** डॉ. अविनाश चन्द्र द्विवेदी	**138-144**
23.	**भारतीय ज्ञान परम्परा और भाषा शिक्षण : सांस्कृतिक आत्मबोध की आधारभूमि** डॉ. शोभारानी दुबे	**145-147**
24.	**Impact of AI (Artificial Intelligence) on Indian Education** Dr. Arun Pandey	**148-153**
25.	**Challenges and Issues of Teacher Education in India** Dr. Pratiksha Pandey	**154-161**
26.	**नाथ साहित्य और हठयोग** बृजेन्द्र शुक्ल	**162-167**

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

27. **STRUCTURAL COMPLEXITY AND BIOLOGICAL FUNCTIONALITY OF CARBOHYDRATES: RECENT ADVANCES AND THERAPEUTIC FRONTIERS** **168-174**
Farooq Ahmad Mir

28. **हिन्दी साहित्य में नख-शिख परम्परा** **175-177**
डॉ. (श्रीमती) सरोज गोस्वामी

29. **पूर्वी चम्पारण जिला में जनसंख्या विकास की प्रवृत्तियाँ एवं क्षेत्रीय विकास पर उनका प्रभाव** **178-185**
चन्द्र मोहन कुमार एवं प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 5th April 2026 **Paper Accepted : 12th April 2026**

श्रीमद्भगवत गीता में वर्णित नेतृत्व एवं शासन व्यवस्था

□ डॉ. लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी*

शोध-सारांश

भगवद्गीता के आधार पर नेतृत्व, राजधर्म तथा सुशासन की आधुनिक अवधारणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। गीता में वर्णित शिक्षाएँ केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित न होकर शासन, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश आज के राजनीतिक नेताओं, प्रशासकों और प्रबंधकों के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक है।

कर्मयोग के सिद्धांत के आधार पर निष्कामभाव, कर्तव्यनिष्ठा और समत्व-बुद्धि को नेतृत्व का मूलाधार बताया गया है। ''कर्मण्येवाधिकारस्ते'', ''यद्यदाचरति श्रेष्ठः', ''लोकसंग्रहमेवापि'' आदि श्लोकों के माध्यम से यह प्रतिपादित हुआ है कि सच्च नेता वही है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए कार्य करता है। इसी से सुशासन की जड़ें निहित हैं।

लेख में यह भी बताया गया है कि गीता के अनुसार राजधर्म केवल सत्ता-प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा, न्याय-स्थापन और लोककल्याण का व्रत है। काम,क्रोध, लोभ जैसे दोषों से मुक्त होकर जो व्यक्ति मन की स्थिरता, सजगता () और विवेक को विकसित करता है, वही प्रशासन और प्रबंधन में उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। अभ्यास और वैरागय के माध्यम से मनोनियन्त्रण का मार्ग भी गीता प्रदान करती है।

भूमिका

भगवद्गीता केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन-प्रबंधन, सुशासन और नैतिक नेतृत्व का सार्वभौमिक ग्रन्थ है। युद्धभूमि की परिस्थितियों में अर्जुन के भीतर उत्पन्न तर्क, भय, दुविधा और मानसिक तनपाव-आज के प्रशासनिक अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं, प्रबंधकों और निर्णयकर्ताओं के भीतर भी उसी प्रकार उपस्थित होते हैं। श्रीकृष्ण द्वारा प्रदत्त उपदेश इन सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

गीता यह स्पष्ट संदेश देती है कि नेतृत्व का मूल आधार कर्तव्य-निष्ठा और लोककल्याण है। स्वार्थ, अहंकार और पद-लालसा से प्रेरित नेतृत्व समाज को विघटन की ओर ले जाता है, जबकि निष्काम कर्म, समत्व-बुद्धि और सेवा-भाव से परिपूर्ण नेतृत्व समाज में न्याय, शांति और सहयोग स्थापित करता है। ''कर्मण्येवाधिकारस्ते'' जैसे श्लोक यह बताते हैं कि सफल नेता फल की चिंता से मुक्त होकर, केवल कर्तव्य के पालन पर ध्यान केंद्रित करता है; यही कर्मयोग आधारित नेतृत्व का आदर्श स्वरूप है।

सुशासन की संकल्पना भी गीता में अत्यंत स्पष्ट है। ''यद्यदाचरित श्रेष्ठः'' के अनुसार नेता का आचरण ही

* मो. 9868596292 ईमेल-laxmikenttripathi71@gmail.com

समाज का आदर्श बनता है, इसलिए उसका चरित्र, पारदर्शिता और नैतिकता सर्वोपरि हो जाते हैं। लोकसंग्रह अर्थात् जनकल्याण को गीता शासन का अंतिम उद्देश्य मानती है। इस प्रकार गीता का राजधर्म सत्ता-केन्द्रित न होकर जन-केन्द्रित और मूल्य-केन्द्रित है।

मानसिक सजगता (Mindlesfull) गीता की एक और महत्वपूर्ण देन हैं मन के चंचल होने की स्वीकृति (6.34) और अभ्यास-वैराग्य द्वारा उसके नियंत्रण का मार्ग (6.35) आधुनिक प्रशासनिक तंत्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। तनाव, दबाव, प्रतिस्पर्धा और त्वरित निर्णयों के युग में मन का संतुलन, भावनाओं का नियंत्रण और विवेकपूर्ण निर्णय नेतृत्व की अनिवार्य आवश्यकता है। गीता यह भी चेतावनी देती है कि काम, क्रोध और लोभ-ये तीन ही अनैतिक शासन के मूल कारण हैं; अतः सुशासन का आधार इनमें मुक्ति में निहित है।

भगवद्गीता केवल धार्मिक ग्रनथ नहीं बल्कि एक जीवन-दर्शन, नेतृत्व-दर्शन तथा शासन-प्रशासन का मार्गदर्शक ग्रन्थ है। युद्धभूमि में विचलित अर्जुन को श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही आज के राजनेताओं, प्रशासकों, प्रबंधकों तथा नेताओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। गीता का मूल संदेश है- कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कम्र, समत्व-बुद्धि और धैर्यपूर्ण नेतृत्व।

1. राजधर्म और सुशसन की अवधारणा

(क) राजधर्म कया है?

राजा या शासक का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि जनकल्याण सुनिश्चित करना है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्तव्यपालन को ही सर्वोच्च धर्म बताया है।

प्रमुख श्लोक

''**स्वधर्मे निधनं श्रेष्ठं परश्चर्मो भयावहः।**''

(भगवद्गीता 3.35)

अर्थ—अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पराए धर्म का आचरण भयावह है। इससे स्पष्ट है कि शासक का प्रथम धर्म है—

- न्याय
- निष्पक्षता
- लोककल्याण
- सुरक्षा
- व्यवस्था

(ख) सुशासन के तत्व

- गीता के अनुसार सुशासन के मुध्य आधार हैं-
- पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व
- समानता एवं न्याय
- करूणा एवं सेवा
- भ्रष्टाचार से मुक्त तंत्र
- निर्णय क्षमता और धैर्य

श्लोक

''**यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।**''

(गीता 3.21)

अर्थ—श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, समाज के अन्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं।

इसलिए नेता का चरित्र ही शासन की दिशा तय करता है।

2. कर्मयोग-आधारित नेतृत्व मॉडल

गीता का कर्मयोग नेतृत्व का सर्वोततम मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें दो बातें मुख्य हैं- कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो-

श्लोक

''**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।**''

(गीता 2.47)

अर्थ—तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में हे, फल में नहीं।

- कर्मयोगी नेता के गुण
- निष्काम भावना से सेवा
- निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णय
- टीम को प्रेरित करने की क्षमता
- संकट में धैर्य
- समभाव-न सफलता में अहंकार, न असफलता में निराशा

श्लोक

"**सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।**''

(गीता 2.38)

अर्थ—सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय सबमें समभाव रख कर कर्म करो।

आज के राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व के लिए यह बहुत आवश्यक है।

3. प्रशासन और प्रबंधन में सजगता (Mindlesfull)

आज के प्रशासन एवं प्रबंधन में तनाव, दबाव, त्वरित निर्णय और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है। गीता में सजगता का सुंदर वर्णन है। क्या है सजगता?

सजगता का अर्थ है–

- वर्तमान क्षण में रहकर निर्णय लेना
- मन, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण
- भावनाओं पर संतुलन

श्लोक

''उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।''

(गीता 6.5)

अर्थ—मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को ऊपर उठाए, उसे गिरने न दे।

प्रशासनिक अधिकारी के लिए गीता का संदेश

- क्रोध पर नियंत्रण
- निर्णय से पहले विवेक
- अहंकार से मुक्ति
- जनता की सेवा भावना

श्लोक

''काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।''

(गीता 3.37)

क्रोध व कामना निर्णय को भ्रष्ट करती हैं- इसलिए सजगता अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

अतः समग्र रूप में कहा जा सकता है कि—गीता नेतृत्व को साहस, संकल्प और धैर्य प्रदान करती हे, शासन को नैतिकता, न्याय और लोककल्याण की दिशा देती हे, प्रशासन को सजगता, संतुलन और आत्म-नियंत्रण की साधना सिखाती है और मानव जीवन को कर्मयोग व समत्व का शाश्वत संदेश देती है यदि आज का राजनीतिक, प्रशासनिक औश्र सामाजिक नेतृत्व गीता के सिद्धांतों-निष्काम कर्म, समत्व-बुद्धि, लोकसंग्रह, अहंकार-रहित सेवा और सजग मन-को आत्मसात कर ले, तो निश्चित ही व्यक्तिगत जीवन में शांति और सार्वजनिक जीवन में सुशासन, पारदर्शिता और न्याय स्थापित हो सकते हैं। इसलिए गीता केवल प्राचीन ग्रन्थ नहीं, बल्कि आधुनिक शासन-प्रशासन और नैतिक नेतृत्व की जीवंत मार्गदर्शिका है। लोकतांत्रिक नेतृत्व का मार्गदर्शन, सुशासन का दर्शन, प्रशासन की आचार-संहिता, नैतिकता और मूलय आधारित प्रबंधन का आधार यदि नेता, प्रशासन और प्रबंधक गीता के कर्मयोग, समत्व और सजगता के सिद्धांतों को अपनाएँ, तो समाज में न केवल सुशासन आएगा बल्कि मानवता-आधारित नेतृतव विकसित होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीमद्भगवदीता, शङ्करभाष्य सहित, प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर
2. श्रीमद्भगवद्गीता, रामानुजवाष्योपेता, प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नयी दिल्ली
3. श्रीमद्भगवद्गीता, मध्वभाष्योपेता, प्रकाशक अद्वैत आश्रम प्रकाशन, कोलकाता
4. श्रीमद्भगवद्गीता, आनन्दगिरिव्याख्यासहित, प्रकाशक चौखम्बा संस्कृत शृंखला कार्यालयम, वाराणसी
5. भगवद्गीता, श्रीधरस्वामी-टीकासहित, प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर
6. गीता-तत्वविवेचनम् (संस्कृत-व्याख्यासहितम्), प्रकाशकमोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
7. गीता-रहस्यम् (संस्कृत-भाषानुवाद-टीकायुक्तम्), प्रकाशक अद्वैत आश्रम, हरिद्वार
8. श्रीमद्भगवद्गीता, संस्कृत-हिन्दी-व्याख्यासहित, प्रकाशक रामकृष्ण मठ, बेलूर
9. गीता, सुपाठः (देवनागरीपाठ-स्वरचिह्नसहित), प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर
10. भगवद्गीता, टीका भूषण-समेता, प्रकाशक चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778
Paper Received : 5th April 2026 Paper Accepted : 12th April 2026

भारतीय संस्कृति की अवधारणा और आवश्यकता

□ डॉ. लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी*

शोध-सारांश

भारतीय संस्कृति का इतिहास जितना प्राचीन है, उतना ही व्यापक भी हे। यह केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधी हुई परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा समग्र दर्शन है जो व्यक्ति, समाज और समस्त विश्व के कल्याण का पथ प्रदर्शित करता है। 'संस्कृति' शब्द संस्कृत धातु कृ (करना, बनाना) से 'सम्' उपसर्ग के योग से बना है, जिसका अर्थ है- ''परिष्कृत करना, उन्नत बनाना''। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ मानव जीवन के उन्नयन की वह प्रक्रिया जो उसे उत्कृष्ट बनाती है।

''सांस्कृत्यतेऽनेन इति संस्कृतिः''

(जिससे मनुष्य संस्कारित होता है, वही संस्कृति कहलाती है।)

भारतीय संस्कृति की अवधारणा आत्मा के विकास पर केंद्रित है। यह मानती है कि मानव केवल शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता है, जिसका उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार और लोकमंगल है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चार पुरूषार्थों का समन्वय किया गया है। यहाँ धर्म जीवन का मूल नियामक सिद्धांत है, जो समस्त आचरण को संतुलित करता है।

''धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।''[2]

(धर्मरहित मनुष्य पशु के समान है।)

भारतीय संस्कृति की अवधारणा

भारतीय संस्कृति का मूल तत्व ''विश्वबंधुत्व'' और ''एकत्व'' की भावना है। उपनिषद् का सूत्र ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' (संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है) इस संस्कृति का वैश्विक दर्शन प्रस्तुत करता है। यहाँ मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी गई है—

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।।''[3]

यह श्लोक भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसमें केवल मानवीय नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कल्याण की भावना समाहित है।

भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि इसमें विविधता में एकता है। यहाँ अनेक भाषाएँ, धर्म जातियाँ, परंपराएँ होते हुए भी सबको एक सूत्र में बाँधने वाली चेतना विद्यमान है। यह चेतना आध्यात्मिक एकता की है- जो यह सिखाती है कि समस्त जगत् एक ही ब्रह्म का रूप है।

''ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।''[4]

(यह समस्त जगत ईश्वर से आवृत है।)

संस्कृति की परिभाषा और स्वरूप-वेद, उपनिषद और गीता में तात्त्विक आधार

1. संस्कृति की परिभाषा

संस्कृति का अर्थ है— मानव जीवन को परिष्कृत,

* मो. 9868596292 ईमेल-laxmikenttripathi71@gmail.com

उन्नत और सार्थक बनाने वाली वह व्यवस्था और दृष्टि, जो आचार, विचार, कला, धर्म और ज्ञान के माध्यम से प्रकट होती है। संस्कृत धातु कृ (करना, निर्माण करना) और सं उपसर्ग के योग से 'संस्कृति' शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ—"परिष्कृत करना, सुसंस्कृत करना"।

भारतीय संस्कृति केवल बाह्य रीति-रिवाजों का नाम नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, नैतिक और बौदि्धक विकास की प्रणाली है। यह मनुष्य को केवल व्यक्तिगण कल्याण ही नहीं, बल्कि समाज और सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की ओर प्रेरित करती है।

"सांस्कृत्यतेऽनेन इति संस्कृतिः"

(जिससे मनुष्य संस्कारित होता है, वही संस्कृति कहलाती है।)

2. वेदों में सस्कृति का आधार

वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्रोत हैं। वेदों में जीवन के चार पुरूषार्थों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- का विस्तृत विवरण है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि समाज, परिवार और व्यक्तित्व के संतुलित विकास से है।

"ऋतु च धर्मं च विदधातु।"[5]

(सत्य और धर्म की स्थापना करो)

वेदों के मंत्र जीवन को सतत अध्ययन, साधना और सामाजिक कर्तव्यों के माध्यम से परिष्कृत करने की प्रेरणा देते हैं। यह संस्कृति का व्यावहारिक आधार है- सदाचार और नैतिकता के पालन द्वारा जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना।

3. उपनिषदों में संस्कृति का तात्विक स्वरूप

उपनिषद भारतीय संस्कृति का दार्शनिक आधार हैं। उपनिषद जीवन का उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार बताते हैं। यहाँ ाान (ज्ञानमार्ग), भक्ति (भक्तिमार्ग) और कर्म (कर्म मार्ग) के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर बल दिया गया है।

"अहं ब्रह्मास्मि।"[6]

(मैं ब्रह्म ही हूँ।)

उपनिषदों में सस्कृति का स्वरूप केवल बाह्य आचार का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और आत्म-साक्षात्कार का है। यह मनुष्य को अपने और समस्त जगत के एकत्व का अनुभव कराता है।

"सर्वं खल्विदं ब्रह्म।"[7]

(संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही रूप है।)

4. भगवद्गीता में सस्कृति का व्यवहारिक आधार

गीता भारतीय संस्कृति का व्यावहारिक और नैतिक आधार प्रस्तुत करती है। यहाँ कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के माध्यम से जीवन को संतुलित करने की शिक्षा दी गई है। गीता बताती है कि व्यक्ति का कर्तव्य और धर्म उसके जीवन का सर्वोच्च मार्ग है।

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"[8]

(तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं।)

गीता में व्यक्त सिद्धांत–"कर्म करो, फल की चिंता मत करो"-व्यावहारिक जीवन में संस्कृति का अनुपालन सिखाता है। यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिकता और कर्मयोग के माध्यम से जीवन में उतारता है।

5. संस्कृति का सार

वेद, उपनिषद और गीता मिलकर भारतीय संस्कृति का तत्वत्मक आधार बनाते हैं। वे यह सिखाते हैं कि संस्कृति केवल बाह्य रीति-रिवाज या कला का संग्रह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, नैतिकता और सामाजिक समरसता का मार्ग है।

श्लोक—**"वसुधैव कुटुम्बकम्।"**

(संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है।)

इस तात्विक आधार पर भारतीय संस्कृति की अनंत शक्ति और प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तित्व के विकास का मार्ग दिखाती है, बल्कि समाज और विश्व में शांति, सहयोग और समरसता स्थापित करने की प्रेरणा भी देती है।

भारतीय संस्कृति की आवश्यकता-

वर्तमान युग में जब भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और नैतिक पतन बढ़ रहा है, तब भारतीय संस्कृति की पुनः आवश्यकता अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख-संपत्ति नहीं, बल्कि आत्म-संतोष और लोकमंगल है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था—**"भारतीय संस्कृति का सार आत्मा का विकास हे। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक सच्ची उन्नति संभव**

नहीं।''[9]

महात्मा गांधी ने इसी भावना को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने कहा-

''मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।''[10]

उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत भारतीय संस्कृति की ही पुनरावृत्ति हैं। आज के वैश्वीकरण के युग में, जब संस्कृति का अर्थ केवल उपभोग और प्रदर्शन बनता जा रहा है, तब भारतीय संस्कृति का संतुलित दृष्टिकोण मानवता के लिए आशा की किरण है। यह हमें सिखाती है कि विकास तभी सार्थक है जब वह नैतिकता और अध्यात्मक से जुड़ा हो।

निष्कर्ष

भारतीय संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य का पथप्रदर्शन है। इसकी आवधारणा मानवता की एकता, करूणा और आत्म-विकास पर आधारित है। जब विश्व अशांति, हिंसा और स्वार्थ से जूझ रहा है, तब भारतीय संस्कृति का यह सन्देश—

''वसुधैव कुटुम्बकम्''

वास्तव में एक वैश्विक उपचार के रूप में सामने आता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उपनिषद
2. सुभाषित भण्डागार
3. यजुर्वेद 36.17
4. ईशोपनिषद् 1
5. ऋग्वेद 10.85.14
6. बृहदारण्यक उपनिषद् 1.4.10
7. छांदोग्य उपनिषद् 6.2.1
8. गीता 2.47
9. स्वामी विवेकानंद- Complete Works पेज नं. 56
10. गांधी- हिन्द स्वराज पेज नं. 85

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 10th May 2026 Paper Accepted : 13th May 2026

"Independence and Accountability of the Judiciary in India: A Comparative Study"

❑ Ratan Kumar Patel*
❑ Naved Naeem**

ABSTRACT

India is the world's largest democratic nation, and in any democratic governance system, the judiciary is considered the "Guardian of the Constitution." Judicial independence is a fundamental pillar of Indian democracy, which ensures protection of citizens' rights and maintains constitutional supremacy over administrative and legislative actions. However, independence without accountability may itself become problematic because no authority in a democracy can be allowed to function arbitrarily. This study attempts to examine whether independence and accountability of the judiciary can coexist harmoniously or whether a balance must be struck between the two both Indian and American judicial processes follow a constitutional structure based on their respective legal traditions. In India, unlike America, the framers of the Constitution adopted the doctrine of judicial review, whose foundation was laid in Marbury v. Madison (1803), which established that courts have the power to review the constitutionality of legislative actions. In the United Kingdom, where parliamentary sovereignty prevails, courts do not have this power. However, in India, judicial review is considered a basic feature of the Constitution. The comparative study clearly indicates that judicial independence is meaningful only when accompanied by judicial accountability. This research further explores whether the Indian judiciary is truly independent or if there are certain limitations that restrict its autonomy. The paper argues that judicial independence is not just freedom from external pressure but also includes internal institutional discipline and ethical conduct. Without accountability, independence may lead to judicial overreach, whereas without independence, accountability mechanisms may weaken judicial courage. Thus, a balanced approach is essential to ensure public trust in the judicial system and for strengthening constitutional governance.

Keywords– *Judicial Accountability, Judicial Activism, Judicial Restraint, Public Confidence, Collegium System.*

* Asst. Professor, Shri Varshney College Aligarh
** LL.M., Raja Mahendra Pratap Singh University

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

1. Introduction

In the democratic governance system of any country, the judiciary holds the most important position among the three organs of the state the legislature, the executive, and the judiciary. This is because it is considered the protector of the spirit of the Constitution. The framers of the Indian Constitution not only made the judiciary independent but also impartial, so that citizens' fundamental rights could be safeguarded.

Judicial independence means that the judiciary functions based on law and facts alone, without any external influence, pressure, fear, or bias of any kind. The judiciary must be free from interference from any authority or power. Judicial independence is regarded as morally essential, but public confidence in the judiciary is equally important. Public confidence does not emerge automatically; rather, it is based on transparency, honesty, fairness, and justice in the functioning of the judiciary.

The Supreme Court has been referred to as the "custodian and guardian of the Constitution" due to its special position in the Indian legal system. In the Keshwanand Bharati case, the Supreme Court also recognized the doctrine of the Basic Structure of the Constitution, under which judicial independence has been considered a core element. For this reason, the judiciary is not merely the protector of citizens' rights, but also the guardian of the Constitution.

However, in recent times, several issues have been raised concerning judicial accountability and transparency. Judicial accountability means that the judiciary must answer for misuse of its powers and must remain responsible to the public. Yet, ensuring accountability along with maintaining independence is complex. If judicial independence is weakened, the judiciary may be influenced by the executive or legislature; and if accountability is neglected, it may give rise to judicial arbitrariness.

Another concern connected with judicial accountability is judicial delay or judicial inertia. The slow judicial process in India has been the subject of long-standing criticism. To improve judicial accountability, steps such as the "In-House Procedure," the Judges (Inquiry) Act of 1968, and the Judicial Standards and Accountability Bill (2012) were introduced. However, many of these reforms remain limited in effect because no clear mechanism is in place to ensure accountability without harming independence.

The Supreme Court's decision in the NJAC (2014) case is also significant. The Court struck down the National Judicial Appointments Commission Act, emphasizing that judicial independence is an integral part of the Basic Structure of the Constitution. Yet, debates continue about balancing judicial independence with transparency and accountability.Therefore, it is necessary to evaluate the current judicial system of India and compare it with other democratic countries such as the United Kingdom.

2. Constitutional Foundation of Judicial Independence

The Indian Constitution ensures the independence of the judiciary at various levels:

(a) Constitutional Provisions– Article 50 ensures the separation of the judiciary from the executive. Articles 124 to 147 lay down provisions related to the structure, powers, and appointment of judges of the Supreme Court. These articles provide security of tenure to the judges so that they can work without fear or pressure. Similarly, for the High Courts, Articles 214 to 231 provide the establishment, organization, powers, jurisdiction, and administrative framework of the High Courts. Article 32 and Article 226 protect the citizens' right to constitutional remedies through judicial review.

(b) Judicial Accountability– Judicial

Accountability means that the judiciary should be answerable to the public for the proper use of judicial powers and constitutional duties. Although Judicial Independence is essential, accountability is equally necessary. In the Keshwanand Bharati case (1973), the Supreme Court held Judicial Independence to be part of the Basic Structure of the Constitution. In other cases, the Court emphasized that the supremacy of the Constitution and the Rule of Law must be maintained.However, allegations of corruption have been raised against some judges in certain cases. Due to the lack of an effective mechanism, many proposals for accountability, including the Judges (Inquiry) Act 1968 and the Judicial Standards and Accountability Bill (2012), could not bring adequate reform. Until 2024, several such issues are still pending and need systematic improvement.

3. Types of Judicial Independence

(a) Structural Independence– Structural independence refers to the process of appointment, transfer, promotion, and removal of judges. These should remain free from the influence of the executive. For example, Article 124(4) of the Constitution provides that a Supreme Court judge can only be removed through a special procedure by Parliament. Similarly, Articles 125 and 221 ensure that the salaries of judges are fixed and cannot be changed to their disadvantage. This ensures that judges can perform their duties without fear of the executive or legislature.

(b) Functional Independence– Functional independence means that judges should be free to make judicial decisions. No external authority may interfere with judicial pronouncements. The Supreme Court has clearly mentioned in the Minerva Mills case (1980) that judicial review is a basic feature of the Constitution and cannot be removed. The law passed by the legislature or any executive action can be reviewed by the judiciary to ensure that it is constitutional.

(c) Financial Independence– According to the Constitution, the salary and allowances of judges are paid from the Consolidated Fund of India. No authority can reduce or modify these financial provisions to influence the judiciary. Articles 112 to 113 and related constitutional provisions ensure that financial independence remains intact. This helps judges work without financial pressure or dependence.

4. Major Challenges to Judicial Independence

(a) Lack of Transparency in the Appointment System– In India, under the "Collegium System," judges appoint other judges. This system protects the judiciary from interference by the executive. However, this system has been criticized for lack of transparency and accountability. Many experts believe that although the Collegium helps maintain independence, there is a need to improve openness and public trust in the appointment process.

(b) Political Interference and Media Trial– In recent years, there has been growing concern regarding media interference in judicial matters, which affects the judicial process. Along with this, in some cases, comments made by politicians regarding judicial decisions challenge the independence of the judiciary. In one such case, the Supreme Court observed that "freedom of speech is not absolute". Apart from this, media trial is also seen in many cases. Media trials may influence the public against the judiciary and may also affect the fairness of judicial decisions. In the R.K. Anand vs. Registrar, Delhi High Court (2009) case, the Supreme Court stated that "A trial by press, electronic media or public agitation is the very antithesis of the rule of law."

(c) Judicial Populism– Sometimes courts give decisions that attract public support, known as Judicial Populism, but this can weaken judicial discipline. Judicial activism increases public

confidence in the judiciary, but excessive activism reduces public faith. Judicial populism may benefit the public temporarily, but it undermines the long-term stability of the judicial system.Some examples are where the judiciary, influenced by public sentiments or media pressure, took decisions that attracted public appreciation. Cases like 2G Spectrum Case (2012) and Coal Allocation Case (2014) are examples where the judiciary interfered in policy matters, which is seen as beyond its constitutional authority. Similarly, in the National Anthem Case (2016), the Supreme Court directed that playing the national anthem in cinema halls while standing is mandatory. This decision was criticized as judicial overreach.

5. Concept of Judicial Accountability

The judiciary must remain transparent and accountable. Along with independence, there must be a system of responsibility. Judicial accountability means that judges should perform their duties responsibly and maintain transparency in their conduct and decisions.

Objectives of Judicial Accountability :

1. To maintain public trust in the judiciary.
2. To maintain transparency in judicial functioning.
3. To ensure that judicial misconduct is controlled.

(A) Legal Provisions– Judges (Inquiry) Act, 1968:

This Act provides for the removal of judges on grounds of proven misbehaviour or incapacity. A judge may be removed only after an investigation and Parliament's approval.

The Constitution under Articles 124(4) and 217(1)(b) states that the removal process must be followed in both the Supreme Court and High Court, ensuring judicial independence and dignity.

Article 235 gives High Courts control over subordinate courts so that the judicial environment can be maintained. Article 50 mentions the separation of the judiciary from the executive, so that the judiciary can function independently and impartially. These constitutional provisions make it clear that judicial independence is not merely "absolute independence" but rather "constitutionally regulated independence."

The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 was an attempt to establish standards for judicial conduct, but it could not be passed by Parliament.

(B) Judicial Transparency and RTI– Judicial transparency does not merely mean making judicial decisions available; it also concerns the processes of judicial appointments, postings, and administrative decisions related to the judiciary. These aspects build public trust, and public trust strengthens when the judiciary becomes more open and accountable.

Right to Information Act, 2005 and the Judiciary

After the implementation of the RTI Act in 2005, debates arose regarding whether the Supreme Court and High Courts fall under the definition of 'public authority.' Many landmark judgments provided clarity on this matter.

In CBSE v. Aditya Bandopadhyay (2011) and in the case of "Central Public Information Officer, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agrawal" (2019), the Supreme Court held that even the office of the Chief Justice of India (CJI) falls under the purview of the RTI Act. In this historic judgment, the Court stated that:

"The Chief Justice of India is not a separate authority; the office of the Chief Justice is also a public authority."Thus, transparency laws also apply to the judiciary.

(C) Judicial Conduct and Ethics– Judicial independence and accountability rest upon "ethical conduct." In a democratic society, it is essential that judges be honest, impartial, and maintain high moral character. To ensure this, the Code of Judicial Conduct was drafted.

Although the Law Commission prepared a

report for establishing a written code of conduct, the Supreme Court in 1997 adopted a charter of judicial conduct known as the "Restatement of Values of Judicial Life." It sets forth various principles and guidelines for judges.

The intention behind this restatement was to create a conduct framework for the judiciary so that public trust could be preserved and strengthened. In this, norms related to judicial conduct such as impartiality, restraint, open-mindedness, courtesy, and personal behaviour were prescribed.

It made it clear that judges should avoid actions that may lower the dignity of their office. They must maintain discipline and honesty while performing judicial work. They should not engage in activities outside the court that could raise questions about their impartiality.

This restatement, though not legally binding, is accepted as a moral and ethical guiding document for the judiciary.

Judges must maintain honesty, integrity, sincerity, and restraint while performing their duties. Outside the court, their public statements or conduct should not be such that it raises questions about their impartiality. This "Restatement" still works as an important guiding standard for judicial ethics.

In 2002, in a conference of all High Court Chief Justices and the Chief Justice of the Supreme Court, a proposal called "Judges' Declaration of Assets and Liabilities" was approved. According to this system, judges would voluntarily inform the Chief Justice about their personal assets and liabilities so that transparency is maintained and feelings of impartiality and public faith remain strong. However, this declaration was voluntary and not mandatory, reflecting self-regulation within the judiciary. It demonstrated the judiciary's willingness to follow ethical conduct independently.

6. Comparative Perspective

(A) United States of America– Under the American Constitution, judges are appointed by the President, but their appointment is confirmed by the Senate. This is a system of checks and balances to prevent arbitrary appointments. If a judge is found guilty of misconduct, the process of impeachment can be used to remove them. In addition, the Judicial Conference and Judicial Councils exist to ensure discipline and ethical conduct under the Judicial Conduct and Disability Act (1980). Judicial accountability is seen as essential for maintaining the credibility and confidence of the public in the judiciary.

(B) United Kingdom– Through the Constitutional Reform Act, the appointment of judges was separated from executive control. The Judicial Appointments Commission (JAC) was formed to ensure transparency and to make the appointment process more objective. There is also a Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), which looks into complaints of judicial misconduct and can recommend disciplinary action. This system ensures accountability as well as judicial independence.

(C) Comparative Discussion: India, USA, and UK– The system of judicial appointments and accountability in India is still viewed as comparatively weak and less transparent. In India, judges are appointed mainly through the Collegium System, where the judiciary itself plays a dominant role, and there is very limited external scrutiny. On the other hand, the USA and UK provide greater transparency and involvement of independent bodies, which strengthens public trust.

7. Judicial Activism vs Judicial Restraint

Judicial activism means that when the courts, in order to protect the spirit of the Constitution, go beyond their traditional limits and intervene to correct the legislative or executive actions. The roots of judicial activism in India can be traced back to the late 1970s. The decisions in Indira Gandhi v. Raj Narain and ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla had a profound

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,**
Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

impact on the role of the judiciary.

After the experience of the Emergency, the judiciary considered itself as the protector of the rights of the people and adopted Public Interest Litigation (PIL). Judges like Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer used judicial activism as a tool to ensure that justice reached the common people. They said—"Where injustice exists, the court cannot remain a silent spectator."

During this period, the judiciary made historic interventions on issues such as environmental protection, human rights, child labour, women's safety, and corruption.

(A) Major Examples of Judicial Activism

1. **Vishaka v. State of Rajasthan (1997)–** Historic guidelines were issued to protect women from sexual harassment at the workplace.

2. **MC Mehta v. Union of India–** Several landmark judgments were delivered in the field of environmental protection.

3. **Prakash Singh v. Union of India (2006)–** Important directions were issued for police reforms.

(B) Need for Judicial Restraint

While judicial activism symbolizes the power of the judiciary, judicial restraint represents its dignity and respect. According to the Constitution, the functioning of the three organs – Legislature, Executive, and Judiciary – should be in balance. If the judiciary interferes excessively in the work of the Legislature or the Executive, it affects the principle of Separation of Powers.

Justice J. S. Verma stated:"Judicial activism is necessary, but transgression into the legislative domain is impermissible."

Critics argue that when courts start interfering in policy-making, it disturbs the constitutional balance of power. Therefore, judicial restraint is essential to maintain constitutional harmony.

Important Judgments

1. **Vishaka v. State of Rajasthan (1997)–** A significant example of judicial activism where the Supreme Court filled the legislative vacuum for protection of women from sexual harassment.

2. **Aruna Shanbaug Case (2011)–** The Supreme Court allowed passive euthanasia under controlled conditions and recognized the right to die with dignity.

3. **NJAC Case (2015)–** To protect judicial independence, the Supreme Court struck down the National Judicial Appointments Commission Act as unconstitutional.

4. **Sabarimala Case (2018)–** The Supreme Court allowed women of all age groups to enter the Sabarimala temple and held that discrimination based on biological factors is unconstitutional.

8. Critical Analysis

Supporters of judicial activism believe that the judiciary protects fundamental rights and ensures justice when the Executive and Legislature fail to fulfil their responsibilities. However, critics say that excessive judicial interference weakens democratic institutions and may lead to judicial overreach. Therefore, both judicial independence and institutional balance must be maintained.

9. Conclusion and Suggestions

Judicial activism has played an important role in strengthening democracy and protecting public interest. However, there must be a balance between judicial activism and judicial restraint. Judicial reforms, transparency in judicial appointments, and strengthening institutional accountability are necessary to enhance public trust in the judiciary.

Establishing a balance between the independence and accountability of the Indian judiciary has remained a constant constitutional challenge. Without independence, the judiciary cannot protect public awareness and rights, while without accountability, it may encourage arbitrariness and misuse of power. Both principles are essential for upholding the Rule of Law. In India, the judiciary has repeatedly played

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

an active role in protecting civil rights. Public Interest Litigation (PIL) is the best example of this, through which new dimensions of social justice were opened.

However, in some instances, judicial activism went beyond constitutional and legislative limits, thus decreasing the importance of judicial restraint. This situation triggered serious debate regarding the role of the judiciary. In some cases, judicial populism also emerged, where decisions appeared to be influenced by public or media pressure rather than legal reasoning. This raised questions about judicial accountability.

Under such circumstances, debates arose about regulating judicial conduct through moral and constitutional means. Issues related to judicial independence resurfaced, highlighting the need to ensure transparency in judicial appointments and accountability in judicial conduct. The process of appointment through collegium has often been criticized due to lack of transparency and allegations of favouritism.

The Supreme Court has emphasized the integrity and honesty of judges. Yet, distrust toward the judiciary has occasionally emerged. Justice J.S. Verma once said that the credibility of the judiciary depends not only on the decision given but also on the way the decision is delivered. The Supreme Court has also stated that the right to information (RTI), 2005, enhances judicial accountability. In the case of Subhash Chandra Agarwal v. Registrar, Supreme Court of India (2019), the Supreme Court ruled that the office of the Chief Justice of India is also subject to RTI for the sake of transparency.

To ensure the ethical conduct of judges, documents like Restatement of Values of Judicial Life (1997) and The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) have been issued, which outline the behavioural standards expected from judges. The purpose of these principles is to strengthen the dignity, impartiality, fairness, and integrity of the judiciary.To maintain public trust in the judicial system, it is necessary that judges remain free from political influence, uphold exemplary moral character, and work transparently. Strong and impartial judicial institutions are essential for democracy and sustain public faith in the institution of justice.

Recommendations

I. Transparency in the Appointment Process

The judicial appointment process has been surrounded by controversy and criticism. It is necessary to ensure transparency and fairness in the appointment system. For this, an External Oversight Committee may be formed, including the judiciary, executive, and civil society representatives. This would help reduce favouritism and promote accountability.A judicial appointments commission could also be considered, in which the judiciary, executive, and civil society are represented. Such a system would ensure transparency and establish a balanced appointment model.

II. Giving the Judicial Code of Conduct a Legal Status

The judicial code of ethics should be given statutory recognition so that clear standards of judicial behaviour are legally enforceable.At present, judicial conduct guidelines such as the Restatement of Judicial Values (1997) are only moral directives and not legally binding documents. If these values are given legal status, clear statutory standards for judicial behaviour will be established. This will increase internal judicial accountability, and any unethical conduct can be legally examined. Just as the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) have set international standards of judicial ethics, similarly, giving these principles legal recognition in India will help in institutionalizing the dignity and transparency of the judiciary.

III. Establishment of an Accountability Body

Judicial independence does not mean that the judiciary should be free from all forms of supervision or scrutiny. There is a need to

establish an Independent Judicial Accountability Commission, which will conduct impartial inquiries regarding judicial misconduct. Such a body will investigate ethical violations and complaints against judges. This system will be helpful in improving judicial credibility and trust. It will send out the message that "no one is above the law," strengthening the belief in judicial fairness.

IV. Public Participation and Transparency

The judiciary is not only accountable to the Constitution but also morally accountable to the public. There must be transparency in appointments, transfers, and disciplinary procedures at some level. Public oversight can be encouraged through accessible court records, judicial statistics, and open data platforms. The judiciary should support the enforcement of the Right to Information (RTI) in a positive manner to promote transparency rather than resist it. This will help ensure that the justice system is perceived as fair and trustworthy.

V. Ethical Training and Self-Assessment

Judges must be provided with regular training on judicial ethics, constitutional values, and human rights. There should be compulsory participation in Faith Ethics and Constitutional Morality Workshops. Along with this, a system of self-evaluation should also be introduced, so that judges can reflect on their judicial behaviour and decision-making process. This can increase the moral and professional maturity of the judiciary and enhance public confidence.

10. Conclusion (Final Remark)

"The independence of the judiciary protects democracy, and the accountability of the judiciary maintains public trust in it."

Reference List

1. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/judicial-independence-and-accountability
2. https://blog.ipleaders.in/what-is-an-independent-judiciary/
3. https://www.drishtijudiciary.com/editorial/independence-of-judiciary
4. https://visionias.in/current-affairs/hi/monthly-magazine/2025-05-02/polity-and-governance/nayayaka-javabdhaha-judicial-accountability
5. https://prsindia.org/theprsblog/bill-on-accountability-of-judges?page=2&page=1
6. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents
7. https://www.dhyeyalaw.in/mc-mehta-taj-trapezium-matter-v-union-of-india-1997-2-scc-353

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778

Paper Received : 5th April 2026 Paper Accepted : 12th April 2026

वाल्मीकि और तुलसी के राम की ईश्वर सम्बन्धी अवधारणाएँ और उसकी तात्त्विक मीमांसा

❑ राजेश कुमार मिश्र*

शोध-सारांश

यह शोध आलेख आदिकवि वाल्मीकि की श्वाल्मीकि रामायणश और गोस्वामी तुलसीदास की 'रामचरितमानस' के परिप्रेक्ष्य में श्रीराम के स्वरूप, उनकी ईश्वरीय सत्ता और दार्शनिक आधारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि के राम जहाँ 'मर्यादा पुरुषोत्तम' के रूप में मानवीय धरातल पर आदर्शों की स्थापना करते हैं, वहीं तुलसी के राम 'अखिलेश्वर' के रूप में सगुण ब्रह्म के साक्षात् अवतार हैं।

शोध के अंतर्गत वाल्मीकि की 'मानवीय मीमांसा' (*Humanistic Approach*) और तुलसी की 'भक्तिपरक मीमांसा' (क्मअवजपवदंस ।चचतवंबी) के मध्य विद्यमान तात्त्विक अंतरों को रेखांकित किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि वाल्मीकि ने राम को 'धर्म के विग्रह' (*Ramo Vigrahavan Dharmah*) के रूप में प्रतिष्ठित किया, जबकि तुलसी ने उन्हें 'निर्गुण–सगुण समन्वय' और 'लोक–मंगल' के प्रणेता के रूप में प्रस्तुत किया। अंततः, यह लेख यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि दोनों कवियों का अंतिम लक्ष्य राम के माध्यम से समाज में उच्च नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का संचार करना रहा है, भले ही उनके चित्रण की पद्धतियाँ भिन्न रही हों।

मुख्य शब्द– वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, मर्यादा पुरुषोत्तम, तात्त्विक मीमांसा, ब्रह्म, सगुण–निर्गुण समन्वय, लोक–मंगल।

वाल्मीकि जी जो आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। उनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलायी। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्त्तव्य से परिचित करवाता है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का एक आरम्भिक महाकाव्य है, जो संस्कृत भाषा में अनुष्टप छंदों में रचित है। इसमें श्रीराम के चरित्र का उत्तम व वृहद विवरण काव्य में उपस्थित हुआ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित होने के कारण इसे वाल्मीकीय रामायण कहा जाता है। वर्तमान में राम के चरित्र पर ाधारित जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन सभी का मूल महर्षि वाल्मीकि व वाल्मीकीय रामायण ही है।

* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, हण्डिया पी.जी. कॉलेज, हण्डिया, प्रयागराज

वाल्मीकीय रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि माना जाता है। इसीलिये यह महाकाव्य 'आदिकाव्य' माना गया है।

महाकाव्य भारतीय संस्कृत के महत्वपूर्ण आयामों को प्रतिबिम्बित करने वाला होने से साहित्य रूप में अक्षय निधि है। शिव पुराण में कहा गया है कि दयालु मनुष्य, अभिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेन्द्रिय ये चार पवित्र स्तम्भ हैं। जो इस पृथ्वी को चारो गुण एक साथ मर्यादा पुरूषोत्तम राम के चरित्र में समाहित होकर पृथ्वी की धारण शक्ति बन गये हैं। राम में इनकी वैयक्तिक सद्गुणों का उच्चतम आदर्श समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना वाल्मीकि रामायण का प्रमुख उद्देश्य है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, माता एवं आदर्श राजा, एक वचन एक पत्नी जैसे व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले राम का चरित्र उकेरकर, अहिंसा, दया अध्ययन, सुस्वभाव, इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह जैसे षट्गुणों से युक्त आदर्श चरित्र की स्थापना रामकथा का मुख्य प्रयोजन है। रामायण में वर्णित राम, लक्ष्मण, सीता ईश्वर स्वरूप हो, सारे भरतखण्ड में पूजा—आराधना के केन्द्र हो गये हैं। राम परिवार के वैचारिक, भाषिक एवं क्रियात्मक पराक्रम का वर्णन करना ही वाल्मीकि रामायण का प्रधान हेतु रहा है।

'राम' वाल्मीकि रामायण के धीरोदात्त नायक हैं। वाल्मीकि की नैतिकता और धार्मिकता की कसौटी पर खरे उतरे 'आदर्श राम' हैं। जिनके गुणों एवं वैशिष्टयों का आश्रय लेकर ही काव्याचार्यों ने नायक के गुणों का विभाजन किया है। वाल्मीकि के राम से लोक को ''रामदिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्'' इस उपदेशमय आदर्श की शिक्षा मिलती है। वाल्मीकि के राम के चरित्र को ही मानवता की वास्तविक कसौटी माना है।

अमंगल नक्षत्र में जन्म लेकर 'मंगल भवन अमंगलहारी' लिखकर सामान्य सा व्यक्ति समाज को जो दे गया वह निश्चय ही अप्रतिम है। यह ध्रुव सत्य है कि गोस्वामी जी राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 'स्वान्तः सुखाय' राम भक्ति के उद्गार व्यक्त किये थे जो भावना के तीव्र उद्रेक के कारण स्वतः ही काव्य बन गये। भक्ति के गंभीर सागर में आप्लावित होते हुए भी उनका काव्य अपने युग से सर्वथा असंपृक्त नहीं है, और हो भी नहीं सकता था क्योंकि ''सियाराम मय सब जग जानी।'' की अनुभूति करने वाला भक्त जीवन और जगत् की उपेक्षा कैसे कर सकता था। नवनीत के समान हृदय रखने वाले संत कवि का स्वान्तः सुखाय लोक सुखाय का ही पर्यायवाची है। तुलसीदास राम के अनन्य उपासक हैं। उनके प्रभु पतित पावन हैं। शरणागत के रक्षक हैं। इसलिए वह बार—बार कह उठते हैं कि—''जाऊँ कहाँ तजि चरण तुम्हारे।'' प्रभु का हर रूप उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनके प्रभु के नाम की महिमा से जीव भवसागर पार हो जाता है।

तुलसीदास राम में अगाध श्रद्धा रखते हैं। तुलसी के राम मर्यादा पुरूषोत्तम राम हैं। उन्होंने राम के हर रूप का सफल चित्रण किया है। वे राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। ''उनके शील शक्ति सौन्दर्य—सम्पन्न राम परमार्थराम भी हैं और **'कोटि मनोज लजावनिहारे** भी।''

''अध्यात्म रामायण या आर्य समाज में आदिकवि वाल्मीकि भी राम के व्यापकत्व का ही बोध कराते हुए कहते हैं—

त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुक्तमम्।
तथापि सर्वभूतानि निवाससदकानि हि।

यही भाव गोस्वामी जी के राम में भी पूर्णतः निहित हैं। वे कहते हैं—

जहाँ न होहु तहं देहुं कहि,
तुम्हहि देखावौ ठाँउ।

यह कहकर मानस प्रणेता राम के सर्वव्यापकत्व का बोध करा रहे हैं।''[1] वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य ऋषि राम के अन्तर्यामित्व रूप का उल्लेख गीता एवं भागवत के समान करते हैं—

राम त्वं सकलान्तरस्थयमितो,

जानासि विज्ञानुदूक।
साक्षी सर्वद्धदिस्थितोऽहि परमो,
नित्योदिता निर्मलः।।

मानस के अरण्य काण्ड में जनमानस राम के अन्तर्यामी स्वरूप को भली प्रकार जानते हैं। अध यात्म रामायण में भी राम के अन्तर्यामी स्वरूप का उल्लेख मिलता है।

गोस्वामी जी की यही कामना है–

''मम हिय गगन इंदु इव,
बसहु सदा निस्काम।''

तुलसी के राम आराध्य भगवान राम हैं जो शील शक्ति सौन्दर्य समन्वित हैं। बिना शील के कोरी वीरता उद्‌दण्डता है। मानव मन के शील, शक्ति और सौन्दर्य तीनों आकर्षण केन्द्र हैं। आदर्श के अनुकरण से प्रकृति में सुधार भी होता है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तुलसी सत् स्वरूप भगवान राम से विमुख व्यक्ति को त्याज्य समझते हैं।

जाके प्रिय न राम वैदेही।
सो नर तजिअ कोटि बैरी सम,
जदपि, परम सनेही।

'हरि भक्ति रसामृत सिन्धु' कहते हुए तुलसी ने बार–बार राम शरण जाने का अनुमोदन किया हे। वह ब्रह्म स्वरूप हैं, जिसकी उपासना जप इत्यादि से उमा सहित शिव जी भी करते हैं।

''मंगलभवन अमंगल हारि,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी।''

वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत राम कथा ने परिवार और समाज के समक्ष एक उच्च नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया था। अन्याय के विरूद्ध निरन्तर संघर्ष की प्रेरणा दी थी। वाल्मीकि ने राम को सत्यवाक्य तथा धृतव्रत कहा है। सत्य धर्म का आधार है। सत्य से विश्व की स्थिरता का बोध होता है। यदि लोग सत्य को छोड़ दे ंतो सृष्टि छिन्न–भिन्न हो जायेगी। सृष्टि का आधार नैतिकता है और यही नैतिकता वाल्मीकि के राम में दिखायी देती है। ''वाल्मीकि के राम एक व्रती हैं। वे कभी दो बातें नहीं बोलते थे। स्वयं कैकेयी ने कहा था–''रामो द्विर्नाभिभाषते। सत्य श्री राम के जीवन का आधार था।''[2]

आध्यात्म रामायण में राम का त्रिदेवों के साथ एकीकरण दर्शाकर राम के व्यापक आदि रूप का चित्रण किया है। 'एष रामः परो विष्णुशदिनारायण' कह कर उन्हीं को त्रिदेव स्वरूप भी दर्शाया है। ''तुलसी के राम की भांति वह नाम भी उनका सर्वस्व जननी जनक बन गया। नाम की ही भाँति यह भी अकथनीय तत्त्व है– 'नाम रूप गति अकथ कहानी।' यह भी अप्राकृत तथा चिदानंद स्वरूप है। अलौकिक शक्ति सम्पन्न हैं। भक्ति की भाव विकासावस्था में यही नाम नामी रूप में परिणत होकर इष्ट का साक्षात् दर्शन कराता है। आदिकवि वाल्मीकि को नाम साधना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ। नाम के नामी के स्वरूप की नाम प्रतीति नामाभ्यास नाम तदाकारिता द्वारा ज्ञान करा दिया और फिर रामचरित का प्रत्यक्ष दर्शन कर संसार के सम्मुख राम का स्वरूप प्रकट कर दिया।''[3]

वाल्मीकि रामायण में चतुर्भुजधारी भगवान् विष्णु के आगमन पर सब देवता उनकी वन्दना कर उनके अवतरित होने का निमित्त बतलाये हुए उनसे मानव रूप में अवतीर्ण होने की प्रार्थना करते हैं–

त्वां नियोक्ष्यामूहे विष्णो लोकानां हितकाम्मया।
तत्रत्वं याकुषो भूत्वा प्रबुद्धं लोककण्टकम्।
अवहयं दवतेविष्णों समरे जहि सवलम्।

हे प्रभो! लोक कल्याण के निमित्त हम आपको एक काम में लगाना चाहते हैं सो आप वहाँ मानव रूप में अवतार लेकर बढ़े हुए कंटक स्वरूप और अन्य देवताओं द्वारा अबध्य रावण को रणभूमि में मारिए। देवताओं ने अवतरित स्वरूप का अतिसूक्ष्म संकेत भी किया। जिसका भगवान् विष्णु ने समर्थन कर पालन भी किया। वे अपने को चार भाइयों में विभक्त कर अवतरित हुए।

गोस्वामी जी के राम के परात्पर ब्रह्म अवतरित होने से पूर्व अपने को अंसन्ह सहित अवतरित होने की ब्रह्य गिरा करते हैं।

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा।
लेहक दिनकर बंस उदारा।।

तथा उन अंसन्ह की सटीक व्याख्या करते हैं—

तिन्ह के गृह अवतरिहउऊ जाई।
रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई।।''

गोस्वामी जी की अद्‌भुत समन्वयात्मिका प्रतिभा तथा कुशाग्र बुद्धि ने इन सबका समन्वीकरण कर सर्वत्र 'राम' रूप की एकता का प्रतिपादन किया। वाल्मीकि के राम भी त्रिदेवों के साथ–साथ स्थापित करते हुए व्यापक आदि रूप में दिखायी देते हैं—

एव रामः परो विष्णुशादिनारायणः।।

वाल्मीकि जहाँ राम के तेजस्वी रूप का वर्णन करते हैं। उन्हें एक आदर्श मानव के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। उनके सद्‌गुणों का ही व्यापक चित्रण किया है। उन्होंने तुलसी की भांति राम के उस स्वरूप का विशद् चित्रण नहीं किया, कारण है कि दोनों के दृष्टिकोण में पर्याप्त भिन्नता है। भक्त तुलसी का भगवान राम के अलौकिक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना अनिवार्य था आदि कवि ने 'बाल' तथा 'युवा' रूप का विशद् वर्णन न कर 'राम' को निखिल गुण सम्पन्न सिद्ध कर आदर्श पुरूषोत्तम रूप प्रदर्शित किया है। अलौकिक स्वरूप नहीं, तुलसी ने उन्हें इसके साथ–साथ भक्तवत्सल जन–जन राजन भगवान् माना। मुनि वेष धारण करने पर कठोरतम विषम परिस्थितियों में भी नयन रंजक रूप में कोई कहीं परिवर्तन नहीं होता। यह रूप ग्रीष्म में म्लान हो जाने वाले का सा न होकर 'सदाबहार कुसुम की नाई' जैसा रहता है। तुलसी ने समस्त मुनि गणों को चकोर बनाकर रूप चन्द्रिका से चर्चित व प्रभावित दर्शाकर प्रभु की लावण्य निधि ाता का वर्णन किया है।

मुनि समूह मँह बैठे,
सम्मुख सब की ओर।
सरद इंदु तन चितवन,
मानहु विकर चकोर।''

वाल्मीकि रामायण में भी सूर्पणखा का राम निरीक्षण व रूप विमोह वर्णित हुआ है। वह रूपप रम तेजस्वी व देवापम सौन्दर्ययुक्त है।

राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्।।

मानव वर्ग ही नहीं उपमान स्वरूप देव भी उस राम रूप के सन्मुख नत होकर उसकी सराहना व दर्शन में ही अपने कृतकृत्य मानते हैं। भगवान राम का प्रतीक तुलसीदास ने लोक के सम्मुख रख भक्ति का जो प्राकृत आलंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसने सौन्दर्य भक्ति और शील तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना के यह तीन सोपान हैं जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ उच्चता की ओर बढ़ता है। 'सौन्दर्य सिन्धु' राम 'शक्ति सिन्धु' भी हैं। तुलसीदास ने उस अलौकिक शक्ति का दिग्दर्शन उनकी अजानुभुजाओं में कराया। जिसकी सीमा अनुलंघनीय है। मानस से भी अधिक वाल्मीकि रामायण में राम के वीर रूप की चर्चा है। नारद द्वारा वर्णित दिव्य गुण रश्मियों के मध्य तेजस्वी भानु रूपक ा दर्शन पा उस दिव्य क्रान्तिमय रूप से अभिभूत हो चमत्कृत हो उठते हैं। कवि राम के तेज रूप का वर्णन करते हैं, तो तेज की कान्ति स्थिर तड़ितवत् नेत्रों को चकाचौंध कर देती है।

मानस में तुलसी जहाँ वीरता की बात इस प्रकार करते हैं—

राम बाहुबल सिंधु अपाकू
चाहत पारु नहि कोउ कड़हारु।।

वहीं वाल्मीकि राम की वीरता को ऐसे दर्शाते हैं—

तेषामपि गहातेजा रामो...
कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामितेजसा।।

राम के शौर्य वीर्य तथा पराक्रम युक्त वीर वेष के दर्शन हम युद्धस्थलों में पूर्णरूपेण पाते हैं। इस रूप को 'मानस' से कहीं अधिक विशद व्यापक रूप में वाल्मीकि की कुशल लेखनी ने चित्रित किया है। इसका कारण श्रीराम रतन भटनागर जी इस प्रकार देते हैं—''उनके राम खलमर्दन द्विजनिर्भयकारी रावणारि अवश्य से परम् अवतार के नाते वीर पुरूष भोज के नाते नहीं। वाल्मीकि में यह बात नहीं है। वहाँ सीताहरण के बाद का युद्ध

प्रसंग वीर नायक की हुंकार है, उसकी चेतना का गर्जन है। (तुलसी के) राम केवल वीर नायक नहीं रह जाते।।''[4]

वाल्मीकि के राम में हमें तेजस्विता पग–पग पर दिखायी देती है। परम तेजस्वी राम के बाद धनुष अस्त्र–शस्त्र सभी तेजस्वी हैं। उस तेज को देवता तक न सहन कर सके। उस समय वे साक्षात् प्रलयंकारी 'शिव, सम प्रचंड ज्योतियुक्त हो गये। राम जब खर का संहार करते हैं तब उनकी मुद्रा अत्यन्त कुपित हो जाती है। सभी अनुभव रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। वीरता का चरम उत्कर्ष इस मुद्रा में अवलोकनीय है।

''राम प्रतापवात्।
रामेषमहारयत्तीव्रं निहंतुं समरे खरम्।
जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्कान्तलोचनः।
निर्विभेद सहस्त्रेण बाणानां समरे खरम्।।''

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस रूप की रौद्रता का वर्णन किया है–

कोपेउ समर श्रीराम, चले विभित्व निसितनिकाम।
रिपु परम कोपे जानि, प्रभ धनुष सर संघानि।।

वाल्मीकि रामायण के राम जहाँ सुसज्जित वीर रूप में स्थान–स्थान पर विष्णु सम सत्य पराक्रमी रूप में अपनी भानु सम प्रचंड रश्मियों से जनता के कर्म कंजों को विकसित करते हैं वहाँ गोस्वामी जी के नायक विष्णु आदि से भी कोटि गुन अधिक रूप में ऐश्वर्य प्रताप उत्साह पराक्रम आदि किरणों की ज्योत्स्ना से दर्शक भक्त जन मुकुंद को आनन्द निमग्न कर शीतलता प्रदान करते हुए अपने सौन्दर्यमय रूप के दर्शन कराकर आदर्श पथ की ओर प्रेरित कर रहे हैं।

ज्ञानी उनके सर्वान्तर्यामी ब्रह्म रूप पर विमोहित हैं। भक्त उनके साकार सुराकर रूप की वन्दना करते हैं और साधारण जन उनके मानवीय स्वरूप पर विमोहित होते हैं। सर्वसाधारण का उनसे आत्मीय सम्बन्ध है, वह राम को सदैव अपने साथ अनुभव करते हैं, सुख में भी और दुःख में भी। कहना यों चाहिए कि दुःख में तो राम के अतिरिक्त उनका कोई और साथ ही नहीं है। राम का आचरण उनका आदर्श है, उन्हें विश्वास है कि–

'राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात।''[5]

राम एक ऐसे नायक हैं जिनकी कथा आने वाली कई सदियों तक विश्व का मार्गदर्शन करती रहेगी। मानों राम वो स्वप्न हो जो हमारी आँखों से कभी नहीं टूटेगा। जहाँ राम की कथा कहने वाले नश्वर हैं, वहीं दूसरी ओर राम दैवीय हैं। राम से संबंधित कोई भी काव्य, पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हाथ लगते हैं हमारे अपने राम, जो बनते हैं, हमारी सामर्थ्य और चेतना। राम की कथा तो एक ही है परन्तु अलग–अलग समुदायों, धर्मों, भौगोलिक इकाइयों ने इसे अपनी तरह से समझा और अपनाया है।

वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ने ही राम की कथा को बहुत ही सुन्दर तरीके से समाज तक पहुँचाया, हालांकि तुलसी राम के भक्त हैं और वाल्मीकि राम के गुरु। परन्तु इससे राम की कथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तुलसी दर्शन मीमांसा, डॉ. उदयभानु सिंह, पृष्ठ सं. 26
2. वाल्मीकि रामायण एवं राम चरित मानस का तुलनात्मका अध्ययन, डॉ0 विद्या मिश्र, पृष्ठ सं. 166
3. तुलसीदास–संपादक–डॉ. रामशंकर त्रिपाठी, पृष्ठ सं. 90 श्रीरामः धर्म के सनातन स्तम्भ– श्री राज बहादुर द्विवेदी के लेख से साभार।
4. वाल्मीकि रामायण एवं राम–चरित मानस का तुलनात्मक अध्ययन, डॉ. विद्या मिश्र, पृष्ठ सं. 187
5. तुलसीदास, श्री रामरतन भटनागर, पृष्ठ सं. 29–30

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 5th April 2026 **Paper Accepted : 12th April 2026**

शैलेश मटियानी जी के कथा-साहित्य में राजनीतिक चेतना

□ हरिश चन्द्र पटेल*

शोध-सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। हमारा देश सभी जातियों और धर्मों को समान नजर से देखता है। सर्वधर्म समभाव का मूल मंत्र ही हमारे देश की आंतरिक मजबूती का मूल कारण रहा है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ राजनेता लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के साथ–साथ जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। लेखक इन्हीं सामाजिक मूल्यों के तिरस्कार से प्रभावित होकर अपनी समृद्ध लेखनी के माध्यम से देश के नागरिकों को जाग्रत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में धार्मिक भेदभाव पर राजनीति के षड़यंत्रों का कच्चा चिट्ठा दिखाने का पूर्ण प्रयास किया है। जिसमें सवर्णों और हरिजनों के बीच में तनाव को दर्शाया गया है।

भारतीय राजनीति के चिंतनपरक जीवन मूल्यों की जब बात करते हैं तो मटियानी जी की कथा साहित्य में इसके विकृत स्वरूप को ही हम पाते हैं। लेखक ने समसामयिक समाज में राजनीति की व्यवस्थाओं का कटुसत्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राजनीति और शासनतंत्र में बैठे लोगों की आड़ में आज हत्या, लड़ा ई झगड़े व दंगे आदि हो रहे हैं। आज शासक गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए समाज को भ्रमित कर रहा है। किस तरह से आम जनता इस चक्की से निरंतर पीसी जा रही है और शासक अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण मटियानी जी के 'मुठभेड़' उपन्यास में देखने को मिलता है। जहाँ पुलिस की गोलियों से कॉलेज के दो छात्रों की हत्या की जाती है, लेकिन राजनीति के बेरहम नियमों के कारण छात्रों को चोर साबित करते हुए एनकाउंटर में मारे जाना साबित कर दिया जाता है। भारत के संविधान में न्याय व्यवस्था में पुलिस तंत्र एक ऐसा विभाग है जिसमें समाज के हितार्थ और सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। लेकिन राजनीतिक षडयंत्रों से पुलिस प्रशासन जनता की रक्षा के स्थान पर भक्षक बनते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को हथियार बनाकर राजनीतिक लोग उनसे अनैतिक काम करवातें हैं और समाज में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं।

राजनीति और समाज एक दूसरे से गहराई

* शोधार्थी (हिन्दी विभाग), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

से जुड़े हुए हैं। राजनीति समाज के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति समाज की सेवा, संरक्षण, न्याय, सुरक्षा और समानता जैसे मूल्यों की रक्षा करने का कार्य करती है। राजनीति के अभाव में समाज का विकास नहीं हो सकता है। राजनीतिक निर्णय के बिना समाज में विभिन्न वर्गों के लोगों को अपना हक नहीं मिल पाता है। जिससे समाज में भेद–भाव, नफरत और विवाद आदि उत्पन्न हो सकते हैं, जो समाज के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की स्थिति को सुधारने के लिए कई नीतियों को लागू करती है। जिससे समाज में व देश की आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, न्याय व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था आदि की स्थिति को ओर अधिक बेहतर बन सकती है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध का समय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय यह आंदोलन भारतीय समाज के लिये आत्मचिंतन का विषय बन गया। जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरती हुई चेतना के रूप में देखा जा सकता है। इस आंदाले न एवं चेतना ने अनेक समाज सुधारकों को जन्म दिया, जिन्होंने विदेशी सभ्यता एवं नीतियों का प्रबल रूप से विरोध किया। जिससे भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक बदलाव आए। इसलिए उन्नीसवीं सदी का समय भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण समय रहा है। परतंत्रता को दूर करने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने अनेक आंदोलन एवं संघर्ष किए, जिनमें विशेष रूप से गाँधी जी के आगमन और इनके आंदोलनों द्वारा जन–जन में नई चेतना का प्रवाह हुआ और देश को आजादी प्राप्त हुई।

शैलेश मटियानी के कथा साहित्य में चिंतन को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। उन्होंने राजनीतिक चिंतनपरक जीवन मूल्यों के परिपेक्ष्य में शोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, साम्प्रदायिकता आदि के साथ सकारात्मक पक्षो को भी स्थान देने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में सकारात्मक पक्ष का स्थान नकारात्मक पहलू से बहुत कम है, क्योंकि राजनीति में आई भतीजावाद, लोभ, अहंकार, द्वेष व लालच आदि को ही मूल्यों की श्रेणी में माना जाने लगा है। नेताशाही एवं नौकरशाही जैसी मानसिकता ने समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त कर दिया है। प्रथम शोषक वर्ग तथा दूसरा शोषित वर्ग इस तरह सत्ता के बाहर वाला प्रत्येक आदमी शोषित होता है। लेकिन उनमें भी चापलूस व चतुर लोग कष्ट सहने से बच जाते हैं, क्योंकि वे अपनी कुटिल बुद्धि से सत्ता वर्ग की अनैतिक मांगों को पूरा करते रहते हैं। शैलेश मटियानी ने भारतीय राजनीति में फैली इस विकृति को विविध प्रकार से अभिव्यक्त किया है।

मटियानी जी ने देश की राजनीति के कटु यथार्थ को अपने कथा संसार में बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया है। राजनीति के घिनौने सच ने राजनेताओं के मुखौटे को बने काब करते हुए लेखक ने अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है हत्यारे कहानी में इसका जीवंत रूप प्रस्तुत होता है। कहानी में सरकार जब अवैध निर्माण गिराने का प्रयास करती है, तो जनता सरकार के निर्णय का विरोध करती है, ऐसे में राजनेता अपनी धूर्त चालों द्वारा सरकार के खिलाफ़ जनता को बहलाने फुसलाने का काम करने लगते है।

इस संदर्भ में लेखक कहते हैं– "भूतपूर्व एन. एल बाबू संकट मोचन और हरफूल चौधरी जैसे नेताओं के उत्तेजक भाषण होते हैं, सरकार को गालियां दी जाती हैं, खून बहाने की कसमें खाई जाती है। इन सब बातों के परिणामस्वरूप रामचरण केवट भी गुस्से में उबल कर यह कसम खा जाता है। कि जो उसके घर को गिराने की कोशिश करेगा वह बंदूक से उसकी खबर लेगा। जब सरकारी दस्ता बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब बडे– बड़े दावे करने वाले

नेता लोग कहीं आस पास नजर नहीं आते हैं। अचानक गोलियाँ चलती है। रामचरण केवट और उसके पुत्र की लाशें जमीन पर आ गिरती हैं। उनकी पत्नी विलाप करती है और नेताओं को कोसते हुए चिलचिलाती है कि हमारे इनको तो सरकार नहीं मारी है बल्कि ई राक्षस ठाकुर संकटमोचन सिंह और तुम्हारे बुढ़ाऊ हरफूल चौधरी ही मरवा दिए।"

इस प्रकार कहानी में लेखक ने राजनेताओं के अमानवीय व्यवहार को शोषित पात्र रामरती के कारुणिक शब्दों में व्यक्त किया है। यहाँ पर लेखक भारतीय शासन तंत्र के भीतर फैले भ्रष्टाचार के जाल की सच्ची तस्वीर दिखाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हमारे देश में ऊंचे पद और सत्ता में आने वाले लोगों की संवेदनाएँ और नैतिक मूल्य दिनों दिन लुप्त होते जा रहे हैं और सभी अनैतिक आचरण करना अपना धर्म समझने लगते हैं।

यह जन चेतना लाने में हमारे साहित्यकारों की भी अहम भूमिका रही है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करते रहे है। इस प्रकार से वह अपनी लेखनी के माध्यम सामाजिक मुद्दों को उजागर करते थे आरै लोगों को सक्रिय बनाते थे। गाँधी जी के साथ मिलकर लड़ाई करने वाले साहित्यकारों में रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोस, सरोजिनी नायडू और प्रेमचंद आदि हुए। इनकी रचनाओं और कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेन्द्र सत्यार्थी, रामदरश मिश्र, शैलेश मटियानी आदि–आदि अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी लेखनी द्वारा समाज में नई चते ना लाने का पूर्ण प्रयास किया। जिनके कथा साहित्य में समाज के हित और कल्याण की भावना निहित होती दिखाई देती है। इन सभी रचनाकारों ने अपने–अपने दायित्वों को निभाते हुए राजनीतिक गतिविधियों को अपनी सृजन क्षमता द्वारा लोगों में पहुचं ाने का कार्य किया। अन्य साहित्यकारों की भाँति भी शैलेश मटियानी ने भी अपने रचना संसार में स्वतंत्र और परतंत्र भारत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। महात्मा गाँधी के दर्शन का मटियानी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था।

अतः उनके उपन्यासों और कहानियों में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ–साथ गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी आह्वान भी देखने को मिलते हैं। गाँधी जी के दर्शन से सबं धित उनकी रचनाएँ 'आकाश कितना अनन्त' है', 'मुठभेड़', 'चंद औरतों का शहर' 'उत्तरकांड' जैसे उपन्यासों में राजनीतिक चिंतनपरक जीवन मूल्यों के दर्शन होते हैं।

शैलेश मटियानी ने अपने कथा संसार में बदलते राजनीतिक चिंतनपरक जीवन मूल्यों का व्यवस्थित रूप से चित्रित किया है। आज समाज में लगातार मूल्य तिरोहित हो रहे हैं। ऐसे में राजनीति में जीवन मूल्यों का सर्वाधिक स्रोत होना कोई बड़ी बात नहीं है, साथ ही राजनीति में अवसरवादिता भी देखने को मिलती है। इनके उपन्यास 'बावन नदियों का संगम' राजनेताओं के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। किस प्रकार से यह आम जनता की भावनाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस संदर्भ में उपन्यास की नारी पात्र राजनीतिक व्यवस्था से परेशान होकर गुलाब बाई बंतो से कम्यूनिस्टों के संबंध में कहती हैं कि हम वेश्याओं से उन लोगों का कोई वास्ता नहीं वह हमारी विवशता समझ सकते हैं और न ही इसके पीछे का कारण। इसलिए हम जैसी विवश औरतों को उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस वार्तालाप से यह सिद्ध होता है कि समाज में राजनीति के षड्यंत्र और दादागिरी करते हुए सरकार के कर्मचारियों का कच्चा चिट्ठा लेखक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं।

रचनाकार ने राजनेताओं के दोगलेपन को बेनकाब करते हुए 'मुठभेड़' नामक उपन्यास का पात्र अशविन निरूपेंद्र से कहता है कि "सन् बयालीस के आंदोलन में जैसे भावुक लोगों की गोलियों से भुनवा कर कांग्रेसी घाघों ने हुकूमत

हासिल की और आज अंग्रेजों से ज्यादा ब्रूटल और तानाशाही दमन में मूलक गुजर रहा है।"

इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल किस प्रकार से अपना अमानवीय व्यवहार का प्रभाव समाज पर डालते हैं कह सकते हैं कि लेखक ने निडर होकर राजनीति के घिनौने सत्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है।

राजनीति में वर्चस्व रखने वाले लागे आम जनता का शोषण करने लगते हैं। वह स्वयं को तो प्रभावशाली बना लेते है परन्तु जिन आम नागरिकों की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचते हैं उन्हें ही अपने पेरों की धूल समझकर उनका शोषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही राजनीतिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए नई–नई नीतियां बनाई गई हों परंतु सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उस का पूर्ण लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पाता है। कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सुविधाओं का लाभ जन सामान्य को नहीं मिल पाता है। वर्तमान राजनीति में अराजकता और भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर तक फैली हुई है।

लेखक समाज को राजनीति के गलियारों में फैले षडयत्रं तथा घिनौनी हरकतों को दरकिनार कर ईमानदारी की साफ सुथरी गलियों ओर उन्मुख होने का आह्वान करते हैं। उन्होंने अपने साहित्य सृजन में राजनीति की घिनौनी तस्वीर को प्रकट करते हुए लोगों को नवीन परिपाटी की ओर चलने का इशारा किया है। जैसे रात के बाद दिन, हार के बाद जीत के समान ही बुराइयों के बाद भलाई का राज़ कायम किया जा सकता है। राजनीतिक चिंतनपरक जीवन मूल्यों को समझने के लिए उपन्यासकार ने समाज को उनकी गलतियों से सबक सीखने की नसीहत दी है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि शैलेश मटियानी जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में राजनीति के विविध रूपों पर प्रकाश डालते हुए समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। यदि भ्रष्ट होती राजनीति को सही करने का जिम्मा समाज ले ले तो इसकी तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। जीवन मूल्यों के पतन का मुख्य कारण आम आदमी का भय और परिस्थितियों के आगे बेबस हो जाना है। लेखक अनेक प्रकार से समाज को जागरुक होकर मूल्यों की पुनर्स्थापना करने हेतु उत्साहित करते है। राजनीति के कारण समाज की स्थितियों में आ रहे बदलाव का सूक्ष्म विश्लेषण मटियानी जी ने अपने कथा साहित्य में किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र, भारत का इतिहास, पृ. 277
2. शैलेश मटियानी, गोपुली गफूरन, पृ. 24
3. शैलेश मटियानी, चिट्ठीरसैन, पृ. 183
4. शैलेश मटियानी, मुठभड़े, पृ. 183
5. शैलेश मटियानी, बावन नदियों का संगम, पृ. 46
6. शैलेश मटियानी, आकाश कितना अनंत है, पृ. 65
7. हेमंत सोनाले, शैलेश मटियानी के उपन्यास और रचना संदर्भ, पृ. 97
8. शैलेश मटियानी, भागे हए लोग, पृ. 01
9. डॉ. कला जोशी शैलेश मटियानी की कहानियों का अनुशीलन, पृ. 31
10. शैलेश मटियानी, नागवल्लरी, पृ. 129
11. शैलेश मटियानी, सर्पगंधा, पृ. 10

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 15th May 2026 **Paper Accepted : 20th May 2026**

सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण : एक आधुनिक सिद्धान्त

□ प्रतिभा पाण्डेय*
□ डॉ. प्रशोभ पौल डिसूजा**

शोध-सारांश

21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों को तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अध्ययन (*Social Studies*) के शिक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकी और तकनीकी उपकरणों के एकीकरण का एक व्यवस्थित व आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत करना है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। अक्सर छात्र इन विषयों को केवल रटने और सैद्धांतिक मानते हैं, जिससे कक्षा में उनकी रुचि कम होने लगती है।इस शोध के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार डिजिटल मानचित्र (*Digital Maps*), वर्चुअल रियलिटी (*VR*) टूल्स, मल्टीमीडिया सिमुलेशन और इंटरएक्टिव टाइमलाइन्स जैसे आधुनिक उपकरण सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को अधिक जीवंत, व्यावहारिक और रोचक बना सकते हैं। वैश्विक स्तर पर किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों और आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कक्षा के भीतर और बाहर डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने से न केवल छात्रों की विषय के प्रति समझ गहरी होती है, बल्कि उनकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता (*Critical Thinking*) में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 65% से अधिक शिक्षक और लगभग 73% शैक्षणिक प्रशासक शिक्षण में अधिक बार डिजिटल उपकरणों के उपयोग के पक्ष में हैं।यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रौद्योगिकी का एकीकरण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि छात्र जुड़ाव (*Student Engagement*) और व्यक्तिगत शिक्षण (*Personalized Learning*) को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। निष्कर्षतः, यह शोध पत्र नीति निर्माताओं, पाठ्यक्रम निर्माताओं और शिक्षकों को सामाजिक

* शोधार्थिनी (शुआट्स)
** असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग (शुआट्स)

अध्ययन के पाठ्यक्रम में आधुनिक तकनीक को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिससे शिक्षण को अधिक समावेशी और परिणाम–उन्मुख बनाया जा सके।

सामाजिक अध्ययन और छात्र सहभागिता में प्रौद्योगिकी की भूमिका

यदि आपने अभी तक अपने सामाजिक अध्ययन पाठों में प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं किया है, तो आपके छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चुनने के लिए कई तरह के प्रौद्योगिकी विकल्प हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप भूगोल की शिक्षा में मदद के लिए एक डिजिटल उपकरण की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऐप है। यदि आप विश्व इतिहास, अमेरिकी सरकार या दुनिया भर की संस्कृतियों के बारे में पाठ खोज रहे हैं,। यदि आप नागरिक शास्त्र की अवधारणाओं के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए कई डिजिटल गेम हैं। सामाजिक अध्ययन पाठों के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण वास्तव में आपको छात्रों से मिलने की अनुमति देता है जहाँ वे अपनी रुचियों और प्रौद्योगिकियों के साथ उनकी परिचितता के मामले में हैं जो उन्हें व्यस्त रखेंगे।

इसके अलावा, शिक्षकों के पास छात्रों को वैश्विक पत्र मित्रों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करने की क्षमता है, जिससे उन्हें दुनिया के अन्य हिस्सों के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब शोध–आधारित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाता है , तो प्रौद्योगिकी के एकीकरण में छात्रों को भविष्य के नेता, मतदाता और बहुत कुछ बनने के लिए तैयार करते हुए महत्वपूर्ण सीखने के लाभ पैदा करने की शक्ति होती है।

वर्चुअल फील्ड ट्रिप्सरू इंटरैक्टिव अध्ययन की एक खिड़की

फील्ड ट्रिप छात्रों के लिए बहुत मजेदार और जानकारीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन फंडिंग और शैक्षणिक दायित्वों के अलावा अन्य कारणों से सब कुछ छोड़कर फील्ड ट्रिप पर जाना हमेशा आसान नहीं होता है। प्रौद्योगिकी के एकीकरण के साथ, सामाजिक अध्ययन फील्ड ट्रिप लेना बहुत आसान हो गया है। जब महामारी के कारण स्कूल बंद थे और यात्रा प्रतिबंधित थी, तो कई स्कूलों और अभिभावकों ने वर्चुअल मीटअप, वर्चुअल फील्ड ट्रिप और अन्य वर्चुअल इवेंट की तलाश शुरू कर दी, जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और जोखिम के बिना सीखने के मजेदार अनुभव प्राप्त करने में मदद करेंगे। तब से, ये उपकरण दुनिया भर के छात्रों की सेवा करना जारी रखे हुए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं–

1. **राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने अपने 400 से अधिक स्थलों के वर्चुअल भ्रमण** की पेशकश शुरू की है, ताकि छात्रों को देशी जानवरों, पौधों और दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यानों के इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिल सके।

2. **virtualfieldtrips-org द्वारा आयोजित सामाजिक अध्ययन–विशिष्ट आभासी क्षेत्र यात्राएं** छात्रों को वाशिंगटन, डीसी, सहारा रेगिस्तान, प्राचीन मिस्र आदि स्थानों का भ्रमण करने का अवसर प्रदान करती हैं।

3. **LearnAroundtheWorld-org द्वारा प्रस्तुत वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स** युवाओं को दुनिया भर की नई संस्कृतियों और स्थलों से परिचित कराती हैं, चाहे उनकी सीखने की पृष्ठभूमि कुछ भी हो या फिर लाइव टूर गाइड के मार्गदर्शन में पहुंच हो, जिससे उन्हें दुनिया भर के वैश्विक स्थलों का प्रामाणिक अनुभव प्रदान किया जा सके।

वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स के साथ दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करें

ये प्रौद्योगिकी–सक्षम अनुभव छात्रों को पृष्ठभूमि

ज्ञान बनाने में मदद कर सकते हैं जो कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके सीखने के कौशल को मजबूत कर सकता है।

सामाजिक अध्ययन में गेमीकरण और संवर्धित वास्तविकता

यह कोई रहस्य नहीं है कि जब छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबने के लिए गतिज अनुभव या खेल प्रदान किए जाते हैं, तो वे पाठों में काफी अधिक व्यस्त हो जाते हैं। वास्तव में, तुर्की ऑनलाइन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन[2] द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, संवर्धित वास्तविकता (AR) का उपयोग करने वाले छात्रों ने वास्तव में पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके सीखने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। संवर्धित वास्तविकता एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करती है जो वास्तविक दुनिया के कुछ हिस्सों को कंप्यूटर–जनरेटेड सामग्री के साथ मिश्रित करती है, जो श्रवण, दृश्य और स्पर्श संबंधी संवेदी तौर–तरीकों सहित विभिन्न इंद्रियों को एक साथ उत्तेजित करती है।

इस अध्ययन में भाग लेने वाले सभी छात्रों (नियंत्रण और प्रायोगिक) को पाठ से पहले एक प्री–टेस्ट और पाठ के बाद एक पोस्ट–टेस्ट दिया गया था। नियंत्रण समूह को पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाया गया था, जबकि प्रायोगिक समूह को टैबलेट पर एआर का उपयोग करके पढ़ाया गया था। नतीजतन, प्रायोगिक समूह ने प्री–टेस्ट से पोस्ट–टेस्ट तक 4.5 अंकों की वृद्धि के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि नियंत्रण समूह के लिए 3.2 अंकों की वृद्धि हुई। यदि आप विशेष रूप से सामाजिक अध्ययन के लिए संवर्धित वास्तविकता उपकरण ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे कई उपकरण हैं जो छात्रों को सांस्कृतिक उत्सवों का पता लगाने, ऐतिहासिक क्षणों को फिर से देखने और ऐतिहासिक घटनाओं की जांच करने की अनुमति देंगे, जो पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके करना आसान नहीं है।

प्रौद्योगिकी के साथ छात्रों के परिणामों में सुधार

सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही लाभ हो सकता है। वर्चुअल फील्ड ट्रिप, डिजिटल रीडिंग मटेरियल, गेम–आधारित शिक्षण और संवर्धित वास्तविकता जैसे नए, अधिक आकर्षक शिक्षण अवसर प्रदान करने के अलावा, सामाजिक अध्ययन पाठों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने से बेहतर शैक्षणिक परिणाम भी मिल सकते हैं

ई लर्निंग क्या है? महत्व, लाभ और उपयोग

ई–लर्निंग– जिसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या वेब–आधारित प्रशिक्षण भी कहा जाता है– वह है जहाँ भी, कभी भी इंटरनेट के माध्यम से छात्रों और अन्य शिक्षार्थियों को ब्राउजर के माध्यम से निर्देश दिया जाता है। पारंपरिक शिक्षण विधियों के विपरीत, ई–लर्निंग छात्रों, प्रशिक्षण में लगे कर्मचारियों और आकस्मिक शिक्षार्थियों को उनके भौतिक स्थान की परवाह किए बिना एक संगठित शिक्षण अनुभव में भाग लेने देता है। अपने प्रारंभिक वर्षों में, ई–लर्निंग टूल ने मुख्य रूप से शिक्षक से सीधे शिक्षार्थी तक शिक्षण सामग्री पहुँचाने में सक्षम बनाया। अब, ई–लर्निंग अनुभव अधिकाधिक संवादात्मक टूल का उपयोग करके अधिक बहुआयामी संचार को सक्षम करने के लिए विकसित हुआ है। शिक्षार्थियों को यह चुनने की अधिक स्वतंत्रता है कि वे ई–लर्निंग सामग्री को कैसे प्राप्त करते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और इसमें कोई भी संख्या में सहकर्मी शामिल हो सकते हैं।

ई–लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है?

ई–लर्निंग पद्धतियां और प्रौद्योगिकी छात्रों की शिक्षा तथा कार्यबल में कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास ने कर्मचारियों के लिए सही कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करना तेजी से महत्वपूर्ण बना दिया है। उदाहरण के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग

क्षमताओं के उद्भव से आधुनिक व्यवसायों के संचालन के तरीके में भारी बदलाव आएगा जो कोडर्स, हार्डवेयर डेवलपर्स और ऑनलाइन सुरक्षा पेशेवरों को प्रभावित करेगा। ई–लर्निंग जैसे सीखने के माहौल, इनमें से कई लोगों को फिर से प्रशिक्षित करने और फिर से कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसके अलावा, कंपनियाँ कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग की ओर तेजी से रुख कर रही हैं। कॉर्पोरेट सेटिंग में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। उच्च शिक्षा संस्थान पारंपरिक कक्षाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह इंटरनेट–सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ–साथ ऑनलाइन शिक्षण विधियों का भी उपयोग करते हैं। मैकिन्से एंड कंपनी के 17 देशों में 7,000 छात्रों के 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार, उच्च शिक्षा के 65% छात्र चाहते हैं कि स्कूल महामारी के बाद की दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा के पहलुओं को बनाए रखें।

ई–लर्निंग कैसे काम करती है?

ऑनलाइन शिक्षा स्थिर और इंटरैक्टिव तरीकों के संयोजन का उपयोग करके प्रदान की जाती है। स्थिर तरीकों में लर्निंग पोर्टल , हाइपरलिंक किए गए पेज, स्क्रीन कैम ट्यूटोरियल, स्ट्रीम किए गए ऑडियो और वीडियो और लाइव वेब प्रसारण शामिल हैं। इंटरैक्टिव तरीके चर्चा मंच, चौट और डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे दृष्टिकोण हैं।

प्रभावी ई–लर्निंग कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए किसी उद्यम को तीन मुख्य मानदंडों का पालन करना चाहिए–

- **मोबाइल–फ्रेंडली**– लोग अपने डिवाइस पर रहते हैं, और ई–लर्निंग को इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रशिक्षण संकेत, अन्य अनुस्मारक और प्रशिक्षण उपलब्धियों पर बधाई मोबाइल ऐप के माध्यम से स्मार्टफोन और अन्य मोबाइल डिवाइस पर भेजी जानी चाहिए।
- **सामाजिक विशेषताएं**– एक ऐसा मंच जो सोशल मीडिया की बुनियादी विशेषताओं का अनुकरण करता है, शिक्षार्थियों को अपडेट प्राप्त करने, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का जवाब देने और साथियों और प्रबंधकों के साथ संवाद करने का एक तरीका दे सकता है।
- **निर्देशात्मक डिजाइन**– ई–लर्निंग अनुभवों को विविध शिक्षण शैलियों के अनुरूप कई तरह की पेशकशों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें क्विज, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट, प्रदर्शन और कथा–आधारित प्रशिक्षण सामग्री शामिल हैं। ई–लर्निंग कोर्स डेवलपमेंट ऐप ऐसे लेखन उपकरण का उपयोग करते हैं जो बिना कोडिंग अनुभव वाले लोगों को भी इन विभिन्न पेशकशों को बनाने की अनुमति देते हैं।

ई–लर्निंग के प्रकार

वेब–आधारित शिक्षण प्रणालियों के दो प्राथमिक मॉडल हैं–

- समकालिक, जिसे प्रशिक्षक–नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है,
- और अतुल्यकालिक या स्व–निर्देशित और स्व–गति।

मूलतः, समकालिक ई–लर्निंग में प्रतिभागियों को एक ही समय पर, यद्यपि आभासी रूप से, उपस्थित रहना आवश्यक होता है, जबकि अतुल्यकालिक ई–लर्निंग में ऐसा नहीं होता है।

समकालिक ई–लर्निंग विधियों के उदाहरणों में निर्धारित और समयबद्ध ऑनलाइन परीक्षण, वर्चुअल क्लासरूम, वेब कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक और इंटरैक्टिव साझा व्हाइटबोर्ड का उपयोग शामिल है जिसका उपयोग शिक्षार्थी सहयोग करने के लिए कर सकते हैं। अतुल्यकालिक ई–लर्निंग विधियों के उदाहरणों में चर्चा बोर्ड, चर्चा समूह और स्व–गति सीखने के पाठ्यक्रमों का उपयोग शामिल है।

ई–लर्निंग के क्या लाभ हैं?

ई–लर्निंग के कई लाभ हैं, जिनके बारे में

समर्थकों का मानना है कि ये इसके नुकसानों से कहीं ज्यादा हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैंरू

1. मांग पर उपलब्धता– ई–लर्निंग उपकरण और सेवाएँ व्यस्त शेड्यूल वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं क्योंकि वे आमतौर पर हमेशा मांग पर उपलब्ध होते हैं। जब तक शिक्षार्थियों के पास ई–लर्निंग एप्लिकेशन तक पहुँच है, वे ऑनलाइन वितरित सामग्री तक पहुँच सकते हैं।

2. यात्रा की आवश्यकता नहीं होती– ई–लर्निंग विशेष रूप से समूह सीखने के लिए अनुकूल है , जहां अलग–अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों के समूह एक नया कौशल या ज्ञान सेट प्राप्त करने पर काम करते हैं

3. लागत दक्षता– पारंपरिक, व्यक्तिगत कक्षा सेटिंग में, स्थान, बुनियादी ढांचे, रखरखाव और सामग्री की लागत बढ़ जाती है। इनमें से अधिकांश लागतें ऑनलाइन सीखने वालों के लिए खत्म हो जाती हैं।

4. लचीलापन– वेब–आधारित प्रशिक्षण और ई–लर्निंग लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षार्थी अपनी गति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई–लर्निंग के नुकसान क्या हैं?

आलोचक ई–लर्निंग से संबंधित निम्नलिखित नुकसानों की ओर ध्यान दिलाते हैं–

- **मानवीय संपर्क की आवश्यकता**– वेब–आधारित प्रशिक्षण स्वतंत्र, स्व–प्रेरित छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मानवीय संपर्क की आवश्यकता अन्य शिक्षण शैलियों वाले छात्रों के लिए इसकी उपयोगिता को सीमित करती है। उदाहरण के लिए, एक एसिंक्रोनस ई–लर्निंग पद्धति का उपयोग करने वाला शिक्षार्थी समय सीमा की संरचना के बिना ई–लर्निंग पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उन्हें उन प्रश्नों के लिए तत्काल प्रतिक्रियाओं की भी आवश्यकता हो सकती है जो एक एसिंक्रोनस प्रणाली प्रदान नहीं करती है।
- **तकनीकी मुद्दे**– वर्चुअली जुड़ने वाले छात्रों को अक्सर ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने और असाइनमेंट पूरा करने के लिए अपने स्वयं के उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है। कनेक्ट होने और जुड़े रहने के लिए सही डिवाइस और नेटवर्क एक्सेस की आवश्यकता होती है जो सभी छात्रों के पास नहीं हो सकता है।
- **पारदर्शिता की कमी**– कभी–कभी हर ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सामग्री या शिक्षक की गुणवत्ता और विश्वसनीयता हमेशा स्पष्ट और पारदर्शी नहीं होती है। यह विशेष रूप से मुफ्त और आसानी से सुलभ संसाधनों पर एक मुद्दा है।

ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म

ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म की एक किस्म है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों, जिनका उपयोग उपयोगकर्ता शिक्षा, व्यवसाय और स्वतंत्र वातावरण में कर सकते हैं। ये शक्तिशाली सॉफ्टवेयर सूट डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन प्रशिक्षण को सक्षम करते हैं, पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, पावरपॉइंट जैसी प्रस्तुति क्षमताएँ, ऑनलाइन परीक्षाएँ और छात्र प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करते हैं। इन प्लेटफॉर्म के कुछ उदाहरण हैं एंथोलॉजी फॉर बिजनेस, कैनवस, मूडल, सकाई और स्कूलोजी।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया ई–लर्निंग के लिए उपयोगी उपकरण प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों के समुदायों को एक साथ लाते हैं और उन्हें ई–लर्निंग सामग्री साझा करने देते हैं। निम्नलिखित उदाहरण हैं कि वे कैसे उपयोगी हो सकते हैंरू

- **फेसबुक** उपयोगकर्ता जानकारी और विचारों को साझा करने के लिए समूह बना सकते हैं, और ऐसे समूहों के सदस्य साझा की गई सामग्री के बारे में स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकते हैं।

- **लिंक्डन** ऐसे ही समूहों को सक्षम बनाता है जिन्हें विश्वसनीयता के अतिरिक्त स्तर के रूप में माना जा सकता है क्योंकि उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पर अपने कैरियर क्रेडेंशियल्स प्रदर्शित करते हैं। लिंक्डइन में ई–लर्निंग के लिए लिंक्डइन लर्निंग नामक एक पेड प्लेटफॉर्म भी है जिसमें 4,000 से अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों के विषय वेब डेवलपमेंट से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक भिन्न होते हैं।
- **एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था)** किसी विशिष्ट विषय या घटना के लिए हैशटैग का उपयोग करके शिक्षार्थियों को जोड़ सकता है।
- **यूट्यूब** उपयोगकर्ता निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री पोस्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही वीडियो पर टिप्पणी और रेटिंग भी दे सकते हैं।

भारी मात्रा में खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम

स्वतंत्र शिक्षार्थी वेब पर बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (MOOCs) का भी लाभ उठा सकते हैं । डव्ब्ें को कोर्सेरा और मकग जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट पर लोगों के बड़े समूहों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, आमतौर पर मुफ्त में। अक्सर, ये पाठ्यक्रम शीर्ष–स्तरीय विश्वविद्यालयों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर आधारित होते हैं, जो उन शिक्षार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है जो मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सामग्री चाहते हैं। उपयोगकर्ता MOOC की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और किसी दिए गए पाठ्यक्रम के लिए साइन अप कर सकते हैं। कुछ MOOC कार्यक्रम, जैसे कि edX के प्रमाणपत्र कार्यक्रम, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट प्रमाणपत्र अर्जित करने के इच्छुक छात्र से शुल्क लेते हैं।

यूडेमी और स्किलशेयर जैसे अन्य प्लेटफॉर्म MOOCs के समान हैं, क्योंकि वे ऑनलाइन उपलब्ध हैं और शिक्षार्थियों के बड़े समूहों को समायोजित कर सकते हैं। हालाँकि, वे इस मायने में भिन्न हैं कि वे उपयोगकर्ता से शुल्क लेते हैं और निष्क्रिय शिक्षण विधियों के विपरीत सामग्री के साथ व्यावहारिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि अधिक विश्वविद्यालय–केंद्रित MOOCs के साथ आने वाले व्याख्यान। प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, ई–लर्निंग पेशेवरों और छात्रों दोनों के लिए नए कौशल सीखने और मौजूदा कौशल को मजबूत करने का एक लचीला, अनुकूलनीय तरीका है।

ई–लर्निंग का इतिहास क्या है?

ई–लर्निंग का विचार इंटरनेट और ई–लर्निंग शब्द के निर्माण से पहले का है । 1983 में, अटारी के पूर्व अध्यक्ष और टेली लर्निंग सिस्टम के संस्थापक रॉन गॉर्डन ने इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने का प्रयास शुरू किया। म्छ एक प्रारंभिक ऑनलाइन शैक्षिक नेटवर्क था जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने और उनका उपयोग करने में मदद करना था। EUN को 1987 में नॉलेजनेट ने खरीद लिया और इसे अपनी पेशकशों में शामिल कर लिया।

जब 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया गया था, तो इसे शुरू में शैक्षणिक संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के एक साधन के रूप में देखा गया था, लेकिन बाद में यह आज जैसा बन गया।

ई–लर्निंग शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1999 में किया गया था। लगभग उसी समय, विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन शुरू किए गए, जैसे कि 2002 में MIT का ओपनकोर्सवेयर प्रोजेक्ट । 2000 के दशक के उत्तरार्ध में, इस प्रकार के पाठ्यक्रम और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि वे शिक्षार्थियों के बड़े समूहों को समायोजित कर सके, और MOOCs सामने आए। हाल के वर्षों में, अधिकांश कंपनियों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने

ई–लर्निंग को इसके लाभों की खोज के बाद अपनाया है, खासकर COVID–19 महामारी के दौरान।

ई–लर्निंग अब अपने आप में एक बाजार बन चुका है, जिसमें कई अलग–अलग प्रदाता हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- **मिन्शाल, एल., और सिंह, ए. (2021)**– 21वीं सदी की कक्षा में डिजिटल एकीकरण और छात्र सहभागिता. शिक्षा और प्रौद्योगिकी जर्नल, 14(2), 45–58.
- **कुमार, आर. (2022)**– सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आधुनिक तकनीकों (स्मार्ट क्लास और डिजिटल मैप्स) का प्रभाव. भारतीय शैक्षणिक समीक्षा, 29(1), 112–125
- **शर्मा, पी., और वर्मा, एस. (2023)**– शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल उपकरणों के प्रति शिक्षकों और प्राचार्यों का दृष्टिकोणरू एक सर्वेक्षण आधारित अध्ययन. आधुनिक शिक्षा शास्त्र, 18(3), 89–104.

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 18th May 2026 Paper Accepted : 25th May 2026

संभ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अर्पित कुमार यादव*

शोध-सारांश

कानून को आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में सामाजिक न्याय, समानता और निष्पक्षता का मूल आधार माना जाता है। संवैधानिक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव–चाहे वह वर्ग, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति पर आधारित हो– नहीं किया जाएगा। किंतु समाजशास्त्रीय यथार्थ इससे भिन्न दिखाई देता है। व्यवहारिक स्तर पर यह स्पष्ट होता है कि समाज में एक ऐसा वर्ग विद्यमान है, जिसे उसकी आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक संपर्क, प्रशासनिक पहुँच और सांस्कृतिक प्रभुत्व के कारण कानून से विशेष प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। इस वर्ग को सामान्यतः 'संभ्रान्त वर्ग' या 'एलीट क्लास' कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा की प्रकृति, स्वरूप और प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। यह अध्ययन इस केंद्रीय धारणा पर आधारित है कि कानून एक तटस्थ संस्था न होकर समाज की शक्ति–संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिन समूहों के पास सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण होता है, वही कानून के निर्माण, व्याख्या और क्रियान्वयन को भी प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत और एलीट सिद्धांत को सैद्धांतिक आधार बनाकर यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार सम्भ्रान्त वर्ग कानून को अपने हितों की रक्षा के साधन के रूप में प्रयोग करता है।

भारतीय समाज के संदर्भ में यह समस्या और अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ वर्ग के साथ–साथ जाति, वंश, राजनीतिक संरचना और औपनिवेशिक विरासत भी कानून की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। न्यायिक विलंब, महंगी कानूनी प्रक्रिया, जमानत व्यवस्था, राजनीतिक संरक्षण तथा मीडिया के प्रभाव जैसे कारक सम्भ्रान्त वर्ग को विशेष कानूनी लाभ प्रदान करते हैं। यह अध्ययन तर्क प्रस्तुत करता है कि ऐसी स्थिति में कानून सामाजिक न्याय के अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और सामाजिक असमानता को और अधिक गहरा करता है। अतः यह शोध–पत्र

* असिस्टेंट प्रोफेसर, टी.एन.पी.जी. कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर
मो.: 95068959100, Email: ay624985@gmail.com

न केवल सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा को समझने का प्रयास करता है, बल्कि यह भी रेखांकित करता है कि न्यायिक सुधार और सामाजिक चेतना के लोकतांत्रिक समाज में वास्तविक समानता की स्थापना संभव नहीं है।

मुख्य शब्द– सम्भ्रान्त वर्ग, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक असमानता, कानून और समाज, भारतीय समाज।

प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी समाज की स्थिरता और निरंतरता के लिए कानून की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कानून केवल नियमों का संकलन नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक मूल्यों, नैतिक धारणाओं और शक्ति संबंधों का प्रतिबिंब भी होता है। लोकतांत्रिक समाजों में यह धारणा प्रचलित है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान है और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष रूप कार्य करती है। भारतीय संविधान भी समानता के अधिकार, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। परंतु जब हम समाज की वास्तविक संरचना और व्यवहारिक अनुभवों का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि कानून का प्रयोग सभी वर्गों के लिए समान नहीं है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कानून को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है, जो समाज में विद्यमान शक्ति संतुलन से प्रभावित होती है। समाज में जो वर्ग आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होता है, उसकी कानून तक पहुँच अधिक सहज और प्रभावशाली होती है। इसके विपरीत, वंचित और कमजोर वर्गों के लिए कानून अक्सर जटिल, महंगा और भयावह प्रतीत होता है। इस संदर्भ में 'संभ्रान्त वर्ग' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

संभ्रान्त वर्ग वह सामाजिक समूह है जो समाज के संसाधनों, संस्थाओं और निर्णय प्रक्रियाओं पर कपेचतवचवतजपवदंजम नियंत्रण रखता है। यह वर्ग न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक तंत्र और न्यायिक प्रक्रिया में भी उसकी गहरी पैठ होती है। परिणामस्वरूप, कानून कई बार इस वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला उपकरण बन जाता है।

भारतीय समाज में सम्भ्रान्त वर्ग की स्थिति ऐतिहासिक रूप से मजबूत रही है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शासन ने एक सीमित भारतीय अभिजात वर्ग को प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में शामिल किया, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी यह संरचना पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो सकी। आज भी बड़े उद्योगपति, राजनीतिक परिवार, उच्च्व नौकरशाही और प्रभावशाली सामाजिक समूह कानून और न्याय प्रणाली को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं।

यह स्थिति कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देती है–क्या कानून वास्तव में सभी के लिए समान है? क्या न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक असमानताओं को कम करती है या उन्हें और मजबूत करती है? और क्या सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत नहीं है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास यह अध्ययन करता है।

अध्ययन की समस्या (Statement of the Problem)

समाज में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता के साथ–साथ यह धारणा भी मजबूत होती जा रही है कि कानून और न्याय व्यवस्था शक्तिशाली वर्गों के पक्ष में झुकी हुई है। अनेक उदाहरण यह संकेत देते हैं कि सम्भ्रान्त वर्ग के व्यक्ति गंभीर अपराधों के बावजूद लंबे समय तक कानूनी दायरे से बाहर रहते हैं, या उन्हें अपेक्षाकृत नरम दंड प्राप्त होता है। इसके विपरीत, कमजोर वर्गों के लोग छोटे अपराधों में भी कठोर दंड का सामना करते हैं।

इस अध्ययन की मूल समस्या यह है कि

सम्भ्रान्त वर्ग को प्राप्त कानूनी सुरक्षा किस प्रकार सामाजिक असमानता को संस्थागत रूप प्रदान करती है और न्याय की अवधारणा को कमजोर करती है। यह समस्या केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से जुड़ी हुई है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. सम्भ्रान्त वर्ग की अवधारणा को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट करना ।
2. कानून और सामाजिक वर्ग के बीच संबंध का विश्लेषण करना ।
3. भारतीय समाज में सम्भ्रान्त वर्ग को प्राप्त कानूनी सुरक्षा के स्वरूप को समझना ।
4. कानूनी असमानता के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना ।
5. सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु संभावित सुधारों की दिशा संकेतित करना।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

यह अध्ययन समाजशास्त्र, विधि और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह न केवल कानून की तटस्थता की धारणा को चुनौती देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि सामाजिक संरचना किस प्रकार न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है। भारतीय संदर्भ में इस विषय पर सीमित समाजशास्त्रीय अध्ययन उपलब्ध हैं, इसलिए यह शोध सामाजिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

संभ्रान्त वर्ग की अवधारणा : एक समाज–शास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्र में 'संभ्रान्त वर्ग' (म्सपजम ब्सें) की अवधारणा का प्रयोग उन सामाजिक समूहों के लिए किया जाता है, जो समाज के महत्वपूर्ण संसाधनों, निर्णय प्रक्रियाओं और संस्थागत शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। यह वर्ग संख्या में अल्पसंख्यक होता है, किंतु उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली होती है। सम्भ्रान्त वर्ग केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान सत्ता, प्रतिष्ठा, शिक्षा, सामाजिक नेटवर्क और संस्थागत पहुँच से भी होती है।

विल्फ्रेडो पैरेटो के अनुसार, प्रत्येक समाज में वर्ग होते हैं–शासक अल्पसंख्यक और शासित बहुसंख्यक। शासक अल्पसंख्यक ही सम्भ्रान्त वर्ग होता है, जो समाज की नीतियों और संस्थाओं को नियंत्रित करता है। पैरेटो ने इसे "एलिट सर्कुलेशन" की प्रक्रिया से जोड़ा, जिसमें समय–समय पर एक सम्भ्रान्त वर्ग दूसरे सम्भ्रान्त वर्ग से प्रतिस्थापित होता है, किंतु आ जनता सत्ता से बाहर ही रहती है।

गेटानो मोस्का ने भी यह स्पष्ट किया कि समाज में हमेशा एक संगठित अल्पसंख्यक होता है जो असंगठित बहुसंख्यक पर शासन करता है। मोस्का के अनुसार, संगठन और संसाधनों तक पहुँच ही सम्भ्रान्त वर्ग की वास्तविक शक्ति का स्रोत होती है।

भारतीय समाज में सम्भ्रान्त वर्ग की अवधारणा और अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि यहाँ वर्ग के साथ–साथ जाति, वंश, धर्म और राजनीतिक विरासत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च जातियाँ, बड़े जमींदार, औद्योगिक पूँजीपति, राजनीतिक परिवार और उच्च नौकरशाही मिलकर भारतीय सम्भ्रान्त वर्ग का निर्माण करते हैं। यह वर्ग कानून, प्रशासन और न्याय प्रणाली में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखता है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण : कानून और वर्ग सत्ता

कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्रीय चिंतन वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार, किसी भी समाज की आर्थिक संरचना ही उसकी राजनीतिक और कानूनी संरचना को निर्धारित करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि "राज्य शासक वर्ग की कार्यकारी समिति है।" इस दृष्टिकोण से कानून को एक तटस्थ या निष्पक्ष संस्था मानना भ्रमपूर्ण है।

मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, कानून शासक

वर्ग के हितों की रक्षा करने का एक औजार है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग न केवल आर्थिक सत्ता रखता है, बल्कि वही वर्ग कानून निर्माण, उसकी व्याख्या और उसके क्रियान्वयन को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार कानून वर्गीय चरित्र ग्रहण कर लेता है।

मार्क्स के अनुसार, पूँजीवादी समाज में कानून निजी संपत्ति की सुरक्षा, अनुबंधों की और पूँजी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यह सब प्रत्यक्ष रूप से पूँजीपति वर्ग के हितों से जुड़ा होता है। श्रमिक वर्ग के लिए कानून औपचारिक रूप से समानता का दावा करता है, किंतु व्यवहार में वह शोषण की संरचना को वैधता प्रदान करता है।

फ्रेडरिक एंगेल्स ने भी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कानून और नैतिकता शासक वर्ग की विचारधारा का ही विस्तार होते हैं। इस दृष्टि से सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा कोई अपवाद नहीं, बल्कि पूँजीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा

मार्क्सवादी विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सम्भ्रान्त वर्ग को प्राप्त कानूनी सुरक्षा आकस्मिक नहीं होती, बल्कि वह संरचनात्मक होती है। उच्च वर्ग के लोग महंगे वकीलों की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं, लंबे समय तक मुकदमे लड़ सकते हैं और कानून की जटिलताओं का अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत, श्रमिक, किसान और निम्न वर्ग के लोगों के लिए कानून एक दमनकारी संरचना के रूप में कार्य करता है।

भारतीय संदर्भ में यह स्थिति विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। बड़े उद्योगपतियों पर आर्थिक अपराधों के मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जबकि छोटे अपराधों में गरीब व्यक्तियों को शीघ्र दंड मिल जाता है। यह असमानता मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पुष्ट करती है कि कानून वर्गीय हितों से संचालित होता है।

मार्क्सवादी विद्वान यह भी तर्क देते हैं कि न्यायिक विलंब स्वयं में एक प्रकार का वर्गीय लाभ है। सम्भ्रान्त वर्ग इस विलंब का उपयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है, जबकि कमजोर वर्ग न्याय के अभाव में हताश हो जाता है।

कानून, राज्य और प्रभुत्वशाली विचारधारा

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार, शासक वर्ग केवल भौतिक संसाधनों पर ही नहीं, बल्कि विचारों पर भी नियंत्रण रखता है। "शासक वर्ग के विचार ही प्रत्येक युग के शासक विचार होते हैं।" कानून इन्हीं विचारों को संस्थागत रूप देता है।

संभ्रान्त वर्ग कानून के माध्यम से यह धारणा स्थापित करता है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था स्वाभाविक और न्यायसंगत है। जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे व्यक्तिगत दोष के रूप में देखा जाता है, जबकि सामाजिक संरचना की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

भारतीय समाज में यह प्रभुत्वशाली विचारधारा मीडिया, शिक्षा और न्यायिक भाषा के माध्यम से प्रसारित होती है। इससे सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर लेती है और असमानता सामान्यीकृत हो जाती है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सीमाएँ और आलोचना

यद्यपि मार्क्सवादी दृष्टिकोण कानून और वर्ग सत्ता के संबंध को समझने में अत्यंत सहायक है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण कानून की स्वायत्त भूमिका को कम करके आँकता है। कई बार कानून शासक वर्ग के विरुद्ध भी कार्य करता है और सामाजिक सुधारों का माध्यम बनता है।

एलीट सिद्धांत और समाजशास्त्र

एलीट सिद्धांत समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में यह स्पष्ट करता है कि किसी भी समाज में सत्ता और निर्णय–निर्माण की शक्ति हमेशा एक सीमित, संगठित समूह के हाथों में रहती है।

1. विल्फ्रेडो पैरेटो (टपसतिमकव च्ंतमजव)

पैरेटो ने यह तर्क दिया कि समाज में एक 'शासक वर्ग' हमेशा मौजूद रहता है। उनका कथन है कि "शक्ति समाज में हमेशा कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकृत रहती है, चाहे सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद।" (च्ंतमजवए 1935ए चचण 142.150)

पैरेटो का 'एलिट सर्कुलेशन' सिद्धांत यह बताता है कि समय–समय पर एक सम्भ्रान्त वर्ग को नया वर्ग प्रतिस्थापित कर सकता है, पर सत्ता की संरचना हमेशा सीमित अल्पसंख्यक के हाथ में रहती है।

2. गेटानो मोस्का (ळंमजंदव डवेबं)

मोस्का के अनुसार, समाज में हमेशा एक संगठित 'शासक वर्ग' और असंगठित बहुसंख्यक होता है। उनके अनुसार, संगठनात्मक शक्ति ही शासन और नियंत्रण का मूल आधार है। कानून और प्रशासनिक संस्थाएं इसी संगठित वर्ग की गतिविधियों के अनुरूप कार्य करती हैं। (डवेबं, 1939, चच. 50द्65)

3. सी. राइट मिल्स (ब्. ॅतपहीज डपससे)

मिल्स ने "पावर एलीट'' की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार, आधुनिक समाज में राजनीतिक नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व और कॉर्पोरेट नेतृत्व का गठजोड़ एक शक्तिशाली वर्ग का निर्माण करता है। यह वर्ग न केवल नीतियों और संसाधनों पर नियंत्रण रखता है बल्कि न्यायपालिका और प्रशासनिक संस्थाओं पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। (डपससेए 1956, चच. 3द्29)

इसके बावजूद, भारतीय समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि कानून की संरचना और उसका क्रियान्वयन अब भी बड़े पैमाने पर सम्भ्रान्त वर्ग के प्रभाव में है। अतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस अध्ययन के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। एलीट सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि कानून और न्यायिक संस्थाएं कभी–कभी शासक वर्ग के हितों का संरक्षण करती हैं। भारत में यही कारण है कि उच्च जाति, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग कानूनी प्रक्रिया में अधिक सुरक्षित होते हैं।

भारतीय संदर्भ में सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा

1. न्यायिक प्रक्रिया और विलंब

भारतीय न्यायिक प्रणाली लंबी और जटिल है। सम्भ्रान्त वर्ग इसके फायदे उठाता है। उदाहरण के लिए, बड़े उद्योगपति और राजनीतिक परिवार कई मामलों में सालों तक न्यायिक विलंब का लाभ उठाते हैं। ऐसे मामलों में उच्च वर्ग के लोग महंगे वकील, अंतरिम राहत और अपील प्रणाली का रणनीतिक उपयोग करते हैं।

वहीं, गरीब और निम्न वर्ग के लोग वर्षों तक न्याय प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या भारतीय जेलों में बड़ी है, और इनमें अधिकांश कमजोर वर्ग के होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में पहुँच और समय का विभाजन वर्गीय असमानता को और गहरा करता है।

2. राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप

भारतीय संदर्भ में सम्भ्रान्त वर्ग अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक नेटवर्क का लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ जांच में देरी, जमानत प्राप्ति, और प्रशासनिक सहयोग आम जनता की तुलना में अधिक सहज होता है।

3. मीडिया और सामाजिक छवि

सम्भ्रान्त वर्ग मीडिया के माध्यम से अपनी सामाजिक छवि और जनमत को नियंत्रित करता है। प्रभावशाली परिवार और उद्योगपति मीडिया कवरेज के जरिए अपने खिलाफ मामलों को कम महत्व या पक्षपाती दृष्टि से पेश कर सकते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और कानूनी सुरक्षा और अधिक मजबूत होती है।

4. आर्थिक क्षमता और कानूनी प्रतिनिधित्व

महंगे और प्रभावशाली वकील सम्भ्रान्त वर्ग के लिए कानूनी सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ हैं। उच्च वर्ग के लोग लंबी कानूनी लड़ाइयों का वित्तीय भार आसानी से उठा सकते हैं। इसके विपरीत, निम्न वर्ग के लोग न केवल कानूनी खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं बल्कि उन्हें प्रभावी कानूनी सलाह भी सीमित रूप से उपलब्ध होती है।

5. विशेष केस उदाहरण

1. भूमि विवाद : ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े जमींदार और उच्च जाति के लोग भूमि संबंधी मामलों में वरीयता प्राप्त करते हैं। छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर वर्षों तक न्याय के अभाव में रहते हैं।

2. आर्थिक अपराध : शहरी क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों और बैंकिंग समूहों के वित्तीय अपराधों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया और जमानत उनके पक्ष में काम करती है।

3. राजनीतिक संरक्षण : प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं।

सत्ता–संबंध और सामाजिक असमानता

भारतीय समाज में सत्ता, जाति और वर्ग का गहरा अंतर्संबंध है। उच्च जाति और आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्ग कानून के लाभों तक सहज पहुँच रखते हैं। इसके विपरीत, कमजोर वर्ग–जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और भूमिहीन किसान– कानूनी प्रक्रिया में अधिक संघर्ष और विलंब का सामना करते हैं।

इस प्रकार कानून की संरचना सामाजिक असमानता को वैधानिक रूप से सुरक्षित बनाती है। यह न केवल सामाजिक न्याय की अवधारणा के विपरीत है, बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर भी सवाल उठाती है।

सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा के परिणाम

1. न्याय व्यवस्था में विश्वास की कमी : आम नागरिकों में यह धारणा बनती है कि न्याय केवल शक्तिशाली वर्ग के लिए है।

2. सामाजिक असमानता का बढ़ना : कमजोर वर्ग न्यायिक प्रक्रिया से वंचित रह जाता है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है।

3. राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का संवर्द्धन : कानून के पक्ष में उपलब्ध विशेषाधिकार सम्भ्रान्त वर्ग की सत्ता को और मजबूत करते हैं।

4. लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण : न्याय की निष्पक्षता और समानता पर विश्वास कमजोर होता है।

सामाजिक प्रभाव और आलोचनात्मक विश्लेषण

सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के समग्र ढांचे पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यह प्रभाव निम्नलिखित आयामों में स्पष्ट होता है :

1. सामाजिक विश्वास और न्याय की धारणा

जब आम नागरिक देखते हैं कि उच्च वर्ग के लोग कानून की जटिलताओं का लाभ उठाते हुए लंबे समय तक बच निकलते हैं, तो न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास कमजोर होता है। यह विश्वासहीनता समाज में असंतोष और अविश्वास को जन्म देती है। विशेषकर भारतीय ग्रामीण और शहरी निम्न वर्गों में यह धारणा अधिक प्रबल है कि न्याय केवल शक्तिशाली लोगों के लिए है।

2. लोकतंत्र और राजनीतिक प्रभाव

कानून की असमानता लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रभावित करती है। जब सम्भ्रान्त वर्ग राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक सहायता के माध्यम से कानून के दायरे से बाहर रहता है, तो इससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में असमानता बढ़ती है। इससे न केवल सत्ता का केंद्रीकरण होता है बल्कि बहुसंख्यक जनता के लिए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया दूरस्थ और अप्रभावी प्रतीत होती है।

3. आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन

कानूनी सुरक्षा का आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उच्च वर्ग के लोग महंगे वकीलों और लंबी

कानूनी लड़ाइयों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है। गरीब वर्ग का संपत्ति और अधिकारों तक सीमित पहुँच रह जाता है, जिससे सामाजिक विभाजन और भी गहरा हो जाता है।

4. मीडिया और सामाजिक चेतना

भारतीय संदर्भ में मीडिया और सार्वजनिक धारणा भी सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा को पुष्ट करते हैं। मीडिया कवरेज में उच्च वर्ग के मामलों का पक्षपाती प्रस्तुतीकरण, समाचारों की प्राथमिकता और छवि प्रबंधन, सामाजिक चेतना को प्रभावित करते हैं। इससे न्याय की अवधारणा में असमानता का सामान्यीकरण होता है और सामाजिक न्याय की वास्तविक भावना कमजोर पड़ती है।

5. अंतरराष्ट्रीय तुलना

विकासशील देशों में, विशेषकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और सामाजिक विविधताओं वाले समाजों में, सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा का प्रभाव और अधिक जटिल है। अमेरिका, यूरोप और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी उच्च वर्ग की कानूनी सुरक्षा देखी जाती है, परन्तु भारतीय समाज में जाति, राजनीतिक संरक्षण और औपनिवेशिक कानूनी विरासत इसे और अधिक विशिष्ट बनाती है।

सिफारिशें (Recommendations)

1. न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण

- न्याय की पहुँच सभी वर्गों के लिए समान बनाई जाए।
- न्यायिक कार्यवाही की जटिलताओं और विलंब को कम किया जाए।

2. सुलभ कानूनी सहायता

- गरीब और वंचित वर्ग के लिए मुफ्त या सस्ते कानूनी प्रतिनिधित्व को प्रभावी बनाया जाए।
- लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली को मजबूत किया जाए।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण

- न्यायपालिका और प्रशासन में राजनीतिक दबाव को सीमित किया जाए।
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

4. मीडिया की स्वतंत्रता और नैतिकता

- मीडिया कवरेज निष्पक्ष और संतुलित हो।
- सामाजिक छवि प्रबंधन के माध्यम से न्याय पर प्रभाव कम किया जाए।

5. सामाजिक शिक्षा और चेतना

- नागरिकों में कानून और न्याय के प्रति सचेतनता बढ़ाई जाए।
- समाजशास्त्रीय और कानूनी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत की जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा भारतीय समाज में केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक संरचनात्मक समस्या है। कानून, जो कि समाज में समानता, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय का प्रतीक होना चाहिए, कई बार सत्ता और संसाधनों से संपन्न वर्ग के हितों को संरक्षित करने वाला उपकरण बन जाता है।

भारतीय समाज में ऐतिहासिक, आर्थिक, जातीय और राजनीतिक संरचनाओं के कारण सम्भ्रान्त वर्ग की स्थिति अत्यंत मजबूत रही है। न्यायिक विलंब, महंगी कानूनी प्रक्रियाएँ, राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण तथा मीडिया के माध्यम से प्रभाव का यह मिश्रण सम्भ्रान्त वर्ग को विशेष कानूनी लाभ प्रदान करता है। इससे समाज में विश्वास की कमी, सामाजिक असमानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण और एलीट सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि कानून समाज के शक्ति–संतुलन का उत्पाद है। इसलिए यदि कानून वास्तव में सामाजिक न्याय का माध्यम बनना चाहता है, तो

उसे संरचनात्मक असमानताओं को पहचानते हुए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। न्याय और कानून की समान पहुँच ही समाज में वास्तविक लोकतंत्र और न्याय सुनिश्चित कर सकती है।

अतः निष्कर्ष यह है कि सम्भ्रान्त वर्ग की कानूनी सुरक्षा के सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रभावों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है। यह न केवल न्यायपालिका और प्रशासन के लिए, बल्कि समाज की व्यापक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (References)

1. Ahuja, Ram (2014). Social Problems in India. Rawat Publications, Jaipur, pp. 45-78.
2. Singh, Yogendra (2007). Modernization of Indian Tradition. Rawat Publications, pp. 112-140.
3. Dubey, S.C. (1998). Indian Society. National Book Trust, pp. 60-95.
4. Marx, Karl (1867). Das Kapital, Vol. I, Progress Publishers, pp. 35-60.
5. Mills, C. Wright (1956). The Power Elite. Oxford University Press, pp. 3-30.
6. Ahuja, Ram (2018). Society in India. Rawat Publications, pp. 210-245.
7. Pareto, Vilfredo (1935). The Mind and Society. New York: Harcourt, Brace & Co., pp. 142-150.
8. Mosca, Gaetano (1939). The Ruling Class. McGraw-Hill, pp. 50-65.
9. Sharma, D.D. (2010). Law and Society in India. New Delhi: Eastern Book Company, pp. 80-115.

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 18th May 2026 **Paper Accepted : 25th May 2026**

आचार्य शुक्ल की दृष्टि में लोकधर्म

□ डॉ. कुश कुमार*

शोध-सारांश

हिन्दी साहित्य में आचार्य शुक्ल के पदार्पण से हिन्दी की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक समीक्षा का सुव्यवहारित स्वरूप पहली बार नये ढंग से सामने आता है इन्होंने अपनी प्रखर मेधा शक्ति से हृदय एवं बुद्धि का समन्वय करते हुए जो नवीन साहित्यिक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं वह आज भी साहित्य जगत में मानदण्ड के रूप में स्थित है। इनका साहित्यिक सिद्धान्त जिस मूल्य पर आधारित है वह उनका लोकधर्म है। इन्होंने अपने लोकधर्म के आधार पर लोकवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाली जिस समीक्षा पद्धति की उद्भावना की उसमें वर्तमान तथा भविष्य व्यावहारिक जीवन जीने, मानवीय मूल्यों एवं उसकी प्रगति की अक्षय निधि वर्तमान हैं और इसी का आश्रय लेकर वर्तमान में भी हिन्दी समीक्षा निरंतर गतिशील है। इनकी लोकभावना बड़ी उदार, व्यापक और सर्वदेशीय है जो इनकी दो महाकवियों की आलोचनात्मक कृतियों से स्पष्ट हो जाता है।

मुख्य शब्द– लोकसंग्रह, पूर्णधर्म, कर्ममार्गी, गृहस्थ, इतिश्री, प्रवृत्ति, लोकरक्षक, लोकरंजन, प्रत्यक्षीकरण, व्यापकता, कर्म, ज्ञान, उपासना।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य के उच्चकोटि के समीक्षक ही नही अपितु प्रखर चिंतक भी थे। उन्होंने अपने समय की उच्चकोटि की वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं मनोवैज्ञानिक ग्रंथो का गम्भीर अध्ययन एवं अनुशीलन किया था। उनके सुविचारित काव्य सिद्धान्त उनके वैज्ञानिक एवं दार्शनिक चिंतन पर ही आधारित है जिसमें उन्होंने ऐसे–ऐसे नवीन शब्द गढ़े और उसकी नवीन अर्थवत्ता प्रदान की जिसे समझने के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यसिद्धान्त, दर्शन एवं मनोविज्ञान की जानकारी अपेक्षित है। इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यसिद्धान्त का गहन चिंतन किया और उनका समन्वय करके नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। इनके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा सम्बंधी निबंधों में आलोचना के नवीन मानदण्ड एवं सिद्धान्त स्थिर किये गये है, जिसमें प्राचीन आचार्यों एवं पाश्चात्य चिंतकों दोनों का समन्वय दिखाई पड़ता है।

आचार्य शुक्ल ने अपने व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक दोनों आलोचनाओं में जिस सिद्धान्त पर सर्वाधिक जोर दिया वह उनका लोकधर्म है। वैसे 'लोक' शब्द को लेकर आचार्य शुक्ल ने कई शब्द प्रचलित किये हैं जैसे लोकमंगल, लोकमर्यादा, लोकसंग्रह, लोकधर्म, लोकबद्ध, लोकव्यवहार,

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई

लोककल्याण, लोकानुसरण, लोकोन्मुख आदि। 'लोक' एक भौगोलिक शब्द है जिसे लेकर विविध लोकों की कल्पना की गई है, ऋग्वेद में लोक जीव और जगत के अर्थ में माना गया है इससे हटकर वेदों में दिव्य एवं पार्थिव लोकों की कल्पना की गई है। उपनिषद के अनुसार दो लोक माने गये है इहलोक एवं परलोक। निरूक्त में तीन लोकों का उल्लेख मिलता है पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक अर्थात् भू, भुवः और स्वः के रूप में। चूंकि परलोक अब कल्पना मात्र रह गयी है अतः लोक अब इहलोक (सांसारिक) के अर्थ में प्रयुक्त होता है और लोक धर्म कहने से लोक का अर्थ जन सामान्य हो जाता है।[1]

लोक शब्द का आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ प्रदान करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है इस लोक सिद्धान्त को लेकर इन्होंने अपने साहित्य या काव्यसिद्धान्त स्थिर किये है। वैसे शुक्ल जी ने लोक शब्द का अर्थ कहीं जगत, कहीं समाज और कहीं सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए किया है इसके लिए इन्होंने कहीं लोकधर्म, कहीं लोकमंगल और कहीं लोकसंग्रह आदि शब्दों का प्रयोग किया है। धर्म का स्वरूप भी इसी के आधार पर स्थित किया है। उनकी दृष्टि में वही धर्म, वही साहित्य या वही काव्य श्रेष्ठ हैं जो लोकधर्म पर आधारित हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को अधिकाधिक नैतिक लाभ या आनंद प्राप्त हो सके। साहित्य के मूल्यांकन में एक प्रमुख मानदण्ड के रूप लोकधर्म की प्रतिष्ठा शुक्ल जी ने जिस तर्क श्रृंखला के आधार पर की वह बहुत पुष्ट है। इनके लोक धर्म की भावना बड़ी व्यापक, उदार एवं सर्वदेशीय है वह केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्वभर में जोड़ना चाहते हैं। इनके लोकधर्म का अभिप्राय सभी देशों के लोक और समाज की सुरक्षा एवं उसकी स्थिति एवं सम्यक् रूपेण स्थापना। उनकी दृष्टि में साहित्य या काव्य का प्रयोजन इसी लोक के भीतर है और उसका लक्ष्य मनुष्य का हृदय है। वे कहते है ''मनुष्य एक लोकबद्ध प्राणी है उसका अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है, एक की अनुभूति का दूसरे के हृदय तक पहुंचाना ही कला का लक्ष्य होता है।[2] एक की अनुभूति दूसरे की अनुभूति तभी बन सकती है जब कवि या लेखक लोक सामान्य की भावभूमि से परिचित हो, उनकी दृष्टि में ''सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विभिन्नताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके''।[3]

शुक्ल जी का मानना है कि लोकधर्म के तीन अवयव है कर्म, ज्ञान और उपासना। इन तीनों के मेल के बिना मानव जीवन की पूर्णता सम्भव नही हो सकती, वे कहते है ''धर्म के सब पक्षों का सामंजस्य जिससे समाज के भिन्न–भिन्न प्रकृति के व्यक्ति अपनी प्रकृति और विद्या–बुद्धि के अनुसार धर्म का स्वरूप ग्रहण कर सके, यदि यह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाय तो धर्म का रास्ता अधिक चलता हो जाय।[4] इनका लोक धर्म बहुत व्यापक है यह गृहधर्म कुलधर्म और समाजधर्म से ऊंचा है। इनका मानना है कि किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत जन समूह के कल्याण से सम्बंध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का होता है, धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। जो व्यक्ति गृहधर्म, कुलधर्म, समाजधर्म, लोकधर्म और विश्वधर्म या पूर्णधर्म पर क्रमशः दृष्टि रखता हुआ अंतिम श्रेणी के धर्म विश्वधर्म का पालन करता हुआ दिखाई देता है, वही पूर्ण पुरूष या पुरूषोत्तम है। अर्थात इनकी दृष्टि में लोक या विश्व का सेवक ही पुरूषोत्तम भगवान है।[5] यह पूर्णधर्म अंगी है और समस्त धर्म अंग। क्योंकि पूर्णधर्म का सम्बंध अखिल लोक की स्थिति रक्षा से है जिसमें कीट–पतंग से लेकर मुनष्य तक समस्त प्राणियों की स्थिति समाहित है और वह पुरूषोत्तम में ही रहता है जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्त किया करते है। इस प्रकार हम देखते है कि धर्म जितने ही अधिक

विस्तृत जन समूह के सुख दुख से सम्बंध रखने वाला होगा उतना ही उच्च श्रेणी का माना जायेगा। यहां एक बात ध्यान देने की यह है कि ये जो धर्म की ऊंची नीची भूमियों की बात की गयी है इसका सम्बंध स्वरूप से है पालन के स्वरूप से नही। पालन करना और बात है क्योंकि उच्च से उच्चभूमि के धर्म का पालन निम्नकोटि का हो सकता है और निम्नकोटि के धर्म का पालन भी उच्चकोटि का हो सकता है जैसे–''गरीबों का गला काटने वाले चीटियों के बिलों पर आटा फैलाते देखे जाते हैं, अकाल से पीड़ितों की सहायता में एक पैसा चन्दा न देने वाले अपने डूबते मित्र को बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डालते देखे जाते है''।[6] इसलिए आचार्य शुक्ल जी दृष्टि में जहां लोकधर्म और व्यक्तिधर्म का विरोध हो, वहां कर्ममार्गी गृहस्थ के लिए लोकधर्म का अवलम्बन श्रेष्ठ है जैसे यदि किसी अत्याचारी का दमन सीधे न्यायसंगत तरीके से नहीं हो सकता तो कुटिल नीति का सहारा लेना लोकधर्म की दृष्टि से उचित है। उनके मत्यनुसार ''किसी अत्याचारी द्वारा समाज की जो हानि हो रही है उसके सामने वह हानि कुछ नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के बुरे दृष्टांत से होगी– लक्ष्य यदि व्यापक और श्रेष्ठ है तो साधन का अनिवार्य अनौचित्य उतना खल नही सकता।[7]

आचार्य शुक्ल धर्म के व्यापक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते है कि अत्याचारियों के प्रति जो क्रोध प्रकट किया जाता है, दुर्जनों के प्रति जो घृणा प्रकट की जाती है, दीन–दुखियों को सताने वालों का जो संहार किया जाता है और कठिन कर्त्तव्यों के पालन में जो वीरता प्रकट की जाती है उसमें भी धर्म का अपना मनोहर रूप दिखाई देता है जिस धर्म की रक्षा से लोक की रक्षा होती है जिससे समाज चलता है यही व्यापक धर्म है। उनका मानना है ''सत–असत्, भले और बुरे दोनों के मेल का नाम संसार है जहां पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी और अत्याचारी, सज्जन और दुर्जन, सदा से संसार में रहते आये हैं और सदा रहेंगे। यदि ये दोनों उभयपक्ष न होंगे तो सारे धर्म और कर्त्तव्य की सारे जीवन प्रयत्न की इतिश्री हो जायेगी।[8] वे पुनः कहते हैं– ''यह संसार जैसा है वैसा मानकर उसके बीच से एक कोने को स्पर्श करता हुआ जो धर्म निकलेगा वही लोक धर्म होगा, जो धर्म उपदेश द्वारा न सुधरने वाले दुष्टों और अत्याचारियों को दुष्टता करने के लिए छोड़ दे उसके लिए कोई व्यवस्था न करें, वह लोक धर्म नही व्यक्तिगत साधना है।''[9] यह व्यक्तिगत साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊंचे से ऊंचे ले जा सकती है जहां वह लोकधर्म से परे हो जाती है पर सारे समाज को इसका अधिकारी नही मानते इसलिए उनकी दृष्टि में ''जनता की प्रवृत्तियों का औसत निकालने पर धर्म का जो मान निर्धारित होता है वही लोकधर्म है।[10] अतः ऐसे व्यक्तिगत साधना करने वालों के प्रति शुक्ल जी ने क्षोभ प्रकट किया है। उनका मानना है कि ''व्यक्तिगत साधना के कोरे उपदेशों की तड़क–भड़क दिखाकर लोकधर्म की उपेक्षा प्रकट करना पाखंड ही नही उस समाज के प्रति घोर कृतघ्नता भी है।[11] ऐसे समाज का भला नही हो सकता। भक्ति के नाम पर वेद शास्त्रों की निन्दा, पंडितों को गालियां देना, वर्णाश्रम के तत्व को न समझकर वर्णाश्रम के प्रति अश्रद्धा का भाव प्रकट करना, इस प्रकार की उपेक्षा लोक कल्याण के लिए नही हो सकती, क्योंकि जिस समाज में बड़ों का आदर, विद्धजनों का सम्मान, अत्याचार का दमन करने वाले शूरवीरों के प्रति अश्रद्धा इत्यादि भाव उठ जाय, वह समाज न तो फलफूल सकता है और न ही शांति बनी रहेगी।[12]

इस प्रकार शुक्ल जी का लोकधर्म बहुत व्यापक है इसी लोकपक्ष पर दृष्टि रखने के कारण इन्होंने निर्गुण संत, कवियों, रहस्यवादी या छायावादी कवियों के प्रति विशेष रूचि नही दिखाई, क्योंकि उनमें लोकपक्ष की प्रधानता नही है हां जहां कहीं दिखाई पड़ती है उनकी दृष्टि में वह अवश्य श्रेष्ठ है क्योंकि इनकी दृष्टि में काव्य की श्रेष्ठता की

Journal Starting Year-**2015**, Frequency-**Quarterly**, Subject-**Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers-**Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body-**G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:-**ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

कसौटी लोकधर्म है जीवन में वे लोक सेवा के पक्षपाती है इसी में जीवन को लय कर देना ही वे मुक्ति मानते है। इसीलिए तुलसी को वे हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते है क्योंकि तुलसी का मानस लोकधर्म पर आधारित है तुलसी के राम लोकरक्षक और लोकरंजक है उनके राम परम पुरूषोत्तम है जिनके आदर्श चरित्र के माध्यम से अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल पर उन्होंने धर्म के सभी रूपों को दिखाकर धर्म का प्रकृत आधार खड़ा किया है। जनता ने लोक की रक्षा करने वाले प्राकृतिक धर्म का मनोहर रूप देखा। इसी कारण तुलसी हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है क्योंकि उन्होंने पुरूषोत्तम राम के लोकरक्षक एवं लोकरंजन दोनों स्वरूपों की व्यंजना सर्वोत्कृष्ट रूप में की।

आचार्य शुक्ल की तीनों व्यावहारिक आलोचनात्मक कृतियों में जिस बात पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित रहा वह उनका लोकपक्ष ही है और यह लोकपक्ष का सिद्धान्त उनके हाथ तब लगा जब वे गोस्वामी तुलसीदास की आलोचना कर रहे थे। शुक्ल जी की दृष्टि में सूर और तुलसी दोनों उच्चकोटि के भक्त थे तथा कृष्ण और राम उनके भगवान। दोनों भक्त कवियों ने अपने आराध्य भगवान के लोकरंजक और लोकरक्षक स्वरूपों का चित्रण किया किन्तु सूर ने कृष्ण के लोकरक्षक की व्यंजना उतनी नही की, जितनी लोकरंजन की किया। वे दोनों में सामंजस्य न ला सके। केवल श्री कृष्ण के श्रृंगारिक रूप का प्रत्यक्षीकरण द्वारा केवल टेढ़ी–सीधी निर्गुण वाणी की खिन्नता की शुष्कता को हटाकर प्रफुल्लता का आभास दिया, भगवान के लोक संग्रहकारी रूप का प्रकाश करके धर्म के सौन्दर्य का साक्षात्कार नहीं कराया। कृष्णोपासक भक्तों के सामने राधा कृष्ण की प्रेमलीला ही रखी गयी, भगवान की लोक धर्म स्थापना का मनोहर चित्रण नहीं किया गया।[13] यदि सूर चाहते तो दोनों की व्यंजना समान रूप से कर सकते थे पर ऐसा नही किया, यह कार्य तुलसी द्वारा हुआ। तुलसी ने भगवान राम के लोकरक्षक एवं लोकरंजक दोनों का समान रूप से वर्णन किया उनके राम के द्वारा लोकधर्म की साधना में कभी लोकपक्ष की उपेक्षा नहीं हुई, उन्होंने सदैव लोक की रक्षा एवं उसका रंजन किया। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में राम इसी कारण परम पुरूषोत्तम है और इसी स्वरूप की अपने मानस में अभिव्यक्ति देने वाले तुलसी श्रेष्ठ कवि। रामचरित के सौन्दर्य द्वारा तुलसी ने जनता को लोकधर्म की ओर जो आकर्षित किया वह निष्फल नही हुआ। वैरागियों का सुधार चाहे उससे उतना भले ही न हुआ हो, पर परोक्ष रूप से साधारण गृहस्थ जनता की प्रवृत्ति का बहुत कुछ संस्कार हुआ।[14]

सूर और तुलसी दोनों प्रभु के अनन्य भक्त है लोक परम्परा के अनुसार दोनों भक्त कवियों ने ईश्वर भजन से ही मंगलाचरण किया। तुलसी ने गणेश वंदना और सूर ने 'हरि हरि हरि सुमिरनकरो' से ग्रंथ आरम्भ किया। शुक्ल जी कहते है तुलसी की अनन्यता सूर से कम न थी पर लोकमर्यादा की रक्षा का भाव लिये हुए थी सूरदास जी की भक्ति में लोकसंग्रह का भाव न था पर हमारे गोस्वामी जी का भाव अत्यंत व्यापक था वह मानस जीवन के सब व्यापारों तक पहुंचाने वाला था[15] इसी कारण शुक्ल जी सूर को तुलसी के समकक्ष नही खड़ा पाते। इसका एक और कारण है कि सूर में जीवन की विविधता का उतना चित्रण नही दिखाई पड़ता जितना तुलसी में दिखाई पड़ता है। आचार्य काव्य में लोकपक्ष की विविधता के चित्रण के पक्षधर है अर्थात सूर ने कृष्ण के लोकरक्षक स्वरूप की व्यंजना उतनी नहीं की। जितनी की लोकरंजक स्वरूप की किया। इस कारण उनमें एकांगिकता आ गई। वे कृष्ण के दोनों स्वरूपों में सामंजस्य न ला सके। यहां सूर के पक्ष में शुक्ल जी यह बात मानते है कि सूर ने जितना क्षेत्र काव्य के लिए चुना उसी के अन्तर्गत देखना चाहिए जितना लोकपक्ष उनके काव्य में आया है वही पर्याप्त है। जिस रूप में उनका काव्य है उसी रूप में देखना उचित समझते है। किन्तु तुलसी के काव्य में लोकधर्म का

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

स्वरूप व्यापक है जैसाकि शुक्ल जी के कथन से स्पष्ट हो जाता है ''आज जो हम फिर झोपड़ों में बैठे किसानों को भरत के भाययभक्ति, लक्ष्मण के त्याग, राम की पितृभक्ति पर पुलकित होते हुए पाते हैं वह गोस्वामी जी के प्रसाद से। धन्य है गार्हस्थ जीवन में धर्मालोक स्वरूप रामचरित और उस आलोक को घर–घर पहुंचाने वाले तुलसीदास।[16]

उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल की लोक भावना बड़ी उदार व्यापक और सर्वदेशीय है और इसी लोकभावना की साधना को काव्य की श्रेष्ठता के प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया जो इनकी दो महाकावियों की समीक्षा से स्पष्ट हो जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीजशब्द (बच्चन सिंह), पृष्ठ 104
2. काव्य में रहस्यवाद (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) पृष्ठ, 134
3. रसमीमांसा, पृष्ठ 158
4. गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 14
5. चिन्तामणि भाग –एक पृष्ठ 122
6. वही पृष्ठ 123
7. गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 20
8. वही पृष्ठ 15
9. वही
10. वही
11. वही
12. वही पृष्ठ 14
13. वही पृष्ठ 20
14. वही
15. वही पृष्ठ 17
16. वही पृष्ठ 21

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778

Paper Received : 20th May 2026

Paper Accepted : 24th May 2026

"Determinants of Gender Wage Inequality in Urban and Rural Labour Markets: A Comparative Study of Prayagraj District"

□ Richa Srivastava*
□ Dr. Balendra Shukla**

ABSTRACT

Gender wage inequality remains a persistent issue in labour markets, especially in developing regions where social and economic differences are pronounced. This study examines the key determinants of gender-based wage inequality in urban and rural labour markets, with special reference to Prayagraj district. It focuses on factors such as education level, work experience, type of employment, skill level, and sectoral distribution. The findings reveal that wage disparities are higher in rural areas compared to urban areas, mainly due to limited access to education, higher participation of women in informal work, and traditional social norms. In urban areas, although the wage gap is relatively lower, differences still exist due to occupational segregation and unequal opportunities for career advancement. The study also finds that education and skill development significantly reduce the wage gap, but do not eliminate it completely.

The study concludes that both economic and socio-cultural factors contribute to gender wage inequality. It suggests that policy interventions should focus on improving female education, promoting skill development, and strengthening labour law implementation. Future research can explore sector-specific wage gaps and the long-term impact of government policies on reducing inequality.

Keywords– *Gender Wage Inequality, Urban–Rural Labour Markets, Wage Disparities, Informal Employment, Occupational Segregation, Socio-Economic Factors, Prayagraj District.*

* Research Scholar, Department of Economics, Nehru Gram Bharati University (Deemed to be University), Prayagraj, Uttar Pradesh, Email id- rs1831@gmail.com, Mobile No-7379708080

** Head of Department, Department of Economics, Nehru Gram Bharati University (Deemed to be University), Prayagraj, Uttar Pradesh, Email id-drbalendrashukla1812@gmail.com, Mobile No- 9807601097

Introduction

Gender wage inequality is a major concern in labour markets across developing countries like India. In recent years, despite economic growth and increasing participation of women in the workforce, a noticeable gap still exists between the wages earned by men and women. This issue is more complex when examined across urban and rural areas, where differences in education, employment opportunities, and social norms further influence wage outcomes. In districts like Prayagraj, these disparities are clearly visible due to the coexistence of traditional rural economies and developing urban sectors.

Historically, women in India have faced limited access to education, skill development, and formal employment opportunities. Over time, various government policies and economic reforms have aimed to improve female participation in the workforce. However, the persistence of informal employment, occupational segregation, and socio-cultural restrictions has slowed the progress in achieving wage equality. Rural areas continue to depend heavily on agriculture and informal work, where wage regulation is weak, while urban areas offer better opportunities but still reflect gender-based discrimination in pay and career growth.

The present study aims to identify and analyse the key determinants of gender wage inequality in both urban and rural labour markets of Prayagraj district. It focuses on factors such as education, experience, type of employment, and social conditions. The scope of the study includes a comparative analysis to understand how these factors differently affect wage patterns in rural and urban settings, thereby providing insights for policy improvement and future research.

Research Gap

Although a large number of studies have examined gender wage inequality, most of them focus on national or international trends and provide broad explanations of the issue. These studies often highlight factors such as education, work experience, occupational segregation, and social norms, but they do not fully capture the ground-level realities in specific regions. In particular, there is limited research that provides a detailed comparison of gender wage differences between urban and rural labour markets within the same district. In the context of Prayagraj district, very few studies have explored how local conditions—such as differences in employment opportunities, informal sector dominance, access to education, and awareness of labour laws—affect wage disparities between men and women. Existing research also tends to overlook the role of institutional factors, such as the implementation of wage-related policies and the availability of formal employment structures, especially in rural areas.

Literature Review

"The gender wage gap: Extent, trends, and explanations."

–Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2021)

Blau and Kahn (2021) explain that the gender wage gap refers to the difference in earnings between men and women. Their study shows that although this gap has reduced over time, it still exists due to multiple factors. These include differences in education, work experience, occupation choices, and hours worked. However, a significant part of the gap remains unexplained, often linked to discrimination and workplace biases. The authors also highlight the role of social norms and family responsibilities in shaping women's career paths. Overall, the study suggests that both economic and social factors together contribute to the persistence of wage inequality.

"Understanding the gender wage gap: Economic perspectives and evidence."

–Goldin, C. (2022)

Claudia Goldin (2022) explains that the

gender wage gap is largely influenced by the structure of jobs and how work is organized. She highlights that earnings differences increase when jobs reward long, continuous, and flexible working hours, which often disadvantage women due to family and caregiving responsibilities. The study shows that education gaps have narrowed, but wage differences persist because of workplace practices and expectations. Goldin emphasizes that reducing the gap requires more flexible job designs and supportive policies. Overall, the research shows that both economic systems and social roles play a key role in maintaining wage inequality.

"The gender pay gap: A roadblock to gender equality and sustainable development."–*Robu, M. (2023)*

M. Robu (2023) explains that the gender pays gap remains a major barrier to achieving gender equality and long-term sustainable development. The study highlights that when women are paid less than men for similar work, it not only affects their financial independence but also limits overall economic growth. Lower earnings reduce women's access to education, healthcare, and better living conditions, which in turn affects families and communities.

"Women, business and the law 2024: Closing the gender gap."–*World Bank. (2024)*

The World Bank (2024) report *"Women, Business and the Law 2024: Closing the Gender Gap"* explains that legal and institutional barriers continue to limit women's economic participation across many countries. Although progress has been made in improving women's rights, large gaps still exist in areas such as employment, pay, mobility, and access to entrepreneurship. The report highlights that many laws do not provide equal protection or opportunities for women, which restricts their ability to work and earn fairly.

"Analysing gender pay disparities and structural barriers across income groups."

–Prakash, A. (2025).

A. Prakash (2025) examines how gender pay differences vary across different income groups and are shaped by deep-rooted structural barriers. The study finds that women in both low- and high-income groups face wage inequality, but the reasons differ. In lower-income groups, limited education, informal employment, and lack of job security are major causes. In higher-income groups, the gap is often linked to career breaks, slower promotions, and unequal access to leadership roles.

Objectives of Study

1. To examine the extent and pattern of gender wage inequality in urban and rural labour markets of Prayagraj district.

2. To analyse the key socio-economic and institutional determinants influencing gender-based wage disparities.

3. To evaluate the impact of gender wage inequality on economic and social outcomes in the study area.

Hypotheses of Study

- **H1❑ (Alternative Hypothesis):** There exists a significant difference in wages between male and female workers in urban and rural labour markets of Prayagraj district.
- **H1❑ (Alternative Hypothesis):** Socio-economic factors such as education, experience, and occupation significantly influence gender wage inequality in urban and rural areas.
- **H1❑ (Alternative Hypothesis):** Gender wage inequality has a significant impact on household income and economic well-being in the study area.

Research Methodology

This study uses a comparative research approach to understand the factors responsible for gender wage inequality in both urban and rural labour markets of Prayagraj district. The purpose

is to examine differences in wages between men and women and identify the key reasons behind these differences.

Research Design

The research follows a descriptive and analytical design. It describes the existing wage patterns and also analyses the factors influencing wage differences between genders. A comparative framework is used to study variations between urban and rural areas.

Nature and Sources of Data

The study is mainly based on primary data, supported by some secondary data.

- **Primary Data:** Collected directly from workers through structured questionnaires and interviews. Both male and female workers from different sectors are included.
- **Secondary Data:** Collected from government reports, research articles, census data, and published sources related to employment and wages.

Sampling Method

A multi-stage sampling technique is used for data collection.

- In the first stage, Prayagraj district is divided into urban and rural areas.
- In the second stage, specific localities or villages are selected randomly.
- In the final stage, respondents (workers) are selected using random sampling.

The sample includes both male and female workers from sectors such as agriculture, informal labour, small businesses, and service sectors.

Sample Size

A total of 200 respondents is selected to ensure proper representation of both genders and both regions. The sample is divided equally or proportionately between urban and rural areas.

Data Collection Tools

Data is collected using:

- Structured questionnaire (close-ended and some open-ended questions)
- Personal interviews to understand individual experiences
- Basic socio-economic details such as age, education, occupation, and income are also recorded

Variables of the Study

- **Dependent Variable :** Wage level (income earned by workers)
- **Independent Variables:** Gender, education level, work experience, type of employment, skill level, working hours, and location (urban/rural)

Data Analysis Techniques

The collected data is analysed using simple statistical tools:

- Descriptive statistics such as averages, percentages, and tables to summarize data
- Comparative analysis to identify differences between male and female wages

Primary Survey Data (N = 200 Respondents)

Study Area: Prayagraj District (Urban & Rural)

Table 1: Distribution of Respondents by Gender and Area

Area	Male	Female	Total
Urban	60	40	100
Rural	50	50	100
Total	**110**	**90**	**200**

Table 2 : Age Group Distribution

Age Group	Male	Female	Total
18–25	30	25	55
26–35	40	35	75
36–45	25	20	45
46+	15	10	25
Total	**110**	**90**	**200**

Table 3 : Education Leble

Education Level	Male	Female	Total
Illiterate	60	40	100
Primary			
Secondary			
Graduate & Above	50	50	100
Total	**110**	**90**	**200**

Table 4 : Type of Employemnt

Employemnt Type	Male	Female	Total
Agriculture	30	35	65
Casual Labour	25	30	55
Self-employed	20	10	30
Salaried Job	35	15	50
Total	**110**	**90**	**200**

Table 5 : Average Monthly Wage (□)

Wage Range (□)	Male	Female	Total
Below 5,000	15	35	50
5,000–10,000	35	30	65
10,000–15,000	30	15	45
Above 15,000	30	10	40
Total	**110**	**90**	**200**

Table 6 : Work Experience (Years)

Experience	Male	Female	Total
0–2 years	25	30	55
3–5 years	40	30	70
6–10 years	25	20	45
10+ years	20	10	30
Total	**110**	**90**	**200**

Table 7 : Average Daily Working Hours

Working Hours	Male	Female	Total
4–6 hours	20	40	60
6–8 hours	50	35	85
8+ hours	40	15	55
Total	**110**	**90**	**200**

Table 8 : Perception of Wage Discrimination

Response	Male	Female	Total
Yes	60	75	135
No	50	15	65
Total	**110**	**90**	**200**

Data Analysis

Statistical Analysis of Primary Data

1. Gender Composition Analysis

Out of 200 respondents, **110 (55%) are male** and **90 (45%) are female**. This shows a slightly higher participation of male workers in the labour market. However, female participation is also significant, especially in rural areas where it equals male participation.

Interpretation: Despite near representation, gender inequality may still exist in terms of wages and job types.

2. Area-wise Comparison (Urban vs Rural)

- Urban respondents: 100 (50%)
- Rural respondents: 100 (50%)

Interpretation: The equal division allows a balanced comparison of wage inequality between urban and rural labour markets.

3. Age Group Analysis

- Majority of respondents (75 out of 200 = 37.5%) fall in the **26–35 age group**
- Younger workers (18–25) = 27.5%
- Older workers (46+) = 12.5%

Interpretation: The workforce is mainly **young and economically active**, which is important for analyzing wage trends and productivity.

4. Education Level Analysis

- 45 respondents (22.5%) are illiterate, with higher female concentration
- 60 respondents (30%) are graduates or above, mostly male

Interpretation: Women are **less represented in higher education**, which directly affects their earning capacity and job opportunities, contributing to wage inequality.

5. Employment Type Analysis

- Agriculture & casual labour together = **120 respondents (60%)**
- Salaried jobs = 25% (mostly male)
- Self-employment = 15%

Interpretation: Females are more concentrated in **low-paying informal sectors** like agriculture and casual labour, while males dominate **formal salaried jobs**, leading to wage gaps.

6. Wage Distribution Analysis

- 50 respondents (25%) earn **below ¹ 5000**, majority female
- 65 respondents (32.5%) earn ¹ 5000–¹

10000

- Only 40 respondents (20%) earn above [1] 15000, mostly male

Key Observation :

- Female workers are concentrated in **lower income groups**
- Male workers dominate **higher income categories**

Interpretation: This clearly shows **gender-based wage inequality**, where women earn less than men for similar or comparable work.

7. Work Experience Analysis

- Majority (35%) have **3–5 years of experience**
- Only 15% have more than 10 years' experience

Interpretation: Although experience levels are somewhat similar, females still earn less, indicating that **experience alone does not eliminate wage inequality**.

8. Working Hours Analysis

- 55 respondents (27.5%) work more than 8 hours, mostly male
- Females are concentrated in **4–6 hours category (40 respondents)**

Interpretation: Women tend to work fewer hours due to household responsibilities, which partially explains lower wages but does not fully justify the wage gap.

9. Perception of Wage Discrimination

- 135 respondents (67.5%) believe wage discrimination exists
- Among them, **75 are female**, showing stronger perception among women

Interpretation: A large proportion of workers, especially women, **feel that gender discrimination affects wages**, supporting the existence of inequality.

10. Comparative Analysis (Key Findings)

Urban vs Rural

- Urban areas have more **salaried and higher-paying jobs**
- Rural areas have more **agriculture and informal work**, where wage inequality is higher

Male vs Female

- Males dominate higher wage categories and formal jobs
- Females are concentrated in low-paid, informal work

11. Overall Findings

From the statistical analysis, the following conclusions can be drawn:

1. **Significant gender wage gap exists** in both urban and rural areas
2. **Education plays a crucial role**, as women have lower educational attainment
3. **Occupational segregation** is a major factor—women are limited to low-paying jobs
4. **Work hours and social responsibilities** also affect female earnings
5. **Perception data confirms real inequality**, as most respondents acknowledge discrimination

Findings:

The present study examines the determinants of gender wage inequality in urban and rural labour markets of Prayagraj district. Based on the analysis of primary data collected from 200 respondents, the following key findings have been observed:

1. Existence of Gender Wage Inequality

The study clearly finds that a **wage gap exists between male and female workers** in both urban and rural areas. Female workers are mostly concentrated in lower income categories, while male workers dominate higher wage groups. This indicates that women are generally paid less than men for similar types of work.

2. Influence of Education on Wages

Education emerges as an important factor affecting wage levels. Male respondents are more represented in higher education categories, while a significant proportion of female

respondents have lower educational attainment. As a result, women have limited access to better-paying jobs, which contributes to wage inequality.

3. Occupational Segregation

The study finds a clear division in the type of employment between men and women. Female workers are largely engaged in **agriculture and casual labour**, which offer lower wages and less job security. On the other hand, male workers are more likely to be employed in **salaried and formal sector jobs**, which provide higher and stable incomes.

4. Urban–Rural Differences

There are noticeable differences between urban and rural labour markets. Urban areas provide relatively better employment opportunities and higher wages compared to rural areas. However, gender wage inequality exists in both regions. The problem is more severe in rural areas due to limited job opportunities, lower education levels, and weak implementation of labour laws.

5. Impact of Work Experience

Although both male and female workers have comparable levels of work experience, women still earn less than men. This suggests that **experience alone does not ensure equal pay**, and gender bias continues to influence wage determination.

6. Role of Working Hours

The study reveals that male workers tend to work longer hours compared to female workers. Many women are engaged in part-time or fewer working hours due to household responsibilities. While this partially explains differences in income, it does not fully justify the wage gap, especially where women perform similar work.

7. Concentration in Informal Sector

A large proportion of female workers are employed in the **informal sector**, where wages are generally low and job security is minimal. Lack of formal contracts and weak legal protection further increases wage inequality for women.

8. Perception of Wage Discrimination

A majority of respondents believe that wage discrimination exists. This perception is particularly strong among female workers, indicating that gender-based inequality is not only measurable but also widely experienced in real life.

9. Limited Access to Skill Development

The findings suggest that women have less access to skill development and training opportunities. This restricts their ability to move into higher-paying jobs and keeps them confined to low-skilled occupations.

10. Social and Cultural Factors

Social norms and cultural expectations play a significant role in shaping labour market outcomes. Women often face restrictions related to mobility, job choice, and work hours, which indirectly affect their earning potential.

Conclusions:

This study focused on understanding the reasons behind gender wage inequality in urban and rural labour markets of Prayagraj district. Based on the analysis of primary data, it is clear that **a noticeable wage gap exists between male and female workers** in both areas. The findings show that women are generally concentrated in **low-paying jobs**, such as agriculture and casual labour, while men are more present in **better-paying and secure jobs**, especially in the formal sector. This difference in job types plays a major role in creating wage inequality. In addition, **lower levels of education among women** limit their access to skilled and higher-income employment opportunities.

The study also highlights that even when women have similar work experience as men, they often earn less. This indicates that wage inequality is not only due to differences in skills or experience but is also influenced by **gender-**

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,**
Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

based discrimination and social factors. Cultural expectations, household responsibilities, and limited mobility further restrict women's participation in better-paying jobs. A comparison between urban and rural areas shows that although urban labour markets offer relatively better opportunities, **gender wage inequality exists in both settings**. However, the problem is more serious in rural areas due to fewer job options, lower awareness, and weak enforcement of labour laws.

Suggestions

Based on the findings of the study on gender wage inequality in urban and rural labour markets of Prayagraj district, the following suggestions are proposed to reduce the wage gap and promote fairness:

1. Improve Access to Education for Women

There is a strong need to increase **female education levels**, especially in rural areas. Government and local authorities should promote girls' education through scholarships, awareness campaigns, and better school facilities. Higher education will help women qualify for better-paying jobs.

2. Promote Skill Development and Training

Women should be provided with **skill development programs** such as vocational training, digital literacy, and entrepreneurship development. This will improve their employability and enable them to move from low-paid work to higher-income occupations.

3. Ensure Equal Pay for Equal Work

Strict implementation of laws related to **equal wages** is necessary. Employers should be monitored to ensure that men and women are paid equally for similar work. Awareness programs should also be conducted so that workers know their rights.

4. Increase Employment Opportunities for Women

Efforts should be made to create more **job opportunities for women in the formal sector**. Government schemes and private sector initiatives should encourage women's participation in diverse fields beyond traditional roles.

5. Strengthen Labour Law Implementation

Although laws exist to prevent wage discrimination, their implementation is often weak, especially in rural areas. Authorities should improve monitoring systems and ensure that **labour laws are properly enforced**, particularly in the informal sector.

6. Support Women in the Informal Sector

Since many women work in informal jobs, steps should be taken to provide them with **social security benefits**, fair wages, and safer working conditions. Registration of informal workers can help extend government benefits to them.

7. Encourage Flexible Working Conditions

Providing **flexible working hours, childcare facilities, and safe work environments** can help women balance work and family responsibilities. This will encourage greater participation of women in the workforce and improve their income levels.

8. Promote Awareness about Gender Equality

Awareness campaigns should be conducted to change **social attitudes and cultural norms** that limit women's economic participation. Society must recognize the importance of equal opportunities and fair wages for both men and women.

9. Improve Access to Financial Resources

Women should be given better access to **credit, banking services, and financial support** to start their own businesses. This will encourage entrepreneurship and reduce dependence on low-paying jobs.

10. Encourage Data Collection and Further Research

Regular collection of gender-based wage data is important to monitor progress. Further research should be conducted in different regions to better understand the issue and design

effective policies.

References

- Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2021). "The gender wage gap: Extent, trends, and explanations." *Journal of Economic Literature, 59*(3), 789–865.
- Goldin, C. (2022). "Understanding the gender wage gap: Economic perspectives and evidence." *American Economic Review, 112*(4), 1091–1135.
- Robu, M. (2023). "The gender pay gap: A roadblock to gender equality and sustainable development." *Sustainability Journal, 15*(4), 1–15.
- World Bank. (2024). "Women, business and the law 2024: Closing the gender gap." Washington, DC: World Bank.
- Prakash, A. (2025). "Analysing gender pay disparities and structural barriers across income groups." *IZA Journal of Development and Migration, 16*(1), 1–20.
- Yanagimoto, K. (2026). "Barriers to gender convergence: The interactive effects of job inflexibility and social norms." *arXiv Preprint*.

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778
SHODH CHETNA YEAR 2026 Vol. 2 PRAYAGRAJ
Paper Received : 20th May 2026 Paper Accepted : 24th May 2026

Migration, Displacement, and Cultural Identity in the Works of Mulk Raj Anand and Amitav Ghosh

❐ Shruti Singh*
❐ Ashvini Joshi**

ABSTRACT

The present paper will provide the initial sustained comparative reading of Coolie (1936) written by Mulk Raj Anand, and The Glass Palace (2000) authored by Amitav Ghosh, using the three overlapping terms that define the discipline of South Asian literary studies: migration, displacement and cultural identity. Although the existing scholarship has compared Anand Untouchable with Ghosh Sea of Poppies (Thiara, 2016), and has focused on the discussion of each of the authors in relation to the issue of diaspora and postcolonial identity separately, no published work has put Coolie and the Glass Palace in the open line-up confrontation. In this paper, it is argued that doing so leads to a truly new version of how South Asian literary fiction has embodied the three terms of this title. The paper argues that both novels construct migration as a form of coercion as opposed to choice; have their characters relocate not as a temporary state but as a permanent structural condition of the colonial labour economy; and represent cultural identity not as an inherited state that displacement threatens but as a state actively remade, under extreme pressure, out of the fragments left behind by displacement. Based on the history of unfree labour described by Gyan Prakash (1990), the theory of the social space formulated by Henri Lefebvre (1991) and the history of the South Asian subject who is migrated by the and haunted by the colonial capitalism: the paper develops a reading of both novels in which migration, displacement, and cultural identity are shown to be not three separate themes but three dimensions of a single lived condition: the condition of the South Asian subject who is moved by the and haunted by the colonial capitalism.

Key Words–*Migration, Displacement, Cultural identity, Mulk Raj Anand, Amitav Ghosh, Coolie, The Glass Palace, South Asian literature.*

* Department of Applied Science and Humanities, Saviitri Bai Phule Government Polytechnic, Azamgarh, (U.P.)
** Professor and Dean Faculty of Humanities and Languages, R.K.D.F. University Bhopal (M.P.)

1.Introduction

The three most commonly invoked terms in the study of postcolonial literature are migration, displacement and cultural identity, yet they are very rarely defined in a precise way and in their interdependence with each other. This paper argues that two novels that are under-compared include Mulk Raj Anand's Coolie (1936) and Amitav Ghosh's The Glass Palace (2000) as they provide the unusually rich site in terms of analyzing the relationships between these three terms in the specific historical context of colonial South Asia.Migration in the works under discussion is neither the romantic nor cosmopolitan movement of the freely choosing subject; nor the movement of people who have been left with no feasible alternative. Displacement, which is equally referred to as a transient status of an individual who has left home and will soon come back home is the permanent structural status of such individual. And cultural identity, the paper proposes, is not the pre-determined inheritance of a cultural origin around which they have been forced to migrate that they are attempting to create a sense of themselves that is liveable using the materials on which they are forced to have migrated to them.These three arguments are developed by a comparative reading which, as a survey of the published scholarship confirms, has never previously been made. The closest existing comparative study, but based on a Bakhtinian carnivalesque model with the caste element in the spotlight, is a comparison of Anand Untouchable and Ghosh Sea of Poppies by Nicole Thiara (2016). This source does not address the aspects of migration as a structural condition, displacement as a sustained spatial analysis, or cultural identity as an active process of self-construction under pressure. The important article on the subject of the spatial aesthetics of the caste system of social hierarchy, by Alex Tickell (2019), opens productive questions concerning the relationship between the social space and the caste-based exclusion, but it does not extend its questions to Coolie or to Ghosh. The way that Sujala Singh (2012) analysed Coolie with the help of the two terms: child labour and linguistic alienation, partially addresses the issue of displacement but does not ask the cultural identity question comparatively. The gap in the comparative literature that this paper will fill is therefore very narrow and can be demonstrated: no existing research has read Coolie and The Glass Palace together, using the three-term paradigm of migration, displacement, and cultural identity.The paper has been developed in five sections. The former one lays down the theoretical framework, which explains how migration, displacement and cultural identity are theorised in the scholarship and how the theories are applicable to the novels under analysis. Part two and three contains close readings of each novel separately. The fourth works out the comparative argument. The fifth ends by eliciting the larger implications to the study of South Asian literary response towards the colonial modernity.

2. Theoretical Framework Migration, Displacement, and Cultural Identity as Interlocking Conditions

Each of the three terms of the title of this paper have behind them a mass of theoretical literature, which must be consulted before the process of literary analysis can take place. The system worked out here does not apply these theories as labels, but as systems of producing the accurate analytic tools, which the novels provide, out of them.The theorisation of migration that is carried out in this paper is with respect to Bonded Histories: Genealogies of Labor Servitude in Colonial India by Gyan Prakash (1990). The large-scale migration of South Asian workers during the colonial period between the sub-continent and the plantations of Burma, Malaya, Fiji, Mauritius and the Caribbean were not of a voluntary migration in the proper sense of the words. It was created through a mix of land dispossession, debt bondage and institutional

coercion that left the workers to have no viable economic option to accepting terms of movement that were entirely controlled by colonial capital. Prakash (1990) demonstrates that it was not a residue of pre-modern unfreedom, but a modern system with a strong ability to be designed and maintained by colonial capitalism, which experimented with fixed, debt-bonded labour, which found it more profitable and controllable than genuinely free wage labour (p. 4). This historical narration of migration as structural coercion is the background of the reading of the two novels in this paper: it turns out that in both novels, the migrating characters do not migrate freely, and the migration does not result in the better situation(s) that the rhetoric of voluntary migration promises.The notion of displacement that is applied in this paper is based on The Production of Space by Henri Lefebvre (1991). According to Lefebvre, social space is not a blank background on which human life is practised but is actually created by the economic and political relations that structure society. Colonial capitalism creates what Lefebvre refers to as an abstract space; a planned, rationalised and surveilled space in which every place is defined in terms of its role within the economic system and not by any meaning it holds to the people who are assigned to it (Lefebvre, 1991, pp. 33–39). In Lefebvrian terms, displacement refers to the state of occupation of positions in this abstract space plantation workers lines, factory dormitory, servants' quarters without a voice in designing such spaces and without the possibility of turning them into lived spaces, spaces with personal and cultural significance. Displacement is not, then, merely a question of physical distance out of a place of origin; but it is a structural condition generated by the logic of space of colonial capitalism and experienced as the denial of conditions of genuine dwelling.The third and, in a way, the most complicated aspect of the framework is the theorisation of the cultural identity. The essential point of difference can be found in the essay The Cultural Identity and Diaspora by Stuart Hall (1990). According to Hall, it is possible to understand cultural identity in two aspects. The former treats it as a common, stable one true self which members of a cultural group hold in common, an essence that colonial and diasporic experience is threatened by, but ultimately can never destroy. The second and to Hall the more fitting approaches culture identity as a matter of becoming as well as being, as a matter of constant production through representation and narrative and not a question of inheritance (Hall, 1990, p. 225). It is this latter perspective that enables us to make sense of how people who have been displaced and whose original cultural communities have been disrupted or destroyed can nevertheless have meaningful identities: not through the recovery of some fixed origin but through an active process of constructing identities out of the materials at hand which include the common experience of being displaced. The framework provided by Hall can be directly applied to both Coolie and The Glass Palace: in neither of the novels could the characters possibly find a stable cultural identity prior to their migration and displacement; in both novels, the question is whether and how they can construct viable identities in the circumstances that the colonial capitalism has created to them.This story is further elaborated in Cartographies of Diaspora (1996) by Avtar Brah in two concepts that are directly related to the novels. The former is what Brah terms as the homing desire: the desire of what is common among migrant people and this desire is that of a sense of home, of belonging, of roots a desire that, such as Brah argues, is not the same thing as a desire to go back to a certain place of origin, because the desired thing is a sense of home, of belonging, of roots (Brah, 1996, p. 193). The second concept is the space in which the histories of more than one displacement intersect is what Brah defines as the space of diaspora space (Brah, 1996, p. 209). The ideas are significant to

read The Glass Palace in specific, where the homing desires of the characters are systematically frustrated by the historical powers which the novel traces, and where the diaspora space of the colonial Burma and Malaya are occupied by the Burmese, Indian, and British subjects and whose various forms of displacement interact in the ways that all their identities are formed.The last theoretical source is the work of Dipesh Chakrabarty titled Provincializing Europe (2000), namely, his distinction between History 1 the abstract, universal history of capital in which workers are substitutable units of labour and History 2, which names all the specific, lived, culturally embedded forms of human existence that capital encounters in real workers and which it must manage but cannot fully absorb (Chakrabarty, 2000, pp. 50–71). Cultural identity according to Chakrabarty is a history 2 phenomenon: the particular, irreducible particularity of cultural existence of a particular person that is sought to be erased by the History 1 logic of the colonial labour system. The both novels under analysis resistant to this erasure: the novels insist on the History 2 of their characters their very particular languages, attachments, memories, and forms of dignity even as the novels represent the forces of History 1 that are being systematically destroyed to make the conditions on which that History 2 can be sustained possible at all. Having these theoretical frames Prakash on migration, Lefebvre on displacement, Hall and Brah on cultural identity, Chakrabarty on the resistance of the culturally specific to the abstracting logic of capital give us the implements by means of which the literary analysis which follows is made possible.

3. Migration, Displacement, and Identity in Mulk Raj Anand's Coolie

Coolie (1936) by Mulk Raj Anand is not merely the novel where the migration and displacement, the cultural identity, are most directly related to each other in his fiction, and yet it is the novel which has been used the least by the scholarly community, being overshadowed in the scholarship by the comparatively economically compact Untouchable. This neglect in a critical sense is significant in itself: the narrative of the five-year and five-local voyage of a young man across the colonial economy, was more easily absorbed into existing critical models than the story of a single-day journey of a young man across the colonial economy. But it is specifically the long geographical and temporal perspective of Coolie that contributes to its being the richest of all Anand engagements with migration, displacement, and being in a condition of cultural identity in colonial circumstances.Set in a series of employments, the novel traces the police-carrying path of Munoo, the youthful hill-boy of Kangra in the Punjab hills, through a variety of jobs that take him further and further away towards his origin: first to the domesticity of the house of a bank-clerk in the plains town of Sham Nagar, then to the business of the commercial world: Bombay and subsequently the keels of its textile factories. All these moves are what in the framework of Prakash (1990) is referred to as a typical feature of the colonial labour migration: these are not voluntary but induced by economic necessities, social displacement or direct force. It is as though Munoo is pushed out of Kangra because his uncle and aunt can no longer afford to keep him; because he has been forced out of job to job in Bombay when the commercial economy is shifting beneath him; because he has been pushed out of job to job in Shimla when it is Mrs Mainwaring who wants a rickshaw-puller and he has no authority to refuse. In every step the movement and speed of his action are not dictated by his own needs, but by the needs of other people, and their needs are established by them and by the circumstances they are in, rather than by the individual needs or desires of any one of them.

The displacement that is dealt with in the novel is as spatial and structural as opposed to

being merely emotional. The situation of Munoo in the social and physical geography is precisely delimited in each of the environments in which he moves: the servants' quarters at the back of the house, the back rooms of the merchant's establishment, the workers rooms in the mill, the road which he must drag his rickshaw up and down. Each of these, in the terms of Lefebvre (1991), is an abstract space: a place that is defined by its role as a part of the colonial economic structure, and which is defined by what its function is within the overall economic order. The kitchen of the household, the floor of the mill, the Shimla road: these are the dominated spaces of Lefebvre, which are produced by the economic system on the economic system, and whose displacement of Munoo consists precisely in the fact that he is assigned to these spaces one after another without ever being able to convert any of them into a lived space a space in which he would be at home.

This issue of cultural identity in Coolie is tackled in two different yet interconnected narrative techniques. The former is the cautious and loving nature of characterising Anand, and others of his generation, about their inner world: their interest in the world, their enjoyment in friendship, their need to be respected and acknowledged, their responsiveness to beauty and the warmth of people around them. These are what History 2 of Munoo existence in the logic of History 1 of the colonial labour system is destroying in a systematic manner: the particular, irreducible particularity of his personhood that is the systematic destruction of the logic of History 1 of the colonial labour system. Anand insists on representing this History 2 as something that Munoo has to construct and sustain not only in each of the environments in which he moves, above all in terms of seeking friendships and finding moments of joy but also in terms of actively forging and maintaining connections with others. In this reading, cultural identity is not an inherited possession, which displacement risks disposing of; it is actively constructed, to be constantly revived in the circumstances which displacement brings about.

The second narrative technique, through which Anand assaults the problem of cultural identity is the relational form in which Munoo develops real relationships with the people within his surroundings and that these real relationships are destroyed by his forcible transfer to the next place. All the important relationships in the novelwith the cook in Sham Nagar, with fellow-workers in Bombay, with the mill-hand Hariare terminated not by any incapacity of feeling but by the economic forces which drive Munoo on before the relationship can become anything permanent. The description of diasporic cultural identity, proposed by Hall (1990), comes in handy here: According to Hall, the styles of diasporic cultural identity are formed not by the means of retrieving some established and stable cultural origin but rather by the experience of being displaced to some extent or another. The short-lived solidarities which Munoo forms with the other workers in each of his locations precisely are such identity formation: they are produced not by shared cultural origin but by shared experience of colonial exploitation of labor, and they are constituted by a form of cultural belonging, which is fragile and temporary as it is.

Munoo being killed at the end of the novel is the logical extension of the argument of migration, displacement and cultural identity that Anand has been elaborating on throughout the novel. The colonial labour economy has used the body as a tool in each of the five locations, and as a tool to be thrown away when it is no longer a productive tool. The physical sign of colonial displacement that is written upon his body is the TB with which he meets his demise. In the terms of Munoo (1996), the homing desire of Munoo is his longing towards one place where he could belong, where the conditions of his stable cultural identity could be secured, is frustrated at every

turn, not by chance but through structural workings of the colonial economy. He dies not part of anything; he has been relocated too many times and too swiftly that no location can become his residence. It is the most significant political statement made in the novel: the cultural identity, which migration and displacement erased, cannot be restored with the use of individual will and cultural pride; with the help of a structural change in the circumstances, which resulted in the erasure of the cultural identity.

4. Migration, Displacement and Identity in the glass Palace by Amitav Ghosh

The Glass Palace by Amitav Ghosh (2000) deals with migration, displacement, cultural identity on the scale and over time which dwarf the Coolie of Anand, but the three terms work in this novel in structurally the same way they were historically continuous with the circumstances they describe Anand. The Glass Palace goes across four generations and over 100 years as it trails between Burma, India, Malaya and even England between 1885 and the 1990s. The primary narrative issue of its concern is the long postcolonial aftermath of colonial dispossession: what becomes of the identities, the cultural continuities, and sense of home of people and communities that the colonial dispossession have been moved, or that the worlds of these peoples and nations have been forcefully restructured, are the issues of imperial economic policy.

The migration in the novel is based on the same historical facts which Prakash (1990) documents in his labour history. The Indian workers who move into the teak forests of Burma, as the rubber plantations of Malaya which are represented in the novel are moved. The main protagonist of the novel, Rajkumar, comes to Burma as a child migrant with nothing to lose, and his journey of an orphan to teak merchant is entirely dependent on the colonial economic system which allows the movement of Indian capital and labour to Burma to become profitable. The labourers whom he later hires are brought up India by an indenture system akin to a system of bondage that holds its slaves in bondage by no more effective means than debt indenture. It is in the narrower sense of unfree that they have migrated, it is not that they have not migrated, but that they have been moved.

Displacement is represented in the novel most specifically and politically challenging with the plantation sequences. The novel describes the dominated space as in Lefebvre (1991) in a superb way when Uma visits a rubber plantation in Malaya and confronts the physical conditions in which the Indian indentured workers live. The plantation is planned entirely on the logic of rubber extraction: the lines of the workers are arranged so as to minimise the distance between the sleeping and working. the daily routine is organised in such a way that the maximum productive hours are brought into effect. the entire spatial organisation of the plantation is a physical embodiment of the reduction of human beings into an object of labour which the colonial economy imposed upon itself. The workers live in this abstract space that does not provide them with the opportunity to transform it in accordance with their needs and cultural values. They are displaced in a total sense in the terms used by Lefebvre: they have been moved into a space which was not created with them in mind as human beings or to provide them with resources to construct a lived space, a space of personal and cultural resonance.

But the novel insists, with the identical scenes of the plantation, that this entire domination of space is never absolute. On plantation lines, the workers practice cultural practices languages, cooking, religious practices, modes of mutual care which when brought together constitute, in the terms of Brah (1996) a diaspora space: a space where the histories of multiple displacements encounter each other, and, in which, the diasporic cultural identity is being

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,**
Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

actively constructed out of the materials that are left by the forces of displacement itself. The workers do not roll back the pre-migration cultural identity; they cannot, since the circumstances of their birth have been eradicated by the same colonial economy which transported them to Malaya. They make, rather, new forms of cultural belonging based on a shared experience: a history 2 in the terms of Chakrabarty (2000) is such a form of creating a sense of belonging to a culture.

Representation of cultural identity in The Glass Palace is structured around the idea of what Hall (1990) called the second form of cultural identity, that of identity as becoming, rather than as being, as that which is continuously produced through narrative and representation as opposed to that which is inherited as a steady substance. All the major characters in the novel are confronted with the query of cultural identity amid circumstances of displacement and each of them is unable to perform this query of cultural identity in a manner that it entails recovering an original cultural home. Dolly, the Burmese woman who becomes the wife of Rajkumar, does not carry with her what she carries but carries with her the memory of what she carries is not the actual thing but the memory itself. Her cultural identity is created based on that memory that is actively preserved, is continuously narrated but not passively inherited. None of the cultural worlds, through which he moves, fully belong to the world, but instead are formed in the intersections of cultures as well as the ways their movement itself is formed. He is in the Third Space of cultural negotiation that the displacement caused by colonialism creates.

The Indian soldiers of the British colonial army who take up a huge percentage in the middle half of the novel, represent the extreme form of migration and displacement in the text. Hired out of communities all around the subcontinent by a mixture of both economic necessity and the imperial ideology, these men are recruited to fight in Burma, Malaya and other theatres of imperial war. When the cultural and social structures of British command, the British military, the institutional character of the colonial army, which has given them a kind of displaced sense of belonging, are destroyed by the invasion of the Japanese in 1942, the soldiers are not only destined to the physical dangers of jungles warfare, but to the wholesale obliteration of the cultural and social structures of British command, the British military, the institutional character of the colonial army, whose support of them has given them some displaced sense of belonging. The experience of the retreat defined by Brah (1996) as the failure of the homing desire in the most extreme form is that they have found out that the home that the colonial army promised them a sense of belonging, recognition and a place in the imperial order was nonexistent, and that their migration in their service has left them with nothing.

The system of historiography of this subaltern state of being that Chakrabarty (2000) analyses about was a response to the historical condition of the subaltern which Chakrabarty (2000) analyses. These men left practically no traces in the historical archive; their voices, their cultural identities, their displacement and death experience did not find their way into the history archive that was used by them. And to re-create that which cannot be known, to give a figurative form to that precisely where the chronicle tells us only the general. This formal indirection of Ghosh recognizes this epistemological limit but insists, with the scale and scope of its representation, that the displacement of the soldiers was real, was structural and was produced by the same colonial system that displaced all the other South Asian subjects that the novel follows.

5. Migration, Displacement, and Cultural Identity: Comparative Reading

The concurrent reading of Coolie and The Glass Palace within the multifase framework of

three terms of migration, displacement, and cultural identity render the interpretive insights, which neither new nor novel alone. This part builds up the comparative argument as per each of the three terms.On migration: in both novels, migration is portrayed as being structurally coerced (as opposed to being freely chosen), and in both novels it is shown that migration under duress does not yield any of the better circumstances which the rhetoric of free choice migration promises. In Coolie, the migrations that Munoo undergoes lead him out of poverty, further into poverty, out of exploitation and further into exploitation, out of space in a domination that is an older brother to space itself, out. Every step is provoked by the economic necessity and results in no real change that would bring him to improved situations. In The Glass Palace, the same logic of producing migration of the workers is produced by the colonial plantation economy, which needs labour and has the structural means to force it, and the migrating workers find themselves in a condition that is in many ways more degrading than that which they left behind. The meaning of the migratory process in these two novels is that it is not an individual or special experience that the process imparts to its subjects but is instead a structural determination of the colonial economy: it is what the economy needs, and it brings about not mobility in the emancipatory sense of that term but what Prakash (1990) terms unfreedom in motion.

The only obvious exception is that the upward mobility of Rajkumar in The Glass Palace does not disapprove this argument but further enhances it. It is true that Rajkumar does achieve true material improvement in his migration to Burma, but only by putting himself in the colonial economy on its extractive and not on its labouring side: he becomes the one who puts others in the colonial economy on the extractive and not the labouring side of it. His success also relies on the same structural conditions which ruin the workers he hires. To make sure such an exception is avoided, Coolie by Anand is intentionally made in such a way that such an exception is avoided: Munoo does not have access to commercial networks and racial positioning which make Rajkumar turn migration into accumulation. In this respect the two novels in combination map out the entire spectrum of what the labour migration of the colonials can bring to those who can have access to commercial capital and to the privilege of being non-European in the eyes of the colonists.

On displacement: both novels make displacement a structural state that will be permanent and not temporary as is the case of both novels. The expression of permanence of displacement manifests in Coolie through the relational economy discussed earlier: all human relations which could provide Munoo with a sense of belonging to a certain culture are severed by his forced movement, before it can become permanent. His displacement is not the displacement of one who is no longer of his home and will go back, or who will one day find a new home; it is the displacement of one on whom the requirements of a truly home stable relations, continuity of culture, economic stability is systematically denied. The permanence of displacement in The Glass Palace is perpetuated on the level of generations: the children and grandchildren of the original displacement in the novel are as displaced as their parents and grandparents since the colonial economy causing the initial displacement persisted in determining the spatial order in which they would live. Children of Dolly are not Burmese or not Indian: decades of military relocation have upset the community of soldiers: the story of the family can be characterized as displacement and displacement.

Of particular clarification in this case would be the Lefebvrian (1991) framework. The spaces to which in both novels the people who are to dwell in them are assigned, the servant's quarters, the mill dormitory, the lines in the

plantation, the military cantonment are the abstract spaces of Lefebvre: these spaces are forged by and react to the colonial economic system, rather than by or to the people who inhabit them. The cultural identity of the displaced characters cannot be solidly inscribed into these spaces because the spaces themselves are not a source of the resources with which one can construct lived meaning: the spaces are functional, not habitable in the full human sense. What both novels demonstrate, however, is that the healing of displacement requires both the passage of time and a change in the spatial conditions which give rise to displacement a change which, both novels show, is impossible to bring about by the passage of time.

On cultural identity: this is where the inter-relation between the two novels is most educative, and the experience of joint reading the two novels makes the greatest new contribution. Both novels demonstrate the functioning of the cultural identity as the second form of Hall (1990) who states that the cultural identity emerges as the process of becoming, in contrast to being an inheritance, which functions under very different material conditions and yields very different results. In Coolie, the construction of cultural identity is made on a bottom-up basis and in the extreme material constriction: the creation of the culture identity in Coolie occurs in his relationships with other workers, in his moments of solidarity and shared delight, in the continuity of his personal qualities -his curiosity, his warmth - across the various environments he moves through. this is what Chakrabarty (2000) refers to as History 2 resisting History 1: the specifically culturally particular person in refusal to the reduction to an abstract unit of labour. The opposition exists and it is dying, but not altogether: Munoo does not leave behind a legacy of such a life, but as he dies the final part of his cultural essence falls away and does not leave any lasting record.

The cultural identity, in The Glass Palace, will work with a longer time frame and a broader cultural geography and this will differ with its character. This maintenance of her Burmese cultural identity, which Dolly has succeeded in, throughout decades of exile in India is a kind of what Brah (1996) describes as homing desire: the active construction of a sense of home and cultural continuity via memory and narrative than by physical presence in a particular place. Not a recovery of a stable cultural origin but a generation of cultural identity out of the materials displacement has left at its disposal. The story of the family, the narrative of migration, and of loss and persistence the family teaches, which is passed on across the generations, is a form of cultural identity which is specifically diasporic: constituted not in spite of displacement but as the result of displacement. It is the diasporic cultural identity of Hall (1990) in its fullest meaning, that is, an identity that is created by the experience of diaspora, not threatened by it, which does not mean that it is either chosen or comfortable.

It is what will be found in each of these two novels, what will be found in both, and in the most significant way, the way most clearly and the clearest justifying, makes reading these two novels together, as two phenomena, one phenomenon. Migration in Coolie results in a displacement that in turn Munoo generates and his displacement continues to destroy systematically the conditions to allow one to have a stable cultural identity, which he must then re-create in an ongoing process using the limited materials that forced migration leaves him. The same reasoning plays off in The Glass Palace, but on a larger scale and over a more extended time period: the migration system of the colonial economy generates the displacement both intergenerational and at a longer period of time than in and through a more stable and culturally stable pre-migration cultural home. Both novels resist the narrative on which the issues of migration and displacement arise as threats to a pre-existing cultural identity which must be

recovered or preserved; both insist instead that cultural identity of the condition of colonial South Asia is always already formed in and through the experience of being moved.

Conclusion

This paper has claimed that together (as a comparative pair) through the three-term frame of migration, displacement, and cultural identity, this new and more complete account of how South Asian literary fiction has dealt with colonial modernity can be found than either of the novels provides individually. It is not just thematic but displays a logic of structure which the two novels share, but which is only apparent when they are brought into dialogue with each other.

The logic of that structure can be summed up in the following. In both novels migration is not free movement of choosing the subjects but movement by force of the people whose choices have been shut by the management of labour, land, and the economic life, which is a facet of colonial capitalism. Displacement, in its turn, is not a transitory state of homelessness which is possible but can be followed by a recovery but a permanent structural condition that was created by the spatial logic of the colonial economy: assigning labouring subjects to abstract spaces designed to be expropriated by economic powers, not by human beings. And cultural identity is not a unitary inheritance that become History (the signifying material) in migration and displacement destroys an abstracting logic out of place.

This paper has also postulated that Anand and Ghosh react to this common structural situation by formally different responses-complementary narrative strategies. The realism of socialism advocated by Anand asserts the irreducible specificity of the experience of the displaced body of a single person, which it demands to be inhabited by. The project of structural continuity and geographical scope of the colonial displacement system, visible only through a generational and transnational panoramic which his form facilitates, is insisted on by Ghosh in his historical panorama. Taken together, they can be regarded as the combination of the three terms, which define the field of South Asian literary studies, intimacy and structurality, or the single body and the system that initiates and develops the conditions of the appearance of that very single and systemic phenomenon, namely the intimacy and structurality, or the individual body and the system, which creates and develops the condition of the formation of that very same single and systemic phenomenon, that is, intimacy and structurality, or the individual body and the system, which produces and develops the condition of appearance of that very single and systemic phenomenon, in other words, of the intimacy and structurality, or the individual body and the system, which liberates it and takes it away.

References

1. Anand, M. R. (1936). *Coolie*. Lawrence & Wishart.
2. Anand, M. R. (2014). *Untouchable*. Penguin Books. (Original work published 1935)
3. Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
4. Brah, A. (1996). *Cartographies of diaspora: Contesting identities*. Routledge.
5. Chakrabarty, D. (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference*. Princeton University Press.
6. Ghosh, A. (1988). *The shadow lines*. Bloomsbury.
7. Ghosh, A. (2000). *The glass palace*. HarperCollins.
8. Ghosh, A. (2008). *Sea of poppies*. John Murray.
9. Gilroy, P. (1993). *The Black Atlantic: Modernity and double consciousness*. Harvard University Press.
10. Guha, R. (Ed.). (1982). *Subaltern studies I: Writings on South Asian history and society*. Oxford University Press.
11. Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, culture, difference* (pp. 222–237). Lawrence & Wishart.
12. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell. (Original

work published 1974)

13. Mukherjee, M. (2000). *The perishable empire: Essays on Indian writing in English*. Oxford University Press.
14. Parry, B. (2004). *Postcolonial studies: A materialist critique*. Routledge.
15. Prakash, G. (1990). *Bonded histories: Genealogies of labor servitude in colonial India*. Cambridge University Press.
16. Roy, A. J. (2000). Microstoria: Indian nationalism's "little stories" in Amitav Ghosh's *The Shadow Lines*. *Journal of Commonwealth Literature, 35*(2), 35–49. https://doi.org/10.1177/002198940003500204
17. Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
18. Said, E. W. (1993). *Culture and imperialism*. Knopf.
19. Singh, S. (2012). Alienated coolie-boy/alien language: Reading the subaltern adolescent in Mulk Raj Anand's *Coolie*. *Contemporary South Asia, 20*(4), 511–523. https://doi.org/10.1080/09584935.2012.737308
20. Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
21. Thiara, N. (2016). The colonial carnivalesque in Mulk Raj Anand's *Untouchable* and Amitav Ghosh's *Sea of Poppies*. *Journal of Postcolonial Writing, 52*(6), 698–710. https://doi.org/10.1080/17449855.2016.1227358
22. Tickell, A. (2019). Thresholds of caste and nation: Mulk Raj Anand's spatial aesthetics in *Untouchable*. *Journal of Postcolonial Writing, 55*(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/17449855.2018.1485592
23. Tinker, H. (1974). *A new system of slavery: The export of Indian labour overseas 1830–1920*. Oxford University Press.
24. Walsh, W. (1990). *Indian literature in English*. Longman.

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 18th May 2026 **Paper Accepted : 25th May 2026**

लोकतन्त्र सेनानी अजय खरे जी का व्यक्तित्व एवं उनका राजनीति में योगदान

डॉ. अंजली पाण्डेय खरे*

शोध-सारांश

यह शोध लेख मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और आपातकाल के विरुद्ध हुए ऐतिहासिक संघर्ष को लोकतंत्र सेनानी अजय खरे के योगदान के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अजय खरे को देशभक्ति और संघर्ष की विरासत अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी ओंकारनाथ खरे से मिली, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कठोर यातनाएं सहीं और 1947 में ऐतिहासिक दरबार कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अर्जुन सिंह को पराजित कर अध्यक्ष पद जीता था। 1974 में जयप्रकाश नारायण के 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन से प्रभावित होकर अजय खरे ने रीवा में लोहिया विचार मंच के तहत छात्र आंदोलनों का प्रखर नेतृत्व किया। परिणामस्वरूप 22 जुलाई 1975 को आपातकाल के दौरान उन्हें मीसा *(MISA)* कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जिसके कारण उनकी उच्च शिक्षा भी बाधित हुई। जेल से रिहा होने के बाद भी व्यवस्था परिवर्तन का उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने 1995 में 'नारी चेतना मंच' की स्थापना कर महिला समान अधिकारों, सामाजिक कुरीतियों और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार (जैसे भूमि समाधि सत्याग्रह, खजुराहो कैसिनो विरोध) के विरुद्ध सशक्त जन–आंदोलन खड़े किए। वर्तमान में समता संपर्क अभियान और भारत–तिब्बत मैत्री संघ के पदाधिकारी के रूप में उनकी सक्रियता यह सिद्ध करती है कि अजय खरे का समग्र जीवन वैचारिक निष्ठा, नागरिक स्वतंत्रता और धनबल से मुक्त स्वच्छ राजनीति की स्थापना के लिए एक अनवरत संघर्ष है।

मुख्य शब्द– अजय खरे, ओंकारनाथ खरे, आपातकाल, जय प्रकाश नारायण, मीसा, मीसाबंदी, लोकतंत्र सेनानी, समाजसेवी, नारी चेतना मंच, समाजवादी आन्दोलन, जेपी आन्दोलन रीवा।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में आपातकाल और लोकतांत्रिक अधिकारों का संघर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। विंध्य क्षेत्र में आपातकाल

* नेहरु नगर, रीवा, (म.प्र.)

और लोकतांत्रिक अधिकारों का संघर्ष : मीसा बंदी अजय खरे के विशेष संदर्भ में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है। विंध्य भूमि से भी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या 1942 का भारत छोड़ो राष्ट्रीय आंदोलन विंध्य क्षेत्र के लोगों का संघर्ष और बलिदान इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान पर दर्ज है। अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह, श्याम शाह, लाल पद्मधर सिंह जैसे वीर सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों एवं बलिदान से विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी अजय खरे के पिताजी ओंकार नाथ खरे ने सन 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने 17 वर्ष की अल्पायु में 38 डी.आई.आर के अंतर्गत रीवा केंद्रीय कारागार में 13 माह की कठोर जेल यातना आड़ा बेड़ी, काल कोठारी और नंगे बदन 21 बेंतों की सजा पर लगाए जाने वाली हर बेंत पर क्रांतिकारी उद्घोष करते हुए बिना झुके पूरी की। ओंकार नाथ खरे ने सन 1947 में विंध्य क्षेत्र के ऐतिहासिक दरबार कॉलेज वर्तमान में ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पद के चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की। देश की आजादी के बाद विंध्य क्षेत्र में समाजवादी आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ओंकार नाथ खरे विंध्य क्षेत्र के समाजवादी आंदोलन के संस्थापक रहे। कुछ समय बाद सन 1953 में उनका चयन विंध्य क्षेत्र प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया। देश की आजादी के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त मनमानी और भ्रष्टाचार को लेकर वें काफी व्यथित रहे, उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा। 20 अक्टूबर 1990 को ओंकार नाथ खरे जी का स्वर्गवास हुआ।

चित्र 1 : जेल में युवा अजय खरे जी एवं वर्तमान में अजय खरे जी

मीसा बंदी लोकतंत्र सेनानी अजय खरे आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारी ओंकार नाथ खरे के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अजय खरे का जन्म ननिहाल मध्य प्रदेश के दमोह में 12 मई 1955 को हुआ। उनके नाना जी रामचंद्र खरे डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पद से सेवा निवृत्त हुए थे। अजय खरे की मां का नाम श्रीमती उमा खरे है जिनका निधन 2 अक्टूबर 2020 को 87 वर्ष की आयु में रीवा में हुआ। इनकी मां ने बच्चों की परवरिश के साथ लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

अजय खरे की बड़ी बहन उषा सक्सेना, मझली बहन माधुरी लाल, सझली बहन आभा श्रीवास्तव, सबसे छोटी बहन शोभा सक्सेना और कनिष्ठ भाई अभय खरे पारिवारिक विरासत के रूप में मौजूद है। लोकतंत्र सेनानी अजय खरे की धर्मपत्नी डॉ. गायत्री खरे, ज्येष्ठ पुत्र डॉ. अभिषेक खरे, पुत्रवधू डॉ. अंजली पाण्डेय खरे, कनिष्ठ पुत्र इंजी. अभिजीत खरे मौजूद हैं। अजय खरे का बचपन अपने माता–पिता और भाई बहनों के साथ विभिन्न स्थानों पर व्यतीत हुआ। सन 1964 में उन्होंने रीवा जिले के सिरमौर से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद आगे की पढ़ाई रीवा में हुई। कक्षा ग्यारहवीं तक वह गणित समूह के छात्र रहे और आगे उन्होंने बी. ए. किया। सन 1974 में उन्होंने ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में एम.ए. इतिहास पूर्वार्द्ध और एल. एल.बी. प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू की लेकिन आपातकाल में मीसा के अंतर्गत हुई उनकी गिरफ्तारी के चलते उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो गया। एल. एल.बी. प्रथम वर्ष की परीक्षा जेल में परीक्षा केंद्र बनाकर ली गई। लेकिन आगे की कोई भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एम.ए. अंतिम वर्ष इतिहास का परीक्षा फॉर्म तो भरवारा गया लेकिन परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। जेल से बाहर आकर सन 1977 में एम.ए. इतिहास अंतिम वर्ष की परीक्षा प्राइवेट दी जिसमें 56 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए। राजनीतिक रूप से सक्रियता के चलते पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना संभव नहीं था। एल.एल.बी. की पढ़ाई नियमित होती थी इस वजह से सन 1979 में विधि स्नातक की उपाधि हासिल की। सन 1981 में समाजशास्त्र से एम.ए. किया। सन 1980 में वकालत का पंजीकरण कराया।

सन 1974 में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आवाहन बिहार आंदोलन के लिए काफी अहम रहा। बिहार छात्र आंदोलन में भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन और चुनाव प्रणाली में सुधार की जैसी व्यापक क्षेत्र में मांगों के साथ दहेज प्रथा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ छात्र नौजवानों ने बड़े पैमाने पर सड़क पर आकर माहौल गरमाया था। इस छात्र आंदोलन का फैलाव देश के विभिन्न भागों में होने लगा था। सन 1942 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण देश की आजादी के आंदोलन के प्रभावी युवा नेता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। वह देश के समाजवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे। 25 जून 1975 की रात्रि में आपातकाल की घोषणा के पीछे बिहार आंदोलन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसके चलते देश के लोकतंत्र पर लंबा ग्रहण लग गया। बिहार आंदोलन 1974 इसे 'जेपी आंदोलन' या 'संपूर्ण क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ शुरू किया गया एक बड़ा राजनीतिक जन–आंदोलन था। बाद में इसी आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार को भी चुनौती दी। आंदोलन के मुख्य कारण और पृष्ठभूमि महंगाई और बेरोजगारी थी, 1970 के दशक में देश में बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिससे आम जनता त्रस्त थी। शुरुआत में छात्रों ने हॉस्टल के घटिया खाने, बढ़ी हुई फीस और शिक्षा स्तर में गिरावट को लेकर विरोध शुरू किया था। छात्रों और युवाओं का मानना था कि प्रशासनिक व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार है जिसे मिटाना जरूरी है। 18 मार्च 1974 को छात्रों ने बिहार विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग की, जिसमें कई छात्र हताहत हुए। उग्र होते आंदोलन को देखते हुए छात्रों ने अनुभवी गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जे.पी.) से इसका नेतृत्व संभालने की अपील की। 5 जून 1974 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जे.पी. ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 'संपूर्ण क्रांति' (व्यवस्था परिवर्तन) का नारा दिया, इस आंदोलन

में केवल सत्ता बदलना नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव (संपूर्ण क्रांति) मुख्य लक्ष्य था, यह आंदोलन बाद में देशव्यापी बन गया और इसने 1975 में देश में 'आपातकाल' लागू होने की पृष्ठभूमि तैयार की।

देश में आपातकाल की घोषणा से पहले रीवा में बिहार आंदोलन के समर्थन में लोहिया विचार मंच समाजवादी युवजन सभा की ओर से काफी सक्रियता थी। छात्र आंदोलन अपने उभार पर था और सन 1975 की शुरुआत में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पर छात्रों के द्वारा कब्जा किया गया। छात्र नेता अजय खरे ने कुलपति की कुर्सी पर बैठकर विरोध दर्ज कराया था। तत्कालीन कुलपति एवं विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शंभू नाथ शुक्ला ने उस दिन अवकाश घोषित कर दिया था। छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतीकात्मक एवं शांतिपूर्ण था। आंदोलनकारी के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई मामला नहीं बनाया गया। छात्रों की समस्याओं को लेकर रीवा नगर बंद कार्यक्रम भी सफल रहा। आए दिन नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होता रहा। बिहार आंदोलन के समर्थन में छात्र गिरफ्तारियां दी गई। इस दौरान बिना शर्त जेल से छूटे छात्रों ने खून से हस्ताक्षर करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम एक पत्र लिखकर सर्वोदय नेता ठाकुरदास बंग को सौंपा। लोहिया विचार मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अजय खरे के साथ रामेश्वर सोनी एवं चारु झा ने भी लोहिया विचार मंच के जौनपुर अधिवेशन में भाग लिया जहां पर महाकवि नागार्जुन भी आए थे। बिहार आंदोलन के समर्थन में अजय खरे ने बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता रघुपति के साथ बिहार के विभिन्न कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों से संपर्क किया। कोलकाता से प्रकाशित चौरंगी वार्ता पत्रिका को रीवा में नियमित रूप से पढ़ा जाता था जिसने बिहार आंदोलन को प्रमुखता से जगह मिलती थी। आपातकाल लगने के बाद लोहिया विचार मंच के युवा साथियों पर प्रशासन का खुफिया तंत्र लगा हुआ था। इस दौरान होने वाली मीटिंग वगैरह से उन्हें अभास होने लगा कि कभी भी सरकार के विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। आखिरकार तत्कालीन जिला कलेक्टर योगेंद्र चतुर्वेदी ने 22 जुलाई 1975 को पिछले आंदोलन के रिकॉर्ड को देखते हुए छात्र नेता अजय खरे, चारू झा, रामेश्वर सोनी, रामनरेश सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, श्रीमूर्ति आचार्य और बद्री तिवारी को सीधे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) रीवा जेल में रखे जाने के वारंट पर हस्ताक्षर किए गए। मीसा के तहत अजय खरे को 23 जुलाई 1975 को गिरफ्तार कर लिया गया, लोहिया विचार मंच के यह युवा छात्र नेता करीब डेढ़ साल तक जेल में रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जनवरी 1977 के तीसरे सप्ताह में चुनाव घोषणा के बाद इन सभी आंदोलनकारियों को बिना शर्त 29 जुलाई 1977 से रिहा किया जाने लगा। लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि "आपातकाल संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाए जा रहा संपूर्ण क्रांति आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था। बिना किसी ठोस कारण और अपराध के नागरिकों को जेल में रखना नागरिक आजादी के मूलभूत अधिकारों का हनन है। आपातकाल घोषित हो या अघोषित उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार से असहमति और विरोध का यह मतलब नहीं कि लोगों को लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाए। हालांकि आपातकाल के दौरान हुए चुनाव से देश में लोकतंत्र की बहाली संभव हुई। निष्पक्ष चुनाव होने की बात काफी महत्वपूर्ण है। देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जरूरत हमेशा है।" 1977 के लोकसभा चुनाव में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा राजशाही और तानाशाही के खिलाफ लिखा गया पत्र मीसाबंदी अजय खरे के द्वारा पटना जाकर लाया गया। इस

पत्र ने रीवा लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई जिसके चलते पिछले लोकसभा चुनाव (1971) में देशभर में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले पूर्व महाराजा मार्तण्ड सिंह जी को 1977 के चुनाव में काफी संघर्ष के बाद हराया जा सका।

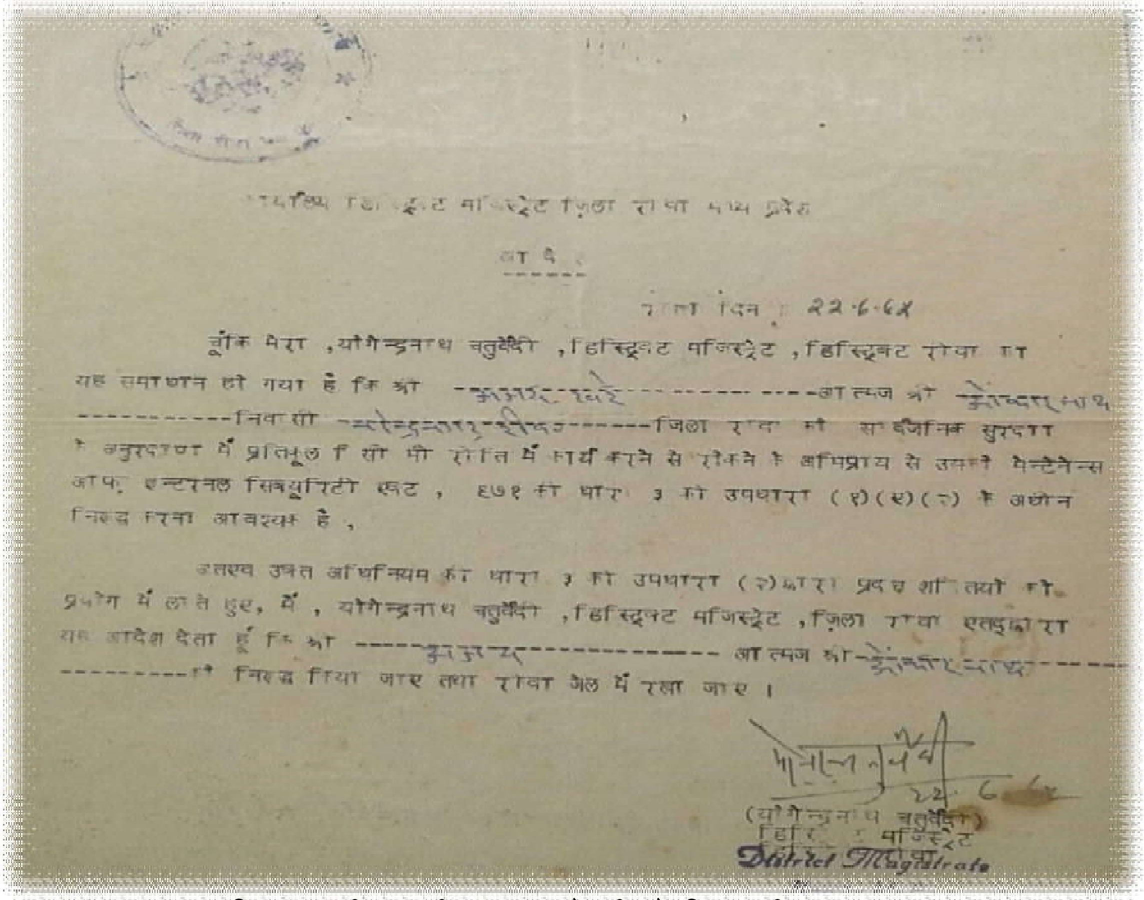

[illegible] डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला रीवा मध्य प्रदेश

वारंट

रीवा दिनांक : 22.6.[illegible]

चूंकि मेरा, योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट रीवा का यह समाधान हो गया है कि श्री ----अजय खरे---------- आत्मज श्री [illegible] ----------निवासी [illegible]------जिला रीवा को सार्वजनिक सुरक्षा के अनुरक्षण में प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उनको मेन्टेनेन्स आफ इन्टरनल सिक्युरिटी एक्ट, 1971 की धारा 3 की उपधारा (1)(2)([illegible]) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक है,

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला रीवा एतद्द्वारा यह आदेश देता हूँ कि श्री ----अजय खरे-------------- आत्मज श्री [illegible] ----------को निरुद्ध किया जाए तथा रीवा जेल में रखा जाए।

[signature] 22.6.[illegible]

(योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी)
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
District Magistrate

चित्र 2 : मीसा बंदी अजय खरे जी के गिरफ्तारी का वारंट

अजय खरे की बचपन से ही देश और समाज के बारे में जानने की रुचि रही। उन्होंने बचपन में ही 'अंग्रेजी हटाओ आंदोलन' में भागीदारी की। 'गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा' के नारे से वह आज भी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि किसी भी संप्रभुत्ता सम्पन्न देश में विदेशी भाषा का वर्चस्व उस देश की प्रगति और मानसिक विकास में बाधक है। भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी गुलामी की भाषा है जिसे राजकाज की भाषा नहीं बनना चाहिए। किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में अंग्रेजी का महत्व नहीं होना चाहिए उसे अन्य देशों की भाषा की तरह स्थान दिया जाना चाहिए। श्री खरे बताते हैं कि बचपन से ही नियमित रूप से अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि थी। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने रीवा के बांधवीय समाचार पत्र के लिए 'मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं' शीर्षक से पत्रकार रामेश्वर प्रसाद मिश्र 'पंकज' को साक्षात्कार दिया था। साप्ताहिक दिनमान के लिए उन्होंने काफी लेखन कार्य किया। चौरंगी वार्ता और रविवार में भी उन्होंने लिखा। कादंबिनी में भी वह एक स्तंभ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुए। सामयिक वार्ता में भी विभिन्न

विषयों पर लेख और रिपोर्टिंग की। राजनीतिक और सामाजिक समीक्षक के रूप में उनकी टिप्पणी फेसबुक के साथ ही विभिन्न जगहों पर लोगों को विचारोत्तेजक बनातीं हैं। छात्र जीवन में लोहिया विचार मंच समाजवादी युवजन सभा में सक्रिय रहे।

महिलाओं का सशक्त संगठन नारी चेतना मंच खड़ा करने में अहम भूमिका अदा की। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1995 को रीवा में हुई। नारी चेतना मंच केवल महिला अधिकारों और चेतना तक सीमित नहीं रहा बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर होने वाले बदलाव के लिए आवाज उठाता रहा। स्त्री पुरुषों की बराबर भागीदारी के लिए नारी चेतना मंच ने निरंतर संघर्ष किया। सामाजिक कुरीतियों एवं व्यवस्था संबंधी अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिजली पानी महंगाई जैसे सवालों को लेकर 'चक्का जाम से लेकर रेल रोको आंदोलन' तक में भाग लिया। नारी चेतना मंच ने 5 नवंबर 1997 को रीवा में 95 दिन का आंदोलन किया। समाजसेवी अजय खरे का मानना था कि आयोडीन रहित साधारण नमक के उपभोग व्यापार पर प्रतिबंध गरीबों पर भारी आर्थिक बोझ और कॉर्पोरेट कंपनियों को एकाधिकार देने की साजिश है। 21वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में साधारण नमक प्रतिबन्ध के विरोध में उन्होंने रीवा के सिरमौर चौराहा में स्थित हनुमान मंदिर के पास इस प्रतिबंध को तोड़कर सार्वजनिक रूप से साधारण नमक बेचा और गांधीवादी तरीके से 'नमक सत्याग्रह' किया। सन 2013 में सरकारी जमीनों पर बसे गरीबों को बेदखल करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के खिलाफ 'भूमि समाधि सत्याग्रह' किया। लगातार 57 दिन तक आंदोलन चला जिसे प्रशासनिक दमन चक्र का शिकार होना पड़ा। आखिरकार अजय खरे सहित अन्य आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल भेजा गया। रीवा–जबलपुर शटल रेल को बंद करने के निर्णय के खिलाफ भी नारी चेतना मंच ने रेल की पटरियों पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मांग पूरी कराई थी। नारी चेतना मंच ने सन 2000 में अमरपाटन में चुनाव धांधली के खिलाफ चक्का जाम कर रही महिलाओं को गिरफ्तार करके सतना जेल में रखे जाने के विरोध में कैमा रेलवे स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक ट्रेन को रोका रखा। आश्वासन मिलने पर जब रिहा नहीं किया गया तो उन्होंने सतना कलेक्टर के यहां नारेबाजी की और देर रात सभी महिलाओं को प्रशासन के द्वारा रिहा करते हुए उन्हें घर तक पहुंचाया गया। नारी चेतना मंच की महिलाओं के द्वारा स्थापित सत्ता के खिलाफ निरंतर विरोध किया गया। 12 जून 2003 को रीवा में मुख्यमंत्री का घेराव कर रही महिलाओं पर अमानुषिक बर्बर लाठी चार्ज किया गया। 32 महिलाओं के ऊपर झूठे मुकदमे कायम करके उन्हें जेल में डाल दिया गया और लंबे समय तक मुकदमा चला। सन 1997 और 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा में काले झंडे दिखाकर नारी चेतना मंच ने इतिहास रचा। सन 1996 में अजय खरे, विंध्याचल जन आंदोलन एवं नारी चेतना मंच ने खजुराहो में कैसिनो खोले जाने के सरकारी निर्णय के विरोध में सत्याग्रह किया आखिरकार सरकार ने कैसिनो खोलने का निर्णय वापस ले लिया।

अजय खरे वर्तमान में समता संपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसके अलावा वर्तमान में वे भारत–तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चीन की दखलंदाजी के खिलाफ चीन सीमा के पास गंगटोक सत्याग्रह में अजय खरे शामिल हुए थे। सन 1962 के चीनी के विश्वासघाती आक्रमण को लेकर वह आज भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। वह चाहते हैं कि चीन के द्वारा हड़पे गए करीब 40000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वापस लिया जाना चाहिए। वें चीन से तिब्बत की आजादी के समर्थक है, हाल ही में 11 मार्च 2026 को तिब्बत के सर्वोच्च राजनीतिक धार्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी से दर्शन भेंट इसके अलावा वें समाजवादी कार्यकर्ता समूह और विंध्याचल जन

आंदोलन के सूत्रधार हैं। अजय जी राजनीति में विदेशी पैसे और बड़े पूंजी पतियों की दखलंदाजी के सख्त विरोधी हैं। उनका मानना है कि समाज सेवा के क्षेत्र में वैचारिक सोच और ईमानदार लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। देश को नई राजनीति की जरूरत है जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और नागरिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध हो। चुनाव प्रणाली में बुनियादी सुधार की जरूरत है। देश का चुनाव जितना महंगा होगा लोकतंत्र उतना ही कमजोर और पूंजीपतियों के नियंत्रण में होगा। चुनाव में धार्मिक जातीय साम्प्रदायिक क्षेत्रीयता और नक्सलवादी रुझान को पूरी तरह रोका जाना चाहिए। वंचित समूह को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए। महिलाओं के लिए बराबरी की सोच देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सरकार को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग स्वावलंबी बनने की बजाय निठल्ले बनने लगें। निराश्रितों, शारीरिक रूप से कमजोर बीमार और वृद्ध लोगों को उचित सम्मान एवं सहायता मिलना चाहिए।

निष्कर्ष : विंध्य क्षेत्र में आपातकाल के विरुद्ध हुआ संघर्ष केवल एक राजनीतिक या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं था बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का एक व्यापक जन–आंदोलन था। मीसाबंदी और लोकतंत्र सेनानी अजय खरे का जीवन संघर्ष यह प्रमाणित करता है कि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों की वैचारिक स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। अपनी पारिवारिक विरासत से प्राप्त देशभक्ति और समाजवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए, अजय खरे ने 'नारी चेतना मंच' और 'विंध्याचल जन आंदोलन' जैसे सशक्त मंचों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों एवं महिलाओं की आवाज को निरंतर मुखर किया। उनका वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि एक स्वस्थ व परिपक्व लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, धनबल व बाहुबल से मुक्त राजनीति तथा अपनी मातृभाषा का सर्वोच्च सम्मान अपरिहार्य है। उनका समग्र जीवन इस बात का आदर्श प्रस्तुत करता है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसके जागरूक और जनहित के लिए संघर्षशील नागरिक ही होते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत एवं मौखिक इतिहास

- खरे, अजय (लोकतंत्र सेनानी एवं मीसाबंदी) : व्यक्तिगत साक्षात्कार, उनके संस्मरण एवं अप्रकाशित व्यक्तिगत लेख।
- नारी चेतना मंच, रीवा से संबंधित अभिलेख : मूल प्रेस विज्ञप्तियां, पैम्फलेट और संस्थागत दस्तावेज।
- लोहिया विचार मंच एवं समाजवादी युवजन सभा के दस्तावेज : जौनपुर अधिवेशन और रीवा में हुए छात्र आंदोलनों (1974–75) के पर्चे व संकल्प पत्र।
- मीसा (MISA) वारंट एवं बंदी रजिस्टर (1975–1977) : रीवा जेल प्रशासन एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी के कार्यालयीन अभिलेख (दिनांक 22 जुलाई 1975)।

समकालीन पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र

- बांधवीय समाचार पत्र (रीवा) : रामेश्वर प्रसाद मिश्र 'पंकज' द्वारा लिया गया अजय खरे का साक्षात्कार (शीर्षक : 'मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं।')।
- चौरंगी वार्ता (कोलकाता) : 1970 के दशक के अंक।
- साप्ताहिक दिनमान : आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाशित लेख एवं रिपोर्ट।
- रविवार पत्रिका, सामयिक वार्ता में समकालीन राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम पर अजय खरे के लेख।

द्वितीयक स्रोत

- धर, पी.एन., इंदिरा गांधी : द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000।
- चंद्रा, बिपिन, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी : द जेपी मूवमेंट एंड द इमरजेंसी, पेंग्विन बुक्स, 2003।

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 30th May 2026 **Paper Accepted : 5th June 2026**

भारत छोड़ो आन्दोलन और तारा रानी श्रीवास्तव

❑ डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध-सारांश

तारा रानी श्रीवास्तव भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की उन वीरांगनाओं में सम्मिलित हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पति फुलैना प्रसाद श्रीवास्तव के साथ मिलकर अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध जन–जागरण एवं क्रान्तिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 ई. को बिहार राज्य के सारण (छपरा) वर्तमान में सिवान ज़िला में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य सिवान थाने पर तिरंगा फहराना तथा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना था। जुलूस के दौरान अंग्रेज़ पुलिस द्वारा की गयी गोलीबारी में उनके पति फुलैना प्रसाद गम्भीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुये। किन्तु तारा रानी ने अपने घायल पति की परवाह किये बिना आन्दोलन को जारी रखा और सिवान थाने पर तिरंगा फहराकर अदम्य साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

तारा रानी श्रीवास्तव का जीवन भारतीय नारी शक्ति, राष्ट्रवाद और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन केवल पुरुषों का अन्दोलन नहीं था, बल्कि महिलाओं ने भी उसमें अग्रिम पंक्ति में रहकर संघर्ष किया। उनके योगदान ने समस्त भारत की महिलाओं को स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उनके संघर्ष से वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्रप्रेम, साहस और वीरता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रेरणा मिलती है।

मुख्य शब्द– स्वतन्त्रता संग्राम, भारत छोड़ो आन्दोलन, फुलैना प्रसाद श्रीवास्तव, देश प्रेम की भावना, महिला सशक्तिकरण, स्वतन्त्र भारत में उपेक्षा।

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 08 अगस्त 1942 ई. को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया, जिसमें महात्मा गाँधी द्वारा 'करो या मरो' का नारा दिया गया। इस नारे ने सारे देश में जनविद्रोह की आग भड़का दी। 09 अगस्त 1942 ई. को प्रातः काल ही ब्रिटिश सरकार ने गाँधी जी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ़्तार कर सत्याग्रह की सभी सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया। इस गिरफ़्तारी के विरोध में सारे देश में जनाक्रोश भड़क उठा।

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी.पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)
e-mail-gbpantdegreecollege@gmail.com, मो.: 9412368300

संयम का बाँध तोड़ लोग 'करो या मरो' के लिए तैयार हो उठे। क्रान्तिकारी तत्वों ने आन्दोलन अपने हाथों में ले लिया। लाठियों और गोलियों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलना चाहा, किन्तु वह इसमें पूर्ण सफल नहीं हो सकी।

भारत छोड़ो आन्दोलन की लहर बम्बई से आरम्भ होकर शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि स्थानों तक जा पहुँची। मद्रास, आसाम, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा भी इससे अछूते न रह सके। 11 अगस्त 1942 ई. तक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई कि समूचा देश अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध युद्ध करने पर आमादा हो गया। इस आन्दोलन में पुरुषों के अलावा अनेक महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें तारा रानी श्रीवास्तव अग्रणी हैं।

प्रारम्भिक जीवन

तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म बिहार राज्य के तत्कालीन सारण (छपरा) ज़िला, वर्तमान में सिवान ज़िला के महाराजगंज अनुमण्डल के बाल मंगरा गाँव में हुआ था। राष्ट्रीयता के संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। जब वह डेढ़ साल की ही थीं, तब एक अंग्रेज़ गुप्तचर ने उनके पिता का मित्र बनकर उन्हें ज़हर पिलाकर मार डाला था। बाबा की देख–रेख में बच्ची तारा रानी का पालन–पोषण हुआ। देशभक्त बाबा ने तारा रानी को छोटी उम्र से ही साहित्य और देश प्रेम की शिक्षा दी। उन दिनों की परम्परा के अनुसार अल्पायु में ही तारा रानी का विवाह प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता फुलैना प्रसाद श्रीवास्तव से सम्पन्न हुआ। डॉ. विद्या प्रकाश ने लिखा है कि ''क्रान्तिकारियों की श्रेणी में फुलैना बाबू अग्रणी थे। वे राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का व्रत ले चुके थे।''[1] वे बुद्धिमान, स्पष्टवादी और साहसी थे।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में प्रवेश

विवाहोपरान्त तारा रानी और फुलैना प्रसाद दोनों ही राजनैतिक क्षेत्र में एक साथ जुट गए। उनकी घर–गृहस्थी देश के काम में आड़े नहीं आई। जीवन के सुख, समृद्धि को त्याग कर दोनों सत्याग्रह के मार्ग पर चल पड़े। फुलैना प्रसाद के तेजस्वी स्वभाव के कारण बिहार की क्रान्ति अहिंसक न रही। इन कठिन परिस्थितियों में तारा रानी ने हर क़दम पर अपने पति का साथ दिया। जुलूसों में वे बराबर ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेती रहीं और महिलाओं को संगठित करती रहीं। गाँव–गाँव जाकर वह लोगों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए प्रेरित करती थीं। 1941 ई. में वे 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' कर स्वयं भी जेल गई थीं। जून 1942 ई. में जब वे जेल से छूटकर आईं तो उनकी माँ और बाबा अस्वस्थ थे। परिजनों की सेवा सुश्रूषा को छोड़कर वे 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन में जुट गईं।

भारत छोड़ो आन्दोलन

इस आन्दोलन में तारा रानी श्रीवास्तव ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। यह आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, जिसमें पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की लहर भड़क उठी थी। 16 अगस्त 1942 ई. को तारा रानी एक जुलूस में अपने पति, बाबा और माँ के साथ 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' के नारे लगाती हुई आगे बढ़ रही थीं। इस जुलूस का उद्देश्य था–महाराजगंज के सिवान थाने पर तिरंगा फहराना। जब यह जुलूस आगे बढ़ रहा था, तब अंग्रेज़ पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पहले जुलूस पर भीषण लाठी प्रहार हुआ, फिर गोलियाँ चलीं। इस गोलीबारी में तारा रानी के बाबा, माँ और पति फुलैना प्रसाद गम्भीर रूप से घायल हो गए। एक गोली तारा रानी के दाहिने हाथ में भी लगी। लेकिन तारा रानी ने हार नहीं मानी। डॉ. फ़ैज़ान अहमद ने तारा रानी श्रीवास्तव के अदम्य साहस और वीरता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ''जब वीरांगना तारा रानी ने देखा कि उनके पति पुलिस की नौ गोलियां खाकर घायल होकर गिर चुके हैं एवं उनके सिर से काफ़ी रक्त निकल रहा है, तब उन्होंने अपनी

साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर अपने पति के मस्तिष्क पर बांधा और आगे बढ़कर तिरंगा झण्डा अपने हाथ में ले लिया। तारा रानी के अपूर्व साहस और मृत्यु का वरण करने की क्षमता के फलस्वरूप सिवान थाने पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराने लगा।''[2] किन्तु झण्डा फहराकर जब वह लौटीं तो उन्होंने अपनी माँ, बाबा और पति को मृत पाया।

तारा रानी श्रीवास्तव द्वारा सिवान थाने पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की यह घटना उनके अदम्य साहस और देश प्रेम का प्रतीक बन गई। यह केवल एक महिला का साहस नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर योगदान दे सकती हैं। तारा रानी के इस वीरतापूर्ण कार्य की प्रशंसा करते हुए डॉ. इसहाक़ 'तबीब' ने लिखा है कि–

''ख़तरा सिर पर मण्डराया था
ख़ौफ़ मृत्यु का गहराया था
देशभक्त तारा रानी ने
झंडा फिर भी फहराया था।''[3]

घायल तारा रानी को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही वह जेल से मुक्त हो सकीं।

संघर्षपूर्ण जीवन

तारा रानी श्रीवास्तव का जीवन केवल एक घटना तक सीमित नहीं था। उन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया। अपने पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने व्यक्तिगत दुःख को पीछे छोड़कर देश सेवा को प्राथमिकता दी। उनके पति फुलैना प्रसाद की शहादत हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। स्वयं तारा रानी श्रीवास्तव लिखती हैं कि ''मैंने अपने पति को कभी मृत नहीं माना। मैं उनकी निरन्तर उपस्थिति अनुभव करती रही और उनकी याद लिए सेवा का व्रत निभाती रही। जेल में एक वर्ष तक मुझे एकांत कोठरी में रखकर भिन्न–भिन्न प्रकार की यातनाएं दी गईं। पति की याद व प्रेरणा के सहारे ही मैं वे सब झेल पाई।''[4] यह उनके महान त्याग और समर्पण का प्रमाण है।

प्रबल देश प्रेम की भावना

तारा रानी के अन्दर देश प्रेम की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। वे राष्ट्र के लिए हमेशा अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहती थीं। तारा रानी का देश प्रेम इतना उच्च कोटि का था कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ''अपनी संतान को आज़ाद मुल्क में ही जन्म दूँगी''[5] लेकिन पति की शहादत से उनकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पाई। देश की स्वतन्त्रता के बाद भी उनकी देश प्रेम की भावना कम नहीं हुई। अपने पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुःख को पीछे छोड़कर देश सेवा को प्राथमिकता दी। तारा रानी के प्रबल देश प्रेम की भावना की प्रशंसा करते हुए डॉ. इसहाक़ 'तबीब' ने लिखा है कि–

''लाठी अंग्रेज़ों की खाई
पीड़ा उसने बहुत उठाई
खोया पति, माता, बाबा को
किन्तु हिन्द–महिमा ही गाई।''[6]

महिला सशक्तिकरण में योगदान

तारा रानी श्रीवास्तव केवल एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की भी एक प्रतीक थीं। जिस समय तारा रानी के अन्दर देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने की चाह पनप रही थी, उस समय महिलाओं को लेकर अनेक सामाजिक पाबंदियां भी थीं। उन्हें चाहरदीवारी के अन्दर क़ैद रखा जाता था और बाहर आज़ादी से घूमने की छूट न थी। लेकिन तारा रानी इन सभी पाबंदियों को एक किनारे कर देश की आज़ादी के लिए निकल पड़ीं। इसमें उन्हें अपने पति फुलैना प्रसाद से भरपूर सहयोग मिला। तारा रानी ने अपने साथ अनेक महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्हें प्रोत्साहित किया

और महात्मा गाँधी के सन्देश को जन–जन तक पहुँचाने की कोशिश की। डॉ. प्रगति कुमारी ने तारा रानी श्रीवास्तव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ''हमारा यह पुरुष प्रधान समाज कहता है कि एक औरत अपने पति के पीछे ही चलती है। वह तभी तक मज़बूत रह सकती है जब तक उसका पति उसे हिम्मत देगा। पर तारा रानी श्रीवास्तव ने इस कथन को पूरी तरह ग़लत साबित किया है।''[7] उन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने, आत्मनिर्भर बनने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गया।

स्वतन्त्रता के बाद का जीवन

भारत की स्वतन्त्रता के बाद तारा रानी देश के प्रति पूर्णतः समर्पित रहकर सार्वजनिक व राजनैतिक क्षेत्र में जुटी रहीं। रक्तचाप की शिकायत के बावजूद वे सभाओं में जातीं, भाषण देतीं और जनमानस को जागृत करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। डॉ. विद्या प्रकाश ने लिखा है कि ''निःस्वार्थ भाव से जनकल्याण और जनजागरण में जुटी इस वीरांगना ने कभी स्वतन्त्र देश की सरकार से व्यक्तिगत सुख के लिए कुछ नहीं चाहा।''[8] तारा रानी ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली पेन्शन को भी लेने से मना कर दिया था।

स्वतन्त्र भारत में उपेक्षा

स्वतन्त्र भारत में तारा रानी श्रीवास्तव को वह पहचान और सम्मान नहीं मिला, जिसकी वे हक़दार थीं। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और चुपचाप समाज सेवा में लगी रहीं। तत्कालीन इतिहासकारों ने भी उनकी उपेक्षा की है। इतनी महान वीरांगना की मृत्यु कब और कैसे हुई, यह अभी तक अज्ञात है। उनके पति के शहीद हो जाने के बाद उनकी पैतृक सम्पत्ति गाँव की राजनीति ने हड़प ली। तारा रानी की उपेक्षा को रेखांकित करते हुए गरिमा श्रीवास्तव ने लिखा है कि ''तारा रानी नितान्त अकेला जीवन जीकर चली गईं। समाज एवं गाँव के लोगों ने उनकी क़द्र नहीं की। गाँव के मुखिया एवं पट्टीदारों की नज़र में तारा रानी की ज़मीनें काम की थीं, तारा रानी नहीं। उनके लिए वे आज़ादी के बाद एक एकाकी विधवा औरत थीं। वे तारा रानी के अनुदाय को समझ नहीं पाए।''[9] वास्तव में तारा रानी भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की एक महान नायिका हैं। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार एवं समाज ने उन्हें हाशिए पर रखा और उनकी घोर उपेक्षा की।

वर्तमान में प्रासंगिकता

आज के समय में, जब हम स्वतन्त्र भारत में जी रहे हैं, तब तारा रानी श्रीवास्तव का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि स्वतन्त्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। गरिमा श्रीवास्तव ने लिखा है कि ''तारा रानी ने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, पति खोया, वैधव्य सहा लेकिन मृत्यु पर्यन्त देश के लिए जीती रहीं। रोगी होने पर अपने गाँव की माटी शरीर पर थोप लेतीं, कभी एलोपैथी दवा नहीं खाईं, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन लेने से इनकार कर दिया तथा बेहद सादगी भरा जीवन जीती रहीं।''[10] इस प्रकार उनका जीवन आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि तारा रानी श्रीवास्तव का जीवन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम उन्हें एक सच्ची वीरांगना बनाता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब लक्ष्य महान हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए बिहार के सिवान थाने पर तिरंगा फहराकर यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं

हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. विद्या प्रकाश– देश जिनका ऋणी है – पृष्ठ 180– आकाशदीप पब्लिकेशन्स, दिल्ली– संस्करण 2005 ई.
2. डॉ. फ़ैज़ान अहमद– भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन– पृष्ठ 217 – राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली– संस्करण 2017 ई.
3. डॉ. इसहाक़ 'तबीब' – अंकानि – पृष्ठ 01 – कोटिक प्रकाशन, बदायूँ –संस्करण 2018 ई.
4. डॉ. विद्या प्रकाश– देश जिनका ऋणी है – पृष्ठ 181– आकाशदीप पब्लिकेशन्स, दिल्ली– संस्करण 2005 ई.
5. https://www.etvbharat.com – पृष्ठ 01 – दिनांक 24/04/2026 से उद्धृत
6. डॉ. इसहाक़ 'तबीब' – अंकानि – पृष्ठ 01 – कोटिक प्रकाशन, बदायूँ –संस्करण 2018 ई.
7. https://hindi.feminisminindia.com, पृष्ठ 02 – दिनांक 18/04/2026 से उद्धृत
8. डॉ. विद्या प्रकाश– देश जिनका ऋणी है– पृष्ठ 181– आकाशदीप पब्लिकेशन्स, दिल्ली– संस्करण 2005 ई.
9. https://samalochan.com – पृष्ठ 01 – दिनांक 18/04/2026 से उद्धृत
10. वही, पृष्ठ 01

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 4th June 2026
Paper Accepted : 5th June 2026

रामराज्य का सामाजिक संदेश

❑ डॉ. प्रदीप डहेरिया*

शोध-सारांश

रामराज्य एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। भारत जैसे महादेश में जिसे विश्व गुरु समझा जाता हैं, राम राज्य की अवधारणा मानवता के कल्याण का एक प्रमुख विचार है। यह सिद्धांत भारत को विश्व के प्रमुख देश के रुप में पुनर्स्थापित करता है। राम राज्य की अवधारणा में सभी बराबर हैं, सभी के लिए न्याय है, किसी का बहिष्कार नहीं है और इसमें सभी के कल्याण की कल्पना जैसे मूलभूत सिद्धांत भी प्रमुख हैं। स्वाभाविक तौर पर रामराज्य किसी भी तरह की असमानता के विरुद्ध एक सामाजिक व्यवस्था है जो कि समूचे विश्व को एकसूत्र में बांधते हुए सर्वजन कल्याण का संदेश देती है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। रामराज्य इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाला विचार है। रामराज्य की अवधारणा भारत की संस्कृति की शाश्वत विरासत है। यह भारतीय मूल्यों की अवधारणा पर आधारित एक व्यवस्था हैं आधुनिक शोध और अध्ययन बताते हैं कि मानव और समाज विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिये गये समस्त सिद्धांत भी रामराज्य पर ही आधारित है। वास्तव में विकास की अवधारणा मूलरुप से प्रकृति में मौजूद संसाधनों और वसुधा के तंत्र के सतत बने रहने पर बल देते हैं। एक तरह से ये विचार धरती, प्रकृति और मानवमात्र के संबंधों के बीच एक संतुलन कायम करने की पुरजोर सिफारिश करते हैं एक तरह से कहा जाए तो सभी जनों के विकास के साथ ही समाज का कल्याण भी हो सकता है। कोई दीन दुखी न हो, सभी का हित हो, सर्वजन कल्याण हो, यही बात रामराज्य की बुनियादी अवधारणाएं है। इससे एक समावेशी समाज और वातावरण बनता है। यही सामंजस्य समाज को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रखने में सक्षम हैं। और कहा जाए तो वास्तव में यही रामराज्य का सामाजिक संदेश भी है जिसकी बात गोस्वामी तुलसीदास और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी करते हैं

बीज शब्द—*रामराज्य, धर्म, सहृदयता, सामाजिक, संतुलन, संचार, संदेश, नीति अनीति, समावेशी संस्कृति।*

प्रस्तावना

भारत में रामराज्य की अवधारणा त्रेता युग में श्री राम के राजा बनने और उनके शासन के बाद विकसित हुई। राम के राज्य में सब सुखी थे। समृद्धि थी। समानता, प्रेम, सद्भाव, न्याय, सहिष्णुता, सदाचार, नैतिकता थी। भय और शोषण से मुक्त समाज था। सबका सर्वांगीण विकास

* सहायक प्राध्यापक, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश, मो.-9893397378

था। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। रामराज्य का मूल मंत्र था, ''समग्र विश्व में जड़ और चेतना सभी का कल्याण।'' त्रेता युग के पश्चात भारत में उसके मुकाबले कोई शासन इतना समृद्ध नहीं हुआ जितना कि रामराज्य था। परिणाम-स्वरुप भारतीय-समाज अन्य किसी शासन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हुआ। फलतः भारतीय जनमानस में रामराज्य की कामना बलवती हुई। राम के जैसा राजा और उनके जैसा शासन की अवधारणा भारतीय जनमानस में अपनी गहरी पैठ बनाती गई। भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से लेकर मुगलों और अंग्रेजी शासन तक में रामराज्य जैसा आदर्श राज्य की कल्पना बहुत स्वाभाविक थीं। मुगलों के शासन में भारतीय समाज की दुर्दशा को देखकर गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस की रचना कर रामराज्य का वर्णन कर रामराज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। तुलसी ने साफ कहा, ''जासु राज प्रिय प्रज्ञा दुखारी। ते नृप अवसि नरक अधिकारी।।'' (1) यही नहीं तुलसीदास ने राज्य और आमजन को भी धर्म याद दिलाया, ''परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधिमाई।।'' (2)। तुलसी ने दरिद्रता को अभिशाप माना, ''नहिं दरिद्र सम दुःख जगमाही।'' (3) इसलिए तुलसीदास श्रीरामचरितमानस के उत्तरकांड में रामराज्य का वर्णन करते हैं। वे वर्णन के जरिये रामराज्य की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, यह बताते हैं। अंग्रेजी शासन में महात्मा गांधी की भी चिंता पीड़ित मानवता की है। वे ''पतित पावन सीताराम'' को भेजते हुए रामराज्य की अवधारणा अपने ही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 'हिन्द स्वराज' में इसके सूत्र देखे जा सकते हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौर में सर्वोदय और स्वराज्य को कहीं गहरे अर्थों में अभिव्यक्त करते हैं। गांधी के सर्वोदय और स्वराज्य से ही होकर रामराज्य की स्थापना की परिकल्पना है।

शोध के उद्देश्य

रामराज्य एक सामाजिक अवधारणा है। यह राज्य के संदर्भ में एक व्यवस्था भी है। वर्तमान समय में इस विषय पर आधारित प्रस्तुत शोध के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं-

1. गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा गांधी के रामराज्य की परिकल्पना को समझना।

2. रामराज्य की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? स्पष्ट करना।

3. रामराज्य के सामाजिक संदेश की व्याख्या करना।

विश्लेषण

गोस्वामी तुलसीदास का रामराज्य- गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरितमानस के उत्तरकांड में रामराज्य और 'रामराज्य' की प्रथम घोषणा का उल्लेख करते है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रजा के प्रति राम का समर्पण, धर्म आधारित समतामूलक, भय और शोषण से रहित समाज का निर्माण कर एक ऐसा राज्य स्थापित करना है जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कहीं व्यापते नहीं है। रामराज्य राज्य की पहली घोषणा है, निर्भय होकर अनीति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देना और यह समझाना कि यदि राजा कोई अनीति करता है तो उसे रोक देना। राम पहले ऐसे राजा हैं जो कहते हैं कि मेरी कोई प्रभुता नहीं। राजा बनने के बाद पहली बार जब राम नागरिकों की सभा बुलाते हैं तब इसमें स्पष्ट घोषणा करते हैं-

''सुनहु सकल पुरजन मम बानी।
कहउँ न कछु ममता उर आनी।।
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई।
सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई।।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई।
मम अनुसासन मानै जोई।।
जौं अनीति कछु भाषौं भाई।
तौ मोहि बरजहु भय बिसराई।।''-(4)

यह बात राम ही कह सकते हैं कि मेरी बात अच्छी लगे तो मानो अन्यथा मत मानो। इतनी स्वतंत्रता देते हैं। साफ साफ कह रहे हैं, मेरी कोई प्रभुता नहीं है। मैं भी अगर अनीति की बात करुं तो मुझे निर्भय होकर रोक देना। यह रामराज्य की शासन व्यवस्था की पहली कड़ी, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता से ही रामराज्य का शुभारंभ हुआ। तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस के उत्तरकांड में रामराज्य का वर्णन दोहा 19(4)/20 से लेकर 23 वे दोहे तक किया है। तुलसी यह वर्णन इसलिए कर रहें हैं कि वे अपने समय में ऐसा राज्य चाहते थे, जो रामराज्य में था। जब राम राजा बनते हैं तब हुआ क्या? तुलसीदास कहते हैं, **''राम राज बैंठे त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका।। बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता**

खोई।।'' (5) राम के राजा बनते ही सब शोक रहित हो गए। सभी मे कोई बैर भाव नहीं रह गया। सब ही अपने धर्म में रत हैं। वेद मार्ग पर चलते हैं। सदा सुख पा रहे हैं। न भय है, न शोक है और न रोग है। विषमता खो गई हैं। यानी समानता हो गई है।

बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग।।20।।''(6)

तात्पर्य यह कि राम के राज्य में आमजन भय, शोक और रोग से रहित हुए। यानी धर्म आधारित समतामूलक भेदभाव से रहित समाज और राज्य की स्थापना हो गई। सब स्वस्थ हैं। रामराज्य में न तो शारीरिक कष्ट है, न दैविक और भौतिक कष्ट है। सभी लोग स्वधर्म का पालन करते हैं। सभी में परस्पर प्रेम हैं, **''दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि ब्यापा।। सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।।''** (7)। रामराज्य में अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती है, सब सुंदर और मजबूत शरीर वाले हैं, **''अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा।।''**(8) कोई दरिद्र/गरीब नहीं है। सब शुभ लक्षणों वाले लोग हैं, **''नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोई अबधु न लच्छन हीना।।''** सब अहंकार से रहित, धर्मरत, योग्य पंडित, ज्ञानी, छल-कपट से दूर हैं। चतुर हैं, **''सब निर्दभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी।। सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी।।''** (9)। सभी उदार परोपकारी और एक नारी व्रत धारी हैं। नारियां भी मन, वचन और कर्म से पति की हितैषी हैं, **''सब उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नर नारी।।/ एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी।।'' (10)**

राम के राज्य में कहीं कोई भेदभाव और अपराध नहीं है। कोई किसी का शत्रु नहीं है दंड वही है वह संन्यासी के पास उसके सहारे के लिए है। भेद कही है तो नृत्य संगीत में सुरताल के लिए है। यहाँ ''जीत'' है तो वह है अपने और दूसरे के मन को जीतने के लिए है,

''दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ।।22।।'' (11)

रामराज्य में मनुष्य समाज में ही नही, समग्र प्रकृति में सन्तुलन और परस्पर प्रीति बढ़ गई है। फूल-फल बगीचों में खिल रहे हैं, पशु-पक्षियों ने अपना बैर भुलाया दिया है, **''फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक सँग गज पंचानन।। खग मृग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई।। कूजहिं खग मृग नाना बृंदा। अभय चरहिं बन करहिं अनंदा।।''(12)**

गोस्वामी तुलसीदास के परिप्रेक्ष्य में रामराज्य का अर्थ है, धर्म, न्याय, प्रेम, सदाचार, नैतिकता आधारित समता-मूलक राज्य। इस राज्य में लोग ''निर्भय-निबैर'' हैं। कोई दरिद्र नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है। अनीति करने पर राजा को बेखटके रोक देने का साहस है। सबसे बड़ी बात है कि रामराज्य में राम की कोई प्रभुता नहीं है। यह कोई और नहीं स्वयं राम ने कहा है। कुल मिलाकर राम का राज्य आदर्श सामाजिक और शासन की व्यवस्था है।

महात्मा गांधी का रामराज्य

महात्मा गांधी की रामराज्य की अवधारणा में सच्चा लोकतंत्र यानी ईश्वरीय राज्य की परिकल्पना है। यह किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी हें उनकी दृष्टि में राम और रहीम एक ही ईश्वर है। इसमें किसी तरह का भेदभाव जातिगत, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर नहीं है। यानी समानता की बात करते हैं। इसके अलावा सदाचार, नैतिकता, कर्तव्य और तत्काल और सुलभ न्याय शामिल है। वे और भी स्पष्ट करते हैं, "By RAMARAJYA I do not mean Hindu Raj. I mean by Ramarajya Divine Raj, the Kingdom of God. For me Rama and Rahim are one and the same deity. I acknowledge no other God but the one God of truth and righteousness. Whether Rama of may imagination ever lived or not on this earth, the ancient ideal of Ramarajya in undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen could be sure of swifte justice without an elaborate and costly procedure. Even the dog is described by the poet to have received justice under Ramarajya. (YI, 19-9-1929, P.305)" Ramarajya of my dream ensures equal rights alike of prince and pauper. (ABP, 2-8=1934) (13) ।

अर्थात् रामराज्य से मेरा मतलब है कि दिव्य राज,

यानी भगवान का राज। मेरे लिए राम और रहीम एक ही भगवान है। मैं सच्चाई और नेकी के एक ही भगवान के अलावा किसी और भगवान को नहीं मानता। मेरी कल्पना के राम इस धरती पर कभी रहे हों या नहीं, रामराज्य का पुराना आदर्श बेशक सच्चा लोकतंत्र है जिसमें सबसे गरीब नागरिक भी बिना किसी मुश्किल और महंगे प्रोसेस के तुरंत न्याय का भरोसा रख सकता था। कवि ने तो रामराज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलते हुए बताया है। गांधी का मानना है, ''रामराज्य स्वराज्य का आदर्श है। इसका अर्थ है धर्म का राज्य अथवा न्याय और प्रेम का राज्य अथवा अहिंसक स्वराज्य या जनता का स्वराज्य। जनता के स्वराज्य का अर्थ है-प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकता के स्वराज्य से उत्पन्न जनसत्तात्मक राज्य। ऐसा राज्य केवल प्रत्येक की नागरिकता के नाते उसका जो धर्म है उसका पालन करने से उत्पन्न होता है। (14) गांधी जी कहते हैं- ''स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है- लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारत वर्ष का शासन।'' (15) ''यह निर्भर करता है हमारी आंतरिक शक्ति पर। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से जूझने की हमारी ताकत पर। सच पूछा जाए रामराज्य पाने के लिए अनवरत प्रयास और बचाये रखने के लिए सतत जागृति नहीं हो तो वह रामराज्य के बारे में नहीं सोचे। इसे पाने के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जिसमें लोगों के आत्म स्वराज्य का आत्म संयम हो।'' (16)

कुल मिलाकर महात्मा गांधी ऐसे रामराज्य की बात कर रहे थे, जो धर्म निरपेक्ष हो। इसमें आत्म स्वराज्य का आत्म संयम अर्थात् स्व अनुशासन की बात भी है। वे सर्वजन के सर्वोदय की बात भी करते हैं। यानी सबका उदय। गांधी जी आर्थिक विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं गांधी की 'हिन्द स्वराज' में इसके सूत्र गहराई से गुनेगुंथे हैं। भारत गांव में बसता है। वे प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे एक गांव की दूसरे गांव पर निर्भरता नहीं चाहते। महात्मा गांधी के रामराज्य की परिकल्पना भी आदर्श रामराज्य की है।

निष्कर्ष

भारतीय जनमानस हमेशा से रामराज्य की अवधारणा को आत्मसात करता आ रहा है। जनमानस का रामराज्य गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा गांधी का समन्वित रूप है। वर्तमान में रामराज्य की प्रासंगिकता उतनी है जितनी गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा गांधी के समय में थी। बीते दस बारह वर्षों में नए भारत का उदय उसी रामराज्य की ओर बढ़ता भारत है, जिसमें ''सब का साथ सब का विकास'' का मूल मंत्र है। इसमें भारत वर्ष के गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। आत्मनिर्भरता भारत की कदम बढ़ता भारत है। भारत आज उन्हीं मूल्यों को अपनाये हुए है। जिसमें समतामूलक और भेदभाव रहित समाज, सहज सुलभ न्याय, सर्वधर्म समभाव आदि शामिल हैं। वर्ष 2047 तक भारत में समृद्ध, आर्थिक संपन्न, सशक्त और आत्मनिर्भर रामराज्य की स्थापना का सपना पूरा हो जाएगा। यह वर्तमान भारत का लक्ष्य है। यहां यह कहना भी बहुत प्रासंगिक होगा कि गांधी के इतर भारतीय हिन्दुत्व में पूरा भारत काश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्मिलित है। इसमें सभी हिन्दुस्तान के रहवासी हैं। रामराज्य का यही आदर्श संदेश है। इसमें सर्वजन के कल्याण और आदर्श सामाजिक संरचना का कूट संदेश निहित है जिसे हम सभी को जानने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ

1. श्रीरामचरितमानस अयोध्याकांड।
2. संदर्भ संख्या 02 से लेकर 12 तक सभी श्रीरामचरितमानस उत्तरकांड से।
3. गांधी विचार दोहन, किशोरलाल मशरुवाला, मशरुवाला पृष्ठ-06
4. यंग इंडिया पृष्ठ 15, 10 सितंबर 1931
5. हिन्दी नवजीवन साप्ताहिक, 08 दिसंबर 1927
6. कुमार कौशलेंद्र, 2020, गोस्वामी तुलसीदास और रामराज्य की अवधारणा इंटरनेशनल जर्नल आफ हिंदी रिसर्च पृ0 1, 2, 3

वेबसाइट

1. mkgandhi.org.com
2. http://ashram.org/festivals/shri-ram-navami/how-to establish-ram-rajya/

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 4th June 2026 **Paper Accepted : 5th June 2026**

कामकाजी महिलाओं के सेवाक्षेत्र एवं पारिवारिक जीवन के मध्य अन्तर्संघर्ष का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

आशा अनुरागी*
डॉ. रचना श्रीवास्तव**

शोध-सारांश

यह अध्ययन भारतीय कामकाजी महिलाओं की निजी और पेशेवर ज़िंदगी में संतुलन बनाने की अब तक अनसुलझी समस्या की जाँच करता है।अध्ययनों ने कई ऐसे कारकों की पहचान की है, जैसे परिवार का आकार, बच्चों की उम्र, काम के घंटे और सामाजिक सहयोग का स्तर आदि, जो निजी और पेशेवर ज़िंदगी में संतुलन बनाने पर असर डालते हैं। 21वीं सदी की भारतीय कामकाजी महिलाओं को दुनिया के दूसरे हिस्सों के पुरुषों और महिलाओं की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका में ज़बरदस्त बदलाव आया है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में ऊँचे पदों पर, सी.ई.ओ. , लड़ाकू विमान पायलट, ग्राहक सेवा प्रमुख, बैंकिंग, प्रशासनिक प्रमुख, एच.आर. ,कंपनी अधिकारी और दूरसंचार क्षेत्र आदि में देखा जा सकता है। महिलाएँ हर क्षेत्र में ज़बरदस्त योगदान दे रही हैं। इसके बावजूद, महिलाएँ परिवार के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र और आधार हैं। परिवार में अब सिर्फ़ पुरुषों को ही कमाने वाला नहीं माना जाता। आज के दौर में भारतीय महिलाएँ भी अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहयोग देती हैं। हालाँकि, समय के साथ वेतनभोगी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, फिर भी कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनका सामना उन्हें किसी न किसी मोड़ पर करना पड़ता है, ताकि वे अपने पेशे के साथ–साथ अपने परिवार के लिए भी अपनी अहमियत साबित कर सकें। घरेलू और पेशेवर ज़िंदगी में अपनी अलग–अलग भूमिकाओं में अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर होती है। यह बात कामकाजी महिलाओं की ज़िंदगी को बेहद तनावपूर्ण बना देती है। यहाँ हमने निजी और पेशेवर ज़िंदगी में महिलाओं पर केंद्रित दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी दी है।

मुख्य शब्द– महिला सशक्तिकरण, कामकाजी महिलाएँ, सामाजिक सहयोग, वेतन भोगी, जिम्मेदारी जीवन का संतुलन।

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना

महिलाएँ समाज की अग्रदूत हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में तथा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं; उनके योगदान के बिना कोई भी समाज ठीक से विकसित नहीं हो सकता। जैसा कि कहा जाता है कि, ष्कोई भी राष्ट्र गौरव की ऊँचाइयों तक तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक कि उसकी महिलाएँ उसके कंधे से कंधा मिलाकर न चलें।ष यह मुक्ति अब चरितार्थ होने लगी है। भारत में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं के कारण रोजगार क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ा है और भारतीय जीवन के कई पहलुओं में बदलाव आए हैं। आज का विशिष्ट भारतीय परिवार एक श्दोहरी आय वाला परिवारश है।

महिलाएँ अब उन क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं, जिन पर पहले पुरुषों का वर्चस्व था; जैसे ''पेशेवर क्षेत्र, कानून, खेल, सेना, कानून प्रवर्तन, अग्निशमन और शीर्ष–स्तरीय पद; कॉर्पोरेट पद;'' आदि।उनके कामकाजी महिलाएँ घर–गृहस्थी संभालने में पिछले दशक की तुलना में अब कम समय बिताती हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए महिलाओं को अपने करियर की योजना प्रभावी ढंग से बनानी पड़ती है। काम और परिवार के बीच अच्छे संतुलन में कामकाजी महिलाओं द्वारा प्राथमिकताएँ तय करना, अपनी मौजूदा कामकाजी स्थिति और माहौल के प्रति जागरूक रहना, नई से नई तकनीक का इस्तेमाल करना, ऐसी योजना बनाना जिससे परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताया जा सके, जहाँ और जब ज़रूरत हो, वहाँ सुधार करना और अपने प्रदर्शन पर नज़र रखना शामिल है।महिलाएँ सिर्फ़ पैसे खर्च ही नहीं कर रहीं, बल्कि वे पैसे कमा भी रही हैं। आजकल बड़ी संख्या में घरों में, महिला ही परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य होती है।

समस्या का विवरण

आज के समय में भारतीय महिलाओं को काम करने की अनुमति है; लेकिन फिर भी उन्हें अपनी सामाजिक और पेशेवर, दोनों तरह की ज़िंदगी में संतुलन बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।भारतीय कामकाजी महिलाओं से अक्सर ज्यादा समय तक काम करने या रात की शिफ्ट में काम करने की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें परिवार का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। शादी–शुदा कामकाजी महिलाओं को कई बार बिज़नेस टूर पर जाने की अनुमति भी नहीं मिलती, क्योंकि परिवार के सदस्य इसकी इजाज़त नहीं देते। इसके अलावा, महिलाओं को काम की जगह पर पर्याप्त मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती, अगर वे वेतन सहित छुट्टी मांगती हैं, तो भी संगठन की कुछ मजबूरियों के चलते उनकी बात पर विचार नहीं किया जाता। इस वजह से या तो उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है या फिर उन्हें ज्यादा समझौता करना पड़ता है।

अगर कोई महिला काम की जगह पर किसी ऊँचे पद पर है, तो उस पर ज़िम्मेदारियाँ और भी ज्यादा होती हैं, इसके बावजूद उसे सही समय पर घर पहुँचना होता है, खाना बनाना होता है, घर की सफ़ाई करनी होती है और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना होता है। इससे तनाव बढ़ता है और इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। छुट्टियों की कमी के कारण, कई बार कामकाजी महिलाएँ परिवार के किसी समारोह में शामिल नहीं हो पातीं। कामकाजी महिलाएँ अपने परिवार के सदस्यों का ठीक से ध्यान नहीं रख पातीं।

जिन कामकाजी महिलाओं के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें काम की ज़िम्मेदारियों के चलते अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ना पड़ता है। उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी मेड (नौकरानी) के बारे में सोचना पड़ता है, जिस पर शायद वे पूरी तरह भरोसा भी न कर सकें। इसके लिए उन्हें घर पर बच्चे की देखभाल के लिए एक मेड रखनी पड़ती है, जिसे उन्हें ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। इससे उन्हें और भी ज्यादा तनाव और

चिंता होती है और वे अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं लगा पातीं। वेतन के मामले में लैंगिक भेदभाव का सामना करना भी महिलाओं के लिए एक और बड़ी समस्या है। कुछ कंपनियों में महिला कर्मचारियों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है2। इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली ऐसी ही और भी कई चुनौतियों का पता लगाना है। आज 21वीं सदी में भी यह सोच बनी हुई है कि महिलाएँ परिवहन, सिविल निर्माण, बिजली विभाग जैसे कुछ पेशेवर क्षेत्रों में काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं।

साहित्य समीक्षा

'प्रकृति ने महिलाओं को बहुत ज्यादा शक्ति दी है, लेकिन कानून उन्हें बहुत कम शक्ति देता है।'

जी. डेलिना और डॉ. आर. प्रभाकर राय[1], ने विश्लेषण किया कि कामकाजी महिलाओं को काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे काफ़ी ज्यादा हैं। उनके नतीजों से यह भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति के काम और जीवन के बीच का संतुलन उसके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

डॉ. आर प्रभाकर राज ने अध्ययनों में विवेचित किया है कि अध्ययन से कामकाजी महिलाओं के काम और जीवन के बीच के संतुलन को मापा जा सका जिसमें यह पाया गया कि विवाहित कामकाजी महिलाओं को अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम करती हों, किसी भी उम्र की हों, उनके कितने भी बच्चे हों या उनके पति का पेशा कुछ भी हो। उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि आई.टी. क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं के काम और जीवन के बीच संतुलन में आने वाली रुकावटें उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं; ऐसी महिलाओं में अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में ज्यादा तनाव, सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, वज़न बढ़ना और अवसाद के लक्षण देखे गए।

ज़मीर अहमद भट, ने विश्लेषण किया कि महिलाओं ने बार–बार यह साबित किया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में वे पुरुषों से किसी भी तरह कमतर नहीं हैं। पुरुष–प्रधान समाज अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं को बस अपने परिवार और समाज से ज़रूरी सहयोग और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। दुनिया भर के किसी भी देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में महिलाओं ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है।

डॉ. नीरू गर्ग ने कामकाजी महिलाओं के अध ययन में कहा है किभारतीय महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी वंचित नागरिकों की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि महिलाओं की स्थिति के बारे में वैश्विक परिदृश्य भी भारत से कुछ अलग नहीं दिखता। चाहे विकासशील देशों में शिक्षा को बेहतर बनाने का मुद्दा हो, या वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने का, या फिर हमारे सामने आने वाली लगभग किसी भी अन्य चुनौती का सामना करने कामहिलाओं को सशक्त बनाना इस पूरी प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक गंभीर, सकारात्मक और व्यावहारिक नीति की आवश्यकता है।

डॉ. रिंकू रानी, ने अपने विश्लेषण में पाया कि कामकाजी विवाहित महिलाओं को अपने जीवन में, उन विवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो काम नहीं करतीं। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कुछ मामलों में, कामकाजी विवाहित महिलाएँ अपने परिवार की भलाई में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पातीं। दो अलग–अलग स्थितियों में काम करने के कारण उनका ध्यान बँट जाता है। वे

अपने वैवाहिक जीवन पर उचित ध्यान नहीं दे पातीं और इसी वजह से उनके वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी आ जाती है। नौकरी की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के चलते, कामकाजी महिलाओं को घर या दफ़्तरदोनों ही जगहों पर तालमेल बिठाने संबंधी अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर, उन्हें अपने बच्चों, पति और ससुराल वालों की देखभाल करने के साथ–साथ घर–गृहस्थी के अन्य दायित्वों को भी निभाना पड़ता है।

परिवार और काम के बीच संतुलन' का मतलब है कि महिला के पास अपनी निजी और पेशेवर ज़िंदगी के घंटों को संतुलित करने की शक्ति हो। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बन जाती हैं कि परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में, चाहे सामाजिक स्तर पर हो या पेशेवर स्तर पर, किसी न किसी तरह का टकराव पैदा हो ही जाता है। ऐसे में वह अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से तय नहीं कर पाती। नतीजतन, वह कुछ बहुत ही सामान्य कारणों से अपने काम से पीछे हट जाती है, जैसे कि अपने बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्ग सास–ससुर या माता–पिता की सेवा करना और परिवार से जुड़े अन्य तरह के दबावों को निभाना। अगर कोई पुरुष उसकी कुछ ज़िम्मेदारियों में हाथ बँटा पाता है, तो वह एक सफल महिला बन पाती है[5]।

वे बच्चों की परवरिश करती हैं, अपने पार्टनर, रिश्तेदारों और दोस्तों का ख्याल रखती हैं; घर–गृहस्थी संभालती हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं में हिस्सा लेती हैं; और नागरिक कर्तव्यों का पालन करती हैं। यह बात आम तौर पर मानी जाती है कि ऊँचे कॉर्पोरेट पदों पर महिलाओं की कमी की वजह परिवार और करियर के बीच का टकराव है और यह कि महिलाओं को अपने करियर और परिवार में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ महिलाएँ परिवार और काम के बीच तालमेल बिठाने से होने वाले अतिरिक्त तनाव से बचने के लिए प्रमोशन लेने से कतराती हैं। कुछ नियोक्ता महिलाओं को प्रमोशन देने में हिचकिचाते थे, यह मानकर कि महिलाएँ अपने परिवार को ज्यादा अहमियत देंगी और इसलिए अपने काम में ढिलाई बरतेंगी।

हालाँकि, जैसा कि देखा जा सकता है, ये अध्ययन काफी पुराने हो चुके हैं, जो महिलाएँ अपने काम और पारिवारिक जीवन के बीच तालमेल बिठाने में सफल होती हैं, वे अक्सर उन ढाँचागत और निजी भूमिकाओं को नए सिरे से परिभाषित करती हैं, जो उन्हें कार्यस्थल और समाज द्वारा सौंपी गई हैं। इसके उदाहरण वे स्थितियाँ हैं जहाँ महिलाएँ अपने बच्चों को व्यावसायिक यात्राओं पर साथ ले जाकर या कभी–कभी उन्हें अपने दफ़्तर ले जाकर, दोनों भूमिकाओं को निभाना सीखती हैं। इससे बच्चे को यह समझने का मौका मिलता है कि जब उसकी माँ उससे दूर होती है, तो वह क्या काम कर रही होती है। साथ ही, इन महिलाओं को यह भी समझ आ जाता है कि उन्हें सारा काम (जैसे घर का काम, बच्चों की देखभाल और अपना करियर) अकेले करने की ज़रूरत नहीं है; इसलिए वे कुछ काम दूसरों को सौंप देती हैं–उदाहरण के लिए, वे सफ़ाई के लिए किसी कंपनी या बच्चों की देखभाल के लिए किसी नैनी (आया) को काम पर रख सकती हैं। भारत में काम करने वाली महिलाओं पर सुबह काम पर जाने से पहले और काम से लौटने के बाद, परिवार के लिए ज़रूरी सारे काम करने का काफ़ी दबाव रहता है। भले ही किसी महिला का अपने दफ़्तर में पद कितना भी ऊँचा क्यों न हो, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह घर–परिवार के सारे मामले लगभग अकेले ही संभालेगी। घरेलू और पेशेवरदोनों ही क्षेत्रों में अपनी अलग–अलग भूमिकाओं की ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की पूरी ज़िम्मेदारी उसी की होती है। महिलाओं को अपने बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए कि वे भी ज़िम्मेदारियों में हाथ बटाएँ, ताकि जीवन को और भी बेहतर और

सार्थक बनाया जा सके।

आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी काबिलियत साबित न की हो। नौकरशाही में सर्वोच्च सरकारी पद संभालने से लेकर राजनीति में सर्वोच्च पदों तककृमहिलाओं ने हर तरह की ज़िम्मेदारियों को पूरी सफलता के साथ निभाया है। इसके बावजूद, भारत में काम करने वाली महिलाओं को आज भी अपने कार्यस्थलों पर खुलेआम भेदभाव का सामना करना पड़ता है। काम करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली कुछ मुख्य समस्याएँ हैं–कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, वेतन में असमानता, नेतृत्व (लीडरशिप) से जुड़ी समस्याएँ, आदि। यहाँ तक कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है; उन्हें अक्सर यह सलाह दी जाती है कि उनके लिए कोई 'विशेष' क्षेत्र ही ज्यादा बेहतर रहेगा और उन्हें उसी क्षेत्र को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है।

सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और परिवहन जैसे कुछ क्षेत्र महिलाओं के लिए सीमित या प्रतिबंधित माने जाते हैं और अगर कोई महिला इन क्षेत्रों को चुन भी लेती है, तो उसे अक्सर वहाँ का माहौल अजीब लगता है या उसे कुछ अप्रत्याशित अनुभवों से गुज़रना पड़ता है। इसी वजह से, कुछ विशेष क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नौकरी पाना पुरुषों की तुलना में ज्यादा मुश्किल या प्रतिस्पर्धी हो सकता है। 'समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976' के तहत समान वेतन का अधिकार होने के बावजूद, काम करने वाली महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी इस अधिकार से वंचित है उन्हें अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है[1]। मौजूदा हालात की माँग है कि ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएँ, जिनसे काम करने वाली महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर मौजूद पुरुष बॉस और सहकर्मियों की गलत नीयत और लालच से सुरक्षित रखा जा सके। काम की मांगों और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बिठाने की चुनौती ही, काम और निजी जीवन के बीच टकराव पैदा होने का सबसे संभावित कारण प्रतीत होती है।

शोध क्षेत्र एवं शोध प्रविधि

कामकाजी महिलाओं पर केन्द्रित प्रस्तावित अध्ययन का अध्ययन केन्द्र मध्य प्रदेश का रीवा जिला है, अध्ययन का विकेन्द्रीकरण कामकाजी महिलाओं को देखते हुए रीवा का नगरीय क्षेत्र रखा गया है। रीवा नगर में विभिन्न शासकीय, अर्द्ध–शासकीय एवं निजी प्रतिष्ठि संस्थान संचालित हो रहे हैं जिसमें प्रचुर संख्या में महिलाएँ कार्य कर रही हैं। जिनके पारिवारिक एवं कार्यक्षेत्र को लेकर विभिन्न प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती हैं जो अध्ययन का प्रतिपाद्य है। अध्ययन में शोध सामग्री को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों को संकलित कर अध्ययन का आधार बनाया गया है जिसमें प्राथमिक स्रोत के रूप में विभिन्न कार्यालयों से 20–20 कुल 60 कामकाजी उत्तरदाता महिलाओं का निदर्शन विधि से समंकों का चयन किया गया है।

विश्लेषण और व्याख्या

पेशेवर और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी जाँच एक सर्वेक्षण के माध्यम से की गई है। इनमें से कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया है और उस सर्वेक्षण के आधार पर एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.1

कामकाजी महिलाओं कोपरिवार में अपने लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	मिलता है	38	63.33
2.	कम मिलता है	22	36.67
	योग	**60**	**100.00**

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

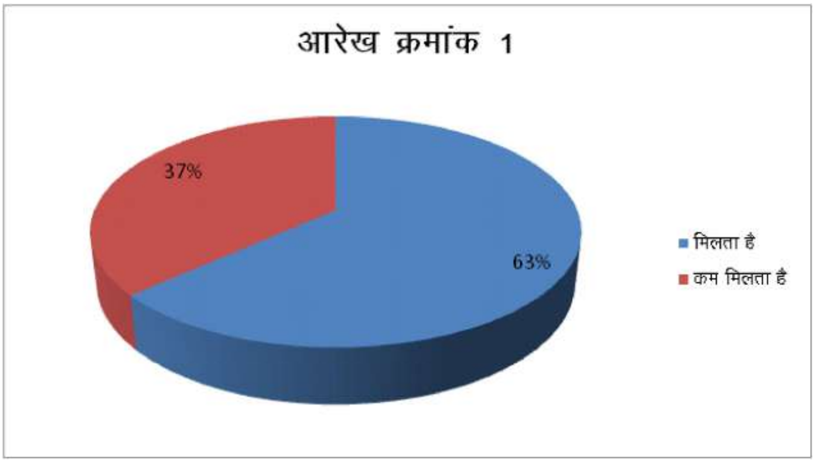

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कामकाजी महिलाओं को परिवार में अपने लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है के संबंध में चयनित न्यादर्शों के अभिमतों के विवेचन से स्पष्ट है कि 63.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कामकाजी महिलाओं का परिवार से अपने कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलता है जबकि 36.37 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को परिवार से अपने कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इस तरह लगभग एक तिहाई कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यों के लिए समय कम प्राप्त होता है जो उनके लिए समस्या पैदा करती हैं।

तालिका क्र.2

परिवार में कामकाजी पुरुष की अपेक्षाकामकाजी महिला को कम प्राथमिकता

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कम प्राथमिकता है	17	28.33
2.	कम प्राथमिकता नहीं है	43	71.67
	योग	**60**	**100.00**

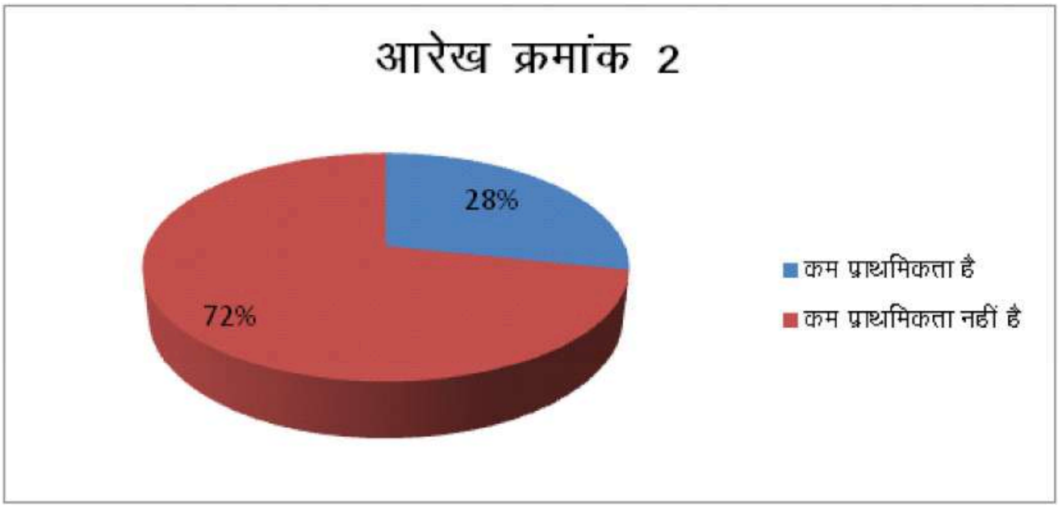

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि परिवार में कामकाजी पुरुष की अपेक्षाकामकाजी महिला को कम प्राथमिकता के संबंध में चयनित न्यादर्शों के अभिमतों के विवेचन से स्पष्ट है कि 71.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि परिवार में कामकाजी पुरुष की अपेक्षाकामकाजी महिला को कम प्राथमिकता नहीं है जबकि 28.33 प्रतिशत परिवार में कामकाजी पुरुष की अपेक्षाकामकाजी महिला को कम प्राथमिकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगभग एक चौथाई कामकाजी महिलाएँ भी ऐसी हैं जिन्हें कम प्राथमिकता मिलती है।

तालिका क्र.3

परिवार में पुरुष सदस्य की तुलना में कामकाजी महिला को कम सहयोग

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	सहयोग मिलता है	46	76.66
2.	आंशिक सहयोग मिलता है	14	23.34
	योग	**60**	**100.00**

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि परिवार में पुरुष सदस्य की तुलना में कामकाजी महिला को कम सहयोग के संबंध में चयनित न्यादर्शों के अभिमतों के विवेचन से स्पष्ट है कि 76.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि परिवार में पुरुष सदस्य की तुलना में कामकाजी महिला को कम सहयोग है जबकि 23.34 प्रतिशत परिवार में पुरुष सदस्य की तुलना में कामकाजी महिला को आंशिक सहयोग मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश कामकाजी महिलाओं को पुरुष सदस्य की तुलना में लगभग समकक्ष सहयोग मिलता है।

तालिका क्र.4

महिलाओं को कार्यालयीन संदर्भों में भागेदारी हेतु आपेक्षित अवसर नहीं

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अवसर मिलता है	41	68.33
2.	आपेक्षित अवसर नहीं मिलता	19	31.67
	योग	**60**	**100.00**

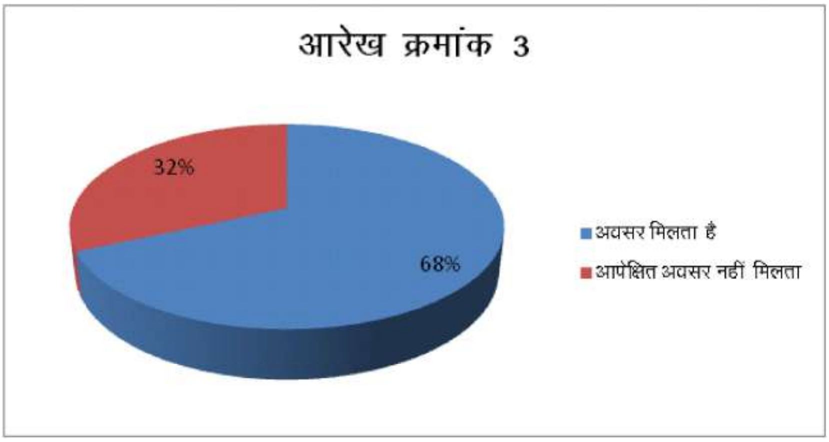

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि महिलाओं को कार्यालयीन संदर्भों में भागेदारी हेतु आपेक्षित अवसर नहीं के संबंध में चयनित न्यादर्शों के अभिमतों के विवेचन से स्पष्ट है कि 68.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं को कार्यालयीन संदर्भों में भागेदारी हेतु आपेक्षित अवसर मिलता है जबकि 31.67 प्रतिशत महिलाओं को कार्यालयीन संदर्भों में भागेदारी हेतु आपेक्षित अवसर नहीं मिलता है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकांश कामकाजी महिलाओं को कार्यालयीन संदर्भों में भागेदारी हेतु आपेक्षित अवसर मिलता है।

तालिका क्र.5

कार्यस्थल और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ से कामकाजी महिलाओं में तनाव

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	तनाव रहता है	25	41.66
2.	आंशिक तनाव रहता है	12	20.00
3.	तनाव नहीं रहता है	23	38.34
	योग	**60**	**100.00**

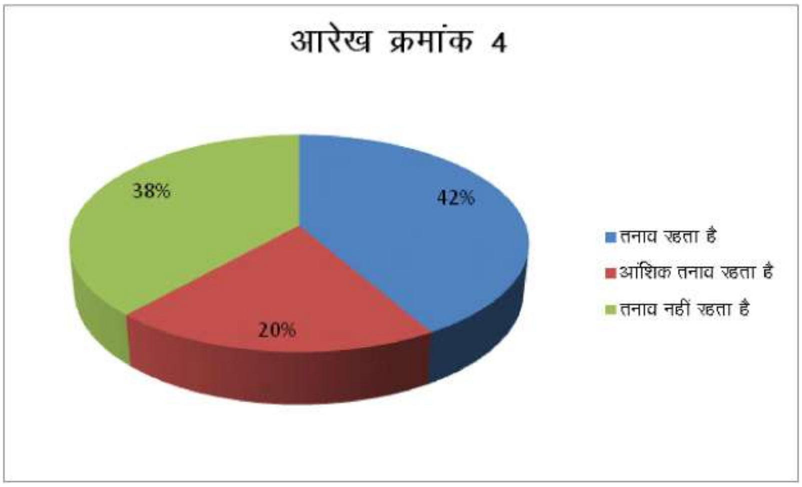

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कार्यस्थल औरपारिवारिक जिम्मेदारियाँ से कामकाजी महिलाओं में तनाव के संबंध में चयनित न्यादर्शों के अभिमतों के विवेचन से स्पष्ट है कि 41.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल और सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियाँ से कामकाजी महिलाओं में तनाव रहता है, 20.00 प्रतिशत का मानना है कि कार्यस्थल और सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियाँ से कामकाजी महिलाओं में आंशिक तनाव रहता है जबकि 38.34 प्रतिशत महिलाओं को कार्यस्थल और सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियाँ से कामकाजी महिलाओं में तनाव नहीं रहता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कार्यस्थल औरपारिवारिक जिम्मेदारियाँ से कामकाजी महिलाओं में तनाव रहता है।

इस सर्वेक्षण का विश्लेषण करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 21वीं सदी में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष

महिलाओं के पक्ष में होना पुरुषों के खिलाफ होना नहीं है; फिर भी, आज के परिदृश्य में

अधिकांश लोगों की मानसिकता यह है कि पुरुष ही परिवार के 'रोटी कमाने वाले' हैं और महिलाएँ केवल 'घर संभालने वाली' हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस दृष्टिकोण या सोच को बदला जाए। अब जब महिलाएँ एक साथ कई काम कर रही हैं, अपने करियर, काम और पारिवारिक जीवन, यात्रा आदि के बीच संतुलन बिठा रही हैं, तो उनके कार्य और चुनौतियाँ कई गुना बढ़ गई हैं और अधिक कठिन हो गई हैं।

रसोई, निजी स्वास्थ्य, पति, समाज, जुनून, बच्चे, इच्छाएँ, घर, रिश्ते, निजी और सामाजिक जीवन। इतनी सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए, भारतीय कामकाजी महिला को हर दिन, हर समय और शायद हर पल या हर सेकंड कई तरह की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें एक तरफ रख दिया जाए, तो यह कहा जा सकता है कि पुरुषों और महिलाओं के अधिकार और दर्जा समान हैं।

इसके अलावा, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं, लेकिन कानूनों के सही ढंग से लागू न होने और उनकी सही व्याख्या न होने के कारण, उन्हें काम और परिवार से जुड़े कई अपराधों और असमानताओं का शिकार होना पड़ता है। किसी व्यक्ति की परवरिश उसके मन में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर लड़के को यह सिखाया जाना चाहिए कि वह महिलाओं का सम्मान करे और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करे। भारतीय पुरुषों को यह समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं के भी ठीक उन्हीं की तरह सपने और आकांक्षाएँ होती हैं। उनके सपनों को सच करने के लिए, महिलाओं के साथ पुरुषों के बराबर ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परमान, दुर्गा (2012) श्रमजीवी महिलाएं और समकालीन पारिवारिक संगठन साहित्य भवन आगरा ।
2. त्रिपाठी, आर. (2008) कामकाजी महिलाएं वास्तविक स्थिति, खुशी पब्लिकेशन नई दिल्ली
3. कपूर, प्रमिला (1998) भारत में विवाहित कामकाजी महिलाएं, विकास पब्लिकेशन नई दिल्ली कुमार, अशोक(2016) भारतीय परिवार में कामकाजी महिलाएं : चुनौती एवं समस्याएं, आलेख कृतिका, लखनऊ।
4. Dr. Kamini B. Dashora , "Problems Faced By Working Women In India" International Journal of Advanced Research in Management and SociaSciences, ISSN: 2278-6236
5. Dr. NeeruGarg, "Occupational Stress and Challenges Faced by Working Womenin India", PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, ISSN - 2250-1991Volume : 3 | Issue : 7 | July 2014
6. Dr. Rinku Rani, "Marital Adjustment Problems of Working and Non-WorkingWomen in Contrast of Their Husband", International Journal for Research inEducation, (IJRE) ISSN: 2320-091, Vol. 2, Issue:7, July 2013.
6. Zameer Ahmad Bhat , "GENDER BIAS AND SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OFWOMEN IN INDIA", Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research inArts &Education, Online ISSN-2277-1182, Volume 3, Issue 4 (April, 2014)

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778

Paper Received : 2nd June 2026

Paper Accepted : 8th June 2026

THE COLONIAL SHADOW ON MODERNCONSENT : DECONSTRUCTING THE MARITAL RAPE EXCEPTION IN INDIA

□ Prof. Harish Sharma*
□ Avani Bansal**

ABSTRACT

Despite constituting around half of the world's population, women still face systematic discrimination, with sexual violence remaining one of the most pervasive yet the least legally discussed form of human rights violations. Within this spectrum of violence, marital rape represents a distinct "legal void" where criminal laws effectively shield criminals. India remains among the minority of nations which maintain a statutory immunity for spousal sexual violence, known as the "marital rape exception". This paper critically examines the persistence of this exception tracing its lineage from Section 375 of the colonial-era Indian Penal Code, 1860 to Section 63 of the newly enacted Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023. It argues that despite the legislative claim of decolonization of criminal justice system, the BNS retains the marital rape exemption thereby perpetuating the Victorian era proprietary concept of marriage where the wife is treated as chattel and an irrevocable consent to sexual access upon marriage is presumed. The paper also exposes a stark civil-criminal dichotomy within the Indian legal framework; while the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005 acknowledges non-consensual spousal intercourse as sexual abuse, the criminal law refuses to penalize it, resulting in a paradox of protection without prosecution. Furthermore, the paper goes into the roots of sexual entitlement in marriage by analysing Hindu personal law as well as Muslim personal law.

I. INTRODUCTION : THE LEGAL VOID

Marital rape, sometimes known as spousal rape, is defined as the act of engaging in sexual intercourse or penetration vaginal, anal, or oral without the volition of the other spouse. The absence of willingness or permission is the core

* Professor (Department of Law), D.S. College, Aligarh
* Research Scholar, Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh

issue of this offense. This can be accomplished either by employing force or by threatening its use, as well as in situations where the survivor is mentally or physically unable to provide permission to the abusive spouse[1]. This concept asserts that the crime is determined not solely by the degree of physical violence exerted, but by the violation of sexual autonomy. Worldwide, certain states still refuse to categorise acts of sexual violence within marriage as a criminal offense, frequently owing to legal exclusions for spouses. This legal void, sometimes termed the "marital rape exception clause," makes women prone to sexual abuse within the institution of marriage. India clearly omits marital rape from the legal definition of rape, so creating a legal void.

The historical context of the marital rape exception (MRE) is inextricably linked to the English common law principle of Coverture. A woman, after marriage, was considered a feme covertunder Coverture, her legal entity merged with that of her husband in law. The merger suggested that she was no longer recognized an independent legal entity, as she no longer had the power to retain property or to conclude contracts in her own name. This view was founded on a proprietary concept of marriage, where the husband assumed major authority over his wife's estate. This private right was applied to sexual access, and in this scenario, the wife was viewed as chattel or property. The proprietary rights and privileges of the husband, which included the possession of an estate during his lifetime in the lands of his wife (tenancy by the curtesy), were the primary basis of the notion that sexual access was an inherent right of the husband[2].

The judicial expression of the MRE began with Sir Matthew Hale (1609-1676), an extremely respected English judge and legal schola. Hale, in his famous legal book, pioneered the MRE as a concept. He argued that *'a husband cannot be held liable for forcible sexual intercourse against his legally wedded wife, because by their common accord and agreement, the wife had offered herself in this manner unto her husband, which she cannot take away'*.[3] This declaration, repeatedly quoted over more than three centuries, formalized the principle of informed consent. It was integrated into the common law of the British Empire's jurisdictions and has been the logical explanation and justification underlying the court adoption of spousal immunity in the United States since 1857, notably in decisions such as ***Commonwealth v. Fogert***[4]. The marital rape exception was highly entrenched in the English common law and spread to the Anglo-American and British Commonwealth countries. Most of the present exemptions in the former colonies, such as India, can be directly traced to British colonial control, which disseminated the idea of Hale as a subset of its penal codes.

II. THE STATUTORY FRAMEWORK: FROM IPC 375 TO BNS 63

The Indian Penal Code (IPC), 1860, under Section 375, outlines the crime of rape. The section enumerates many scenarios where a man is accused to have raped a woman, all with the assumption that the will or consent of the woman was missing. The statute also allows two exceptions. The second exception is what is commonly referred called MRE which says-

"Sexual intercourse or sexual activities of man with his own wife, the wife not under the age of fifteen, is not rape."[5]

This is a direct statutory importation of an old-fashioned 18th-century doctrine propounded by Sir Matthew Hale. This 18th century legal fiction contrasts with the present day, post 2013 meaning of the word consent, which is irreconcilably opposite to that contained in the section of the law in question. Section 375, as amended in 2013[6], provides an explanation to that effect, which provides that consent, in connection with the particular act of sex, is 'an unequivocal voluntary agreement' which needs to be clearly

communicated by the woman so as to clearly convey her willingness to engage in the sexual act[7]. This means that the law, on the one hand, requires particular, affirmative consent to each and every specific sexual act (Explanation 2) and on the other hand, the absence of that particular consent is immunized by the law as far as it occurs during marriage (Exception 2).

The enactment of Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, represents a missed opportunity to align India's criminal laws with contemporary constitutional morality regarding marital sexual violence. Instead of reform, the enactment of Section 63 of the BNS has resulted in the conscious ratification of the Marital Rape Exception (MRE), embedding a colonial relic into a modern statute. This retention is not mere legislative oversight but amounts to legislative endorsement of MRE in post-Constitution, post-Puttaswamyera[8]. It is a direct rebuff of the suggestions of high-level legal reform commissions[9]. By keeping the MRE, the Parliament has continued to enforce the 18th century ideology that women become the property of their husbands after marriage.

It is a legal absurdity that is created by this conscious ratification. The BNS drafting process also introduced a number of new offences including those that were implicit in the earlier code. An example is the new Section 69 of the BNS which establishes a specific crime of a man engaging in sexual intercourse through use of deceptive means etc., such as false promise of employment, promotion or marriage. The penalty of this criminal activity is up to 10 years in prison. It creates a dichotomy in discourse surrounding consent: the BNS is more interested in safeguarding a woman against sexual intercourse (with a false pledge of marriage) (a crime that has a 10-year sentence) than safeguarding a woman against forced sexual intercourse in a legal marriage (a crime that is not rape). This legislative measure is an indication that the legislature is more concerned with maintaining the marriage institution than the autonomy of a woman over her body in a marriage.

III. CONSTITUTIONAL CHALLENGES AND PIVOTAL PRECEDENTS

Since the legislature has refused on several occasions to intervene, the MRE has been taken to constitutional courts resulting in landmark jurisprudence which sums up the essence of the conflict. The key issue before the court has concerned whether this immunity is illegal according to the basic rights under the article 14, 15, and 21 covering the equality, non-discrimination, and dignity of life.

Partial Criminalization: Independent Thought v. Union of India[10]

This 2017 case challenged MRE contained in the IPC on the ground that it created a "artificial distinction" for married girls between the ages of 15 and 18. At the time, the exception provided immunity for non-consensual sex with a wife above the age of 15. The petitioners argued this was arbitrary, as the age of consent in all other laws was 18.

The Apex Court, in a watershed judgment, "read down" the provision. The Court held that Exception 2, insofar as it permitted non-consensual intercourse with a minor wife (aged 15-18), was "arbitrary, unreasonable," and "violative of Article 14, 15 and 21" of the Constitution. The judgment effectively established the age of consent to 18, irrespective of the marital status. This judgment was a "partial victory". It breached the wall of spousal immunity for the first time, recognizing a married girl's right to bodily autonomy. However, the Court clarified that it was not ruling on the "wider issue of marital rape" for adult women, leaving that constitutional question open. The new BNS, by setting the age in its Exception 2 to eighteen, merely codifies what the Supreme Court had already mandated in 2017.

The Central Schism: RIT Foundation v. Union of India[11]

This public interest litigation before the

Delhi High Court directly demands the abrogation of MRE for adult married women. The resulting split verdict, delivered in May 2022, perfectly encapsulates the two opposing poles of the national debate. The matter is now referred to the Apex Court. The outcome of this case will define whether the Supreme Court will extend the logic of Puttaswamy and Independent Thought to adult married women, or whether it will defer to the "institutional" view espoused by Central government.

IV. THE CIVIL-CRIMINAL DICHOTOMY: PROTECTION WITHOUT PROSECUTION

A. The PWDVA Paradox: "Sexual Abuse" without "Rape"

In a bid to offer greater protection to women in the domestic relationship, PWDVA, 2005[12], was enacted. The Act comprehensively defines domestic violence under Section 3(a) so as to include all kinds of violent acts perpetrated by the husband including sexual abuse. Crucially, Explanation I(ii) attached to this section defines "sexual abuse" broadly as 'any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades, or otherwise violates the dignity of a woman'[13]. Legal analysis suggests this definition was drafted with sufficient breadth to encompass acts excluded from the criminal liability, such as marital rape. Consequently, a paradox emerges: the PWDVA legally recognizes non-consensual spousal sex as a severe form of abuse and domestic violence, even while the IPC (and now BNS) maintains its criminal immunity. .

B. The Inadequacy of Civil Remedies

The PWDVA was a compromise between two competing objectives (1) to protect women against abuse and (2) to guarantee the integrity of the institution of marriage against police intrusion. It separates the act and the offense. With this framework, the state recognizes the injury to the wife (as "abuse) and offers a victim-oriented compensation (protection and compensation) without referring to the husband as a rapist and initiating a criminal case. A husband cannot be imprisoned for "sexual abuse" under PWDVA unless he violates a protection order. The act itselfthe rapedoes not lead to jail time under this Act. This regulation is a clear indicator that the institutional preservation is above the individual criminal justice.

V. RESTITUTION OF CONJUGAL RIGHTS (RCR) AND THE "RIGHT" TO SEX

A. The Concept of RCR: State Enforced Cohabitation

The question presents how it is that cohabitation is compelled. The basic legal argument to this would be that in the contemporary India, it cannot be pushed forcefully. A court will not and is incapable of imposing an arrest order on a spouse or forcefully reinstating them to the matrimonial house. Specific performance does not enforce a decree of RCR. The mere enforcement tool that can be applied is the financial one, in accordance with the provisions of CPC[14]. In case a spouse disobeys an RCR decree, the wife or husband might have his property attached by a court order. This is a poor type of enforcement especially to women who might not own property on their own. This demonstrates RCR to be a legal fiction. Its main power is not the enforcement but its consequence. With the Hindu Marriage Act[15] (HMA), the Indian Divorce Act (IDA)[16] and the Special Marriage Act (SMA)[17], in the event that a decree on RCR is given and the parties fail to re-cohabit in a period of one year, the failure itself is a valid, no-fault divorce grounds.

Courts have long recognized that RCR has a very vital social role to play in upholding the institution of marriage. Nevertheless, it has found its wider practical implementation as a procedural entry point to the dissolution of marriage. A guy who has been rejected in cohabitation (including sexual intercourse) can seek RCR as he is not sure that his wife will ever come back. He then waits the one-year term given by law after the (unenforceable) order is rendered and proceeds

to seek a divorce on one of the reasons that he has established procedurally.

B. The Constitutional Controversy: RCR vs. Foundational Rights.

RCR has been an issue of hot courtroom controversy with the interest of the state in perpetuating marriage warring against the basic rights of a person.

1. *T. Sareetha, v. T. Venkata Subbaiah*[18]

This was the initial great constitutional issue over RCR. In a historic case appeal in 1983, Andhra Pradesh High Court categorically held Section 9 of the HMA to be unconstitutional, primarily on two grounds:

- Breach of the Article 21: The court characterized the remedy a violent and cruel one. It observed that Article 21 secured the privacy of an individual and autonomy in his body which implies the right to refuse sexual intercourse. By compelling a wife to cohabit with her husband, the State effectively strips her of bodily autonomy and privacy, subjecting her to forced association and the potential risk of marital rape.
- Breach of Article 14 (Equality): The court found that whilst the statute was ex-facie gender-neutral (applied to both spouses), it was in actuality discriminatory. It said that in the patriarchal Indian society, the treatment is employed by men to an extent and unreasonably on women.

2. *Saroj Rani v. Sudarshan Kumar*[19]

It was not until months later that this constitutional privacy win was overturned. In Saroj Rani case, the Supreme Court overruled T. Sareetha ruling and declared Section 9 to be constitutional. The rationale of the Supreme Court stated that RCR has a vital social role to perform, that is, preservation of the institution of marriage and to prevent its disintegration. Citing that conjugal rights should be an inherent part of the institution of marriage per se, the Court suggested that Section 9 provides an enticement to reconciliation. It rejected the privacy argument of Article 21 because it meant that consortium did not only imply sexual intercourse but the cohabitation as well, and the court could not compel to engage in sexual intercourse.

There is a contradicting basis in this verdict. The Supreme Court sustained the entire issue of keeping RCR on the social aim of saving marriage. But the real scenario with the Saroj Rani case demonstrated the complete contrary. The husband had taken out RCR decree, the wife had not followed it and he had sued her against divorce on the basis of that one-year non-observance. Even in the case where RCR was being explicitly utilized as a means of disintegrating marriage, the Supreme Court acknowledged it as a tool of marital preservation. This brought out the Saroj Rani verdict as a legal sophism that neglected the practical reality of the law, to a romanticized, moralistic ideal.

3. The Challenge at Issue:*Ojaswa Pathak v. Union of India*[20]

In this case, the remedy of RCR was once again challenged in the Supreme Court. This petition argues that RCR infringe the values enshrined in Articles 14, 15 (equality), and 21 (privacy, dignity, and autonomy). This topic is highly relevant due to the fact that the legal environment has evolved radically since 1984. Notably, the Supreme Court through its decision in *K.S. Puttaswamy*[21] has codified the Right to Privacy, as a fundamental right. Now, the Saroj Rani's weak argument of preserving the marital harmony is unlikely to sail under the severe scrutiny demanded by the Puttaswamy precedent of protecting bodily autonomy.

VI. THE JUDICIAL CONUNDRUM: CRUELTY AS A SURROGATE FOR JUSTICE

The remaining parts of the chapter deal with the immediate legal ramifications that arise when a woman prohibits sexual relations and whether this is a viable basis of divorce to the husband.

A. The Husband's Claim: Sexual Denial as "Mental Cruelty"

The fundamental legal effect of the refusal of sex by the wife whether in Hindu or Christian law is that the male can request a divorce claiming the fact of cruelty to the court. **HMA**[22] and **IDA**[23] give cruelty as a basis in divorce. The judiciary has over decades enlarged this term to cover not only physical violence but also mental cruelty. The Apex Court in the case of ***Samar Ghosh v. Jaya Ghosh***[24], categorically established that the test of mental cruelty which provides that if the conduct of the respondent is of such a nature, that it becomes unsustainable for the petitioner to continue the marital tie with his/her spouse. Applying this standard, Indian courts have consistently interpreted the "unilateral withholding of sexual intercourse without justifiable reason" as a clear instance of mental cruelty. This judicial stance is being reinforced in the following judgments:

- **Supreme Court (*V. Bhagat v. D. Bhagat, 1994*)**[25]: Among the key elements that may be constituted mental cruelty, the Court noted unjustifiable denial of sexual intercourse.
- **Supreme Court (*Sirajmohmedkhan v. Hafizunnisa*, 1981**[26]: The Court stated that where a healthy party is unwilling to participate in sexual intercourse without substantial reasons, the same would constitute cruelty.
- **Allahabad High Court (2023)**[27] The court stated in a recent and unambiguous decision that reluctance to have sexual intercourse with a longstanding to a spouse without reasonable justification constituted a mental cruelty and ordered a divorce to a husband on these grounds.
- **Delhi High Court**[28]: A High Court decided in support of a divorce and held that the continuing unwillingness of the wife to live in cohabitation, [and] the continuous refusal to have conjugal relations was all mental cruelty.
- **Madras High Court (2023)**[29]: According to the IDA, denial of conjugal contact between the parties is cruelty.

To a considerable extent, this cumulative case law constitutes the inviolable right in the present Indian law. Although the moral and theological grounding of this right can be found in the theology (Part I), the statutes (HMA, IDA) do not clearly indicate that a husband has a right to sex. Rather, this privilege has been created by the Indian judiciary on a back door by classifying the denial of sex as cruelty. The legal implication is not hard: Since denying X is a legal evil (cruelty), then X is a legal good. Through their ruling that unjustifiable denial of sex is a ground to divorce, Indian courts have tacitly created and given legal substance to the Indian and Christian right to have sex in marriage. A different, but relatively unsuccessful, legal defence is that a sexless marriage is an instance of desertion. Under the provisions of the HMA, desertion is regarded to be abandonment of the petitioner, without any valid justification for a continuous period of two years. Courts distinguish the difference between physical desertion (leaving the house physically) and constructive desertion. Constructive desertion happens when the behaviours of one spouse push the other spouse to move away. The legal concept of desertion is not removal of a place, but withdrawal of a "state of things-i.e. the marital cohabiting.[30]

B. The Wife's Remedy: Marital Rape as "Cruelty"

There is no personal law in India whereby marital rape is a given, independent reason to divorce. But the premise of cruelty is almost ubiquitous, and it has increasingly been enlarged to coerced, non-consensual or in bizarre sexual actions by the courts.

- Hindu Marriage Act, 1955 (HMA): in section 13(1)(ia), there is the provision of cruelty as a basis to divorce. Kerala High Court produced a noteworthy judgment in 2021, making it apparent that marital rape is a viable ground to seek divorce, and

consequently a terrible sort of both physical and psychological violence. This is an expression of a wide judicial opinion that a marriage is ruined by non-consent sex. The courts have ruled that cruelty is an act that causes such mental suffering or anguish to an extent that the individuals concerned cannot co-exist[31].

- Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (DMMA): Section 2(viii) gives a ground of cruelty. In addition, Section 2(iii) has a specific cause when the husband is sentenced to seven years or more in jail. Legal experts notice that in case the MRE were to be abolished, another conviction on rape, which has a minimum term of 10 years to life, would immediately give a Muslim woman with an irrefutable, independent basis to divorce under Section 2(iii)[32].
- Special Marriage Act, 1954 (SMA): This is a secular regulation that provides divorce under Section 27(1)(d) under which the defendant has been deemed to treat the petitioner harshly. Judiciary meaning of cruelty under this Act is equivalent to cruelty in the HMA[33].

Interestingly, this presents a legal contradiction to itself. Although courts have determined that compelling such sexual intercourse constitutes cruelty, other opinions have stated that a repeated refusal of sexual intercourse without justification is likewise cruelty. This puts the court in the hazardous and unsure situation of assessing how much sexual intercourse is necessary and when the wife has satisfied her husband in terms of her consent to sexual intercourse. This contradiction even in the law of the family, only serves to underline the fact that there is a significant deal of confusion within the law, which is related directly to the presence of the MRE. The MRE poses a perception that unwanted intercourse is not wrong but a right of a spouse compelling courts to first reverse the presumption before even they can start examining the act as cruelty.

VII. PERSONAL LAWS: THE RELIGIOUS DIMENSION OF CONSENT

A. Muslim Law: Theological Barrier to Bodily Autonomy

1. Contract and Milk al-Nikah

Islamic marriage (Nikah) in a strong contrast to the Hindu samskara is classified by fiqh as a civil contract (aqd). The bride is required to be given a gift or payment by the groom which is known as the Mahr. According to the ancient fiqh, the payment of this Mahr by the husband is his first obligation. The spouse in turn receives in exchange what is juridically called milk al-nikah, milk al-aqd, or milk al-bud'. This is the legal word that is translated into English as the ownership (or control) of marriage /the vulva of the woman. It is this milk (control) ownership that is the condition of legal intercourse[34].

This model is transactional in nature. The consideration in the legal meaning of the contract law is the Mahr. The consideration returned to the spouse is the milk al-nikah. This means that the inviolability of the right of the spouse to a sexual intercourse is not merely implicit, the right is an object of the contract. In the legal sense, he has acquired a sexual access. This renders the sexual availability of the wife as a binding contract and her denial as breach of contract. This is the most likely legal articulation of the right of the three religions.

2. Nushuz (Wifely Recalcitrance): Breach of Contract and Authorized Remedies.

The idea of Nushuz (or Nusyuz) depicts the ill-conduct or recalcitrance of a wife that is, her failure to fulfill what she was supposed to do in marriage. The major meaning of Nushuz is the restriction of sexual access of the wife or otherwise her desertion of the matrimonial residence without any essential justification[35]. When a wife is in Nushuz state, the religion offers the husband a list of permissible corrective techniques to force her to comply. These disciplinary instruments are physical and

pecuniary.

- **Physical and Social Coercion:** Quran 4:34 specifies 3 measures in addressing a rebellious wife: (1) scold them, (2) desert them in bed, and (3) daraba. Although the present reformists feel that daraba translates to to separate, the classical meaning of the term, which constitutes the cornerstone of uncodified personal law, has always beenregarded to mean to strike or hit. In its common application, this passage acts as a particular performance clause to the contract of marriage, which offers a scripturally approved manner of bringing enforcement to the claim of the husband.
- **Economic coercion (Forfeiture of Nafaqa):** Economic is the usually employed means of coercion. The rights and obligations in the aqd are reliant on each other. The right of faqa (financial maintenance) and accommodation of the wife is obviously and actively associated with the sexual availability. According to classical jurisprudence, it is evident that a woman has a right to be maintained, just since she provides a sexual access to her husband. Thus, in the instance of a wife who is proclaimed nashez (recalcitrant) on denying conjugal intercourse, the right to full maintenance is automatically lost and forfeited. This system enforces sexual compliance compelling it to be the direct cost of her economic existence. Any rejection of a wife is the failure to fulfill her half of the deal and is enough to cancel the primary financial duty of the husband.[36]

3. Reinterpretations of Sakan, Mawadda, Rahma: modernism.

The classical fiqh construction is being questioned by modern Muslim scholars notably women. According to them, the hierarchical system of qiwama (guardianship) and milk al-nikah harm the spirit of Quran. They prefigure other verses in the Quran, especially 30: 21 that identifies the objective of marriage as sakan (tranquillity), mawadda (affection) and rahma (compassion). They contend that this perspective, built on the care and reciprocity, is irreconcilable with the customary legal discourse, according to which marital sex is a responsibility of a wife, on which her support is conditional[37].

B. Hindu Law: Tracing the Theological Roots of Sexual Entitlement

1. The Spiritual Duty and "Theological Terror"

The sastras unite man to the marriage in order to generate a son. This is grounded on the particular belief in theology where a son, called Putra, must do the pinda (funeral rites) of his father. This is said to save the soul of the father in a certain hell known as Put Narka. This is part and parcel of Kutumba Dharma (family obligation).[38] Early texts such as the Manusmriti (e.g. 9:96) posit this as the main reason why a woman existed: Women were born to give birth and men to propagate the species, it goes on to say that childbearing was not an option but a shared responsibility.[39]

This structure creates a great spiritual imbalance. The procreative ability of the wife is theological determinant in the eternal salvation of the husband. Her act turns out to be essential; she is the ship that he needs to achieve his spiritual life. In turn, the denial of sexual relations by a wife does not simply presuppose the denial of Rati or companionship. It is something that does the active and direct threat to the eternal salvation of her husband. This theological structure raises the process of sex to a unilateral and non-negotiable duty, giving the husband an incredible power of coercion, based on theological terror

2. The Clash of Sacrament and Contract

The Hindu marriage act (HMA) 1955 which controls Hindu, Buddhist, Jains and Sikhs is predicated on the customary view that Hindu marriage is sacrament (Sanskar) a sacred, indissoluble and immortal union. Nonetheless, the Act itself is the basis of a significant change due

to the introduction of divorce and other remedies. This makes the sacrament which is considered indissoluble a form of hybrid legal entity, one which has both a sacrament and a civil contract within it. This juridical hybridity brings with it a key contradiction: the law maintains the theological needs of a sacrament (e.g. the right to Praja) and at the same time renders the legal tools of a contract (e.g. dissolution of breach).

According to Section 9, HMA and Section 22, SMA, when either spouse has, without fair cause, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may appeal to the district court, and request the remedy of RCR. The onus of showing a reasonableness of excuse (cruelty) falls upon the withdrawing individual.[40] Though RCR is not inscribed into the law in the Muslim law, it has historically been employed by the courts as a civil remedy. Nevertheless, the courts have the right to deny the decree in case it is judged to be unfair, such as when the spouse has been inhumane or has not paid the Mahr.

VIII. CONCLUSION: THE UNFINISHED BUSINESS OF DECOLONIZATION

The legislative retention of the MRE within the BNS, 2023, represents an unmistakable failure to decolonize India's criminal jurisprudence. By preserving this immunity, the statute effectively suspends the constitutional guarantees of Article 21specifically bodily autonomy, dignity, and consentupon the execution of a marriage contract. The argument of alternative remedies, which is mentioned by the defenders of the MRE such as Justice Shankar, is a silent recognition of the wrongness of the conduct, and it renders the criminal immunity all the more irrational and unconstitutional. The forthcoming issue at the Supreme Court is not merely the purported establishment of a new offending, as its critics demand; it is the repeal of an immunity that is illegal and goes against the norms of equality, dignity, and individual freedom.Legal coherence can only be found through dismantling the MRE. Only in this way can one proclaim that marriage is an equality and not a domestic sphere, in which the constitutional rights are extinguished and in which the right of a woman to say no is not a concession which is negotiated but a universal, absolute and non-negotiable right.

Refrence

1. Adeel Khan and Rafat Hussain, "Women's Perceptions and Experiences of Sexual Violence in Marital Relationships and Its Effect on Reproductive Health" 29(5) Health Care for Women International 468-483 (2008).
2. Sandra L. Ryder and Sheryl A. Kuzmenka, "Legal Rape: The Marital Rape Exemption", 24 J. Marshall L. Rev. 393 (1991).
3. Pooja Arora, "Marital Rape: A Dichotomy of Consensual and Compelled Sex" 10 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) d255 (2022).
4. 74 Mass. 489 (1857)
5. The Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860), s. 375.
6. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 (Act 13 of 2013).
7. The Indian Penal Code, 1860, expl. 2.
8. Puttaswamy (Retd.) &Anr. v. Union of India & Ors., (2017) 10 SCC.
9. Committee on Amendments to Criminal Law, Report of the Committee on Amendments to Criminal Law 244 (2013).
10. (2017) 10 SCC 800.
11. 2022 SCC OnLine Del 1404.
12. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Act 43 of 2005).
13. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, s. 3, expl. I, cl. (ii).
14. The Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908), Or. 21, r. 32-33.
15. The Hindu Marriage Act, 1955 (Act 25 of 1955), s. 9.
16. The Indian Divorce Act, 1869 (Act 4 of 1869), s. 32.
17. The Special Marriage Act, 1954 (Act 43 of 1954), s. 22.
18. AIR 1983 AP 356.
19. AIR 1984 SC 1562.
20. W.P. (C) No. 250 of 2019 (Supreme Court of India, pending).

21. Supra note.
22. The Hindu Marriage Act, 1955 (Act 25 of 1955), s. 13.
23. The Indian Divorce Act, 1869 (Act 4 of 1869).
24. (2007) 4 SCC 511.
25. (1994) 1 SCC 337.
26. *Sirajmohmedkhan Janmohmedkhan v. Hafizunnisa Yasinkhan*, (1981) 4 SCC 250.
27. *Ravindra Pratap Yadav v. Asha Devi,* 2023 SCC OnLine All 206.
28. *Sandeep Kumar v. Kiran,* 2024 SCC OnLine Del 1055.
29. E.B. Mary Raveena v. A. Antony Ravikumar, 2023 SCC OnLine Mad 5250.
30. J.S. Jakhar, "Desertion as a Ground for Divorce and Judicial Separation in India", 3 Indian Journal of Integrated Research in Law 197 (2023).
31. Ker HC | Is marital rape a form of cruelty? Can it be a ground for divorce? HC examines, available at: https://www.scconline.com/blog/post/2021/08/10/marital-rape/ (last visited on Nov. 15, 2025).
32. Marital Rape: An Exclusive Ground for Divorce, available at: https://nualslawjournal.com/2022/12/27/marital-rape-an-exclusive-ground-for-divorce/ (last visited on Nov. 14, 2025).
33. Ibid
34. A. Yusuf Ali (trans.), The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary (Amana Corp, Brentwood, 1983).
35. Marriage Contracts in Islamic Jurisprudence, available at: https://www.brandeis.edu/projects/fse/muslim/marriage.html (last visited on Nov. 12, 2025).
36. A Wife cannot refuse Sex to the Husband: Fifty Common Misconceptions about Islam, available at: https://www.newageislam.com/debating-islam/by-dr-shehzad-saleem/a-wife-refuse-sex-husband-fifty-common-misconceptions-islam-part-4/d/104431, (last visited on Nov.14, 2025).
37. What are the waived rights of a recalcitrant wife (nashez)?, available at: https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/7113/what-are-the-waived-rights-of-a-recalcitrant-wife-nashez (last visited on Nov. 14, 2025).
38. F. Max Muller (ed.), The Laws of Manu (Georg Buhler trans., Clarendon Press, Oxford, 1886).
39. Ibid.
40. Institutional Privacy, Personal Autonomy, and the Conundrum of Restitution as a Remedy, available at: https://vidhilegalpolicy.in/blog/institutional-privacy-personal-autonomy-and-the-conundrum-of-restitution-as-a-remedy/, (last visited on Nov. 15, 2025).

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778

Paper Received : 2nd June 2026 **Paper Accepted : 8th June 2026**

Indigenous Knowledge Systems and Tribal Wisdom : Preservation Techniques for Traditional Grains in the Baiga Tribe of Madhya Pradesh

❐ **Dr. Vinay Kumar Tiwari***

ABSTRACT

The Baiga tribe, a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) in Madhya Pradesh, India, embodies a deep indigenous knowledge system (IKS) rooted in sustainable agriculture and ecological harmony. The tribal wisdom embedded in the agricultural cultivation, harvesting, and preservation of traditional grains, particularly millets such as kodo (Paspalum scrobiculatum), kutki (Panicum sumatrense),. Data collected from ethnographic studies and community practices in district Dindori, it delineate techniques like Bewar shifting cultivation, mixed cropping, and traditional storage methods using mud kothis locally known as Ram kothi and neem-lined baskets. These practices not only ensure food security along with climate variability but also preserve agro-biodiversity through active participation of women-led seed banks. These traditional methods of seed preservation facing challenges including policy restrictions, modernization pressures, and environmental degradation make a threats these systems, yet integrations with modern tools such as solar irrigation and digital advisories offer pathways for resilience. This combination highlights the Baiga's role as custodians of ancestral wisdom, advocate for policy recognition under frameworks like the Forest Rights Act (2006). This paper explores to document cultivation and preservation techniques and analyze cultural and ecological roles further Identify challenges and integration opportunities. Through detailed analysis, the paper underscores the global relevance of IKS in addressing food sovereignty and sustainable development.

Keywords– *Indigenous Knowledge Systems, Traditional Grains, Millet Preservation, Bewar Cultivation.*

* Assistant Professor (Dept. of Sociology & Social Anthropology), IGNTU, Amarkantak
Email. I.D. vinay.tiwari@igntu.ac.in

1. Introduction

1.1 Background on the Baiga Tribe

The Baiga tribe, one of India's 75 PVTGs, inhabits the forested hills of Madhya Pradesh (MP) and Chhattisgarh, with significant populations in Dindori, Mandla, and Balaghat districts. Numbering around 500,000, the Baiga are historically semi-nomadic hunter-gatherers who transitioned to settled agriculture about many generations ago, influenced by colonial policies. Their worldview, encapsulated in the term "Baiga" ("medicine man"), positions them as spiritual mediators with nature, attributing agricultural origins to divine intervention—such as Lord Shiva Naga Baiga and Naga Bagin for establishing Bewar cultivation. This Indigenous Knowledge Systems of Baiga community wisdom, transmitted orally through various methods like narration from song and dances, rituals, worship of deities and intergenerational mentorship, forms the core of their IKS, associated close relationship with nature emphasize harmony with the forest environment.

Traditional grains, especially millets, are central to Baiga identity. Millets like kodo, kutki, sanwa (Panicum miliaceum), sikiya, and kang (Setaria italica) are not merely staples but symbols of resilience, providing 60-70% of caloric intake in rainfed, marginal lands. These "small grains" thrive in low-fertility soils and erratic monsoons, embodying adaptive strategies honed over millennia. However, forces like globalization and hybrid seed promotion have eroded these practices, with millet cultivation declining by 30-40% in MP tribal areas over the past two decades.

1.2 Significance of Preservation Techniques

Preservation techniques Traditional grains, especially millets in the Baiga community extend beyond physical storage to cultural safeguarding-ensuring seed viability, nutritional integrity, and knowledge continuity. Women, as primary seed keepers, play pivotal roles, managing community banks that conserve over 40 varieties. The present study synthesizes ethnographic data to document these methods, addressing gaps in literature on PVTG-specific IKS. It argues that revitalizing Baiga wisdom can bolster India's millet mission (2023-2030) and global sustainable agriculture goals.

1.3 Objectives and Methodology

Objectives: (1) Document cultivation and preservation techniques; (2) Analyze cultural and ecological roles; (3) Identify challenges and integration opportunities. Methodology draws from secondary sources, including ethnographic studies in Baiga Chak (Dindori) and participatory observations reported in tribal development literature.

2. Literature Review

2.1 Indigenous Knowledge Systems in Tribal Agriculture

IKS refers to localized, experiential knowledge systems for resource management, as defined by the UN Convention on Biological Diversity (1992). In Indian tribes, it manifests in agroecological practices that predate formal science. For the Baiga, Verrier Elwin's seminal The Baiga (1939) documents Bewar as a "forest swidden" system, integrating spiritual rituals with agronomy. Recent studies, like those by the Centre for Environment and Social Development (CESD), emphasize food security through diverse cropping, contrasting with monoculture failures in rainfed MP.

2.2 Traditional Grains in Baiga Livelihoods

Baiga grains include drought-resistant millets: kodo (high in lecithin for brain health), kutki (rich in iron, 7.7g protein/100g), ragi (calcium-rich for bone health), and pulses like arhar (Cajanus cajan, 22g protein/100gm). These outperform rice/wheat in nutrition (e.g., kutki: 349 kcal/100g vs. rice: 345 kcal) and climate adaptability. Literature highlights women's role in seed sovereignty, as seen in Lahari Bai's efforts to preserve 50+ varieties via Bewar.

2.3 Preservation Techniques: Gaps and Contributions

Post-harvest losses in India reach 10-15% for grains; indigenous methods reduce this to <5% via natural preservatives. Studies on Gond-Baiga storage (LEISA India) detail neem-based pest control, while Sampark Foundation reports seed banks merging tradition with tech. Gaps persist in PVTG-specific documentation, which this paper addresses.

3. Traditional Grains in Baiga Agriculture

3.1 Varieties and Nutritional Profile

Baiga cultivate 40-50 millet varieties, adapted to hilly terrains:

- *Kodo (Varagu)*: Late-maturing, drought-tolerant; yields 3-4 quintals/acre; rich in antioxidants.
- *Kutki (Little Millet)*: Early (chhoti) and late (bade) variants; high fiber (8g/100g) for digestion.
- *Ragi (Finger Millet)*: Used in rituals; 344 kcal/100g, 7.3g protein.
- *Sanwa, Sikiya, Kang*: Minor millets for diversity; sanwa for weaning foods.

Pulses like arhar intercropped enhance nitrogen fixation. These grains support dietary diversity, with homestead gardens (Bari Kheti) yielding tubers (sakla kand) and vegetables year-round.

3.2 Cultivation Techniques: Bewar and Bari Kheti

(A) Bewar, sacred shifting cultivation, dominates:

Site Preparation– Clear slopes (April-May), burn for ash fertilizer; no ploughing-soil aeration via cattle dusting.

Sowing and Rotation:- Broadcast seeds pre-monsoon; cycle: Kodo-Kutki-Ramtilla-fallow (1 year). Mixed cropping (10+ species) boosts yields 20-30%.

Pest Management– Rub seeds with salhe leaves; heap grass for mulch. Rituals like Bidri invoke protection.

(B) Bari Kheti supplements

Maize-arhar mixes fenced with custard apple hedges (15+ year durability). Yields: 1-2 quintals arhar/home, income Rs. 10,000-15,000 annually.

Utera (relay) farming, shared with Gond, uses residual moisture for late sowing, conserving water.

4. Preservation Techniques: Methods and Wisdom

4.1 Post-Harvest Processing

Harvesting occurs manually (sickles for millets); threshing by beating on mats. Drying in sun (3-5 days) reduces moisture to 10-12%, preventing mold. Women husk using stone grinders, preserving bran for nutrition.

4.2 Storage Methods

Baiga techniques emphasize natural, low-cost preservation:

Containers– Kothi (mud silos, 6000 kg capacity) for bulk; khudsa (bamboo baskets lined with neem/dung) for 10-50 kg; dried gourds/handis (marsa) for seeds.Sealed with clay-mud mix.

Hanging Systems– Untreshed bundles (maize/pearl millet) hung 2-3m high on poles (triangular formation, thorny base) to deter pests/animals. Wrapped in teak leaves/gunny for rain.

Pest Control– Neem leaves inhibit insects (azadirachtin compound); elevated storage avoids soil fungi. Effectiveness: 90-95% viability over 6-12 months vs. 70% in chemical-free modern silos.

4.3 Seed Banks and Exchange

Women-led banks (e.g., Samudayik Bewar Beej Bank, Dindori) store 40 varieties in mud kothis. Exchange: Borrow 1 kg, return 1.5 kg (bijahi for planting) or 2 kg (barhi for eating). Phuljharia Bai's bank serves 200+ households, reviving sikiya and kang.

Cultural rituals- e.g., ragi paste in weddings-embed preservation in lore, ensuring transmission.

5. Cultural and Ecological Dimensions of Tribal Wisdom

5.1 Oral Transmission and Rituals

Knowledge flows via gunias (healers) and songs narrating Bewar origins. Women tattoo

(godna) symbols of grains, linking body to land. Sacred groves serve as de facto seed reserves, conserving biodiversity.

5.2 Ecological Sustainability

Bewar mimics forest cycles, enhancing soil carbon (20-30% higher than ploughing). Mixed crops reduce erosion; fallows regenerate microbes. Millets' low water needs (300-400 mm vs. rice's 1200 mm) combat MP's droughts.

5.3 Gender and Community Roles

Baiga women (80% of seed work) foster resilience; banks empower against male migration/alcoholism.

6. Challenges and Integration Strategies

6.1 Threats to IKS

Policy Barriers– Bewar restricted since 1890; Forest Rights Act implementation lags, displacing via mining.

Modernization– Hybrid seeds erode diversity; youth prefer rice, millet area down 40%.

Climate/Environmental– Erratic rains reduce yields 20-30%; bauxite mining in Daldali threatens habitats.

6.2 Merging Tradition with Modernity

Seed Banks with Tech–Digital catalogs in Jhabua exchange 14,000 kg seeds/year.

Solar and Advisory Tools– Pumps irrigate 10-15 ha; Gondi SMS alerts align with crop calendars, boosting yields 45%.

Market Linkages– Branding kodo products increases income 50%; NGOs like Sampark train in value addition. These hybrids preserve essence while scaling impact.

7. Discussion

Baiga IKS exemplifies "biocultural conservation," where grain preservation sustains ecology and culture. Globally, it mirrors Andean quinoa systems, offering models for UN SDGs 2 (Zero Hunger) and 13 (Climate Action). Yet, without documentation, erosion accelerates—e.g., banana (keda) near extinction.

Policy must prioritize PVTGs: Integrate Bewar into PDS, fund women banks. Future research: Longitudinal studies on yield-nutrition links.

8. Conclusion

The Baiga's tribal wisdom in preserving traditional grains is a testament to human-nature synergy, ensuring food sovereignty in fragile ecosystems. By safeguarding millets through Bewar, kothis, and seed exchanges, they defy modernization's homogenizing force. Urgent action-policy reforms, tech fusions, community empowerment-can amplify this legacy, positioning Baiga as global stewards of sustainable futures.

References

1. Basa, K. K. (2008). Indigenous Knowledge, Natural Resources: Konda Reddi Experiences. Pratibha Prakashan.
2. Behera, D. K. (Ed.). (2000). Resource Management through Indigenous Knowledge System. Journal of Social Sciences, 5.
3. Brower, J. (2000). Practices are not Without Concepts. In D.K. Behera (Ed.), Resource Management through Indigenous Knowledge System. Journal of Social Sciences, 5.
4. Elwin, V. (1939). The Baiga. John Murray.
5. Elwin, V. (2007). The Baiga. Gyan Publishing House.
6. Hewitt, J. F. (1894). The Ruling Races of Prehistoric Times in India. Archibald Constable.
7. Jun, B. K. (2002). Best Practices Using Indigenous Knowledge. UNESCO/MOST.
8. Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (2013). Specialized Ethnographic Methods (Vol. 3). Altamira Press.
9. Schmithusen, F. (2000). Man in the Forest. D.K. Printworld.
10. Sharma, R., et al. (2015). A Case of Food Security among the Baiga Tribe in India. European Journal of Sustainable Development, 4(2), 1-12.
11. LEISA India. (n.d.). Indigenous Practices of Post-Harvest Storage among Tribal Communities of Central India. Retrieved from https://www.leisaindia.org/...
12. Social Innovations Journal. (2023). How Tribal Farmers Are Merging Traditional Knowledge with Agri-Tech.
13. Good Food Movement. (2024). The Tribal Seed Guardians of Dindori.

14. Mongabay India. (2024). Millet Tradition Loses Flavour among Madhya Pradesh's Tribals.
15. The Guardian. (2023). How India's 'Millet Ambassador' Preserves Ancient Grains.
16. Vikalp Sangam. (2024). Baiga Woman Runs Largest Millet Seed Bank in Madhya Pradesh.
17. Equator Initiative. (2020). Forest Education Group of Baiga Tribes.

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 10th June 2026 **Paper Accepted : 15th June 2026**

संस्कृतचम्पूकाव्यपरम्परायां विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य स्थानाम्

डॉ. रवीन्द्र कुमार भोजक*

शोध-सारांश

प्रस्तुतः शोध-आलेखः संस्कृतसाहित्यस्य चम्पूकाव्यपरम्परायाः सम्यक् परिचयं प्रदाय तस्यां परम्परायां विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य विशिष्टं स्थानं निरूपयति। चम्पूकाव्यस्य लक्षणनिर्धारणम्, तस्य ऐतिहासिकविकासक्रमः, तथा तिरुमलाम्बाकृतस्य विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य विशेषतः मौलिकयोगदानम्—एतेषु त्रिषु विषयेषु अस्मिन् आलेखे विचारः कृतः अस्ति। शब्दकोष, संस्कृतसाहित्यशास्त्र तथा चम्पूकाव्यस्य परम्परागतलक्षणानां आधारेण विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य महत्त्वं निर्धारितम् अस्ति।

मुख्यशब्दाः—*चम्पूकाव्यम्, गद्यपद्यमिश्रितशैली, तिरुमलाम्बा, विश्वगुणादर्शः, संस्कृतसाहित्यम्, चम्पूपरम्परा।*

1. प्रस्तावना

संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासे चम्पूकाव्यविधा एका विशिष्टा काव्यविधा अस्ति। गद्यपद्यमिश्रितशैल्या रचिताः एते काव्यग्रन्थाः स्वकीयलाक्षणिकविशेषतया अन्येभ्यः काव्यप्रकारेभ्यः विभिन्नाः भवन्ति। चम्पूशब्दस्य व्युत्पत्तिः, तस्य स्वरुपनिर्धारणम्, तथा विविधाचार्याणां मतानि - एतत् सर्वं चम्पूकाव्यस्य विवेचनाय अत्यावश्यकम् अस्ति।

विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यं—यस्य अपरं नाम वरदाम्बिका-परिणयचम्पू अस्ति—तिरुलाम्बा-विरचितं सत् संस्कृत-चम्पूकाव्यपरम्परायाम् उत्कृष्टस्थानं प्राप्तवान् अस्ति। डॉ. सूर्यकान्तस्य मते तिरुमालाम्बा सुबन्धु, दण्डी, बाणभट्ट इत्येतेषां श्रेणीयां गण्या। एतद् वक्तव्यमेव काव्यस्य समग्रसाहित्यिकमहत्त्वस्य परिचायकम् अस्ति।

2. चम्पूशब्दस्य व्युत्पत्तिः तथा स्वरुपम्

'चम्पू' शब्दस्य व्युत्पत्तिः चुरादिगणस्य गत्यर्थकधातोः 'चपि' तः 'उ' प्रत्ययं योजयित्वा 'चम्पयति चम्पति इति वा चम्पूः' इति कृता जायते। गतेः अर्थः—गमनम्, ज्ञानम्, प्राप्तिः, मोक्षश्च। अतः चम्पूकाव्यं तत् अस्ति यत् मोक्षसहोदरम् आनन्दं ददाति। हरिदासजी भट्टाचार्येण व्याख्यातम्—

चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्,
विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चम्पूः।

चमत्कारस्य प्राधान्यम् चम्पूकाव्येषु स्पष्टम् अस्ति। उक्तिवक्रता तथा शब्दीक्रीडायाम् चमत्कारस्य इदम् अर्थम् अस्ति। रसस्य औचित्यस्य स्थाने पाण्डित्यप्रदर्शने कृतिकाराणां अधितरं ध्यानम् रहस्यति। शब्दार्थयोजनवैचित्र्यं काव्ये सामान्यं भवति, किन्तु चम्पूकाव्येषु चमत्कारव्येषु चमत्कार प्रदर्शनस्य

* सहायक आचार्य, संस्कृत, फतेहपुर शेखावाटी, जिला-सीकर, राजस्थान-332301

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com**, **Mob.: 9532481205, 9807520344**

अत्यधिकः प्रभावः दृश्यते।

3. चम्पूकाव्यस्य लक्षणनिर्धारणम्

आचार्यदण्डिना प्रथमतया चम्पूकाव्यस्य लक्षणं प्रस्तुतम्—'गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्यपि विद्यते। अयम् उल्लेखः मात्रं चम्पूकाव्यस् बाह्यस्वरुपस्य परिचायकः अस्ति। तस्य मूलोद्देशः इदं न बताति।

आचार्यहेमचन्द्रः तथा आचार्यवाग्भटः चम्पूकाव्यस्य मूलतत्तवं गद्यपद्यमयतायाः सह साकडं सोच्छ्वासत्वं च योजयित्वा परिभाषितवन्तौ—

गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छवासा कविगुम्फिता।
उक्ति-प्रत्युक्ति-विष्कम्भ-शून्या चम्पूः उदाहृता॥

किन्तु सर्वेषु चम्पूकाव्येषु उच्छवासरुपं न भवति। अनेकेषु ग्रन्थेषु-यथा गङ्गावतरणचम्पू, नलचम्पू—साकडत्वमपि दृश्यते। अतः लक्षणम् सर्वव्यापकं न भवति। आचार्यविश्वनाथेन सरलतया कथितम्—'गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते'।

वस्तुतः चम्पूकाव्यस्य मुख्यलक्षणं गद्यपद्यमिश्रितता एव अस्ति—इत्येतस्मिन् बहवः इतिहासकाराः एकमताः सन्ति। कीथस्य मतम् अस्ति यत् चम्पूकारैः गद्यपद्यं निरपेक्षभावेन प्रयुज्यते। दासगुप्तः बदति यत् चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितम् अस्ति। विद्वान् खुनराजः मन्यते यत् चम्पू गद्यपद्यस्य समानुपातिकं मिश्रणम् अस्ति।

4. चम्पूकाव्यस्य ऐतिहासिकविकासक्रमः

संस्कृतसाहित्ये चम्पूकाव्यस्य विकासक्रमः अत्यन्तं रोचकः अस्ति। इतिहासकारणां मते चम्पूकाव्यशैलीम् अवलम्बितं प्रवृत्तेः मूले चम्पूकाराणां उच्चस्तरीयं गद्यसाहित्यं लेखने असामर्थ्यं वा अक्षमता रहस्यति। किन्तु इदं मतम् पूर्णतया सत्यं न अस्ति।

डॉ. भोला शंकर व्यासः कथयन्ति—'गद्यकाव्येषु पद्यानां छोंकः धीरे-धीरे वर्धमाना आसीत् यावत् परवर्तिचम्पूकाव्येषु पद्यानां कलेवरः गद्यभागादपि अधिकः जातः। अस्माद् स्पष्टं भवति यत् चम्पूकाव्यं गद्यकाव्यस्यैव प्रकारान्तरेण उद्भवः।

त्रिविक्रमभट्टः, सोमदेवः, भोजराजः—एते चम्पूकारः बाणस्य समकक्षाः प्रतिभासम्पन्नाः गद्यशैल्या लिखन्ति।

अतः इतिहासकाराणां इदं मतम्- यत् चम्पूशैलीं अवलम्बनस्य प्रवृत्या मूले असामर्थ्यम् अस्ति—तर्कसंगतं नास्ति।

5. चम्पूकाव्यपरम्परायाम् विश्वगुणादर्शस्य स्थानम्

तिरुमलाम्बाकृतं विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यं संस्कृत-चम्पूपरम्परायाम् उत्कृष्टस्थानं धत्ते। डॉ. सूर्यकान्तेन सम्पादितस्य 'नृसिंहचमपू' भूमिकायाम् कथितम्—'सुबन्धु, दण्डी, बाणस्य च पंक्तौ तिरुमलाम्बापि गण्या अस्ति। एतेषां मध्ये प्रत्येकस्य उद्देशः सरस्वत्ये गद्यस्य आरतिं दर्शयितम् आसीत्।'

अस्य वक्तव्यस्य महत्त्वं तेन वर्धते यत् सुबन्धु गौडीरीतेः, दण्डी वैदर्भीरीतेः, बाणः पाञ्चालीरीतेः अनुयायी आसीत्। तिरुमलाम्बा गौडीशैल्या अपि लिखितवती किन्तु तस्याः काव्ये द्वयोः रीत्योः समन्वयः दृश्यते। गद्यभागः गौडीयरीत्या, पद्यभागः च वैदर्भीरीत्या रचितः- इत्येतद् तस्याः काव्यस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति।

6. गद्यभागस्य वैशिष्ट्यम्

विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य गद्यभागः शुद्धगौडीयरीत्या रचितः- इत्येतद् सर्वसम्मतम् अस्ति। गौडीयरीतेः त्रयः प्रमुखाः विशेषाः—(1) समासबाहुल्यम्, (2) ओजगुणद्योतकवर्णानां प्रयोग, (3) विकटरचना अर्थात् उग्रपदानां प्रयोगः।

दण्डिना उक्तम्—'आजः समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्' अर्थात् समासाधिक्यम् गद्यस्य जीवनम् अस्ति। वामनस्य मते गाढबन्धवतम् ओजः। साहित्यदर्पणे उक्तम्—'आजः प्रकाशकैर्वर्णैः बन्ध आडम्बरः पुनः। गौडी सामासबहुला' इति। गौडीयरीतिः कठोरवर्णैः, संयुक्ताक्षरैः, टवर्गीयवर्णैः, श-ष- इत्यादिभिः निर्मिता जायते।

तिरुमलाम्बायाः गद्यशैलीं बाणस्य हर्षचरितेन वा कादम्बर्या सह तुलयित्वा पण्डितजनाः कथयन्ति यत् तिरुमलाम्बायाः गद्यं तत्र उपलब्धं नास्ति। सा सुबन्धुस्य तथा बाणस्य आदर्शेषु स्वकीयां गद्यशैलीं संनिवेश्य तेभ्यः अग्रे वर्धितुं प्रयासं कृतवती।

प्रथमगद्यवाक्ये भगवान् चन्द्रः विजयनगरराजवंश्य जन्मवर्णनं करोति—

अस्ति खलु सर्व-जगदानन्दपुल-कन्दलम्।

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

इन्दीवर-कुलतरु-फलम्।
इन्दिरारमण-हृदयान्तर-सत्त्व-परिणतिः।
शंकर-किरीट, शृंगाटक- प्राङ्गणोपलाल्य-शैशवः।।

अस्मिन् गद्यखण्डे दीर्घसमासानां शृंखला पाठकं विस्मयं जनयति। प्रत्येकः सामस्तपदः नूतनम् उद्भावनम्, बिम्बम्, पाण्डित्यम्, अद्भुतशब्दकोशम् च वहति। एतादृशी शैली तिरुमलाम्बायाः गद्यविशेषता अस्ति।

7. पद्यभागस्य वैशिष्ट्यम्

वरदाम्बिकापरिणयचम्पूस्य पद्यभागः वैदीर्रीरीत्या रचितः अस्ति। विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे वैदर्भीरीतेः परिभाषा दत्ता—

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैः रचना ललिताऽऽत्मिका।
अल्पवृत्तिरवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिप्यते।।

वैदर्भीरीतौ मृदुवर्णाः, अनुनासिकाः, कोमलाक्षराणि व प्रयुज्यन्ते। समासाः अल्पाः वा नैव भवन्ति। आचार्यवामनस्य मते वैदर्भीरीतिः दोषमात्राभिः रहिता, सर्वैः काव्यगुणैः समन्विता, वीणास्वरस्य समानं सुभगा च भवति।

तिरुमलाम्बायाः गद्यम् अपेक्ष्या पद्यम् अत्यन्तम् आकर्षकं, सुगमं च अस्ति। 'प्रसादगुणः' क्वचित् इयत् वैदर्भीम् आयाति यत् पाठकः श्रवणमात्रेण अर्थं बोद्धुं शक्नोति।

कवयित्र्या स्वकाव्ये कुलम् 120 पद्यानि प्रयुक्तानि। तेषु सर्वाधिकानि उपजातिछन्दसः पद्यानि सन्ति। पश्चात् बसन्तलिका, शार्दूलविक्रीडितच्छन्दः अगच्छतः। अप्रचलितच्छन्दानाम्-यथा कलहंसः (पद्यं 58) नर्कुटकः (पद्यं 26, 45), औपच्छन्दसिकः (पद्यं 74)- उपयोगः अपि दृश्यते। डॉ. सूर्यकान्तेन चतुर्विंशतिविधाच्छन्दानां विश्लेषणं कृतम् अस्ति।

8. शब्दसम्पत्तिः

तिरुमलाम्बायाः शब्दसम्पत्तिः विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य एकं प्रमुखं वैशिष्ट्यम् अस्ति। कवयित्री प्रचलितान्, अप्रचलितान्, नवनिर्मितान् च शब्दान् उपयुज्य स्वकाव्यं समृद्धं करोति। यथा महाकवि माघस्य शिशुपालवधे—'नवसर्गगते माघे नवशब्दा न जायते'—इत्युक्तम्; तिरुमलाम्बायाः विषये अपि एतादृशमेव कथयितुं शक्यते।

'वैसारिणकेतु' (कामदेवस्य पताका), 'पञ्चश्वरजनी'- एतौ कवयित्र्याः स्वनिर्मितौ नूतनौ शब्दौ स्तः। राजनीतिशास्त्रस्य पारिभाषिकशब्दाः- 'शक्तित्रय', 'षाड्गुण्य', 'चतुरुपाय'- काव्ये समुचित प्रसंगे प्रयुक्ताः सन्ति। कवयित्र्याः शब्दकोशे अद्भुतप्रभुत्वं गद्यप्रयोगे स्पष्टम् अस्ति।

9. अलंकार प्रयोगः

विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्ये अलंकाराणां प्रचुरः प्रयोगः दृश्यते। दीर्घसमासरुपाः शब्दालंकाराः. उपमा, उत्प्रेक्षा, रुपकः- इत्येते अर्थालंकाराः तथा अनुप्रासस्य माधुर्यम्-काव्यं सर्वतः अलंकृतं करोति।

उपमायाः एकम् उत्कृष्टम् उदाहरणम्—नायिकायाः वरदाम्बिकायाः केशपाशस्य वर्णनम्—

निज-गर्भ-देश- प्रवेशिनाम् कुशेशयानामुपरि
कोपाभिनिवेशमपनीनीषुश्चरणयोः।
संदेश-देशमुपगन्तुमिव प्रकाशितायति
स्माज्जनिकेशपाशः।।

अत्र नायिकायाः चरणान् स्पर्शयितुम् इच्छन् केशपाशः मानवीकृतः—एतद् वर्णनम् उत्प्रेक्षालंकारस्य उत्कृष्टं उदाहरणम् अस्ति।

10. विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य मौलिकयोगदानम

संस्कृतचम्पूसाहित्यपरम्परायाम् विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य योगदानम् अनेकधा अस्ति—

प्रथमः—एकस्याः दक्षिणभारतीयकवयित्र्याः अयं ग्रन्थः उत्तरभारतीयकाव्यशैल्याः (गौडी-वैदर्भी) समन्वयं सिद्धं करोति। इदं समन्वयः भारतीयसाहित्यस्य एकताम् अभिव्यञ्जयति।

द्वितीयः—ग्रन्थे दीर्घतमाः सामस्तपदाः संस्कृत-साहित्यस्य सर्वाधिकदीर्घसामस्तपदस्य गौरवं वहन्ति। 'तुण्डीरान्' इत्यस्य विशेषणरुपेण प्रयुक्तं महापदम्—यत् एकवाक्ये अनेकघटनाः समाहरति- संस्कृतगद्यस्य अद्वितीयसिद्धिः अस्ति।

तृतीयः—चतुर्विंशतिविधाः छन्दाः एकस्मिन् काव्ये- इयं विविधता संस्कृतछन्दः शस्त्रस्य कवयित्र्याः गहनज्ञानस्य प्रमाणम् अस्ति।

चतुर्थः—बाणभट्टादपि विस्तृततरां शब्दावली विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्ये उपलभ्यते—इत्येतद् डॉ. सूर्यकान्तेन स्वयमेव स्वीकृतम् अस्ति। बाणस्य हर्षचरित-कादम्बर्योः

अपि एतादृशी व्यापका पदावली नास्ति।

11. उपसंहारः

संस्कृतचम्पूकाव्यपरम्परायां विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यस्य स्थानं निर्विवादम् उत्कृष्टम् अस्ति। तिरुमालाम्बा गद्यस्य आरती सरस्वत्यै दर्शयन्ती द्वयोः रीत्योः—गौडीयाः तथा वैदर्भ्याः- सफलसमन्वयं कृतवती। तस्याः काव्यं—

(क) शब्दसम्पत्तया, (ख) छन्दोवैविध्येन, (ग) अलंकारप्रयोगेण, (घ) गद्यपद्यशैल्योः समन्वयेन, (ङ) सांस्कृतिकविशयवस्तुना—इत्येतैः पञ्चभिः आयामैः चम्पूसाहित्यपरम्परायाम् विशिष्टं स्थानं धत्ते।

डॉ. दासगुप्तस्य अभिमतम् अत्र स्मरणीयम्—चम्पूसाहित्ये गद्यसाहित्यस्य वर्णनात्मकप्रतिभा वा पद्यसाहित्यस्य प्रभावोत्पादकशक्तिः न दृश्यते। किनतु विश्वगुणादर्शचम्पू-काव्यं—तस्य अपवादः। अत्र उभयमपि उपलभ्यते। एतदेव इयं अद्वितीयता।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. वैकटाध्वरी (1965), विश्वगुणादर्शचम्पू, चौखम्बा प्रकाशनम्, वाराणसी
2. दण्डी (2009), काव्यादर्शः (1/31), गीताप्रेस, गोरखपुर
3. अग्रवाल, हंसराजः (2008), संस्कृतसाहित्य इतिहासः, पृ. 213
4. डॉ. राजकिशोरः (2007), संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः, पृ. 245
5. पाण्डेय, सत्यनारायणः (2006), संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः, पृ. 276
6. प्रसाद, स्वामी (2008), संस्कृतसाहित्य इतिहासः, पृ. 118
7. विश्वनाथ, साहित्यदर्पणम् (1.3; 6.33)
8. वामनः काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति, (4.2.11; 3.5)
9. डॉ. सूर्यकान्त, नृसिंहचम्पूभूमिका, पृ. 28-29
10. हरिदास भट्टाचार्यः, चम्पू व्याख्या
11. जयदेवः, चन्द्रालोकः (1.7)
12. बलदेव उपराध्यायः, संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778

SHODH CHETNA YEAR 2026 Vol. 2 PRAYAGRAJ

Paper Received : 10th June 2026 **Paper Accepted : 20th June 2026**

संगीत में रोजगार की परम्परा का विकासात्मक स्वरूप : एक समीक्षा

❑ ऋचा वर्मा*
❑ प्रो. प्रवीण सैनी*

शोध-सारांश

संगीत भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग रहा है, जिसने विभिन्न कालों में न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति को सशक्त माध्यम प्रदान किया, बल्कि आजीविका के स्थाई साधन भी विकसित किए। प्राचीन व मध्यकालीन संगीत में रोजगार का स्वरूप मुख्यतः धार्मिक संस्थानों, दरबारों और गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित था। समय के साथ–साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी परिवर्तनों ने सांगीतिक क्षेत्र में रोजगार के स्वरूप को व्यापक और बहुआयामी बना दिया। वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म, जनसंचार माध्यम, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं, मंचीय प्रदर्शन, सांस्कृतिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, म्यूजिक एप्स रोजगार के प्रमुख स्रोत बनकर उभरे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में संगीत के क्षेत्र में रोजगार की परंपरा के विकासात्मक स्वरूप का ऐतिहासिक आधार से लेकर वर्तमान समय तक समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द– व्यावसायिक संगीत, रोजगार परंपरा, विकासात्मक स्वरूप, रोजगार सृजन, सांगीतिक कौशल।

प्रस्तावना

भारतीय कलाएँ एक ऐसे प्रवाहमान सागर के समान हैं, जिसमें अनेक कलारूपी धाराएँ संगमित होकर इसकी व्यापकता को बढ़ाती हैं। ये कलाएँ निरंतर विकासशील हैं और जीवन की मधुर तरंगों के साथ प्रवाहित होती रहती हैं। जिस प्रकार आकाश को देखकर उसकी विशालता, पृथ्वी को देखकर उसकी सहनशीलता, सागर से उसकी गंभीरता, सभ्यता से प्रगति का और हिमालय से उसकी अचलता का आभास किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय कलाएँ यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की गहनता, सूक्ष्मता एवं सौंदर्य का संदेश देती हैं। उन्हीं कलाओं में से एक संगीत कला सर्वसाधारण को आकृष्ट करने वाली सम्मोहक कला है। मन को एकाग्र कर मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाली इस मुक्तिदायिनी संगीत कला से मनुष्य

* शोधार्थी (संगीत विभाग), महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
** शोध निर्देशिका (संगीत विभाग), गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय, मुरादाबाद

स्वतरू ही सम्बद्ध हो जाता है। संगीत मानव जीवन के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया अनुपम दैवीय वरदान है। जिसे सभी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैदिक काल से ही मानव का संगीत से अटूट संबंध रहा है। मनुष्य के बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उत्थान के साथदृ साथ कालान्तर से ही संगीत रोजगार के रूप में दृष्टिगत हुआ है। लय व स्वर से प्रभावित संगीत ने विश्वभर के इतिहास के प्रत्येक काल में अपनी कला की विशेषता से मनुष्य की संस्कृति, जीवन शैली व रोजगार पर गहरा प्रभाव डाला है।

संगीत मनुष्य जीवन के लिए परमात्मा के द्वारा सुसज्जित की गयी उत्कृमटतम कला है। सदैव से ही संगीत का मनुष्य से अटूट सम्बन्ध रहा है। जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ संगीत ने सामंजस्य स्थापित किया है। संगीत की पवित्रता विभिन्न सामाजिक परिवर्तन एवं परिस्थितियों के अनुरूप बहुत से उतार चढ़ाव व अनुभवों से गुजरकर जीविकोपार्जन के व्यापक रूप में दृष्टिगोचर हुई है।

जैसे–जैसे मानव जीवन में संगीत का उत्थान होता गया वैसेदृवैसे संगीत का व्यवसायीकरण होना भी प्रारंम्भ हो गया। वैदिक काल से ही आध यात्मिकता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन पारम्परिक संगीत कला को सुरक्षित रखने हेतु इसे गुरूकलों एवं सांगीतिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया व सिखाया जा रहा है। यह कला जहाँ एक ओर पीढ़ी–दर–पीढ़ी सुरक्षित है वहीं जीविकोपार्जन का माध्यम भी है। यह स्पष्ट ही है कि कोई भी मनुष्य, परिवार, समाज अथवा समुदाय अपने धनोपार्जन के लिए किसी–न–किसी काम को रोजगार के रूप में अवश्य ही अपनाता है। अतः हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही संगीत का आचरण एक विशिष्ट वर्ग अथवा समुदाय के द्वारा व्यवसायिक रूप में कर रही है। इसी काल को हम संगीत का व्यवसायिक पक्ष के मूल अथवा आरम्भ मान सकते है। वर्तमान में रोजगार के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रो की भॉति संगीत कला का भी विशेष स्थान है प्राचीन समय से ही संगीत कला अध्यात्मिकता के साथदृसाथ व्यवसायिक रूप में भी मनुष्य के साथ जुडा है और आधुनिक काल में सम्मानित परिवारों का रोजी–रोटी का साधन संगीत ही है जो भिन्न–भिन्न माध्यमों से उन्हें धनोपार्जन कराने में अहम भूमिका निभा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

मेरे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य संगीत में रोजगार की परंपरा के विकासात्मक स्वरूप का व्यवस्थित एवं समीक्षात्मक अध्ययन करना तथा विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडो में संगीत से जुड़े आजीवीका के साधनों के परिवर्तन का विश्लेषण करना है साथ ही तकनीकी और डिजिटल परिवेश में संगीत आधारित रोजगार की संभावनाओं को रेखांकित करना है, जिससे यह समझा जा सके कि बदलते सामाजिक, तकनीकी परिवेश में सांगीतिक कौशल किस प्रकार से रोजगार के नए अफसरों को जन्म दे रहा है और संगीत को एक व्यावसायिक करियर के रूप में स्थापित कर रहा है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र समीक्षा–आधारित एवं गुणात्मक पद्धति पर आधारित है। यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से लिखा गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से शोध पत्रों, विभिन्न पुस्तकों, शैक्षणिक पत्रिकाओं तथा डिजिटल स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

अध्ययन का क्षेत्र

यह शोध पत्र मुख्यतः सांगीतिक कौशल और रोजगार के पारस्परिक संबंध को समझाने पर केंद्रित है साथ ही संगीत के क्षेत्र में उभरती व्यावसायिक समस्याओं का समीक्षात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन संगीत में रोजगार की परंपरा के ऐतिहासिक आधार से लेकर आधुनिक डिजिटल और संस्थागत ढांचे तक के विकास का विश्लेषण करता है।

संगीत में रोजगार की परम्परा का विकासात्मक स्वरूप

भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर बहुत विशाल एवं समृद्ध है। हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक विकास की समुचित व्यवस्था की गयी है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक प्रमाणों, साक्ष्यों और अभिलेखों से ये प्रमाणित होता है कि भारत प्राचीन समय में आर्थिक रूप से बहुत ही सम्पन्न देश था। पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में व्यवसायिक गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थीं। इन व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वस्तुओं का देशदृविदेश में व्यापार किया जाता थाए जिससे आय की प्राप्ति होती थी। फलस्वरूप लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते थे, जैसदृकृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, मूर्तिकला, मिट्टी या अन्य प्रकार के बर्तन बनाना, सूती वस्त्र बनाना, वस्त्र रंगना, कुटीर उद्योग, राजगीरी आदि। यहां तक कि विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों ने संचार, वित्त और परिवहन जैसे व्यापार में सहायक विभिन्न पहलुओं का विकास किया। जिससे व्यवसायिक गतिविधियों की सम्भावनाएँ बढ़ गयी। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित थी। यहां का आंतरिक व बाह्य व्यापार भी बहुत समृद्ध था। उस समय में वस्तुओं के आयातदृनिर्यात के लिए कई व्यापारिक केन्द्र विकसित किए गए थे। जिनमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मिथिला, सूरत, इंद्रप्रस्थ, पेशावर, उज्जैन, मदुरै और कांची प्रमुख थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में रोजगार व व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। साथ ही व्यवसायिक, सिद्धांत व कार्य पद्धति में काफी उतार चढाव के बाद बहुत से परिवर्तन देखने को मिले।

प्रत्येक मनुष्य सुख, श्री, समृद्धि से सम्पन्न जीवन चाहता है। जिसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। रोजगार सामाजिक परिवेश में रहकर, समाज के लिए तथा समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला क्रियाकलाप है। हमारा प्रतिदिन का जीवन विभिन्न कार्यों से भरा होता है। जैसे, सुबह जागने के बाद हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, हाथ–मुँह धोते हैं, स्नान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, नाश्ता करते हैं। इसके बाद परिवार के सदस्य अपने–अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं– बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, बड़े अपने व्यापार, कृषि, उद्योग, कारोबार, नौकरी या अन्य कार्यों के लिए निकलते हैं और गृहणियाँ घर के कार्यों का प्रबंधन करती हैं। शाम के समय सभी अपने घर लौटते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, भोजन करते हैं और फिर रात्रि में विश्राम के लिए सो जाते हैं। इस प्रकार, पूरे दिन में जो भी कार्य मनुष्य करता है, वे सभी मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं की संतुष्टि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं करते हैं। इनमें से वे कार्य जो आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं, आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। एक व्यक्ति का रोजगार जहां एक ओर उसके जीविकोपार्जन का साधन है वहीं दूसरी ओर वह समाज की उन्नति में भी योगदान देता है। समाज में मनुष्य जीवनयापन के लिए या आजीविका अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपने आसदृपास परिवेश में ध्यान दें तो पाते हैं कि मनुष्य किसी न किसी आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ हैए जैसे– अध्यापक पढ़ाते हैं, व्यापारी सामान विक्रय करते हैं, चिकित्सक रोगियों का उपचार करते हैं, मजदूर कारखानों में काम करते हैं, किसान खेती करते हैं, चालक वाहन चलाते हैं आदि। इस प्रकार सभी अपनी क्षमता अनुसार जीविका उपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। अतरू उपरोक्त सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं, जिनका उद्देश्य जीविका उपार्जन है। इस प्रकार से ये सभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जैसे किसी न किसी रूप में रोजगार के द्वारा अपने और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का भलीभांति पालन

करते हैं। इस प्रकार किसी मनुष्य का रोजगार केवल आर्थोपार्जन या जीविकोपार्जन ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति विशेष के विचार, कौशल, जीवन स्तर व समाज में उनके योगदान को भी दर्शाती है। दूसरी ओर, वे सभी क्रियायें जो मनुष्य संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से, भावुकता के कारण, प्रेमवश या मोह वश, सहानुभूति के लिए, देशभक्ति के लिए या अपने संस्कारों के वशीभूत होकर करते हैं, वे अनार्थिक क्रियायें कहलाती हैं। जैसे–माता–पिता की सेवा करना, ग्रहणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, प्याऊ लगाकर पानी पिलाना, किसी गरीब को भोजन कराना, रक्तदान करना, पीड़ितों की देखभाल करना, किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में सहायता करना, बाढ़ या भूकंप राहत कोष में दान करना आदि सभी अनार्थिक क्रियायें हैं क्योंकि ये क्रियायें या तो सहानुभूतिवश या प्रेमवश की जाती हैं। अतः रोजगार को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें लाभ अर्जित करने के लिए मनुष्य अपने कौशल के आधार पर आय आधारित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या गतिविधियों में नियमित रूप से संलग्न रहता है। ये गतिविधियाँ वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, वितरण, क्रय, विक्रय, हस्तान्तरण या विनिमय से सम्बन्धित हो सकती है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनोपार्जन करना है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जीविकोपार्जन करने के उद्देश्य से माल परिवहन, यात्री, बीमा, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, टेलीफोन आदि जैसी सेवा सम्बन्धी क्रियाओं से जुड़े रहते हैं। क्योंकि इस प्रकार कार्य कर मनुष्य अपनी जीविका चलाने हेतु धन अर्जित करते हैं, साथ ही अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हैं।

उसी प्रकार संगीत में व्यवसायिकरण का क्षेत्र तब विस्तृत हुआ जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटने का दुस्साहस किया। विदेशी आक्रमण के पश्चात भारतीय संगीत में कई उतार–चढ़ाव आए। जिस कारण भारत की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर का बहुत हनन हुआ। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अनमोल धरोहर संगीत कला भी इस अनहोनी की चपेट में आ गयी। विविध राजघरानों और साम्राज्यों के पतन का गहरा दुष्प्रभाव संगीत कला और संगीत साधकों के जीवन पर भी पड़ा। संगीतकारों को राजाओं का संरक्षण न मिलने के कारण वह अपने राज्य से पलायन करने लगे और भिन्न–भिन्न स्थानों पर जाकर छिप गए। परिणामस्वरूप संगीत विरासत निम्न वर्ग व समुदायों के व्यक्तियों के अधीन जा पहुंची जिसके कारण संगीत का स्तर गिरने लगा। परन्तु उन्होंने इस कला का सदुपयोग किया, जिससे उनको अच्छी आजीविका प्राप्त हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। यही से संगीत का व्यवसायिकरण होना प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात जो संगीतज्ञ घरों में छिपकर गानादृबजाना कर रहे थे, वहां से गुरु–शिष्य परम्परा का उद्भव हुआ अर्थात् घराने की नींव पड़ी। समय बदलता गया इसके उपरान्त संगीत सीखने के लिए शिक्षणदृ संस्थाओं के निर्माण से संगीत के व्यवसायिकरण को प्रोत्साहन मिला और संगीत सम्पदा घरानेदार बेड़ियों को तोड़कर सामान्य जनमानस के मध्य जा पहुंची। यह वह समय था जब संगीत की स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। जिस संगीत कला को मात्र मनोरंजन का साधन माना जाता था, वही मनुष्य की आजीविका का साधन बन गया।

आज के नवीनता के दौर में संगीत में रोजगार की परम्परा जानने के लिए शास्त्र, पुराण, वेद, उपवेद, पुरातत्व और प्राचीन साहित्य का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। संगीत की परंपरा संगीत की जीवात्मा है। भारतीय संगीत का परंपरा रहित होना अकल्पनीय है। युगों पहले से मानव अपनी आत्मा की भावना को कला के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। कविता, चित्रकला जैसी कला के विकास का अस्तित्व हमें पत्थर, पत्ते तथा कागज

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

पर दिखाई पड़ता है किन्तु संगीत कला की परम्परा का हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए अनुसरण कर रहें है। इस प्रकार से संगीत ने अपनी मधुरता, गुणवत्ता को बरकरार रखा है। लिखित इतिहास के पहले समय से ही भारत में संगीत की समृद्ध परम्परा रही है। एक समय वह था जब संगीत का आयोजन सार्वजनिक रूप से मंदिरों में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से, ईश्वर की पूजा और अर्चना की शैली में किया जाता था। उस समय सामन्त शाही व्यवस्था थी। छोटी छोटी रियासतों में बंटे देश में शासक, नवाब, बादशाह बड़े जागीरदार बन बैठे थे। यहां तक कि बादशाह राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए शायरों, कवियों, संगीतकारों, फनकारों आदि को नियुक्त किया करते थे। उस समय संगीतज्ञों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। इस प्रकार व्यवसायिक संगीत की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में सूत, नट, मागध, वीणा वादक आदि कुशल व्यवसायी संगीतज्ञों का एक विशिष्ट वर्ग था जो अधिकतर आख्यानों और वीरगाथाओं की रचना करके उन्हें राजाओं और सामन्तों के सम्मुख प्रस्तुत किया करते थे और राजा उनकी इस अद्भुत कला से प्रसन्न होकर सम्मानपूर्वक उन्हें उपहार के रूप में पारितोषिक प्रदान करते थे।

जैसे–जैसे मानव के जीवन में संगीत का महत्व बढ़ता गया, वैसे–वैसे संगीत का व्यवसायीकरण होता गया। समयानुसार, नए–नए प्रयोगों द्वारा संगीत कला के स्वरूप में परिवर्तन होते गए किंतु यह परिवर्तन परंपरागत सीमाओं के अंतर्गत ही हुए। इस बदलते स्वरूप ने न ही कभी संगीत की मौलिकता को बिगड़ा, न ही कभी संगीत के संस्कारों व मर्यादाओं का उल्लंघन किया और ना कभी संगीत सिद्धांतों की अवहेलना की। इसी कारण संगीत जैसी दिव्य ललित कला आज भी जनदृजन के मध्य व्याप्त है। इस प्रकार संगीत में रोजगार की परम्परा का विशेष महत्व रहा है। गुरुकुल पद्धति, गुरु–शिष्य परम्परा, घराना परम्परा, दरबारी संगीत, संस्थागत शिक्षण तक की यह परम्परा, पवित्रता, विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों, परिस्थितियों के अनुरूप बहुत से उतार–चढ़ाव व अनुभवों से गुजरकर रोजगार के व्यापक रूप में दृष्टिगोचर हुई है। भारतीय संगीत इतिहास के महान संगीतकारों जैसे स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजूबावरा, अमीर खुसरों, सदारंग, अदारंग आदि ने भारतीय संगीत की उन्नति में बहुत योगदान दिया है। जिसकी गहराई और मधुरता को पं० रविशंकर जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, बेगम अख्तर जी, प्रभा अत्रे जी जैसे संगीत प्रेमियों ने कायम रखा और आज भी बहुत से कलाकार इस कला परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं।

प्राचीन पारंपरिक संगीत कला को सुरक्षित रखने हेतु यह कला कौशल गुरुकुलों एवं सांगीतिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय में पढ़ाया व सिखाया जा रहा है। यह कला जहां एक ओर पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही परंपरा द्वारा सुरक्षित है, वहीं कलाकारों के जीविकोपार्जन का माध्यम भी है। प्राचीन काल से ही संगीत कला आध्यात्मिकता के साथदृसाथ व्यावसायिक रूप में भी मनुष्य के साथ जुड़ा है और आधुनिक काल में सम्मानित परिवारों की रोजी–रोटी का साधन भी है। वास्तव में वर्तमान समय में संगीत कला रोजगार के रूप में सफल हो रही है।

संगीत में रोजगार की परंपरा का समकालीन स्वरूप

वर्तमान समय में रोजगार का रूप धारण कर चुकी संगीत कला से जुड़े विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार इस कला से जुड़कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार समकालीन परिप्रेक्ष्य में संगीत आधारित रोजगार के विभिन्न क्षेत्र को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है–

शिक्षक एवं प्रशिक्षण क्षेत्र
- संगीत शिक्षण एंव प्रशिक्षण संस्थान
- संगीत तकनीक एवं सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण
- ऑनलाइन संगीत प्रशिक्षण

मंचीय एवं प्रस्तुति कला
- मंच प्रदर्शन
- इवेंट एवं सांस्कृतिक प्रबंधन
- लाइव परफॉर्मेंस

फिल्म मीडिया एवं स्टूडियो कार्य
- फिल्म एवं मीडिया उद्योग
- साउंड इंजीनियरिंग
- रिकॉर्डिंग एवं स्टूडियो कार्य
- डबिंग एवं ऑडियो प्रोडक्शन

सांस्कृतिक एवं शोध क्षेत्र
- सांस्कृतिक संस्थाएं
- संगीत शोध एवं लेखन
- संगीत पत्रकारिता एवं समीक्षा लेखन
- लोक एवं पारंपरिक कला संरक्षण

विज्ञापन क्षेत्र
- जिंगल निर्माण
- बैकग्राउंड संगीत
- विज्ञापन संगीत निर्माण

म्यूजिक थेरेपी
- चिकित्सात्मक एवं विशेष सेवाएं
- व्यावसायिक संगीत सेवाएं

डिजिटल एवं ऑनलाइन क्षेत्र
- डिजिटल कंटेंट निर्माण
- म्यूजिक ऐप्स आधारित रोजगार
- ब्रांड प्रमोशन
- पॉडकास्ट
- डिजिटल मार्केटिंग

संगीत सेवाएं
- विभिन्न वाद्यों का निर्माण
- वाद्य मरम्मत
- रियाज और प्रशिक्षण सहयोग
- वाद्य संगत
- ध्वनि व्यवस्था सहयोग
- स्टेज प्रबंधन
- तकनीकी सहायता

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं
- SPOTIFY
- APPLE MUSIC
- YOUTUBE
- GANA
- JIOSAAVAN
- WYNK MUSIC
- AMAZON PRIME MUSIC

स्वतंत्र कलाकारों के लिए डिजिटल मंच
- INSTAGRAM
- FACEBOOK
- TIKTOK
- SMULE
- WEVERSE
- VAMPR
- BANDCAMP
- SOUNDCLOUD
- YOUTUBE SHORTS

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि संगीत में रोजगार की परंपरा समय के साथ–साथ निरंतर विकसित और विस्तृत हुई है और साथ ही संगीत कला कौशल एक सशक्त और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाला कैरियर क्षेत्र बनकर उभरा है। वर्तमान समय के दौर के सभी अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों से मैं यह कहना चाहूंगी कि अब थमने का समय नहीं है। इस युवा दौर में हम पर न केवल खुद को आगे बढ़ाने की, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारा विषय है, यह बड़ा ही जटिल और बहुआयामी विषय है, साधारण नहीं है। आज कभी इतिहास पढ़ा जा रहा है, तो कभी वैदिककालीन संगीत, कभी ग्रन्थों को नाप रहे हैं तो कभी 36 इंच लंबे तार पर स्वरों को स्थापित करने बैठे हैं। कभी रागों की उत्पत्ति पर विचार किया जा रहा है, तो

कभी श्रुति और स्वर के सूक्ष्म भेदों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। कभी तालों की गणितीय संरचना पर चर्चा हो रही है, तो कभी संगीत को साधना के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कभी उससे रोजगार की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि संगीत का क्षेत्र बहुत व्यापक और बहुआयामी है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- जीतराम शर्मा, आधुनिक व्यवसायिक हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन
- टी० आर जैन, व्यवसायिक वातावरण
- ठाकुर जयदेव सिंह, भारतीय संगीत का इतिहास
- ए० सी० सक्सैना, व्यवसायिक व आद्योगिक संगठन
- मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था
- अंजलि, व्यावसायिक सुगम संगीत में वाद्यों की भूमिका
- पूनम दत्त, भारतीय संगीत शिक्षा और उद्देश्य इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778

Paper Received : 10th June 2026
Paper Accepted : 20th June 2026

प्लेटो का आदर्श राज्य : एक विश्लेषण

❑ डॉ. गीता श्रीवास्तव*

शोध-सारांश

राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है। राज्य को निर्मित करने वाले तत्वों–आर्थिक, सैनिक व दार्शनिक का मूल आधार व्यक्ति की आत्मा है। आत्मा के तीन गुण–विवेक, उत्साह व क्षुधा हैं। मानवीय आत्मा का यही त्रिगुण प्लेटों के राज्य का आधार है। आदर्श राज्य का सर्वोच्च मूल्य न्याय है। राज्य नियंत्रित शिक्षा के माध्यम से शासक, सैनिक व उत्पादक अपने निर्दिष्ट कार्यों को करते हुए न्याय की स्थापना कर समाज में पूर्ण सामंजस्य बनाते हैं। दार्शनिक राजा राज्य से आर्थिक विषमता को समाप्त कर शोषण मुक्त, समता मूलक और न्याय पूर्ण सामाजिक ढांचे का निर्माण करता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में विवेक, साहस, संयम एवं न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है।

मुख्य शब्द– आदर्श राज्य, आत्मगुण, विवेक, साहस, क्षुधा, सद्‌गुण, ज्ञान, राज्य, दार्शनिक राजा, सैनिक, उत्पादक वर्ग, न्याय, पूर्ण सामंजस्य।

पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो न केवल प्राचीन यूनान का बल्कि संपूर्ण यूरोप का एक महानतम दार्शनिक विचारक है। वह विश्व के सर्वोत्कृष्ट चिंतकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैश्विक राजनीतिक चिंतन धारा में प्लेटों के पूर्व किसी भी दार्शनिक ने बौद्धिक, तार्किक और क्रमबद्ध रूप में आदर्शवादी राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो का मौलिक और क्रांतिकारी चिंतन उनके आदर्श राज्य की अवधारणा में स्पष्ट रूप से झलकता है।

पाश्चात्य दार्शनिक जगत् में सर्वप्रथम आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले महान् यूनानी दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन व समृद्धि परिवार में सन् 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो के पिता एरिस्टोन एथेंस के सम्राट कडारस के वंश के थे एवं माँ पेरिकटोयो एथेंस के प्रसिद्ध विधि निर्माता सोलन परिवार की थी। प्लेटो को उच्चकुल, वैभव और प्रखर बुद्धि प्राप्त थी। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज (Aristoclese) था। प्लेटो उपनाम उनके व्यायाम शिक्षक ने दिया था, पोलिस भाषा में जिसका शाब्दिक अर्थ ''चौड़े और मजबूत कंधे'' है । प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तू के गुरु थे।

ऐतिहासिक दृष्टि से पेरिक्लीज (490–429 B C) के पश्चात एथेंस के स्वर्ण काल के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। एथेंस की शासन संरचना

* अस्सिटेंट प्रोफेसर (राजनीतिक विज्ञान विभाग), टी0एन0पी0जी0 कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर
मो0 नम्बर 7651908356, Email: geetasrivastava011@gmail.com

में बदलाव हुआ और केंद्रीय सत्ता को तीस सदस्यों की एक समिति को सौंप दिया गया, जो कालांतर में तीस तानाशाह (Thirty Tyrant) के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तीस तानाशाहों की समिति ने प्लेटों के गुरु व महान दार्शनिक सुकरात को मृत्युदंड देने का अन्याय किया था। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटों के जीवन और चिंतनधारा को बुरी तरह झकझोर दिया। प्लेटो की निगाह में सुकरात अपने समय का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देकर तीस व्यक्तियों के शासन (Rule of the Thirty) ने यह प्रमाणित कर दिया कि ''लोकतंत्र मूर्खों का शासन है'' परिणामतः प्लेटो और दृढ़ता के साथ सुकरात की इस मान्यता को स्वीकार करने लगा कि ''ज्ञान ही सद्गुण है'' (Knowledge is Virtue) तथा विवेक के बिना सद्जीवन (Goodlife) की प्राप्ति संभव नहीं है। प्लेटो भी एक सामान्य ग्रीक की तरह राज्य के कानून को पवित्र मानकर उनका आदर करने के पक्ष में था क्योंकि उसे विश्वास था कि कानून व संविधान सद्जीवन (Goodlife) की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, किंतु इन्हीं कानून द्वारा जब सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया, तो उसके ह्दय को गहरा आघात लगा और उसे एथेंस का संविधान और कानून अन्याय का प्रतीक लगने लगा। मैक्सी के शब्दों में, ''एक सच्चा यूनानी होने के कारण वह यह मानता था कि मनुष्य के लिए राजनीतिक समाज अपरिहार्य है लेकिन वह इस तथ्य से सहमत नहीं था कि एथेंस की तात्कालिक शासन–पद्धति समुचित सिद्धांतों पर आधारित है''[1] अब प्लेटो कानून के अस्तित्व मात्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह तत्कालीन नगर राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था–राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक–को बदल देना चाहता था। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक (The Republic) में ऐसे आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जिसमे कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है। प्लेटो के शब्दों में– ''जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएँ या इस विश्व के राजाओं व युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए... तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते।''[2]

प्लेटो के समय में एथेंस में सामाजिक–राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य (Plutonic Ideal State) की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके आदर्श राज्य को फार्म आफ पोलिस (Form of polis) कहा जाता है, जिसके आधार पर किसी राज्य विशेष को नगर राज्य और गैर नगर राज्य में वर्गीकृत किया जाता है। प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट राज्य (Perfect State) है जिसमें पूर्ण सामंजस्य (perfect Harmony) होने के कारण व्यक्ति सुखी, सम्पन्न और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य को मानव प्रकृति से प्रत्यक्षतः और सम्पूर्णतः जोड़कर देखने का प्रयास किया है। वह व्यक्ति और राज्य में जैविक सम्बध स्वीकार करता है और जैविक सम्बन्धों के आधार पर ही उसकी व्याख्या करता है। व्यक्ति के चरित्र का सीधा सम्बन्ध उसकी आत्मा से होता है। आत्मा चैतन्य स्वरूप में होती है और इसी के निर्देशन में व्यक्ति कार्य करता है। अतः व्यक्ति की चेतना और राज्य की चेतना में अन्तर करना संभव नहीं है। साहसी लोगो का राज्य भी साहसी होती है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य के नागरिकों का चरित्र कमजोर एवं कायर है तो वह राज्य भी ऐसा ही होगा। ''राज्य का जन्म ओक (वृक्ष) या चट्टान से नहीं अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है।''[3] राज्य मूलतः व्यक्ति की आत्मा का वाह्य रूप है। अर्थात् आत्म चेतना जब अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। व्यक्तियों की चेतना और गुण ही राज्य की चेतना और स्वरूप का निर्माण करते हैं। इस आन्तरिक जैविक और आध्यात्मिक समरूपता के कारण ही प्लेटो राज्य और व्यक्ति के सम्बन्धों पर कहता है कि–''राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है।

प्लेटो के अनुसार राज्य को निर्मित करने वाले तीनों तत्व—आर्थिक, सैनिक व दार्शनिक का मूल आधार व्यक्ति की आत्मा (soul) है। प्लेटो मानता है कि आत्मा के तीन गुण हैं—विवेक (Reason) साहस (spirit) एवं क्षुधा (Appetite) राज्य के तत्वों व आत्मा के गुणों मे अन्तर्सम्बन्ध इस प्रकार है।

आत्मा	विवेक	शासक वर्ग दार्शनिक	राज्य
	साहस	सैनिक वर्ग	
	क्षुधा	उत्पादक वर्ग	

'विवेक' द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सद् असद में अन्तर करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपने सामाजिक व राजनैतिक वातावरण को समझता है। वह मनुष्यों को बताता है कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। यह सद्गुण एवं स्नेह से मानव को एकता के सूत्र में बांधकर सम्पूर्ण सामाजस्य स्थापित करता है।

'उत्साह' मानुष्यों में संघर्ष, साहस, स्पर्धा और महत्वाकांक्षा की भावना को विकसित करता है। यह गुण विवेक का स्वाभाविक साथी है। इसके कारण मनुष्य अन्याय से घृणा और न्याय से प्रेम करता है।

'क्षुधा' अथवा काम से व्यक्ति में राग, द्वेष, प्रेम, वासना की भावना विकसित होती है। मानव में अपने शरीर को सुखी और सन्तुष्ट करने की मानवीय इच्छाएं, आकांक्षाए और अभिलाषाएं उत्पन्न होती है।

मानवीय आत्मा में पाये जाने वाले ये तीन गुण या तत्व राज्य में भी राज्य पाये जाते हैं। प्लेटो कहता है कि राज्य का जन्म वृक्ष या चट्टान से नहीं अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। मानवीय चेतना मे विद्यमान तीनों गुण न्यूनाधिक मात्रा में सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में क्षुधा या वासना की प्रधानता होती है, कुछ में साहस और उत्साह की और कुछ में विवेक की। इसी आधार पर राज्य में तीन वर्ग—उत्पादक, सैनिक और व दार्शनिक (शासक) पाये जाते हैं।

यद्यपि 'प्लेटो ने राज्य निर्माण के तत्वों में से आत्मा के गुण 'विवेक' को सर्वोच्च स्थान दिया है क्योंकि ज्ञान ही सद्गुण है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार काम अथवा क्षुधा (Appetite) है। यह सार्वभौमिक सत्य है किसी भी व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास से आधार रूप में जुड़ी हुई होती है। अतः इन भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति अनिवार्य एवं अपरिहार्य हो जाती है। असीम संभावनाओं से युक्त व्यक्ति अपनी सीमित क्षमता के साथ जीवन यापन करता है। परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं कर सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ती की यही विवशता मानव में सामूहिक जीवन की भावना का विकास करता है जो स्थाई राज्य के निर्माण का आधार है। सामुदायिक भावना और आवश्यकताएं समाज में श्रम के विभाजन (Division of Labour) का निर्माण करती है। अन्न उपजाने वाला कृषक, कपड़ा बनाने वाला बुनकर और मकान बनाने वाला श्रमिक वर्ग। समाज के विभिन्न भागों में कार्यों का बँटवारा हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य करता है। यही विशेष कार्य का सिद्धान्त (Specialization of function) कहलाता है। मानवीय आत्मा का काम तत्व मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को जन्म देती है। और यही भौतिक आवश्यकताएँ उत्पादक वर्गो सामुदायिक भावना को अनिवार्य बना देती है। जिससे आदर्श राज्य का आर्थिक आधार मजबूत होकर आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करता है।

उत्साह जैसा आत्म गुण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और रक्षा—सुरक्षा के रूप में प्रकट होता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ती के पश्चात् मानव श्रेष्ठ जीवन के लिए सांस्कृतिक और साहित्यिक उन्नति करता है। भौतिक और सांस्कृतिक विकास के साथ—साथ नगर राज्य की जनसंख्या में भी वृद्धि होती रहती है। भौतिक आवश्यकताओं की

निर्वाध व सतत् आपूर्ति सांस्कृतिक–साहित्यक–आध्यात्मिक गतिविधियों के शान्तिपूर्ण संचालन और बढ़ती हुई जनसंख्या के व्यवस्थित समायोजन हेतु नगर राज्य के विस्तार और उसकी रक्षा–सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य को सतत संघर्ष करना पड़ता है। राज्य के प्रादेशिक सीमा के विस्तार व उसकी रक्षा और नगर राज्य में अधिवासित नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैनिक वर्ग का उदय होता है। जिन व्यक्तियों में उत्साह या शौर्य (Spirit) की मात्रा अधिक होती है, राज्य उन्ही में से वीर पुरुषों का चयन कर एक सशक्त सैन्य ढाँचे का निर्माण करता है। यद्यपि एक राज्य की सेना सुरक्षात्मक युद्ध करती है फिर भी अन्याय के प्रतिकार एवं न्याय की रक्षा हेतु सतत् सक्रिय रहती है।

राज्य के निर्माण में आत्मा के विवेक तत्व (Reason) की प्रभावी भूमिका है और यह पूर्ण संरक्षक के रूप दार्शनिक राजा का निर्माण करता है। ''विशाल उत्पादक वर्ग व विशिष्ट सैनिक वर्ग के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य में शान्ति, व्यवस्था, एकता और एक शब्द में कहें तो न्याय की स्थापना हेतु एक शासक वर्ग (Rulling Class) हो।''[4] ये दार्शनिक ही वास्तव में राज्य के सच्चे संरक्षक होते हैं। नागरिकों की सेवा में इन्हे सर्वाधिक आनन्द आता है और शासन–व्यवस्था के संचालन के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। यह वर्ग बुद्धि प्रेमी होता है जो अपने बुद्धि एवं प्रेम (Knowledge and Love) के सहयोग से राज्य के सामान्य कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहता है।

दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटों के आदर्श राज्य का मौलिक सिद्धांत है। प्लेटो यह स्वीकार करता है कि शासक जब तक दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक राज्य में सुशासन, शांति और न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। दार्शनिक शासक उच्च शिक्षित–प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जिसमें बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं तार्किक चिंतन शक्ति निहित होती है। प्लेटो ने अपने जीवन में एथेंस, इटली, सिसली आदि राज्यों के अज्ञानी शासको के दुष्परिणामों को देखकर यह दृढ़ निश्चय किया कि संसार में शांति तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती, जब तक सच्चे दार्शनिक शासक न बने। उसने अपने दी रिपब्लिक में लिखा था कि ''जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएँ या इस विश्व के राजाओं व युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए... तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते।'' दार्शनिक राजा में उच्चतम प्राकृतिक गुण होते हैं। वह इसका अधिकतम उपयोग अपने राज्य में शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था के संचालक व सामान्य मानव के लिए निष्पक्ष व पवित्र न्याय में करता है।वह सत्य का अन्वेषक है और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता है। उसमें तृष्णा तथा ऐंद्रीय विषयों के भोगने की लालसा नहीं होती है। वह मोह–माया के भौतिक तत्वों के प्रति वितरागी होता है। उसमें आत्मा के सभी गुण विद्यमान होते हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता तथा सर्वोच्च न्याय के पक्ष में सदैव तत्पर रहता है।

प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन का संचालन कानून द्वारा न होकर दार्शनिक राजा द्वारा होता है। राज्य में सर्वाधिक महत्व दार्शनिक शासक का होता है। कानून उसके मार्ग में बाधक नहीं है ''दार्शनिक राजा को कानून के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास अंतर्दृष्टि होती है जिसकी सहायता से वह प्रत्येक परिस्थिति में समस्या का श्रेष्ठतम समाधान करने में सक्षम हो जाता है।''[5] दार्शनिक राजा शुभ ज्ञान (Virtue of knowledge) से युक्त अपने अंत प्रेरणा के प्रति उत्तरदाई होता है। उससे समाज के अहित होने की संभावना भी नहीं होती है, क्योंकि वह समस्त श्रेष्ठ गुणों– ज्ञान और प्रेम (Knowledge and Love) से परिपूर्ण तथा राज्य के प्रति उत्कृष्ट व अगाध श्रद्धा भाव से वह ओतप्रोत है।

आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की स्थिति कानून की दृष्टि में निरंकुश की है। प्लेटो स्वयं

निरंकुश तंत्र को विकृत शासन का रूप मानता है। वह यह नहीं चाहता है कि दार्शनिक राजा विधि के अभाव के कारण निरंकुशतापूर्ण आचरण करने लगे। इस आशंका को निर्मूल करने के लिए वह दार्शनिक शासक पर चार आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिबंध भी लगता है।

(1) दार्शनिक राजा अपने राज्य से आर्थिक विषमता को समाप्त करे, जिससे शोषण मुक्त, समता मूलक और न्याय पूर्ण सामाजिक ढांचा मजबूत बना रहे।

(2) राज्य का आकार इतना वृहद न हो कि उसकी एकता खंडित हो जाए।

(3) राजा को न्याय की सर्वोच्च व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक अपने निर्धारित कार्य को निर्वाध करता रहे।

(4) दार्शनिक शासक शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे राज्य के प्रति नागरिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो।

प्लेटो दार्शनिक राजा को इन बंधनों द्वारा एक अपरिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था का संचालक एवं सेवक मानता है तथा उसकी सत्ता को मर्यादित करता है। दार्शनिक शासन इन मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए समाज का संगठन व संचालन इस प्रकार करेंगे कि सबको सद्जीवन (Good Life) की उपलब्धि हो सके।

प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। शासक, सैनिक एवं उत्पादक वर्गों में पूर्ण सामंजस्य ही न्याय है। जब ये तीनों वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं के लिए निर्धारित कार्यों को संपूर्ण निष्ठा से करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो इन तीनों वर्गों को न्यायी कहा जाता है। ''मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों को पूरा पालन करें, जिनका पालन समाज के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके कुछ कर्तव्यों और धर्मो का पालन करने का नियम बनाते हैं, इनका ठीक–ठीक पालन करना ही न्याय है।''6 यदि उत्पादक वर्ग अपने निर्दिष्ट कार्यों का अतिक्रमण कर शासन व सैन्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ठीक इसी प्रकार जब शासक एवं सैनिक वर्ग अपने निर्दिष्ट कार्यों का अतिक्रमण कर आर्थिक उपार्जन की गतिविधियों में लिप्त होने लगे तो राज्य के न्यायिक क्षेत्र में अराजकता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए तीनों वर्गों को पूर्ण सामंजस्य के साथ निर्धारित कार्यों को ही करने की सलाह देते हैं।

प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा सबसे महान मूल्य है। शिक्षा न केवल नागरिकों के चरित्र को उन्नत करता है बल्कि राज्य के चरित्र को भी निध ारित करता है। राज्य नागरिकों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करता है जिससे व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास हो और वे नैतिक, बौद्धिक व भौतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो।शिक्षा का मूल उद्देश्य 'न्याय' को स्थापित करना है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में उसकी योग्यतानुसार निर्धारित कार्यों को करने की सहज प्रेरणा उत्पन्न करती है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति एकमात्र उस कार्य को करता है जो उसकी क्षमता के अनुरूप हो। प्लेटो आदर्श राज्य के मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य नियंत्रित शिक्षा की वकालत करता है।शिक्षा के पाठ्यक्रमों को प्लेटो विद्यार्थियों की उम्र के अनुरूप निर्धारित करता है। बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा (6–20 वर्ष) में संगीत और व्यायाम का पाठ्यक्रम है। साहित्य व संगीत से बालकों का चरित्र निर्मित होता है और व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ–साथ साहस भी बढ़ता है। उच्च शिक्षा (20 से 35 वर्ष) में गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, खगोल, तर्क एवं दर्शन की शिक्षा के द्वारा एक विवेक संपन्न शासक वर्ग का निर्माण किया जाता है। व्यवहारिक शिक्षा (35 से 50 वर्ष) के अन्तर्गत जो व्यक्ति सबसे योग्य होगा वह दार्शनिक के रूप में शासन–प्रशासन की व्यवस्था का संचालन करेगा। ''शिक्षा

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

के माध्यम से वह एक ऐसे आदर्श न्यायाशील राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति, राज्य संघर्ष पूर्णता समाप्त हो जाए और वे दोनों एक–दूसरे के पूरक बनाकर एक विशाल परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाए। इस परिवार में शासक और नागरिक दोनों जनहित को ध्यान में रखकर अपने–अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करें।''[7]

शिक्षा के द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन को परिष्कृत किया जाता है जिससे उनमें सद्गुणों का विकास हो किंतु प्लेटों के साम्यवाद का चरित्र वर्गीय है। यह केवल संरक्षक वर्ग (शासक एवं सैनिक) के लिए है न कि उत्पादक वर्ग के लिए। उत्पादक वर्ग इससे सर्वथा पृथक है। साम्यवाद एकल परिवार का निषेध कर सामूहिक परिवार की वकालत करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में संरक्षक वर्ग की स्वयं की पत्नियां व बच्चे नहीं होंगे बल्कि संरक्षक वर्ग में आने वाली सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से सभी संरक्षकों की पत्नियों होगी और उनसे उत्पन्न बच्चे संपूर्ण संरक्षक वर्ग के बच्चे होंगे और उनका पालन–पोषण राज्य के अधीन संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि संरक्षक वर्ग के कंधे पर राज्य का संपूर्ण दायित्व होता है,वह कहीं मोह–माया में फंसकर अपने दायित्व को भूल न जाए, अतः उनके लिए सामूहिक परिवार की व्यवस्था की गई है।

एथेंस के पुरुष वर्चस्ववादी समाज में स्त्रियां समस्त अधिकारों से वंचित थी। सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता शून्य थी। उन्हें शासन, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से मुक्त रखा गया था। प्लेटो का आदर्श राज्य स्त्री–पुरुष की समानता पर आधारित है। प्लेटो स्त्री–पुरुष के भेदभाव का विरोध करता है और इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ रखता है कि क्षमता व योग्यता की दृष्टि से स्त्रियों पुरुषों के समान होती है। जिस तरह पुरुष वर्ग शासक एवं सैनिक के दायित्वों का निर्वहन करता है उसी तरह से स्त्रियां भी संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। प्लेटो की 'दी रिपब्लिक' स्त्री मुक्ति का उद्घोष करती है।

प्लेटो अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना में न केवल यूनानी नगर राज्यों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक सर्वकालिक आदर्श राज्य प्रस्तुत करता है और ऐसा करते समय उसे आलोचना का भी सामना करना पड़ता है किन्तु वह बिल्कुल चिंता नहीं करता कि यह आदर्श राज्य व्यवहारिक होगा या नहीं। निश्चित रूप से प्लेटो द्वारा प्रस्तुत आदर्श राज्य दार्शनिक की सफलता पर निर्भर करता है। प्लेटो ने एक व्यापक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विवेक, साहस, संयम व न्याय की स्थापना करने का प्रयत्न किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सी0सी0 मैक्सी : राजनीतिक दर्शन (1950), पेज–34
2. सिंह उपेन्द्र : पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं–2007–साहित्याकार जयपुर, पेज–15
3. सिंहल डॉ0 एम0सी0 :पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–2008, पेज–46
4. सिंह उपेन्द्र : पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं–2007–साहित्याकार जयपुर, पेज–52
5. सिंह उपेन्द्र : पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं–2007–साहित्याकार जयपुर, पेज–54
6. सिंहल डॉ0 एम0सी0 :पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–2008, पेज–20
7. सिंहल डॉ0 एम0सी0 :पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा–2008, पेज–33

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778

Paper Received : 10th June 2026
Paper Accepted : 20th June 2026

तिवा की लोक कथा 'जोवाई साधु' का एक अध्यक्ष

❐ भारती लालुं*

शोध-सारांश

तिवा जनजाति असम के अन्यतम जनजातियों में से एक हैं। लोक साहित्य वास्तव में लोक की वास्तविक मौखिक अभिव्यक्ति हैं। जिसमें जन समुदाय की विविध प्रवृत्तियों का चित्रण मिलता हैं। लोक साहित्य के जरिए किसी प्रदेश या देश विशेष के समूचे जन–समुदाय की स्वाभाविक उद्भावना वास्तव से लोक की वास्तविक मौखिक अभिव्यक्ति प्राप्त होता हैं।

मुख्य शब्द– अभिव्यक्ति, मौखिक, लोक।

प्रस्तावना

जोवाई[1] साधु तिवा की हास्य व्यंग्य लोक कथा हैं। तिवा की लोक कथाएँ मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कहानियाँ। ये कहानियाँ किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के लोगों के विश्वासों मूल्यों और अनुभवों को दर्शाती है, लोक कथाओं को लोक द्वारा बनाया और साझा किया जाता है, और ये सरल भाषा में कही जाती हैं। लोक कथाएँ हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती हैं, हमें नैतिकता और मूल्यों के बारे में सिखाती हैं, और मनोरंजन प्रदान करती हैं, वे हमारे सामाजिक ताने–बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें एक–दूसरे से जूड़ने और अपनी कहानियों को साझा करने में मदद करती हैं।

'जोवाई साधू' लोक कथा रू एक दिन एक आदमी ने अपने दामाद को बिहु खाने के लिए बुलाया। दामाद ने ससुर की निमंत्रण रक्षा करने के लिए ससुर के घर के लिए निकले। ससुर ने अकेले जाने के लिए कहा, इसी कारण वह किसी आदमी को साथ लेकर नहीं गया। किन्तु थोड़े दूर जाने के बाद देखा दृ उसका छाया भी उसके साथ आया है। वह सोचने लगा ससुर ने किसी को ले जाने के लिए मना किया है ये छाया मेरा साथ जाने से ससुर को गुच्छा करेगा। ये सोचकर वह छाया को कहा, "तुम को किया चाहिए, क्यों आया? चले जाउ।" किन्तु छाया कुछ जबाब नहीं दिया है, "तुम आवाज क्यों नहीं देते? कपड़ा चाहिए किया? ये बोलकर जब वह सिर हिलाया तब छाया ने भी सिर हिलाया। छाया का सिर हिलाना देखकर वह सोचा उसको कपड़ा चाहिए। ये सोचकर वह कपड़ा छोड़कर चले गये। जाते समय फिर छाया को देखा। वह इसबार अपना कमीज छाया को दे दिया है। इसी तरह उसका चुरिया गामोछा सभी को देकर अंत किया। धीरे–धीरे स्याम होकर आया, छाया भी नहीं हैं। तब सोचा छाया चले गये। वह रात को नहीं देखते है, इसलिए थोड़ा

* Prof. & H.O.D (Hindi), D.H.S.K. Commerce College, Dibrugarh (Assam)
Email ID: bharatilalung28@gmail.com

जाने के बाद रास्ता को नहीं देखा। इसी वक्त वह उसके ससुर के एक बुढ़ा गाय को देखा। तब गाय के पूँछ पकड़ कर पीछे पीछे जाने लगा। थोड़े समय के बाद वह ससुर के घर पहुँच गया किन्तु उसके शरीर में चुरिया न होने के कारण वह ससुर के सामने में आने के लिए शरम करके केले के पेड़ के नीचे में बैठा था। ससुर ने दामाद आयेगा बोलके बहुत रात तक था। बाद में दामाद को न देखकर वह सो गया है। सासु ने खाना खाने के बाद चुवा पानी चुवापातानि में फैंका तो दामाद के सिर में पड़ा। दामाद ने उस् उस् कहने लगा तो तब सासु ने देखा और अन्दर लेकर आया और दामाद को नहाने के लिए कपड़ा भी दिया। खाना का साथ उसको गुड़ दिया। वह कभी भी गुड़ नहीं देखा इसी कारण ये नहीं खायेगा बोला। सासु ने बोला ये गुड़ खाने में स्वादिस्ट हैं। तब वह खा के देखा, उसको अच्छा लगा, "ये सबकुछ कहा हैं।" वह पूछा। सासु ने कहा, "वरचां के ऊपर कलश में है।" वह भात खाने के बाद सासु ने दामाद को सोने के लिए दिया। दामाद ने सोया, किन्तु नींद नहीं आया, कारण उसके मन गुड़ में हैं। जब ससुर नींद में सो गया वह एक लाठी लेकर कलश को फूटा किया और नीचे में मुख रखकर गुड़ खाने लगा। गुड़ खाने के बाद उसका पूरा शरीर में लगा। गुड़ को शरीर से साफ करने के लिए रुई के ऊपर वह गिर पड़ा। उनका शरीर में पूरी तरह रूई लग गया। ससुर के घर में बकरी बांध के रखा हुआ था, इसलिए वह बकरी के बीच ही रात गुजारने के लिए वहाँ घुस गया। उसी दिन चोर ने बकरी चोर करने के लिए वहाँ आया था। वह लोग आकर पहले आदमी के ऊपर हाथ रखा और देखा ये बड़ा बकरी खाने के लिए अच्छा होगा, इसलिए बकरी सोचकर आदमी को ले गया। वह लोग जाते समय एक नदी पार होकर जा रहा है। वह लोग नदी पार होकर बीच में पहुचा तब आदमी का टिका पानी लगकर भिगा। वह चोर को ऐसा कहा–

"दां, दां, चोर य
टिका तितिल मोर,"

(अर्थ– चोर तुम लोग मेरे को ऊपर में उठानाय नहीं तो मेरा पिछवाड़ा डूब जायेगा।)

तब चोर ने बकरी ने आवाज दिया बोलकर चकित होकर डर के मारे पानी में गिराकर भाग गया। पानी ज्यादा नहीं था इसीलिए वह डूब नहीं गया धीरे–धीरे पार पार में उठके बैठ गया। सुबह भी हुआ। नदी के किनारे जब वह बैठा उसी समय उनके ससुर भी उनको ढूढ़ ढूढ़ के वहाँ मिला और घर में लेकर आया और खाना खिलाकर उसके बाद अपना घर भेज दिया।

निष्कर्ष

तिवा लोक कथाओं में हास्य–व्यंग्य के जरिए लोगों को हँसाते हुए समाज की गलतियों पर चोट की जाती है और सही रास्ता दिखाया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परी मो–मिठा साधु, प्रदीप नारायण भट्ट
2. आईतार साधु मोना, ननी देवी गोस्वामी

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 20th June 2026 **Paper Accepted : 25th June 2026**

एक कर्मयोगी की राजस्थान यात्राएँ

□ डॉ. इन्द्रेश कुमार*
□ डॉ. जुल्फिकार**

शोध-सारांश

भारतीय जनमानस को आन्दोलित करने वाले, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरवमयी इतिहास की धाराओं को पाश्चात्य देशों में प्रवाहित करने वाले स्वामी विवेकानन्द का जीवन अलौकिक प्रतिभा और मौलिक चिन्तन धारा का प्रकाशित भास्कर है। जिसमें ***'जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है'*** *को आधार मंत्र मानते हुए सम्पूर्ण विश्व में अपनी यायावरी जीवन के द्वारा इस सार्वभौमिक सत्य को स्थापित करने का अथक प्रयत्न किया। इसी परिव्राजक जीवन की एक श्रंखला मरूधरा से होकर गुजरती है जिसमें उन्होंने अलवर, जयपुर, किशनगढ़-अजमेर, माउंट आबू, खेतड़ी और जोधपुर का महत्वपूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण विश्व उनकी वैचारिक जाह्नवी का सदैव ऋणी रहेगा।*

मुख्य शब्द— *अलवर, जयपुर, किशनगढ़-अजमेर, माउंट आबू, खेतड़ी, जोधपुर, परिव्राजक, जाह्नवी, यायावरी।*

प्रस्तावना

भारतीय पुनर्जागरण, समाज सुधार, वैचारिक आन्दोलनों में अनेक समाज सुधारको, चिन्तकों दार्शनिकों, संतों, मनीषियों का योगदान रहा है। इन वैचारिक आन्दोलनों के उपवन में यदि सर्वश्रेष्ठ महकता कोई पुष्प है तो वे हैं स्वामी विवेकानन्द जी। जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी के माध्यम से परिव्राजक जीवन को ग्रहण करते हुए सम्पूर्ण विश्व में सार्वभौमिक सत्य की स्थापना का अथक प्रयास किया। स्वामी जी ने प्रबल पुरूषार्थ के माध्यम से राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत किया। देश के नागरिकों में उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार किया। करूणा और प्रेम ही जीवन का आधार है। धार्मिक उन्माद, सामाजिक असमानता, अमीरी-गरीबी, कुप्रथाएँ आदि मानव मात्र की शान्ति और कल्याण में बाधक हैं। अतः स्वामी जी सभी धर्म के लोगों से सर्वश्रेष्ठ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध बनने का आह्वान किया। अपनी वैचारिक चिन्तन धारा जिसमें अध्यात्म व विज्ञान दोनों का समन्वय है, को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उन्होंने संन्यासी, परिव्राजक जीवन का मार्ग चुना। इस परिव्राजक मार्ग के पड़ावों में मरूधरा का नाम अग्रणी है, जिसको उन्होंने अपने पावन चरणों से बारम्बार पवित्र किया है और मरूधरा के गौरव को चार चाँद लगाये हैं।

स्वामी विवेकानन्द की राजस्थान यात्राएँ एवं प्रवास

(1) अलवर यात्रा एवं प्रवास—स्वामी

* राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य
** एसोसिएट प्रोफेसर, युवा लेखक एवं चिंतक, ग्राम+पोस्ट-भीमसर, जिला झुंझुनुं, (राज).

विवेकानन्द के यायावरी जीवन का राजस्थान में पहला प्रवेश पहाड़ों, घाटियों से घिरे सौन्दर्य की धरा अलवर से 1891 में हुआ। अलवर की धरा स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने पावन चरणों से प्रथम प्रवास (1891) में 49 दिन एवं द्वितीय प्रवास (1897) 03 दिन (लगभग 52 दिन) पवित्र कर प्रेम, ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। ईश्वर दरिद्र नारायण है, इसका प्रमाण विवेकानन्द के परिव्राजक जीवन से मिलता है। कि अलवर में वे सर्वप्रथम रमता वैष्णव रामस्नेही और वृद्धा महिला के प्रेम और स्नेह का पात्र बने और जब पुनः 1897 में अलवर आये तो दोनों को ढूंढकर उनसे भेंट की।

अलवर प्रवास के दौरान, लाला गोविंद सहाय, डॉ. गुरूचरण लस्कर, पण्डित शम्भू नाथ, मौलवी साहब, दीवान रामचन्द्र, महाराजा मंगल सिंह और आम जन को जो प्रेम सान्निध्य मिला उससे उनके जीवन में प्रेम, ज्ञान और भक्ति की धारा का प्रस्फुटन हुआ। महाराजा मंगल सिंह को मूर्ति पूजा के रहस्य को सरल भाव से बातों ही बातों में उन्हीं के छाया चित्र के माध्यम से समझाना उनके अलौकिक ज्ञान का परिचायक है उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातन ज्ञान की धारा के साथ पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को भी शिक्षा में समावेशित कर भारत के गौरवमयी और उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक बताया। अलवर के प्रवास एवं यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी जीवन चर्या एवं ज्ञानोपदेश से यह प्रेरणा दी कि मुक्त पुरूष शारीरिक धरातल से ऊपर उठकर जीव मात्र के लिए अपने हृदय में करूणा और प्रेम का सागर समेटे रहता है। स्वामी विवेकानन्द जी ने माता नारायणी, पाण्डुपोल के हनुमान मन्दिर एवं नीलकंठ महादेव के प्राचीन मन्दिर के दर्शन भी किये। अपने शिष्यों के साथ संवाद से एवं वृद्ध पुरूष के बार-बार कृपा करने की प्रार्थना पर यह कहना कि स्वयं ही पुरूषार्थ करने पर ईश्वर प्राप्ति संभव है, यह दिखाता है कि अप्प दीपो भव (अपना दीपक खुद बनो)। सामाजिक समरसता और प्रबल पुरूषार्थ ही जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है स्वामी विवेकानन्द जी ने जीवन धारा को सत्य पुरूषार्थ, ज्ञान और वैराग्य के पथ पर प्रशस्त करने का आह्वान किया।

(2) जयपुर यात्रा एवं प्रवास—राजपूताना का गौरव गुलाबी नगरी के लिए बसवा से ट्रेन द्वारा उनका आगमन हुआ। स्वामी जी का जयपुर प्रवास 1891, 1893 व 1897 में कुल (लगभग 50 दिन) तक रहा। अलवर से एक भक्त उनके डिब्बे में उनके साथ चित्र खिंचवाने और जयपुर में उनके निवास के व्यवस्थार्थ सवार हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि आमजन के हृदय में उनके प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी।

जयपुर प्रवास के दौरान स्वामी जी सरदार हरिसिंह लाडखानी के बंगले पर निवास किया। एक शाम अन्य लोगों के साथ सरदार हरिसिंह जी भी स्वामी जी के संग राजपथ के फुटपाथ पर गमन कर रहे थे। श्रीकृष्ण की भजन-कीर्तन के साथ चल रही शोभा यात्रा को देखकर स्वामी जी ने सरदार हरिसिंह को स्पर्श कर श्रीकृष्ण की प्रतिमा के दर्शनार्थ कहा। ज्यों ही उन्होंने प्रतिमा को देखा तो भावविभोर होकर अलौकिक आनंद के सागर में डूब गये। उनके नेत्रों से अश्रुजलधारा प्रवाहित होने लगी। उन्हें आज प्रथम बार प्रतिमा में भगवान के साक्षात् दर्शन हुए। यह घटना उद्घाटित करती है कि आत्मिक ज्ञान से युक्त, मुक्त बुद्ध पुरूषों के आस-पास सकारात्मक ईश्वरीय ऊर्जा का संचार होता है।

पण्डित सूर्यनारायण के इस विश्वास को कि कोई अवतार नहीं है, मात्र एक उदाहरण से तार-तार कर दिया और सहज सरल भाव से मत्स्य, कूर्म, वराह का उदाहरण देते हुए प्रत्येक जीव मात्र में ईश्वर बताया।

प्रसिद्ध वैयाकरण के बार-बार पाणिनी के प्रथम सूत्र पांतजल भाष्य नहीं समझ पाने पर स्वाध्याय से उसे समझ कर यह प्रमाणित किया कि मानव मात्र अनंत ऊर्जा का स्रोत है। यदि उसे केन्द्रित कर किसी लक्ष्य पर लगाया जाये तो त्रिलोक में ऐसा कोई रहस्य नहीं है। जिसे न जाना जा सके। मन का प्रबल आग्रह ही सफलता के द्वार खोलता है।

जयपुर में संसारचन्द सेन के फूस के दालान के बैठक खाने में उनके मधुर कंठ से गाये जाने वाले भावयुक्त भजनों को सुनकर ऐसा लगता था कि प्रेम विरह का पथ ही ईश्वर मिलन तक जाता है।

उनके गुरूभाई अखण्डानन्द उनको खोजते-खोजते जयपुर पहुँचे परन्तु खेतड़ी नरेश के सम्बन्धी चतुरसिंह से उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अजमेर प्रस्थान कर गये हैं।

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

(3) किशनगढ़-अजमेर यात्रा एवं प्रवास—जयपुर प्रवास के उपरान्त स्वामी जी मुस्लिम धर्म की पूजा स्थली अजमेर के लिए रवाना हुए। जहां उन्होंने 1891 में (लगभग 04 दिन) प्रवास किया। अजमेर यात्रा के बीच वे किशनगढ़ के महाराजा शार्दुलसिंह के अतिथि बने।

वेदान्त के द्वैताद्वैत सम्प्रदाय की प्रवर्तन स्थली निम्बाकाचार्य की प्रमुख पीठ किशनगढ़ के समीप ही है। सम्भवतः स्वामी जी ने वहां के आचार्यों से भेंट की और निम्बाकाचार्य कृत वेदान्त भाष्य के ग्रन्थों को प्राप्त किया।

आगरा से आने वाली रेलगाड़ी अजमेर दिन के मध्य भाग में पहुंचती थी, जिससे वैष्णव साधु-संत आया करते थे। उस स्थान पर पुष्कर जाने वाली बैलगाड़िया सवार प्राप्त करती थी। उसी स्थान के पास मदनगोपाल दे विश्वास नाम के एक बंगाली रहेते थे, जिनकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण आगरा से आने वाली रेलगाड़ी में साधु-संतों के दर्शन, भोजन उपरान्त ही वह भोजन करती थी। इसी क्रम में उनको स्वामी जी के दर्शन हुए। अजमेर प्रवास के समय स्वामी जी विश्वास दम्पत्ति के निवास पर ठहरे। लोगों को स्वामी जी के आगमन की सूचना मिलने पर दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। विश्वास गृह आनन्द पूर्ण उत्सव से मुखरित हो उठा। स्वामी जी ने अकबर महल, अजमेर दरगाह शरीफ, ब्रह्मा मन्दिर, सावित्री एवं गायत्री देवी मन्दिर, पुष्कर तीर्थ के दर्शन किये जो उनकी सर्वधर्म सद्भावना का परिचय देती है।

(4) माउंट आबू यात्रा और प्रवास—अलवर, जयपुर, किशनगढ़-अजमेर प्रवास के उपरान्त राजस्थान की प्रचण्ड उष्णता से राहत पाने के लिए स्वामी जी ने माउंट आबू के लिए प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने लगभग 14 अप्रैल 1891 से 24 जुलाई 1891 तक (लगभग 91 दिन) प्रवास किया। माउंट आबू की अतीव सुन्दरता व चम्पागुफा का एकाकी ध्यान स्थल और सम्पर्क में आये विद्वतजनों का उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा। प्रधान लिपिक श्री मुरारीलाल, वकील मुंशी फैज अली, छालेसर के ठाकुर मुकुन्दसिंह के यहाँ प्रवास के साथ चम्पा की निर्जन गुफा में रहकर ध्यान साधना की। माउंट आबू प्रवास के दौरान ही उनकी भेंट खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी से हुई और इस भेंट ने विवेकानन्द के जीवन में एक नवीन अध्याय जोड़ा। वकील मुंशी फैज अली खान के निवास पर स्वामी जी का प्रवास यह दर्शाता है कि जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेद-भाव नहीं करती वैसे ही सच्चा संन्यासी शाश्वत सत्य के मार्ग को प्रशस्त करते हुए प्राणी मात्र में प्रेम और सद्भावना का संचार करता है। विवेकानन्द का जीवन इस सार्वभौमिक सत्य को स्थापित करने की अखण्ड चेष्टा है।

माउंट आबू प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक प्रेरणा का केन्द्र रहा है। हिन्दू और जैन परम्परा के तीर्थ स्थल यथा-वशिष्ठ आश्रम, विमल वसहि, लूण वसहि, पित्त लहर चौमुखी करतार वसहि, वर्द्धमान स्वामी मन्दिर (देल वाड़ा जैन मन्दिर) इसके प्रमाण हैं। स्वामी जी की माउंट आबू यात्रा एंव प्रवास ने इस सांस्कृतिक और धार्मिक प्रेरणा में चार चाँद लगाये। माउंट आबू प्रवास के दौरान स्वामी जी का अच्छा खासा अनुरागी मण्डल बना जो भारतीय जीवन परम्परा में विवेकानन्द जी के प्रेरणास्पद विचारों का वाहक बना।

(5) खेतड़ी यात्रा एवं प्रवास—माउंट आबू प्रवास के दौरान मुंशी जगमोहन लाल की स्वामी जी से भेंट और स्वामी जी की विलक्षण आभा एवं व्यक्तित्व ही राजा अजीत सिंह बहादुर से स्वामी जी के भेंट का आधार बनी। स्वामी जी का खेतड़ी हाऊस (माउंट आबू) आगमन 4 जून 1891 को हुआ। स्वामी जी का खेतड़ी प्रवास 1891, 1893, 1897 में (लगभग 109 दिन) रहा। धर्म, दर्शन और ज्ञान पिपासु राजा अजीत सिंह जी की दृष्टि ने प्रथम दृष्टया ही स्वामी जी की अलौकिक प्रतिभा का दर्शन किया और यहीं भेंट प्रगाढ़ मित्रता में परिवर्तित हो गई। 24 जुलाई 1891 से माउंट आबू से प्रस्थान कर स्वामी जी जयपुर, खैरथल एवं कोट होते हुए 7 अगसत 1891 को खेतड़ी पहुँचे। राजा अजीत सिंह और स्वामी जी धर्म, दर्शन, नक्षत्र और अध्यात्म पर घण्टो चर्चा करते थे। इस हेतु राजा अजीत सिंह ने नक्षत्रों के अध्ययन हेतु दूरबीन दीवानखाने की छत पर स्थापित करवाई। राजा अजीत सिंह के आग्रह पर संध्याकाल के समय में स्वामी जी नर्तकी वेश्या का भजन सुनने के लिए उपस्थित हुए परन्तु असहज होकर ज्यों ही स्वामी जी उठकर जाने लगे तो नर्तकी का भजन 'हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो' सुनकर विस्मित हो गये। उनका हृदय करूणा और पीड़ा से भर गया। उनको

सत्य का आभासा हुआ नेत्र सजल हो गये। इस घटना के बाद स्वामी जी नर्तकी मैना बाई को 'माँ' नाम से सम्बोधित करने लगे।

स्वामी जी के दीक्षा नाम विविदिषानन्द को उच्चारण की दृष्टि से कठिन जानकर राजा अजीत सिंह ने उनका नाम स्वामी जी से प्रेम एवं आग्रह पूर्वक विवेकानन्द रखा जो सर्वजन विदित है।

वर्तमान में स्वामी जी के छाया चित्रों में जो वेशभूषा दिखाई पड़ती है यथा-साफा (पगड़ी, लम्बा चोगा, कमरखा) यह राजा अजीत सिंह की स्वामी जी को शिकागो यात्रा से पूर्व की गई भेंट है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी को भेजने की व्यवस्था भी राजा अजीत सिंह ने ही की।

खेतड़ी महाराजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा अजीत सिंह जी की प्रार्थना पर स्वामी विवेकानन्द ने आशीर्वाद दिया कि **''श्री रामकृष्ण देव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।''** जब स्वामी जी के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की तैयारियाँ चल रही थी तो उसी समय मुंशी जगमोहन लाल मद्रास आ पहुँचे और खेतड़ी के राजपुत्र के अन्नप्राशन संस्कार में आशीर्वाद देने हेतु चलने का आग्रह किया। स्वामी जी अन्नप्राशन संस्कार में राजपुत्र को आशीर्वाद देने खेतड़ी पहुँचे और उत्सव में भाग लेने के पश्चात मुंशी जगमोहन लाल उनके साथ मुम्बई पहुँचे और उनका ऑरियन्ट कम्पनी के पैनिनसुलर नामक जहाज की प्रथम श्रेणी का टिकट बुक करवाया। यह घटना दर्शाती है कि स्वामी जी और राजा अजीत सिंह के बीच मित्रता का सम्बन्ध अतीव प्रगाढ़ था।

जब स्वामी जी से राजा अजीत सिंह ने जीवन और शिक्षा के बारे में पूछा तो विवेकानन्द जी ने गम्भीर अनुभूतियों को शब्दों में ढ़ालते हुए कहा, **''एक अन्तर्निहित शक्ति मानो लगातार अपने स्वरूप में व्यक्त होने के लिए अविराम चेष्ट कर रही है और बाह्य प्रकृति उसे दबा रही है, इसी चेष्टा का नाम जीवन है।''**

शिक्षा के सम्बन्ध में कहा, **''विचारों को स्नायु से घनिष्ठ सम्बन्ध करने का नाम शिक्षा है। जब तक कोई भाव मन में ऐसे दृढ़ संस्कार के रूप में स्थापित न हो जाए, तब तक वह भाव वास्तव में मन की अपनी सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता।''**

स्वामी जी का खेतड़ी राजा अजीत सिंह के साथ जो प्रगाढ़ मधुर सम्बन्ध था और राजा जी के आग्रह पर उनका बार-बार खेतड़ी की धरा को पवित्र करना उनके बीच में अतीव मित्रता के सौन्दर्य को दर्शाता है। इसी कारण खेतड़ी को ताम्र नगरी के साथ-साथ विवेकानन्द की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है।

स्वामी जी और राजा अजीत सिंह की भेंट विवेकानन्द के जीवन का एक सुन्दर अध्याय है। स्वामी विवेकानन्द जी ने स्वयं जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा था कि **''उन्होंने भारत के उत्थान के लिए जो कुछ किया, वह नहीं होता यदि वह उनसे (राजा अजीत सिंह) से नहीं मिलते।''**

(6) जोधपुर यात्रा एवं प्रवास :- स्वामी जी के यायावरी जीवन का एक अध्याय जोधपुर भी है जहाँ वे सम्भवतः 02 या 03 जनवरी 1897 को पहुँचे। जहाँ (लगभग 8-10 दिन) जोधपुर राज्य के प्रधानमन्त्री राजा सर प्रतापसिंह जी के अतिथि रहे। जोधपुर निवास के दौरान उनकी सभाएँ व व्याख्यान अवश्य हुए होंगे। सर्वप्रथम उनको डाक बंगले में ठहराया गया था। स्वामी जी के जोधपुर के सहयात्री ब्रह्मचारी कृष्णलाल के अनुसार एक बार एक संन्यासी हरिद्वार से राजा जी के पास आश्रम बनाने हेतु रूपयों के लिए आये थे। संन्यासी चाहते थे कि स्वामी जी इस हेतु राजा जी से सिफारिश कर दें परन्तु स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। यह घटना यह दर्शाती है। कि स्वामी जी हिला-हवाली पसन्द नहीं करते थे। वे साफ उत्तर, स्पष्ट बातें और अपनी गलती स्वीकार करना पसन्द करते थे। स्वामी जी का जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणास्रोत है।

निष्कर्ष

स्वामी विवेकानन्द जी की मौलिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक चिन्तन धारा ने सम्पूर्ण राष्ट्र को आप्लावित किया। यह चिन्तन धारा विभिन्न स्थलों यथा-अलवर, जयपुर, किशनगढ़-अजमेर, माउंट आबू, खेतड़ी, जोधपुर से होते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में प्रवाहित हुई। राजस्थान की यात्रा एवं प्रवास के दौरान जनसाधारण मनीषीयों, चिन्तकों, संन्यासियों, राजा-महाराजाओं, विद्वानों से भेंट एवं उनके उपदेशों एवं व्याख्यानों ने जनमानस

को आन्दोलित किया और भारतीय पुनर्जागरण, स्वाधीनता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजस्थान ही नहीं सम्पूर्ण विश्व उनके विचारों, आदर्शों और सार्वभौमिक सत्य की स्थापना हेतु उनके किये गये प्रयासों को सदैव स्मृत रखेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सची्

1. स्वामी विदेहात्मानन्द, स्वामी विवेकानन्द और राजस्थान, 2019, अद्वैत आश्रम मायावती हिमालय कोलकाता, पृष्ठ संख्या 25-530
2. ताराचन्द शर्मा, खेतड़ी और स्वामी विवेकानन्द, 2002, शेखावाटी कला, संस्कृति व इतिहास शोध संस्थान, शिमला, पृष्ठ संख्या 141-144
3. रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी जयपुर स्टेट वर्ष 1946-47, पृष्ठ संख्या 17
4. वाकियात रजिस्टर ठिकाना खेतड़ी, पृष्ठ संख्या 124-125
5. हनुमान सिंह राठौड़, स्वामी विवेकानन्द राजस्थान में, 2017, ज्ञान गंगा, बी-19 न्यू कॉलोनी, जयपुर, पृष्ठ संख्या 73
6. पंडित झाबरमल शर्मा, खेतड़ी नरेश और विवेकानन्द, 1984 नं 8 रामकुमार रक्षित लेन, (चिनीपट्टी), बड़ा बाजार कोलकाता, पृष्ठ संख्या 1-25
7. मातादीन सिंह शेखावत, पाथेय कण, 16 जनवरी 2013 पाथेय कण भवन, 4-मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र अग्रसेन मार्ग मालवीय नगर जयपुर, पृष्ठ संख्या 14-18
8. डॉ. ओकर सक्सेना, श्रीरामकृष्ण, विवेकानन्द प्रसंग, 1997, गौतम मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, पृष्ठ संख्या 100-106
9. डॉ. नीरेन्द्र नाथ सेन, खेतड़ी में स्वामी विवेकानन्द और कई भक्त, 2019 ए-405, रामा हेरिटेज, ए-8, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर पृष्ठ संख्या 24
10. डॉ. जुल्फिकार, स्वामी विवेकानन्द चिन्तन एवं रामकृष्ण मिशन खेतड़ी, 2014, एफ-77, सेक्टर-9, रोड नं. 11, बाईस गोदाम, जयपुर पृष्ठ संख्या 128-134

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
SHODH CHETNA YEAR 2026 Vol. 2 PRAYAGRAJ
Paper Received : 20th June 2026 Paper Accepted : 25th June 2026

बदलती पारिवारिक संरचना : संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमण–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

□ डॉ. अविनाश चन्द्र द्विवेदी*

शोध-सारांश

सभ्यता के विकास क्रम में परिवार मानव समाज की सबसे प्राचीन, सार्वभौमिक एवं आधारभूत सामाजिक संस्था रही है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, समाजीकरण, सांस्कृतिक परंपराओं के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की भूमिका अत्यंत मत्तवपूर्ण रही है। भारतीय समाज में वैदिक काल से ही परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन रहा एवं यह सामाजिक एवं आर्थिक संगङ्गन की मूल इकाई मानी जाती रही है। इस व्यवस्था में अनेक पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहकर सामूहिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती थीं। किन्तु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से औद्योगीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा के प्रसार, सूचना-प्रौद्योगिकी तथा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के परिणामस्वरूप पारिवारिक संरचना में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे और आज संयुक्त परिवारों के स्थान पर धीरे-धीरे एकल परिवारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

यह परिवर्तन केवल निवास व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पारिवारिक भूमिकाओं, सामाजिक उत्तरदायित्वों, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक संबंधों तथा समााजिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है। एक ओर एकल परिवार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता तथा आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं तो, वहीं दूसरी ओर वृद्धजनों की देखभाल, बच्चों के समाजीकरण तथा पारिवारिक सहयोग जैसी चुनौतियाँ भी इनसे उत्पन्न हुई हैं लेकिन भारतीय समाज ने आसानी से स्वीकार किया। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय पारिवारिक संरचना में आए परिवर्तनों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। इस शोध पत्र में भारतीय परिवार के बदलते स्वरूप आवश्यकताओं एंव उसकी वर्तमान प्रासंगिकता के विषय में अध्ययन करेंगे।

मुख्य शब्द—*परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, सामाजिक परिवर्तन, नगरीकरण, वैश्वीकरण, समाजीकरण, भारतीय समाज।*

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र), गाँधी शान्ति निकेतन पी.जी. कॉलेज, गौहनिया, जसरा, प्रयागराज

1. प्रस्तावना

परिवार समाज की सबसे प्राचीन एवं स्थायी संस्था है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ परिवार की संरचना, कार्य एवं स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, किन्तु उसका मूल उद्देश्य सदैव व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना रहा है क्योंकि परिवार ही वह प्रथम सामाजिक समूह है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, भाषा सीखता है, नैतिक मूल्यों को आत्मसात करता है तथा सामाजिक व्यवहार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। समाजशास्त्र में परिवार को व्यक्ति के समाजीकरण का प्रथम एवं सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम माना गया है, भारतीय समाज में परिवार का महत्व केवल जैविक संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक परम्पराओं, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भावनात्मक सुरक्षा का भी प्रमुख आधार रहा है। संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान मानी जाती रही है और इस व्यवस्था में परिवार का मुखिया निर्णय लेने वाला होता था तथा प्रत्येक सदस्य अपने सामर्थ्य के अनुसार परिवार के विकास में योगदान देता था। वृद्धजनों का सम्मान, बच्चों का सामूहिक पालन-पोषण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का सामूहिक निर्वहन इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ थीं; किन्तु आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र हुई है, औद्योगीकरण ने रोजगार के स्वरूप को बदला, नगरीकरण ने जनसंख्या को गाँवों से शहरों की ओर आकर्षित किया तथा वैश्वीकरण ने जीवनशैली, उपभोग की प्रवृत्तियाँ एवं सामाजिक मूल्यों को प्रभावित किया। सूचना-प्रौद्योगिकी के विकास तथा महिलाओं की बढ़ती शैक्षिक तथा आर्थिक भागीदारी ने भी पारिवारिक संबंधों की पारंपरिक संरचना को नई दिशा प्रदान की। परिणामस्वरूप संयुक्त परिवारों की संख्या में निरंतर कमी तथा एकल परिवारों में वृद्धि देखी जा रही है।

यह परिवर्तन केवल बाहरी संरचना का नहीं है, बल्कि इससे परिवार के कार्यों, सदस्यों की भूमिकाओं, निर्णय प्रक्रिया तथा पारस्परिक संबंधों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं; आज परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत आकांक्षाएँ, व्यावसायिक लक्ष्य तथा जीवनशैली पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। इससे परिवार के भीतर लोकतांत्रिक वातावरण विकसित हुआ है, किन्तु पारंपरिक सहयोग प्रणाली भी कुछ हद तक कमजोर हुई है किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन स्वभाविक एवं अनिवार्य माना जाता है क्योंकि कोई भी सामाजिक संस्था समय, परिस्थितियों तथा आर्थिक संरचना के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करती है। इस प्रकार संयुक्त परिवारों में कमी को केवल सामाजिक विघटन के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे आधुनिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवार की पुनर्संरचना के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा और जैसा कि समाजशास्त्री ए.एम. शाह लिखते हैं कि ''भारतीय परिवार ने बदलती सामाजिक स्थितियों के प्रति अद्भुत अनुकूलन क्षमता (adaptability) दिखाई है।''

इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय पारिवारिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, साथ ही यह भी समझने का प्रयास करता है कि आधुनिक समाज में परिवार की भूमिका किस प्रकार परिवर्तित हो रही है और भविष्य में उसकी दिशा क्या हो सकती है।

2. परिवार की अवधारणा एवं भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषताएँ

प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम हो अथवा आधुनिक, किसी न किसी रूप में पारिवारिक संगठन पर आधारित रहा है इसी कारण समजाशास्त्रियों के अनुसार परिवार वह प्राथमिक सामाजिक समूह है जिसमें रक्त-संबंध, विवाह अथवा दत्तक संबंधों के आधार पर व्यक्ति एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं; तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस तरह परिवार व्यक्ति को केवल जन्म ही नहीं देता, बल्कि उसे सामाजिक जीवन के लिए तैयार भी करता है, इसी कारण इसे समाजीकरण (Socialization) की प्रथम एवं सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था कहा जाता है। दूसरी तरफ कोई भी समाज हो बदलता रहता है इसी परिप्रेक्ष्य में एम श्रीनिवास कहते हैं कि

''कोई भी समाज स्थिर (जड़) नहीं होता; परिवर्तन हर सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित (शामिल) होता है।''

समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ''परिवार वह समूह है जो पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों पर आधारित

होता है तथा बच्चों के जन्म एवं पालन-पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। यह परिभाषा परिवार की जैविक एवं सामाजिक दोनों भूमिकाओं को स्पष्ट करती है। वहीं जार्ज पीटर मर्डोक (George Peter Murdock) ने परिवार को एक ऐसी सामाजिक इकाई माना है, जो सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग तथा प्रजनन के आधार पर संगठित होती है। उनके अनुसार परिवार समाज की सार्वभौमिक संस्था है, क्योंकि ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ परिवार का कोई स्वरूप विद्यमान न हो।

भारतीय संदर्भ में परिवार की अवधारणा पश्चिमी समाजों की अपेक्षा अधिक व्यापक रही है। भारत में परिवार केवल पति-पत्नी और बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि दादा-दादी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, भतीजे-भतीजियों तथा अन्य निकट संबंधियों को भी सम्मिलित करता था। यही व्यवस्था आगे चलकर संयुक्त परिवार (Joint Family) के रूप में विकसित हुई, जिसने भारतीय समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। इस तरह से संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक जीवन की सबसे महत्तवपूर्ण विशेषताओं में से एक रहा है; इसमें एक ही वंश की अनेक पीढ़ियाँ एक साथ निवास करती हैं तथा आय, संपत्ति और उत्तरदायित्वों का सामूहिक रूप से निर्वहन करती हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार परिवार के कार्यों में योगदान देता है और आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है। इस प्रकार से इस व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें परिवार का मुखिया प्रशासनिक एवं आर्थिक निर्णयों का संचालन करता है, जबकि अन्य सदस्य अपने-अपने दायित्वों का पालन करते हैं।

भारतीय संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व की थी और बच्चों के पालन-पोषण, वृद्धजनों की सेवा, बीमार सदस्यों की देखभाल तथा आर्थिक संकट की स्थिति में सहयोग पूरे परिवार का दायित्व माना जाता था। यदि परिवार का कोई सदस्य बेरोजगार हो जाता है अथवा आर्थिक कठिनाई का सामना करता है, तो अन्य सदस्य उसकी सहायता करते हैं इस प्रकार संयुक्त परिवार एक अनौपचारकि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (Informal Social Security System) के रूप में कार्य करता है।

आरम्भ से भारत में संयुक्त परिवार का दूसरा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक निरंतरता का था। भारतीय समाज की धार्मिक परंपराएँ, लोकाचार, परिवार के माध्यम से ही हस्तांतरित होते थे। दादा-दादी एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्य बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन के व्यावहारिक अनुभव, सामाजिक अनुशासन तथा नैतिक आचरण का भी प्रशिक्षण प्रदान करते थे। इस प्रकार परिवार संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रमुख माध्यम था।

आर्थिक दृष्टि से भी संयुक्त परिवार अत्यंत उपयोगी व्यवस्था थी। कृषि-प्रधान भारतीय समाज में भूमि, पशुधन तथा पारिवारिक संचालन सामूहिक रूप से किया जाता था। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती थी तथा आर्थिक जोखिम कम हो जाते थे। संसाधनों के साझा उपयोग के कारण प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत आर्थिक भार अपेक्षाकृत कम पड़ता था। यही कारण है कि लंबे समय तक संयुक्त परिवार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई बना रहा।

भारत में संयुक्त परिवार सामाजिक नियंत्रण का भी प्रभावी माध्यम रहा है, परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपने अनुभव के आधार पर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। सामाजिक मर्यादाओं, नैतिक मूल्यों तथा पारिवारिक अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस व्यवस्था ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया।

उपर्युक्त के आधार पर देखें तो, यद्यपि संयुक्त परिवार व्यवस्था के अनेक सकारात्मक पक्ष थे, फिर भी इसमें कुछ सीमाएँ भी विद्यमान थीं। परिवार के मुखिया के हाथों में अत्यधिक अधिकारों का केंद्रीकरण ने परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकारों को सीमित किया जिससे कालांतर में इसके प्रति असंतोष फैला और क्रमशः एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ता चला गया।

3. संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमणः करण एवं प्रभाव

भारतीय समाज में संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमण अचानक नहीं हुआ बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृति परिवर्तनों की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार तथा आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय समाज

की संरचना में व्यापक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव पारिवारिक संगठन पर पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त परिवारों की संख्या में क्रमशः कमी तथा एकल परिवारों में वृद्धि देखी जाने लगी।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगीकरण एवं नगरीकरण भी है; पारंपरिक कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार आर्थिक दृष्टि से उपयोगी था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य कृषि एवं पारिवारिक व्यवसाय में योगदान देते थे। समय के साथ उद्योगो, निजी क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण रोजगार के अवसर महानगरों में केन्द्रित होने लगे और युवा वर्ग रोजगार एवं उच्च शिक्षा की तलाश में अपने पैतृक निवास से दूर जाने लगा। सीमित आवास, बढ़ती जीवन-यापन लागत तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण छोटे परिवार अधिक व्यावहारिक सिद्ध हुए।

शिक्षा एवं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है। आधुनिक शिक्षा ने व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता, समानता तथा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। महिलाओं की उच्च शिक्षा एवं रोजगार में बढ़ती भागीदारी ने पारिवारिक भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित किया है। अब परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सहभागी एवं लोकतांत्रिक हो गई है। पति-पत्नी दोनों आर्थिक रूप से सक्रिय होने के कारण स्वतंत्र निवास की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिला है।

वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने भी पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार, अंतरराष्ट्रीय प्रवास तथा डिजिटल कार्य-संस्कृति ने लोगों की जीवनशैली को बदल दिया है। यद्यपि संचार तकनीकों ने दूर रहने वाले परिवारों को जोड़ने में सहायता की है, फिर भी भौतिक दूरी के कारण पारंपरिक संयुक्त परिवार जैसी निकटता बनाए रखना कठिन हुआ है। दूसरी तरफ एकल परिवारों के अनेक सकारात्मक पक्ष भी है। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता त्वरित निर्णय क्षमता तथा आर्थिक नियोजन की सुविधा अधिक होती है। इसमें माता-पिता बच्चों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दे पाते हैं। साथ ही, स्थानांतरण एवं रोजगार संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप छोटे परिवार अधिक लचीले सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत, एकल परिवारों के समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल, बच्चों के समाजीकरण में दादा-दादी की सीमित भूमिका, कार्य एवं परिवार के बीच संतुलन तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ निरंतर बढ़ रही हैं। संयुक्त परिवार में उपलब्ध सामजिक एवं भावनात्मक सहयोग एकल परिवारों में अपेक्षाकृत कम हो जाता है। विशेष रूप से कार्यरत दम्पत्तियों के लिए बच्चों की देखभाल एवं वृद्धजनों की सेवा एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

समाजशास्त्री ए.एम.शाह का मत है कि भारतीय परिवार का परिवर्तन उसके विघटन का संकेत नहीं है, बल्कि उसकी संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन का द्योतक है। आप अनेक परिवार भौगोलिक रूप से अलग रहने के बावजूद आर्थिक सहयोग, भावनात्मक संबंध एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः परिवार की शक्ति केवल सह-निवास में नहीं, बल्कि पारस्परिक उत्तदायित्वों एवं संबंधों की निरंतरता में निहित है।

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमण सामाजिक परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह परिवर्तन आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुआ है, किन्तु इसके साथ पारिवारिक मूल्यों, वृद्धजनों के सम्मान तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बनाए रखना समान रूप से आवश्यक है। आधुनिक भारतीय परिवार का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा।

4. बदलती पारिवारिक संरचना के सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव

भारतीय पारिवारिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव केवल परिवार की संगठनात्मक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था तथा व्यक्ति के मानसिक एवं भावनात्मक जीवन पर भी पड़ा है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमण ने जहाँ अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई नई सामाजिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। आइए नीचे इन प्रभावों का संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं।

4.1 सामाजिक प्रभाव

पारिवारिक संरचना में परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव सामाजिक संबंधों पर दिखाई देता है, संयुक्त परिवारों

में बच्चों का पालन-पोषण सामूहिक वातावरण में होता था, जिससे उनमें सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता था। दादा-दादी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों तथा जीवन अनुयायिओं से परिचित कराते थे जबकि, इसके विपरीत, एकल परिवारों में बच्चों का सामाजिक संपर्क अपेक्षाकृत सीमित हो गया है, जिसके कारण समाजीकरण की प्रक्रिया का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है।

दूसरी ओर, आधुनिक परिवारों में लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक महत्व मिला है, जिसने महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता ने पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाई है; परिवार अधिक सहभागी एवं संतुलित संस्था के रूप में विकसित हो रहा है। इस परिवर्तन ने महिलाओं के सामाजिक सम्मान तथा आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ किया है।

5.2 आर्थिक प्रभाव

एकल परिवारों के उदय ने आर्थिक संरचना को भी प्रभावित किया है। आजकल आधुनिक परिवार अपनी आय, व्यय एवं निवेश संबंधी निर्णय स्वतंत्रता से लेने में सक्षम हैं। इस कारण से आर्थिक नियोजन अधिक व्यवस्थित हुआ है तथा जीवन-स्तर में सुधार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। कार्यरत दम्पत्तियों की आय परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है तथा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। किन्तु इसके साथ आर्थिक दबाव भी बढ़े हैं। संयुकत परिवारों में जहाँ आय एवं व्यय का भार अनेक सदस्यों में विभाजित रहता था, वहीं एकल परिवारों में संपूर्ण आर्थिक उत्तरदायित्व सीमित सदस्यों पर आ जाता है। महानगरों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवहन पर बढ़ता व्यय मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त वृद्ध माता-पिता की देखभाल तथा बच्चों की देखरेख के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है।

4.3 मनोवैज्ञानिक प्रभाव

परिवार व्यक्ति के भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संयुक्त परिवारों में सामूहिक जीवन के कारण भावनात्मक सहयोग सहज रूप से उपलबध रहता था। कठिन परिस्थितियों में परिवार के सदस्य एक-दूसरे का मानसिक संबल बनते थें। आधुनिक एकल परिवारों में यह सहयोग अपेक्षाकृत सीमित हो गया है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, समयाभाव तथा शहरी जीवन की व्यस्तता के कारण अनेक व्यक्तियों में अकेलापन, तनाव, अवसाद तथा पारिवारिक संवाद की कमी जैसी समस्याएँ बढ़ रही है; विशेष रूप से वृद्धजनों के लिए यह परिवर्तन अधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ है। अनेक वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों से भौगोलिक दूरी के कारण अकेले जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। वही कार्यरत माता-पिता के लिए बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताना कठिन होता जा रहा है। इसका प्रभाव बच्चों के भावनात्मक विकास एवं व्यवहार पर भी पड़ सकता है। इसके बावजूद आधुनिक परिवारों में पति-पत्नी के मध्य संवाद, पारस्परिक सम्मान तथा समान भागीदारी की प्रवृत्ति ने वैवाहिक संबंधों को अधिक परिपक्व बनाया है। यदि परिवार के सदस्य समय, संवाद एवं भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता दें, तो एकल परिवार भी स्वस्थ एवं संतुलित पारिवारिक जीवन का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इस तरह समग्र रूप से देखा जाए तो बदलती पारिवारिक संरचना के प्रभाव पूर्णतः सकारात्मक अथवा पूर्णतः नकारात्मक नहीं है। यह परिवर्तन सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिकता के लाभों को स्वीकार करते हुए भारतीय परिवार की मूल विशेषताओं- पारस्परिक सहयोग, उत्तरदायित्व, सम्मान तथा भावनात्मक एकता- को सुरक्षित रखा जाए। यही संतुलन भविष्य के भारतीय परिवार को अधिक सुदृढ़ एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी बना सकता है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Suggestions)

परिवार प्रत्येक समाज की आधारभूत सामाजिक संस्था है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण तथा सामाजिक उत्तदायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित होता है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था ने सदियों तक सामाजिक स्थिरता, आर्थिक सहयोग तथा सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु औद्योगीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा

के विस्तार, सूचना-प्रौद्योगिकी तथा महिलाओं की बढ़ती आर्थिक सहभागिता ने पारिवारिक संरचना में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। परिणामस्वरूप संयुक्त परिवारों का स्थान धीरे-धीरे एकल परिवारों ने ग्रहण करना प्रारंभ किया है।

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि 'एकल परिवारों का उदय केवल पारंपरिक मूल्यों के ह्रास का परिणाम नहीं है, बल्कि आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हैं। व्यावसायिक गतिशीलता, सीमित आवासीय संसाधन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा शिक्षा के बढ़ते अवसरों ने छोटे परिवारों को अधिक व्यावहारिक बनाया है (Ahuja, 2014)। दूसरी ओर, संयुक्त परिवारों में विद्यमान सामूहिक सहयोग, वृद्धजनों की देखभाल, बच्चों के व्यापक समाजीकरण तथा भावनात्मक सुरक्षा जैसी विशेषताओं का महत्व आज भी बना हुआ है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार का स्वरूप बदल सकता है, परन्तु उसका सामाजिक महत्व समाप्त नहीं होता। आधुनिक परिवारों में लैंगिक समानता, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, आर्थिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिगत गरिमा जैसे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अकेलापन, मानसिक तनाव, वृद्धजनों की उपेक्षा तथा बच्चों के समाजीकरण की नई चुनौतियाँ भी सामने आई है।

अतः आधुनिक परिवारों के समक्ष सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने की है।

'समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार एक गतिशील संस्था है, जो समय, परिस्थितियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करती रहती है' (Macionis, 2020, p. 438)। इसलिए संयुक्त परिवार एवं निरंतर प्रक्रिया के दो भिन्न चरणों के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा। भारतीय समाज की विशेषता सदैव समन्वय की रही है, अतः भविष्य का परिवार भी परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों तथा आधुनिक लोकतांत्रिक जीवन-मूल्यों के संतुलित समावेशन पर आधारित होगा।

सुझाव

बदलती पारिवारिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं—

1. परिवार में पीढ़ियों के मध्य संवाद एवं पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नैतिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3. वृद्धजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रभावी सरकारी एवं सामुदायिक योजनाओं का विस्तार आवश्यक है।

4. कार्यरत दम्पतियों के लिए परिवार-अनुकूल कार्य संस्कृति (Family Friengly work Culture) प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. आधुनिक तकनीक का उपयोग पारिवारिक संवाद को सुदृढ़ करने के लिए किया जाए, न कि प्रत्यक्ष मानवीय संबंधों के स्थापना के रूप में।

6. समाज में महिलाओं एवं पुरूषों दोनों की समान भागीदारी पर आधारित पारिवारिक वातावरण विकसित किया जाए, जिससे परिवार अधिक न्यायपूर्ण एवं संतुलित संस्था बन सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय परिवार परिवर्तन के दौर से अवश्य गुजर रहा है, परन्तु उसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अतीत में थी। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिकता के लाभों को स्वीकार करते हुए परिवार की मूल आत्मा-सहयोग, संवेदना, उत्तरदायित्व तथा सामाजिक समरसता-को सुरक्षित रखा जाए। यही संतुलन भविष्य के भारतीय समाज को अधिक सशक्त, समावेशी एवं मानवीय बनाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. The Household Dimension of the Family in India. Publication Year : 1973 (Some sources record the official publication/widespread release by the University of California Press as 1974). Citation Reference : Page 32.
2. Social Change in Modern India (Publication Year : 1996). Page 15 (Amazon, Digital Kindle Edition).
3. " Family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provice for the procreation and upbringing of children" (Maclver & Page, 1949, p. 238). This definition explicitly highlights both the biological and social roles of the family, as discussed in Chapter 11 under the section on primary groups.

4. According to George Peter Murdock (1949) in his seminal book Social Structure *pbulished by the Macmillan Commpany), "The family is a social group characterized by common residence, economic cooperation and reproduction...." (pp. 1-2). Murdock established the family as a 'universal institution', emphasizing that it is a fundamental social unit found in every human society. This definitive statement and definition appear at the very beginning of Chapter-1.
5. In this difinitive analysis of the Indian family structure, Ram Ahuja (1993) in Indian Social System conceptualizes the joint family as a critical kinship group defined by generational depth, shared property, and reciprocal social obligations (pp. 27-32). He emphasizes that the joint family functions as an essential informal social security system in India. Within this framework, individual intersts are subordinated to the collective welfare of the group, ensuring that the burden of care for the elderly, sick, and economically vulnerable members is distributed among all capable relatives under the direction of the household head.
6. Utilizing the theoretical framword proposed by Yogendra Singh (1973) in his seminal work Modernization of Indian Tradition, the rise of nuclear familites in urban India represents a fundamental structural tranformation from 'holism' toward 'individualism'. Singh argues that whild this shift empowers modern working couples to make autonomous economic, expenditure, and investment decision- thereby elevating their immediate standard of living- it functions as a double-edged sword. By replacing the shared financial and emotional responsibilites of the traditional joint family, the modern nuclear structure places the entire burden of metropolitan living costs, childcare, and elderly care onto limited household earners, inducing acute socio-economic pressures (pp. 174-178)
7. Goode, W.J. (1963). World Revolution and Family Patterns. Free Press. (Note: For the Indian context, see also: Kapadia, K.M. (1955). Marriage and Family in India. Oxford University Press). Sociological consensus emphasizes that contemporary changes in the Indian family structure are neither entirely positive nor entirely negative; instead, the represent a natural evolutionary faces of social development. While moder nuclear households frequently experience emotional strain, isolation, and caregiving deficits- particularly affecting children and the elderly due to geographical distance- they concurrently exhibit higher levels of mutual respect, balanced partnership, and mature communciation between spouses (Good, 1963). Ultimatelym, the synthesis of modern institutional advantages with traditional Indian values of emotional solidarity and collective responsiblity remains critical for sustaining a resillent family ecosystem in the future.
8. ''आधुनिकता के लाभों को स्वीकार करते हुए भारतीय परिवार की मूल विशेषताओं को सुरक्षित रखा जाए''- Singh, Y. (1973). Modernization of Indian tradition: A systematics study of social change, Thomson Press.
9. Ahuja, R. (2014). Indian Social system. Rawal Publication. P. 27-28.
10. Macionis, J.J. (2020). Sociology (17th global ed.). Pearson Education-" From a sociological perspective, the family is a dynamic institution that continuously adapts itself according to time, circumstances, and social needs"(Macionis, 2020, P. 438)

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 20th June 2026 Paper Accepted : 25th June 2026

भारतीय ज्ञान परम्परा और भाषा शिक्षण : सांस्कृतिक आत्मबोध की आधारभूमि

❑ डॉ. शोभारानी दुबे*

शोध-सारांश

भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम और समग्र ज्ञान प्रणालियों में से एक है, जिसकी जड़ें वैदिक वाङ्मय से लेकर लोक–संस्कृति तक विस्तृत हैं। यह परंपरा केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक, नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक आयामों को भी समाहित करती है। इस ज्ञान–धारा का संरक्षण, संवहन और विकास भाषा के माध्यम से संभव हुआ है। अतः भाषा शिक्षण भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता का केंद्रीय उपकरण है। प्रस्तुत शोध आलेख में भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा, उसके दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार, भाषा की सांस्कृतिक भूमिका, मातृभाषा–आधारित शिक्षा की आवश्यकता, राष्ट्रबोध एवं सांस्कृतिक आत्मबोध के निर्माण में भाषा शिक्षण की भूमिका तथा समकालीन शिक्षा–विमर्श में भारतीय ज्ञान प्रणाली के पुनर्स्थापन का विश्लेषण किया गया है। आलेख में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि भाषा शिक्षण को भारतीय ज्ञान–परंपरा से जोड़कर पुनर्संरचित किया जाए, तो शिक्षा केवल कौशल–आधारित न रहकर मूल्य–आधारित, आत्मबोधमूलक और राष्ट्रनिर्माणोन्मुख हो सकती है।

मुख्य शब्द– भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा शिक्षण, सांस्कृतिक आत्मबोध, राष्ट्रबोध, मातृभाषा शिक्षा, भारतीय भाषाएँ, मूल्य–शिक्षा, शिक्षा–दर्शन, सांस्कृतिक चेतना, भारतीय ज्ञान प्रणाली।

प्रस्तावना

भारत की सांस्कृतिक पहचान उसकी ज्ञान–संपदा में निहित है। यह ज्ञान केवल ग्रंथों में निहित सिद्धांतों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवन–दृष्टि है, जो व्यक्ति और समाज दोनों को दिशा प्रदान करती है। भारतीय चिंतन में ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक विस्तार नहीं, बल्कि आत्मबोध, आत्मानुशासन और लोकमंगल है। इस व्यापक दृष्टि का विकास भाषा के माध्यम से हुआ है। भाषा ने ही भारतीय ज्ञान को पीढ़ी–दर–पीढ़ी संप्रेषित किया और उसे जीवंत बनाए रखा।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का स्वरूप तीव्र गति से बदल रहा है। तकनीकी विकास और बाजार–उन्मुख दृष्टिकोण ने शिक्षा

* सहायक प्राध्यापक (संविदा), कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

को कौशल–केंद्रित बना दिया है। ऐसे समय में यह प्रश्न प्रासंगिक हो उठता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ पा रही है? क्या भाषा शिक्षण केवल परीक्षा और रोजगार तक सीमित रह गया है, या वह सांस्कृतिक आत्मबोध और राष्ट्रबोध का निर्माण भी कर रहा है?

इस शोध आलेख का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषा शिक्षण के अंतर्संबंध का विश्लेषण करना तथा यह प्रतिपादित करना है कि भाषा शिक्षण सांस्कृतिक आत्मबोध की आधारभूमि के रूप में किस प्रकार कार्य कर सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा रू स्वरूप और दार्शनिक आधार

भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक साहित्य, उपनिषद, दर्शन–शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, गणित, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोक–परंपराएँ इसकी व्यापकता को दर्शाती हैं। यहाँ ज्ञान को 'विद्या' कहा गया है, जिसका लक्ष्य अज्ञान का निवारण और आत्मप्रकाश है।

भारतीय दर्शन में ज्ञान का संबंध सत्य और धर्म से जुड़ा हुआ है। उपनिषदों में वर्णित "तत्त्वमसि" और "अहं ब्रह्मास्मि" जैसे महावाक्य आत्मबोध की दिशा में प्रेरित करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराना है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को "मनुष्य में निहित पूर्णता का अभिव्यक्तिकरण" कहा। यह दृष्टि स्पष्ट करती है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षा आत्मविकास और समाजोपयोगिता दोनों का माध्यम है।

भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी बहुलता और समन्वयात्मकता है। यहाँ शास्त्र और लोक दोनों को समान महत्व प्राप्त है। संस्कृत ने दार्शनिक और शास्त्रीय साहित्य को संरक्षित किया, जबकि प्राकृत, पालि और आधुनिक भारतीय भाषाओं ने लोकानुभव को अभिव्यक्ति दी।

भाषा : संस्कृति और ज्ञान की वाहिका

भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति की वाहिका है। भाषा के माध्यम से ही समाज अपने अनुभव, मूल्य और परंपराएँ अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है। किसी भी भाषा के शब्दकोश में उस समाज की जीवन–दृष्टि और सांस्कृतिक संवेदनाएँ अंतर्निहित होती हैं।

भारतीय भाषाओं की संरचना और अभिव्यक्ति में आध्यात्मिकता, प्रकृति–प्रेम, सामुदायिकता और नैतिकता के तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। हिंदी, तमिल, बंगला, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं में रचित साहित्य सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक अनुभव का प्रतिबिंब है।

मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से बालक का संज्ञानात्मक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। वह अपने परिवेश से जुड़कर सीखता है। यदि प्रारंभिक शिक्षा विदेशी भाषा में दी जाए, तो वह भावात्मक दूरी का अनुभव कर सकता है। इसीलिए भारतीय शिक्षा–दर्शन में मातृभाषा को विशेष महत्व दिया गया है।

भाषा शिक्षण और सांस्कृतिक आत्मबोध

सांस्कृतिक आत्मबोध का अर्थ है– अपने इतिहास, परंपरा, साहित्य और मूल्यों की पहचान तथा उन पर गर्व का भाव। भाषा शिक्षण इस आत्मबोध का प्रथम चरण है। जब विद्यार्थी अपनी भाषा के साहित्य से परिचित होता है, तो उसमें संवेदनशीलता और नैतिकता का विकास होता है।

उदाहरणस्वरूप, सामाजिक न्याय और समानता की चेतना को समझने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का अध्ययन केवल इतिहास का अध्याय न रहकर मूल्य–शिक्षा का आधार बन सकता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत भाषा–साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों के चरित्र–निर्माण में सहायक हो सकता है।

भाषा शिक्षण यदि केवल व्याकरण और परीक्षा तक सीमित रहे, तो वह सांस्कृतिक आत्मबोध

उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में लोक–साहित्य, क्षेत्रीय परंपराएँ, नैतिक आख्यान और राष्ट्रीय महापुरुषों के विचारों का समावेश किया जाए।

राष्ट्रबोध और भाषा

राष्ट्र केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्र की पहचान उसकी भाषिक विविधता में निहित है। विभिन्न भाषाएँ मिलकर एक सांस्कृतिक समन्वय का निर्माण करती हैं।

भाषा शिक्षण राष्ट्रबोध के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विद्यार्थी अपनी भाषा के माध्यम से अपने देश के इतिहास और सांस्कृतिक उपलब्धियों को जानता है, तो उसमें आत्मगौरव का विकास होता है। राष्ट्रबोध संकीर्णता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान और वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना है।

वैश्वीकरण और भाषा की चुनौती

वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी और अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का महत्व बढ़ा है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि वैश्विक संवाद के लिए बहुभाषिकता आवश्यक है। किंतु यदि मातृभाषा की उपेक्षा होती है, तो सांस्कृतिक विस्मरण का संकट उत्पन्न हो सकता है।

समाधान यह है कि शिक्षा प्रणाली बहुभाषिक मॉडल को अपनाए, जिसमें मातृभाषा में सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाए और अन्य भाषाओं को संवाद के साधन के रूप में विकसित किया जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्यक् अध्ययन तभी संभव है, जब विद्यार्थियों को मूल स्रोतों और भारतीय भाषाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

समकालीन शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान प्रणाली

समकालीन शिक्षा विमर्श में भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास दिखाई देता है। मातृभाषा–आधारित प्रारंभिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान परंपराओं का समावेश और मूल्य–आधारित शिक्षा पर बल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

यदि भाषा शिक्षण को भारतीय ज्ञान–परंपरा से जोड़ा जाए, तो वह विद्यार्थियों में केवल संप्रेषण कौशल ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास भी कर सकता है।

उपसंहार

भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषा शिक्षण का संबंध अविभाज्य है। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति जीवित रहती है और ज्ञान प्रवाहित होता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति न होकर जीवन को सार्थक बनाना है, तो भाषा शिक्षण को भारतीय ज्ञान–परंपरा से जोड़ना अनिवार्य है।

सांस्कृतिक आत्मबोध, राष्ट्रबोध और मानवीय मूल्यों का निर्माण भाषा के माध्यम से ही संभव है। जब शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़ती है, तभी वह वैश्विक स्तर पर सशक्त और प्रभावी बनती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- आंबेडकर, भीमराव. शिक्षा और सामाजिक न्याय. नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग।
- गांधी, मोहनदास करमचंद, हिंद स्वराज, अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन।
- विवेकानंद, स्वामी, शिक्षा पर विचार. कोलकाता : अद्वैत आश्रम।
- टैगोर, रवीन्द्रनाथ, शिक्षा और संस्कृति, विश्वभारती प्रकाशन।
- राधाकृष्णन, सर्वपल्ली. भारतीय दर्शन, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
- अरविंद, श्री, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, पांडिचेरी : श्री अरविंद आश्रम।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय।
- शर्मा, रामविलास, भारतीय साहित्य की भूमिका, नई दिल्ली : लोकभारती।
- चतुर्वेदी, सीताराम, भारतीय संस्कृति और शिक्षा, वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन।

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
SHODH CHETNA YEAR 2026 Vol. 2 PRAYAGRAJ
Paper Received : 24nd June 2026 Paper Accepted : 28th June 2026

Impact of AI (Artificial Intelligence) on Indian Education

Dr. Arun Pandey*

ABSTRACT

One of the most exciting changes has come in education. Schools and universities are adopting AI at a fast pace. This shift is visible across classrooms, online learning platforms, and even administrative tasks.AI is one of the most important technologies in the world today is already at work in our everyday life . One of the most exciting changes has come in education. Schools and universities are adopting AI at a fast pace. This shift is visible across classrooms, online learning platforms, and even administrative tasks. India is embracing this change too. The use of artificial intelligence in education in India is growing rapidly.

KEY WORDS– *Artificial intelligence, Indian Education , Technology, Computers.*

I. INTRODUCTION

AI is transforming education in India by offering personalized learning experiences, automating administrative tasks, and providing data-driven insights for educators. It's also helping bridge the digital divide by making education more accessible and inclusive, especially for students with disabilities. However, challenges like the digital divide and the need for teacher training remain. Artificial Intelligence (AI) has rapidly emerged as a game-changer in various fields, including education. In India, a country with a diverse and complex educational landscape, the adoption of AI holds immense potential to address longstanding challenges such as quality education, accessibility and inclusivity. AI technologies, such as personalized learning platforms, virtual assistants and automated assessment tools, are gradually reshaping traditional teaching and learning practices. The use of Artificial Intelligence (AI) in developing new teaching learning solutions is gaining momentum towards transforming the education system in India. Schools are beginning to shift from conventional methods of teaching to smart education to enhance students learning experiences. AI presents new avenues to enhance the effectiveness and reach of education system in India. Artificial Intelligence (AI) is no longer just a futuristic concept. It has become a

* Assistant Professor (Cont.), College of Education (B.Ed.), A.P.S.U. Rewa (M.P.)

part of our daily lives. From smart assistants in homes to self-checkout systems in supermarkets, AI is every where. It is shaping how students learn, how teachers teach, and how institutions run. Artificial intelligence in the field of education refers to the use of smart technologies to enhance teaching and learning. AI can analyse student performance, personalize lessons, and even automate tasks like grading and attendance.AI tools are becoming central to EdTech platforms. These platforms use artificial intelligence tools in education to support both students and educators. AI can create quizzes, generate feedback, and adjust the difficulty level of content. In short, AI brings a data-driven, customized, and efficient approach to education. The many uses of artificial intelligence in education make learning more accessible and teaching more efficient.

II. REVIEW OF LITERATURE

A review of related literature is very important in every kind of research paper. So, reviewed some literature. These are as follows: Jain, S. & Jain, R. (2019) made an empirical study on the role of artificial intelligence in higher education. The results of the study reveal that integrating AI into higher education institutions significantly enhances the capacity of learners for learning and that AI has a bright future in the sector of higher education. Kataria et al., (2020)While AI adoption in Indian education is still in its early stages and it shows significant potential for growth. Khan, M.A. (2021) wrote an article entitled "Artificial Intelligence (AI) & Education Developing Adaptable Learning Opportunities among Teachers & Learners" where the researcher discussed on meaning of AI and its necessity and role in the field of Education, and also various challenges of AI. The study also revealed the impact of AI on Education in India. Sharma, (2023) Artificial Intelligence (AI) is transforming the Indian education sector by enhancing teaching and learning processes. AI tools improve grading efficiency and foster critical thinking among students it also helps address the shortage of teachers in India . Sihag & Vibha, (2024). Artificial Intelligence (AI) is transforming education in India by enhancing personalized learning, supporting teachers and improving administrative processes. AI-powered tools like intelligent tutoring systems and adaptive assessments are tailoring learning experiences to individual student needs, improving engagement and outcomes.

III. METHODOLOGY:

This study adopts a descriptive research design to analyze the role of Artificial Intelligence in education in India. The study relies on data from journal articles, conference proceedings and policy documents such as the National Education Policy (NEP) 2020.

IV. AI IN INDIAN EDUCATION:

AI can transform Indian education by enhancing teacher efficiency, personalizing learning and improving administrative systems. AI tools enhance grading efficiency and foster critical thinking and analytical skills among students in the Indian education sector. AI can be a transformative tool in Indian education by empowering both teachers and students, but social and ethical aspects need to be addressed. AI has the potential to transform the Indian education system through personalized learning, recommendation systems and adaptive assessments. AI has the potential to strategically integrate with conventional teaching methods in Indian education to provide sustainable and equitable learning. Artificial Intelligence (AI) is increasingly shaping the Indian education system by transforming traditional teaching and learning practices. With its ability to process vast amounts of data, analyze patterns and personalize experiences, AI has become a critical tool for addressing key challenges in Indian education, including accessibility, quality and equity. Current Applications of AI in Indian Education: AI is increasingly being utilized across the Indian

education system to improve efficiency, enhance learning outcomes and make education more accessible. Here are some of the key areas where AI is being applied: AI-powered tools can analyze student performance data to create customized learning paths and resources.

- Adaptive learning platforms adjust the difficulty level and content based on individual student needs
- This helps students learn at their own pace and focus on areas where they need the most support.
- AI can automate routine tasks like grading assignments, tracking attendance, and scheduling
- This frees up teachers' time to focus on teaching and providing individualized attention to students.
- AI-powered tools can also help with lesson planning and curriculum development by providing data-driven insights into.
- student learning patterns. Accessibility and Inclusivity.
- AI-powered assistive technologies, like speech-to-text and text-to-speech applications, can help students with disabilities.
- access educational materials. Virtual classrooms and interactive learning platforms can make education more accessible to students in remote areas
- AI can also help bridge the digital divide by providing affordable and accessible learning resources.

V. AI IN TEACHING AND LEARNING

Artificial Intelligence (AI) is playing an increasingly vital role in transforming traditional teaching and learning methods across the globe. In India, AI tools are being integrated into classrooms, from primary schools to universities, to enhance both teaching effectiveness and learning outcomes. Here's an overview of how AI is being applied to both teaching and learning in the educational ecosystem. AI enables adaptive learning, allowing the educational experience to be tailored to individual student needs. AI-powered tools assess student strengths and weaknesses, adapting lessons and assignments accordingly. This ensures that students progress at their own pace and optimizing learning outcomes. AI provides real-time, actionable feedback, helping students identify areas of improvement and enabling teachers to offer more targeted interventions. AI helps teachers focus on teaching by automating time consuming administrative tasks. AI tools can grade assignments, essays and quizzes automatically, significantly reducing the workload on teachers and providing instant feedback to students. Tasks such as attendance tracking, scheduling and managing student data can be automated, allowing educators to allocate more time for lesson planning and personalized instruction. AI can create more interactive and engaging learning experiences that capture students attention. AI powered educational games and simulations make learning more interactive and enjoyable, which helps improve student motivation and retention of information. AI allows for the creation of dynamic, multimedia-rich educational content, including videos, animations and interactive quizzes, keeping students engaged and enhancing understanding. AI helps collect and analyze data to provide deeper insights into student learning patterns. Real-Time Performance Monitoring: AI-driven platforms can track student performance continuously, helping educators identify students who are struggling or excelling. This data allows teachers to adjust their teaching methods accordingly and provide timely interventions. AI can forecast student future performance based on historical data and enabling proactive measures to support at-risk learners. AI can provide access to high-quality education resources to a larger audience, particularly in underserved areas. AI powered virtual tutors and online learning platforms can

make quality education available to students in remote or rural areas, where resources may be limited. AI plays a crucial role in making education more inclusive for students with disabilities. While initial implementation of AI tools may require investment and the long-term benefits often outweigh the costs. AI can automate administrative and grading tasks, saving both time and money. Teachers can focus more on teaching and student engagement while AI takes care of routine tasks and resulting in a more efficient learning environment. AI tools not only support students but also aid teachers in their professional growth. AI-driven platforms can provide personalized training recommendations for teachers, helping them stay up-to-date with the latest educational methods and technologies. AI tools assist teachers in managing classrooms by providing real-time data on student behavior, helping them address issues promptly and improving classroom dynamics. AI provides continuous, 24/7 support to students and enhancing their learning experience. AI-powered platforms can reach a wide audience across different regions and making quality education more accessible. AI-based online learning platforms can serve as affordable alternatives to traditional and costly education methods for all.

VI. Challenges in AI Integration Digital Divide

A significant challenge is ensuring that all schools and students have access to the technology and infrastructure needed to utilize AI effectively.

the AI adoption process. Many rural and underprivileged regions in India still face limited access to reliable internet connections and digital devices, which are essential for AI based education. Without robust technological infrastructure, AI tools cannot be effectively accessed. Most teachers in India are not trained to integrate AI tools into their teaching methods. Without proper training, teachers may struggle to effectively use AI systems in classrooms. Teachers who are accustomed to traditional teaching methods might resist adopting AI tools and fearing that technology could replace their role or overwhelm their teaching style. Overcoming this resistance requires targeted professional development programs. Even if teachers are trained such as an ongoing support in the form of tutorials, mentorship and resources is often lacking, leaving them ill equipped to use AI tools effectively. Developing and implementing AI-powered education systems involves significant costs, including purchasing AI software, upgrading infrastructure and training teachers. Many educational institutions particularly public schools may find these costs prohibitive. Once AI tools are implemented in educational institutions need ongoing financial resources for maintenance, updates and further development. For smaller schools or colleges, these long-term costs can become a barrier. The Indian education sector lacks standardized frameworks for evaluating and regulating AI tools. The absence of quality control mechanisms could lead to the use of substandard or ineffective AI solutions that may not deliver desired educational outcomes. Inadequate Focus on Education-Specific AI Solutions: Much of the AI development globally has been concentrated in sectors like business, healthcare and entertainment with limited focus on the unique needs of education. In India, there is a need for more research into AI solutions tailored to local teaching methodologies, languages and cultural contexts. While some educational institutions in India are partnering with tech companies for AI integration. There is still a need for more collaboration between government, academia and industry to drive innovation in AI for education. Over-reliance on AI systems could make students dependent on technology, hindering the development of critical thinking, problem solving and independent learning skills. India is a multilingual country with diverse cultural

contexts. AI tools must be designed to be inclusive of these factors, as most AI solutions may only support a limited number of languages or fail to adapt to local cultural nuances. AI tools in education are predominantly available in English, which limits their effectiveness for non-English speaking students. AI-driven education systems must support multiple languages to ensure inclusivity across different regions. The integration of AI in teaching and learning brings numerous benefits, including personalized education, greater efficiency, improved student engagement and increased accessibility. By automating routine tasks and providing data driven insights AI frees up time for educators to focus on the most critical aspects of teaching engaging students and enhancing their learning experience. As AI continues to evolve, it promises to play a significant role in making education more effective, inclusive and equitable.

VII. OPPORTUNITIES

India is taking major steps to promote AI in education. The National Education Policy (NEP 2020) encourages digital learning and AI awareness. NITI Aayog has also introduced AI for All programs. We will soon see deeper integration of AI in higher education, vocational training, and research. Colleges are beginning to offer AI-based courses. Students are learning skills to work with or build AI systems. Teachers are getting trained to use AI tools. This helps them adopt new ways of teaching and assessing. The future looks promising. With the right support and infrastructure, AI can make education more inclusive and powerful .As Artificial Intelligence (AI) continues to make inroads into various sectors, its potential to transform education in India is both immense and critical. While there are challenges to overcome, there are also significant opportunities for AI to revolutionize teaching and learning in India. AI can help bridge the gap between traditional education and industry needs by offering personalized training and skill development programs. With AI-driven platforms, students can access courses that are more aligned with current job market trends, such as coding, data science and artificial intelligence. AI can help identify skills gaps in students by analyzing performance data and providing targeted learning materials to develop those skills. This could be particularly useful in vocational education and skills training programs. AI can take over routine tasks such as grading assignments and quizzes, allowing teachers to focus on pedagogy, mentoring and individualized student support. AI can analyze large volumes of student data helping teachers understand learning trends and identify students who need additional support. This can lead to more timely and targeted interventions, improving learning outcomes. AI has the potential to support students with special needs by providing tools such as speech-to-text, text-to-speech and cognitive support systems. For example, AI-based applications can help students with learning disabilities, visual impairments or hearing disabilities to access and engage with learning materials more easily. AI can also help bridge language barriers by providing automatic translation and transcription services, enabling students from different linguistic backgrounds to access education in a language they understand. The integration of AI in Indian education presents a transformative opportunity to enhance learning outcomes, improve accessibility and empower both students and teachers. By addressing challenges related to infrastructure, training, ethics and data security India can unlock the full potential of AI to create a more inclusive, efficient and personalized education system. Collaboration between the government, educational institutions and the private sector will be key to overcoming these hurdles and driving AI innovation in education.

VIII. CONCLUSION

The integration of Artificial Intelligence (AI) in Indian education marks a significant milestone towards transforming the traditional education

system. With its ability to personalize learning, improve efficiency and bridge gaps in accessibility AI has the potential to reshape how education is delivered and experienced in India. The opportunities AI presents from providing scalable learning solutions to enhancing teacher effectiveness and student engagement are vast and promising. AI has the potential to revolutionize education in India by making it more personalized, efficient, and accessible. However, addressing the challenges related to the digital divide, teacher training, and ethical considerations is crucial to ensure that AI benefits all students. However, to fully leverage the potential of AI, several challenges must be addressed. The way forward for AI in Indian education lies in a collaborative effort between the government, educational institutions, the tech industry and society. AI can serve as a catalyst for change, creating a more inclusive, efficient and personalized learning environment. By addressing the challenges and seizing the opportunities.

REFERENCES

1. Jain, S. & Jain, R. 2019. Role of Artificial Intelligence in Higher Education- An Empirical Investigation. International Journal of Research and Analytical Reviews, 6(2): 144-150.
2. Kataria, A., Mishra, R., & Lalwani, P. (2020). Role of Artificial Intelligence in Education. SSRN Electronic Journal.
3. Khan, M. A. 2021. Artificial Intelligence (AI) & Education Developing Adaptable Learning Opportunities among Teachers & Learners. Edutracks , 20(9): 39-44
4. Sharma, A. (2023). Role of Artificial Intelligence in the Indian Education Sector: A Systematic Literature Review. International Journal of Science and Research (IJSR).
5. Sihag, P., & Vibha, V. (2024). Transforming and Reforming the Indian Education System with Artificial Intelligence. Digital Education Review.
6. Bansal, U. (2023). Artificial Intelligence in Indian Education: Navigating Challenges and Embracing Opportunities. Journal Global Values.
7. Jaiswal, A., & Arun, C.J. (2021). Potential of Artificial Intelligence for transformation of the education system in India. 8. Singh, M.B., & Malhotra, D.M. (2020).

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 24nd June 2026 **Paper Accepted : 28th June 2026**

Challenges and Issues of Teacher Education in India

Dr. Pratiksha Pandey*

ABSTRACT

Education is the primary key to the overall development of any nation, and it always depends on the high quality of its teachers. Knowledge, dedication, quality, professional commitment, and motivation of teachers are crucial factors responsible for quality education and learner achievement. Currently, preparing such teachers is the biggest challenge for governments worldwide. It is undeniably true that with the ever-increasing volume of knowledge, and in light of new educational and psychological theories, philosophies, sociology, and globalization, the teacher's job has become more challenging. There is a dire need for well-planned, sophisticated, and imaginative teacher education programs today. The current teacher education program urgently needs criticism, study, improvement, rethinking, and restructuring. Improving teacher education is a three-dimensional task. Therefore, providing well-prepared and effective teachers is not only a difficult challenge for every country but also a matter of great concern for society due to declining values and questions about the purpose and goals of education. In India, during this quest for reform and restructuring, and in light of various policy papers and documents such as the Kothari Commission Report (1964-66), Acharya Ramamurti Committee Report (1990), NCF (2005), National Knowledge Commission Report, NCTE Regulations 2009, Right to Education Act 2009, NCFTE (2010), etc., the teacher education curriculum and regulations have witnessed a significant transformation in recent years. However, some problems persist, such as updating the curriculum, increasing the duration and quality of internships, bringing quality to in-service teacher education, addressing the lack of practical aspects, and improving teacher education through distance learning, which are major points of debate. This paper, in fact, deals with some important policies, problems, and proposed suggestions related to teacher education that can be considered.

***Keywords–** Education, Teacher Education, Issues, Challenges etc.*

* (Asst. Prof.), College of Education, Awadesh pratap singh University Rewa (MP)
Email pratikshapandey561@gmail.com

1. Introduction

It is widely known that teachers play a crucial role in the development of an inclusive education system. Highly motivated, qualified, and trained teachers are a critical factor in ensuring meaningful access to education. Teacher education is a robust process of developing teachers' competence and capacity, which in turn enables and empowers them to meet the needs and challenges of the profession in the present times. Good's Dictionary of Education defines teacher education as "all formal and informal activities and experiences that qualify a person to assume the responsibilities of a member of the educational profession or to perform his or her responsibilities more effectively." W.H. Kilpatrick defined teacher training by saying that "training is given to animals and circus performers, while education is given to human beings. Teacher education includes teaching skills, sound pedagogical theory, and professional skills. Teacher Education = Teaching Skills + Pedagogical Theory + Professional Skills." Clinton, in his Call to Action for American Education in the 21st Century (1996), stated that, "Every community should have a talented and dedicated teacher in every classroom. If we recruit bright people into teaching and give them the highest quality preparation and training, we have a tremendous opportunity to ensure the quality of teachers in the 21st century." This highlights the importance of preparing good teachers. A good teacher education system is a primary requirement for the progress of any nation. The quality of teachers is the most important factor in school education. UNESCO-ILO stated that "teacher quality is a critical consideration in student achievement, and although it has been defined differently by different people, it remains a central concern of those responsible for teacher education. Quality teachers are the product of quality teacher education programs, policies, and practices." Recently, the universalization of elementary education, the implementation of the RTE Act, and the Sustainable Development Goals (SDGs) have created a huge demand for teachers, and to meet this new challenge, our country must be able to produce a large number of good teachers. Today, new innovations and experiments are being conducted inside and outside the classroom, including project-based learning, the development of thinking skills, and discovery learning approaches. Many teachers are not fully familiar with implementing the concepts of the new curriculum, and many are not adequately prepared to implement the curriculum effectively. Therefore, it is essential to define the necessary professional qualifications and skills for a good teacher and to instill them in prospective teachers.

These qualities that make good teachers were summarized by Arthur et al. in a survey of teachers in the UK, which identified fairness, creativity, and a love of learning, humor, perseverance, and leadership as the six most important character strengths for good teachers, along with kindness and honesty.

In this context, and to improve the quality of teachers, some countries have developed teaching standards. For example, Australia developed standards for teachers in 2010 and finalized the three domains and seven standards of teaching, as outlined in Education Services Australia (2011), which are given below

Professional Knowledge : (Domain 1)

1. Know students and how they learn;
2. Know the content and how to teach it;

Professional Practice (**Domain 2**)

3. 3 Plan for and implement effective teaching and learning
4. Create and maintain supportive and safe learning environments
5. Assess, provide feedback and report on student learning Professional Engagement: (**Domain 3**)
6. Engage in professional learning
7. Engage professionally with colleagues,

parents / carers and the community Teacher Education is the means for inculcating these professional qualities within future teachers

2. Status and Development of Teacher Education in Post-Independence India

After independence, several committees, commissions, documents, and policy papers were prepared and implemented from time to time to review progress and achievements and to offer suggestions on every aspect of education, including teacher education. Among these, the University Education Commission (1948-49) was the first education commission established in independent India. It critically examined the existing courses in teacher training programs and suggested that these courses should be flexible and adapted to local conditions. It recommended that teacher education courses should be redesigned, suitable schools should be selected for practical training, and more time should be allotted for school practice, and the term 'teacher training' was replaced with 'teacher education'. Subsequently, the Secondary Education Commission (1952-53) suggested that during the one-year training period, graduate teachers should be trained in the methods of teaching at least two subjects. The practical part of teacher training should include teaching practice, observation, demonstration, and criticism of lessons. It should also include the construction and administration of educational tests, supervised study, and the organization of 'students' societies', conducting library periods, and maintaining cumulative records.

Ford Foundation Term (1954)–was an International team of experts appointed by Government of India, to examine in detail the major recommendations of the Secondary Education Commission. It recommended that the teacher training institutions should include demonstration or laboratory schools where experiments are made in curriculum construction and progressive methods of teaching are used. Pires Committee (1956) recommended that practical aspects should be given more weightage than the theory portion in teacher training. The examination papers should be reduced to four viz.

1. Principles of Education and School Organisation
2. Educational Psychology and Health Education
3. Methods of Teaching Two School Subjects
4. Current Problems in Indian Education

The Education Commission of 1964-66 (Kothari Commission) found that to meet the needs of the national education system, a robust program of professional education for teachers was essential for qualitative improvement in education at all levels of teacher training.The National Policy Statement on Education (1968) also emphasized that among all the factors determining the quality of education and its contribution to national development, the teacher is undoubtedly the most important. Therefore, the teacher should be accorded a respected place in society. The teacher's salary and service conditions should be adequate and satisfactory, commensurate with their qualifications and responsibilities.

First Asian Conference on Teacher Education (1971) held at Bangalore and jointly sponsored by Association of Teacher Educators (IATE) and the International Council on Education for Teaching (ICET) recommended that the programs of school education and teacher education in each country should be modified to meet the new challenges.

Efforts of Indian Association of Teacher Educators (IATE)– The Indian Association of Teacher Educators, formerly All India Association of Training Colleges, the only national organization of teachers of training institutions, have been organizing annual conferences beginning with their first meet at Baroda in 1950. IATE constituted a study group popularly known as Baroda Study Group towards revitalizing the

B.Ed. Programme National Commission on Teachers I (for school teachers) of 1983-85 suggested a 4 year training course after senior secondary, or preferably a 5 year course leading to graduation and training. For elementary teachers it suggested a two year training course after Class XII. It recommended that an integrated 4 year curriculum of a degree in education should consist of general education and professional preparation. Training curriculum for elementary teachers should emphasize on mastering language and communication skills. The teacher educators in colleges of education should be from disciplines of various school subjects like psychology, sociology, philosophy etc. The minimum qualification for a teacher educator should be a PG degree in the subject and a B.Ed., preferably a M.Ed. degree. The minimum qualification for a teacher educator for the elementary training institutes should be a PG degree with B.Ed. training. This commission also suggested that the practice teaching should be replaced by the word "Internship".

The National Policy of Education (NPE) in 1986 recommended that teacher education is a continuous process and its pre-service and in-service components are inseparable. NPE 1986 and its Programme of Action 1992 advocated for improving the quality of teacher education as it was the prerequisite to improve the quality of school education. As a result, some training schools were upgraded to District Institutes of Education and Training (DIETs), Colleges of Teacher Education (CTEs) and Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs). Acharya Ramamurti Committee (1990) observed that an internship model for teacher training should be adopted because "…the internship model is firmly based on the primary value of actual field experience in a realistic situation, on the development of teaching skills by practice over a period of time."Yashpal Committee (1993) noted that inadequate programme of teacher preparation leads to unsatisfactory quality of learning in school. Therefore, the B.Ed. programme should offer the possibility of specialization in secondary or elementary or nursery education. The duration of the programme should either be one year after graduation or four years after higher secondary. The contents of the programme should be restructured and be relevant to the changing needs of school education. The emphasis should be on enabling the trainees to acquire the ability for self-learning and independent thinking. The statutory NCTE prescribed a Curriculum Framework (1998) to provide guidelines for the content and methodology of teacher education. As a result, many universities and state governments revised the courses of teacher education. The National Curriculum Framework (NCF) 2005 for school education made recommendations about curriculum, school, exams and many more. It stated that teacher quality is an outcome of several factors: teacher s status, remuneration and conditions of work, besides teacher s academic and professional education. National Knowledge Commission (2007) suggested that there should be adequate monitoring of the teacher education programmes by private institutes, the budgetary allocations should be increased, and the state level training system along with DIETs should be revamped.

3. Challenges in Teacher Education

The significant expansion of teacher education institutions in the last decade reveals the current state of the teacher education landscape. Nationwide primary education programs such as Operation Blackboard, the District Primary Education Program, Sarva Shiksha Abhiyan and the universalization of elementary education have resulted in a substantial increase in the number of schools and enrollments, leading to a manifold increase in the demand for teachers. Consequently, there has been a proliferation of teacher education institutions, but quality standards have been largely neglected in this process. As a result,

newly trained teachers often exhibit poor quality, a lack of responsibility, and a widespread deficiency in the minimum desired qualities and dedication.

3.1 Poor Integration of Skills

Certain skills such as life skills, techno-pedagogical skills, information literacy skills, emotional skills, human development skills, and spiritual skills need to be integrated into teacher education programs to a much greater extent. Additionally, there should be a simultaneous focus on creative thinking, critical thinking, and self and social management skills. The country's current teacher education system fails to integrate these skills into the learning process.

3.2 Small time period for teacher's training

In India, this period is of one year after the graduation nally the effective 6 to 7 working months in a session was less than required to develop healthy attitude, values and multidirectional interest. To overcome this problem, NCTE has extended this period to 2 years from 2015. There are some positive and negative impacts of this step but the final result has yet to come. But controversies are still there. A recent survey (possible rollback) of NCTE by inviting suggestions about the duration, before the completion of the first batch, is a strange and unexpected step.

3.3. Problem of selection

The selection process for teacher education programmes includes some defects which result in deterioration of the quality of teachers. A better selection processes and use of appropriate methods is needed to improve the quality of prospective teachers and in turn their training. Including steps like tests of General Knowledge, school subjects, language, intelligence, aptitude, interest and attitude by suitable methods coupled with interview of candidates will be a good move.

3.4. Incomplete competency development of teachers

The present training programme does not provide proper opportunities for pupil teachers to develop their competency as these training programmes are not well concerned with the existing problems of schools. So a close link between the routine work of a school teacher and the programme of teacher training college is a must. The recommendation of increasing the internship period of school is a good step in the direction.

3.5. Improper and inadequate practice teaching

Generally practice teaching is not taken seriously and professionally by pupil teachers, especially in many private teacher training institutes and there is a lack of sense of duty, and they remain irresponsible, aimless, and indifferent to children, which are hurdles in the development of pedagogical skills.

3.6. Lack of subject knowledge

The programme of B. Ed. does not emphasize the knowledge of the basic subject. It should ensure the development of subject knowledge along with teaching skills. Without it the teaching practice will remain somewhat ineffective with regard to the subject knowledge.

3.7. Inappropriate methods of teaching

In India teacher educators are neutral towards adopting innovative methods and experimentation in their teaching. Their acquaintance with modern class-room technologies and effective ICT techniques are poor.

3.8. Incomplete supervision and feedback

The supervision coupled with proper feedback is useful for improving practice teaching and instructional activity of the pupil teachers. Feedback and support help them in developing confidence to face the classroom. Guidance for planning lessons, learning to organize contents, and developing other classroom skills are its parts but in reality the lesson plans are checked superficially and no meaningful discussion is made by the subject method masters.

4. Solutions to overcome the challenges

To overcome teacher education challenges, focus on modernizing curricula with tech & 21st-century skills, enhancing practical training via longer internships & mentorship, strengthening school-university links, ensuring quality faculty, and promoting continuous professional development through workshops & online networks, all while addressing systemic issues like funding and workload with better management and supportive policies. Solutions involve integrated ICT, competency-based training, collaborative research, better resource allocation, and creating a culture of ongoing learning for educators.

- Timely updating of curriculum
- Stronger Governance and proper & continuous monitoring of private institutions
- Faculty training programme in value education and stress management
- Development of critical thinking
- Development and enrichment of life skills
- Developing competency of teachers
- Maintaining Academic Uniformity
- Competency-Based Training
- Strengthen Practical Experience
- Research-Informed Practice
- Mentorship
  Student-Centered Learning

5. Some suggestions to overcome the challenges

- Workshops, In-service training should be organized for the teacher educators time to time to maintain the quality of teacher education.
- Stricter requirements for affiliation and an efficient monitoring system by NCTE are necessary to uphold the decorum of teacher education in India.
- The curriculum needs to be changed periodically to meet the needs of both society and the pupils.
- There should be a common admission procedure in order to admit the students in various teacher education programs. Content knowledge, general awareness, reasoning ability along with teaching aptitude can be assessed prior to the admission.
- The qualification of Teacher Educators or Assistant Professors to teach the student teachers should be decided strictly as per the NCTE norms.
- In order to revitalize India's teacher education institutes, funds and other resources should be made available.
- To preserve the standard of teacher education in India, timely appointments of Assistant Professors or Teacher Educators are required.
- The trainee teachers' evaluations have to be continuous and comprehensive. So that they will be able to know their strength and weakness and accordingly they can improve themselves. The nature of feedback should be constructive.
- Internship period can be increased a little bit to make the student teachers more familiar with the school as well as class environment.
- Teacher Educators should integrate different methodologies as well as approaches to facilitate the students. Traditional approach of teaching should be avoided as far as possible.

6. Recommendations of National Education Policy (2020) on Teachers Education Programme

Some of the key recommendations of NEP (2020) regarding Teacher Education are listed below.

- NEP (2020) has placed emphasis on the Integrated Teacher Education Program.
- By 2030, all standalone teacher education institutions will become interdisciplinary ones in order to provide the four-year integrated teacher education program.

- By 2030, a 4-year integrated B.Ed. degree will be the minimal need for teachers in schools to instruct pupils at different levels.
- To uphold the consistent standards for teacher education in India, admission to the pre-service teacher training program will be conducted through the National Testing Agency (NTA).
- For teachers' ongoing professional development, the usage of online platforms such as SWAYAM/DIKSHA for online training will be promoted.
- To guide the teachers, a National Mission for Mentoring will be formed, and senior/ retired faculty members will be the mentors. An overall analysis reveals that if the NEP (2020) recommendations on teacher education are properly implemented at the local level, it will contribute in improving the quality of teacher education program in India.

7. Conclusion

Teachers and his education are very significant aspects of any nation. Education gives a new shape to the individual and the nation as well. It is a well-known saying that a teacher is the nation builder. The quality of teacher education programmes needs to be upgraded. Teacher education has not come up to the requisite standards. Teachers are not able to think critically and solve the issue related to teaching methods, content, organisation etc. teacher education programmes needs a comprehensive reform and restructuring curriculum of teacher-education programmes needs to be revised according to changing needs of society. No doubt a lot of stress is given to teacher-education courses in India. Unfortunately still there are several loopholes in the system. After deep study and healthy discussion with educationists, I came to the conclusion that Centre and States Governments should join hands to bring quality and improvement in teacher education, then a bright future of teacher education is possible. This article would be helpful to State and Centre Governments policy maker budget allotment and best educationists to bring reforms in teacher education.

REFERENCES

1. Akhter, S., and Mir, R.T. (2018) Issues and Challenges of teacher education in India, International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences, 3 (2), 573-576.
2. Bala, I. (2018). Issues and challenges in Teacher Education, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 6 (1), 2137-2139.
3. Dixit, M. (2014), Teacher Education In India-Problems and Suggestions, International Journal of Research, 1(4), 414-419.
4. Dodiya,S.R. (2018) Teacher Education: Problems and Remedies, Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects, 12 (1), 862-870. 5. MoE (2020). National Policy on Education, Ministry of Education, Government of India, New Delhi.
5. Mishra, P. (2020) Issues and Challenges in teacher education, International Journal of Multidisciplinary Education and Research, 5 (5), 42-44.
6. Nandi, A., Das, T., and Haider, T. (2022). A critical analysis of recommendations of NEP 2020 to reform Teacher Education in India, AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science , 3 (5), 6-14.
7. NCTE (2014), NCTE Regulations, National Council for Teacher Education, New Delhi
8. Kundu, C.L. (1998) Indian Year Book on Teacher Education, New Delhi, Sterling Publishers Privatization Ltd.
9. Misra, K.S. (1993) Teachers and Their Education, Ambala Cantt., Associated Publishers
10. Mohanty Jagannath (2000) Teacher Education in India, Deep & Deep Publications (P) Ltd.
11. National Council for Teacher Education (NCTE) (1998) NCTE Document New Delhi, Published by Member Secretary, NCTE.
12. NUEPA. Teachers and teaching in India.

Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity (CREATE). India policy brief 2011, 5.
13. University of Mumbai. Concept of teacher education2016. Retrieved from archive.mu.ac.in/myweb_test/ma%20edu/Teacher%20Education%20-%20IV.pdf retrieved on 14.11.2016 3.
14. Mohanty SB. High quality teacher training in advanced education systems (Editorial). Journal of All India Association for Educational Research 2015;27(1):1-37.
15. Kaur S. Present Scenario of Teacher Education in India. International Journal of Science and Research 2013;2(12):262-264.
16. Government of India. National knowledge commission, Report to the nation 2009. Retrievedfromknowledgecommissionarchive.nic.in/downloads/report2009/eng/report09.pdf on 14.11.2016
17. Bhattacharjee J. Progress of Teacher Education in India–A Discussion from Past to Present. International Journal of Humanities & Social Science Studies 2015;2(1):213-222.
18. Goel DR, Goel Chhaya. Teacher education scenario in India: Current problems and concerns. MIER journal of educational studies, Trends and Practices 2012;2(2):231-242.
19. Chand D. Major problems and issues of teacher education. International Journal of Applied Research 2015;1(4):150-153.
20. http://mhrd.gov.in/teacher-education-overview
21. http://www.teindia.nic.in/About.

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
SHODH CHETNA YEAR 2026 Vol. 2 PRAYAGRAJ
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 24th June 2026 **Paper Accepted : 28th June 2026**

नाथ साहित्य और हठयोग

□ बृजेन्द्र शुक्ला*

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय वांग्मय में 'नाथ साहित्य और हठयोग' के अतःसंबंधों का विश्लेषण किया गया है। सिद्धों की वामाचारी पद्धतियों के विरोध और समाज को एक सुव्यवस्थित, नैतिक एवं संयमित मार्ग दिखाने के उद्देश्य से नाथ पंथ का उदय हुआ। आचार्य गोरखनाथ ने 'हठयोग' को इस पंथ का मुख्य आधार बनाया, जिसमें प्राणायाम, आसन, बंध और मुद्रा के माध्यम से 'काया साधना' पर बल दिया गया। नाथ साहित्य केवल धार्मिक उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह शरीर विज्ञान, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना का अनूठा समन्वय है । प्रस्तुत अध्ययन में नाथ साहित्य के अनुसार हठयोग, उसकी साधना प्रक्रिया तथा तत्कालीन समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य शब्द– नाथ साहित्य, हठयोग, साधना पद्धति, काया–साधना, शून्य, कुंडलिनी जागरण, महासुखवाद, पंचमाकर, षड़ांग योग, षट्कर्म, सामाजिक समरसता, पिंड–ब्रह्मांड, नादानुसंधान, अष्टांग योग, प्राणिक नियंत्रण आदि।

प्रस्तावना

भारतीय वांग्मय के इतिहास में 'नाथ साहित्य और हठयोग' का उद्भव एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है, जिसने न केवल मध्यकालीन धार्मिक विमर्श को प्रभावित किया, बल्कि हिंदी साहित्य की आधारशिला रखने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। यह संप्रदाय आदिकाल के अंतिम चरण और भक्ति काल के उदय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सिद्धों की वाममार्गी, भोग–प्रधान और रहस्यमयी साधनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा यह पंथ शुद्धतावाद, इंद्रिय निग्रह और शारीरिक अनुशासन का प्रबल समर्थक रहा है। नाथ साहित्य की जड़ें बौद्ध धर्म की विकृतियों के सुधार में निहित है, जहां से यह शैव दर्शन के साथ मिलकर एक नई और शक्तिशाली योग– परंपरा के रूप में विकसित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यद्यपि नाथों की रचनाओं को केवल 'धार्मिक उपदेश' की संज्ञा देकर उन्हें शुद्ध साहित्य की परिधि से बाहर रखने का प्रयास किया, किंतु कालांतर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीतांबर दत्त बड़थ्वाल जैसे मर्मज्ञों ने यह प्रतिपादित किया कि नाथ साहित्य ही वह बीज है जिससे संत काव्य की विशाल परंपरा प्रस्फुटित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति के मूल में बौद्ध धर्म की विकृत होती जा रही वज्रयान और सहजयान

* हिंदी विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज मो0 9721006028

शाखाएं थीं । आठवीं से दसवीं शताब्दी के मध्य सिद्धों की परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहां 'महासुखवाद' के नाम पर योग साधना में नारी संसर्ग और पंचमकार (मद्य, मांस, मत्स्य ,मुद्रा, मैथुन) जैसी प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया था। समाज में आध्यात्मिक साधना के नाम पर फैल रहे इस वाममार्ग के विरोध में नाथ पंथ का जन्म हुआ। राहुल सांकृत्यायन का मत है कि 'नाथपंथ वस्तुत सिद्धों की परंपरा का ही विकसित और परिष्कृत रूप है, जिसने भोग के स्थान पर योग और विलासिता के स्थान पर वैराग्य को प्रतिष्ठित किया।'

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ''नाथ पंथ या नाथ –संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग– मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं।''[1]

ऐतिहासिक दृष्टि से नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों और कालक्रम को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। यद्यपि इस मत के आदि प्रवर्तक स्वयं भगवान 'शिव' माने जाते हैं, परंतु इसे एक सुव्यवस्थित और प्रभावशाली संप्रदाय के रूप में स्थापित करने का श्रेय गुरु गोरखनाथ को जाता है। नाथ साहित्य का काल सामान्यतः 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, जो भारतीय इतिहास में आदिकाल और मध्यकाल की संधि रेखा पर स्थित है।

नौ नाथों की परंपरा और गोरखनाथ

नाथ संप्रदाय में नौ नाथों की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है । यद्यपि अलग–अलग ग्रंथों में इनके नामों में विविधता मिलती है, परंतु मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ का स्थान सर्वोपरि बना रहता है।

गुरु गोरखनाथ का व्यक्तित्व भारतीय आध्यात्मिक आकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति है ।आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ''शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ ।भारतवर्ष के कोने –कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे।''[2]

गोरखनाथ ने बिखरी हुई योग परंपराओं को संकलित किया और उन्हें हठयोग के एक सुव्यवस्थित ढांचे में ढाल दिया। उनकी जीवनी चमत्कारों एवं दिव्य कथाओं से भरी है ।एक जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी गई अभिमंत्रित विभूति से एक गोबर की ढेरी से हुआ था, जिसके कारण उनका नाम गोरक्ष पड़ा।

हठयोग

हठयोग नाथ संप्रदाय का प्राण है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर,मन और आत्मा के एकीकरण की एक जटिल प्रक्रिया है । हठ शब्द की उत्पत्ति स्वयं में एक महान दार्शनिक अर्थ छिपाए हुए है। ''गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के सिद्ध –सिद्धांत–पद्धति ग्रंथ के अनुसार 'ह' का अर्थ है 'सूर्य' तथा 'ठ' का अर्थ है 'चंद्र'। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं।''[3]

'हठयोग प्रदीपिका' के अनुसार 'ह' कार सूर्य स्वर (पिंगला नाड़ी)का प्रतीक है और 'ठ' कार चंद्र स्वर (इड़ा नाड़ी)का प्रतीक है। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में यह दोनों स्वर बारी–बारी से चलते हैं, जिससे मन सांसारिक द्वंद्वों में फंसा रहता है। हठयोग का उद्देश्य इन दोनों स्वरों के प्रवाह को संतुलित कर प्राण को मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना है। जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, तब मन स्थिर हो जाता है और साधक समाधि की अवस्था प्राप्त करता है।

नाथ संप्रदाय में योग के अंगों को लेकर दो प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित रही हैं। गोरखनाथ ने 'षड़ांग योग' का प्रतिपादन किया, जिसमें पतंजलि के 'अष्टांग योग' में से 'यम' और 'नियम' को हटाकर साधना के छः व्यावहारिक अंगों पर बल दिया गया– आसन, प्राणायाम ,प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि ।उनका मानना था कि साधक के

लिए सामाजिक नियमों से अधिक महत्वपूर्ण शारीरिक और प्राणिक नियंत्रण है। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगता है और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह जिसका चित्त विकार– साधन होने पर भी विकृत नहीं होता–

''नौ लख पातरि आगे नाचौ, पीछे सहज अखाड़ा। ऐसे मन लै जोगी खेलै, तब अंतरि बसै भंडारा।।''[4]

इसके विपरीत महर्षि घेरंड ने 'सप्त साधन' या 'सप्तांग योग' की अवधारणा दी, जिसे उन्होंने 'घटस्थ योग' कहा। यहां 'घट' का अर्थ शरीर है। 'घेरंड संहिता' के सात साधन और आध्यात्मिक प्रभाव इस प्रकार हैं–

1. षट्कर्म– इसके द्वारा शरीर का शोधन होता है।

2. आसन– इससे शरीर में दृढ़ता आती है।

3. मुद्रा– इससे चित्त में स्थिरता उत्पन्न होती है।

4. प्रत्याहार– इससे साधक में धैर्य का विकास होता है।

5. प्राणायाम– इससे शरीर में लाघव या हल्कापन आता है।

6. ध्यान– इससे आत्मतत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है।

7. समाधि– यह निर्लिप्तता की चरम अवस्था है, जहां जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं।

आधुनिक काल में नाथ साहित्य और हठयोग की प्रासंगिकता

आज के वैश्वीकृत युग में नाथों द्वारा प्रतिपादित हठयोग भारत की सबसे बड़ी 'सॉफ्ट पावर' बनकर उभरा है। जिसे हम आज योग के नाम से जानते हैं, वह मूलतः नाथ संप्रदाय की देन है–

1. स्वास्थ्य और चिकित्सा– आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब यह स्वीकार कर रहा है कि हठयोग के आसन और प्राणायाम तनाव, रक्तचाप और मधुमेह, श्वसन संबंधी रोगों में अत्यंत प्रभावी हैं। षट्कर्म की क्रियाएं शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।

2. मानसिक शांति और एकाग्रता– नाथों के ध्यान की तकनीकें मानसिक स्थिरता प्राप्त करने का उत्कृष्ट मार्ग प्रदान करती हैं।

3. सामाजिक समरसता– नाथ संप्रदाय ने मध्यकाल में जाति– पांत के बंधनों को तोड़ा। उनके मठों में सभी जातियों के लोगों को दीक्षित किया गया। आज के समाज में भी यह समावेशी दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।

4. पर्यावरण और काया साधना– नाथों ने प्रकृति और शरीर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया। 'पिंड ब्रह्मांडवाद' हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, इसलिए पर्यावरण की रक्षा वस्तुतः स्वयं की रक्षा है।

निष्कर्ष

नाथ साहित्य और हठयोग भारतीय वांग्मय की वह सुदृढ़ आधारशिला है, जिस पर भक्ति आंदोलन और आधुनिक योग विज्ञान की भव्य इमारतें खड़ी हैं। यह साहित्य हमें सिखाता है कि सत्य की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने 'घट' के भीतर करनी चाहिए। यद्यपि इसमें वैराग्य की अधिकता और सामाजिक उपेक्षा के कुछ स्वर मिलते हैं परंतु इसकी नैतिकता और आत्म– अनुशासन की शिक्षाएं गौरवपूर्ण हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपनी 'शब्दी' में कहा है–

''हंसिबा षेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिधि कथिबा ब्रह्मज्ञान।''[5]

अर्थात हंसते–खेलते और अपने कार्यों को करते हुए भी ईश्वर का ध्यान धरा जा सकता है। यह 'सहजता' ही नाथ साहित्य का अंतिम सार है, जो आज भी भटके हुए मानवता को प्रकाश दिखाने की सामर्थ्य रखता है। नाथों का हठयोग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि यह वह कुंडलिनी जागरण है जो मनुष्य को उसकी पशुता से ऊपर उठाकर शिवत्व या दिव्यता की ओर ले

जाता है।

इस प्रकार भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जब सामाजिक और धार्मिक संरचनाएं जटिल कर्मकांडों, बाह्याडम्बरों और नैतिक पतन की चुनौतियों से जूझ रही थी, तब नाथ संप्रदाय का उदय एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक लहर के रूप में हुआ। नाथ साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस युग की उस चेतना का प्रतिबिंब है जिसने शरीर को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानकर आत्म साक्षात्कार का एक वैज्ञानिक और प्रायोगिक मार्ग प्रशस्त किया । डॉ रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि ''सिद्धों ने जिस पंथ की ओर संकेत किया था ,उसे राजमार्ग बनाने का कार्य नाथ संप्रदाय के संतों ने किया। सिद्धों की विचारधारा को अपनाकर उसे व्यापकता देते हुए नाथ संतों ने उसे नवीन और प्रगतिशील सिद्धांतों से समन्वित किया।''[6]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. 'हिंदी साहित्य का इतिहास' – सं. डॉ नगेंद्र, मयूर बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली– 110002, चौरासीवां संस्करण–2003, पृष्ठ संख्या 62
2. 'हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास'– बच्चन सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली– 1100 51, ग्यारहवां संस्करण–2020, पृष्ठ संख्या 34
3. 'हिंदी साहित्य का इतिहास'– सं. डॉ नगेंद्र, मयूर बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली 110002, चौरासीवां संस्करण–2023, पृष्ठ संख्या 63
4. वहीं से, पृष्ठ संख्या 63
5. 'हिंदी साहित्यरू उद्भव और विकास'– हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली –110002, छठा संस्करण –1990, पृष्ठ संख्या 33
6. 'हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास'– डॉ गणपति चंद्रगुप्त, भारतेंदु भवन सेक्टर– 15 ए चंडीगढ़, प्रथम संस्करणरू 1965, पृष्ठ संख्या 179

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 7.778

Paper Received : 24nd June 2026

Paper Accepted : 28th June 2026

STRUCTURAL COMPLEXITY AND BIOLOGICAL FUNCTIONALITY OF CARBOHYDRATES: RECENT ADVANCES AND THERAPEUTIC FRONTIERS

❑ Farooq Ahmad Mir*

ABSTRACT

Carbohydrates constitute the most structurally diverse class of biological macromolecules, a diversity that arises not from the twenty letter alphabet familiar from proteins but from the combinatorial explosion possible when monosaccharide units can be joined through multiple regiochemical linkage positions, in either anomeric configuration, with or without branching, and with extensive secondary modification by sulfation, phosphorylation, or acetylation. This structural richness often described as the 'glycocode' underlies an equally broad range of biological functions, from energy storage and structural support to the molecular recognition events that govern cell cell communication, immune surveillance, fertilization, and pathogen entry. This review surveys the chemical basis of carbohydrate structural complexity, the analytical technologies that have made glycan sequencing and synthesis tractable, and the expanding therapeutic landscape built on carbohydrate chemistry including glycoconjugate vaccines, heparin derived anticoagulants, glycomimetic enzyme inhibitors, and carbohydrate-targeted cancer immunotherapies. We conclude by considering the persistent analytical and synthetic challenges that distinguish glycoscience from the comparatively mature fields of genomics and proteomics, and the technological developments most likely to narrow that gap.

Keywords– *Glycobiology; glycan structure; glycoconjugate vaccines; heparin; glycomimetics; lectins; carbohydrate based therapeutics; mass spectrometry glycomics.*

* Associate Professor in Department of Chemistry, Higher Education UT of J & K India
Email : mirfarooq219@gmail.com

1. Introduction

Of the three major classes of biological macromolecules nucleic acids, proteins, and carbohydrates present by far the greatest theoretical structural diversity per unit length. A hexanucleotide has a fixed backbone connectivity and only four possible bases at each position, yielding a modest combinatorial space; a hexapeptide, built from twenty proteinogenic amino acids joined through an invariant amide linkage, offers substantially more possibilities. Astronomo& Burton (2010). A hexasaccharide, by contrast, can be assembled from a much larger pool of naturally occurring monosaccharides, each of which presents multiple hydroxyl groups available for glycosidic bond formation, each bond capable of adopting either an alpha or beta anomericconfiguration, and the resulting chain capable of branching at any position bearing more than one free hydroxyl. The number of theoretically possible hexasaccharide isomers built from a modest set of common sugars vastly exceeds the number of possible hexapeptides from the standard amino acid alphabet. Petitou& van Boeckel (2004).

This combinatorial richness is not incidental complexity but functional information. Cell surface glycans, whether attached to proteins as glycoproteins or to lipids as glycolipids, form a dense outer layer the glycocalyx that serves as the primary interface through which cells recognize one another, distinguish self from non-self, and are recognized (or evaded) by pathogens. The specific sequence, linkage pattern, and branching of a glycan chain constitute a molecular code read by carbohydrate binding proteins called lectins, in much the same way that nucleotide sequence is read by polymerases and transcription factors.Varki, et al., (2022). Because this code is written combinatorically rather than linearly, and because glycan biosynthesis is a non-template driven process governed by the competitive and cooperative action of dozens of glycosyltransferase and glycosidase enzymes rather than a single polymerase reading a defined template, glycan structure has historically been far more difficult to determine, predict, and synthesize than nucleic acid or protein sequence. Rabinovichet al., (2012).

The historical lag in glycoscience relative to genomics and proteomics is itself worth noting, since it shapes the current state of the field discussed throughout this review. The sequencing of the human genome and the maturation of high-throughput proteomic methods proceeded on the back of templated, linear biopolymers whose structure could, in principle, be read directly from a defined starting sequence using a single dominant analytical platform. Seeberger (2008). No equivalent single platform exists for glycan structure determination, and no genetic template directly specifies glycan sequence; glycans are instead the emergent product of the relative expression, localization, and competitive activity of dozens of biosynthetic enzymes within the secretory pathway. This has meant that, despite carbohydrates being quantitatively the most abundant class of biomolecule on Earth by mass, the tools required to read and write glycan structure with genomic- or proteomic level fluency have taken longer to mature a gap this review returns to directly Paulsonet al., (2006).

The material reviewed here draws on structural glycobiology, medicinal chemistry, and clinical pharmacology literature spanning fundamental mechanistic studies of glycan biosynthesis and recognition through to approved and investigational carbohydrate based therapeutics. Where specific approved therapeutics are discussed, the review describes established mechanisms of action and development history rather than current prescribing guidance, and readers seeking current clinical dosing or regulatory status should consult primary regulatory and prescribing sources. Sears& Wong (2001).

2. The Chemical Basis of Carbohydrate

Structural Complexity

2.1 Monosaccharide Diversity and Stereochemical Information

Even before considering how monosaccharides are joined together, individual sugar units already encode substantial stereochemical information. A simple aldohexose such as glucose possesses four stereocenters, and each distinct stereochemical arrangement corresponds to a chemically and biologically distinct sugar glucose, galactose, mannose, and allose are stereoisomers related by inversion at one or more of these centers, yet each is recognized differently by biological systems. Amino sugars (glucosamine, galactosamine), uronic acids (glucuronic acid, iduronic acid), deoxy sugars (fucose, rhamnose), and sialic acids add further chemical diversity through substitution at the ring positions, each modification altering the hydrogen-bonding pattern, charge, and three-dimensional shape presented to a binding partner. Varki, A. (2017).

2.2 Glycosidic Bond Formation and Anomeric Configuration

Monosaccharides are joined through glycosidic bonds formed between the anomeric carbon of one sugar and a hydroxyl (or, less commonly, another nucleophilic group) of a second sugar. Because the anomeric carbon is itself a stereocenter, each glycosidic bond can form in either the alpha or beta configuration, and because most monosaccharides present several free hydroxyl groups, the bond can form at multiple distinct ring positions (commonly 1’!4, 1’!3, 1’!6, or 1’!2 linkages, among others). A single disaccharide pairing of two identical monosaccharides can therefore exist as numerous distinct, biologically non-equivalent isomers depending on linkage position and anomeric configuration alone before any consideration of branching. This combinatorial branching point is the central chemical fact that distinguishes glycan complexity from the comparatively linear information storage of nucleic acids and proteins. Blixtet al., (2004).

2.3 Branching and Higher-Order Glycan Architecture

Because monosaccharides commonly present more than one free hydroxyl group, a growing glycan chain can branch at internal residues, producing treelike structures rather than the strictly linear chains characteristic of nucleic acids and proteins. N-linked glycans attached to proteins, for example, share a conserved pentasaccharide core but diverge into high mannose, complex, or hybrid type structures bearing two, three, four, or more branching antennae, each of which may be further extended and capped with different terminal sugars such as sialic acid, fucose, or galactose. This branching capacity multiplies the structural and therefore informational space available to a glycan of a given size well beyond what linkage and anomeric variation alone would provide.

2.4 Secondary Modifications

Beyond the core monosaccharide sequence and linkage pattern, glycans are frequently decorated with sulfate esters, phosphate groups, O-acetyl groups, and methyl ethers, each of which can be installed at multiple positions and in variable stoichiometry along a chain. Sulfation patterns are particularly consequential in glycosaminoglycans such as heparin and heparansulfate, where the position and density of sulfate groups directly determine which growth factors, chemokines, and coagulation cascade proteins a given chain segment can bind a relationship discussed further in the context of anticoagulant therapeutics.

2.5 Glycoproteins and Glycolipids

Glycans rarely exist as free oligosaccharides in vivo; more commonly they are covalently attached to proteins (as N-linked glycans on asparagine residues or O-linked glycans on serine and threonine residues) or to lipids (forming glycosphingolipids and related glycolipids embedded in the cell membrane). The identity of the attached glycan is not fixed by the

underlying protein or lipid sequence but is instead determined post translationally by the specific complement of glycosyltransferase and glycosidase enzymes expressed in a given cell type at a given developmental or physiological state a phenomenon termed microheterogeneity, in which a single protein backbone is typically decorated with dozens to hundreds of distinct glycan structures (glycoforms) across a population of molecules, each glycoform potentially differing in biological activity, half-life, or immunogenicity.

2.6 Conformational Flexibility of the Glycosidic Bond

Beyond the discrete combinatorial variables of linkage position, anomeric configuration, and branching, each glycosidic bond retains conformational freedom of rotation about the bonds connecting adjacent sugar rings, described by the torsional angles conventionally labeled phi and psi. Unlike the peptide bond in proteins, which is constrained toward a largely planar, restricted conformational space by partial double bond character, the glycosidic linkage populates a broader range of accessible conformations, and the preferred conformational ensemble of a given linkage depends on the specific identities of the flanking sugars. This additional layer of conformational variability means that even two oligosaccharides with identical monosaccharide composition, linkage position, and anomeric configuration can present distinguishable three-dimensional shapes to a binding partner depending on subtle differences elsewhere in the chain that bias the conformational ensemble.

2.7 Comparison with Nucleic Acid and Protein Information Density

It is instructive to make the comparison with nucleic acids and proteins explicit. A nucleic acid polymer of a given length has a combinatorial space set only by the identity of each monomer, since the backbone linkage chemistry and connectivity are invariant; a protein of the same length adds the possibility of a larger monomer alphabet but retains an invariant backbone linkage. A carbohydrate polymer of equivalent length varies simultaneously in monomer identity, linkage position, anomeric configuration, and branching topology, such that the number of distinct hexasaccharide structures theoretically obtainable from a modest palette of monosaccharides is frequently cited in the glycobiology literature as exceeding the number of possible hexapeptides by several orders of magnitude. This comparison is commonly invoked to justify the description of glycans as carrying the highest information density, per unit of molecular size, of any biological macromolecule class though it is important to note that only a fraction of this theoretical space is realized in any given organism, since biosynthesis is constrained by the specific enzymes actually expressed.

3. Biological Functionality Encoded by Glycan Structure

3.1 Molecular Recognition and the Glycocalyx

The dense forest of glycans coating the outer surface of essentially every cell the glycocalyx constitutes the first point of contact for nearly every extracellular interaction a cell experiences. Lectins, the proteins that recognize specific glycan structures with an affinity and specificity comparable to antibody antigen recognition, mediate processes ranging from leukocyte trafficking (selectin mediated rolling adhesion along blood vessel walls during inflammation) to fertilization (sperm egg recognition through glycan binding proteins on the zona pellucida) to neuronal development (glycan dependent axon guidance).

3.2 Immune Recognition and Self/Non-Self Discrimination

Glycan structures displayed on host cells differ systematically from those displayed by many pathogens, and the innate immune system exploits this difference through pattern-recognition receptors that bind pathogen

associated glycan motifs largely absent from healthy human tissue. The ABO and related blood group antigens are themselves glycan structures, and glycan mimicry in which a pathogen decorates its own surface with host like glycan structures to evade immune detection is a recurrent evolutionary strategy documented across bacterial and viral pathogens, underscoring how central glycan recognition is to the ongoing evolutionary contest between host immunity and infectious agents.

3.3 Host Pathogen Interactions

Many viral and bacterial pathogens initiate infection by binding host cell surface glycans as attachment receptors before subsequent entry steps proceed; influenza hemagglutinin's recognition of sialylatedglycans is a well-characterized example, and the specific linkage of terminal sialic acid (alpha-2,3 versus alpha-2,6) is a major determinant of species tropism between avian and human influenza strains. This recognition dependency has made glycan binding interactions an attractive target for antiviral and antibacterial strategies, including glycomimetic entry inhibitors.

3.4 Developmental Signaling

Glycosylation state regulates the activity of numerous developmental signaling pathways. Specific O-linked fucose and O-linked glucose modifications on Notch receptor extracellular domains, for example, modulate ligand binding affinity and thereby tune Notch signaling output during development, illustrating that glycan modification can function as a regulatory layer analogous to phosphorylation in canonical signal transduction cascades, but operating through the distinct combinatorial logic of glycan structure rather than a simple binary modification state.

3.5 Lectin Families and Recognition Specificity

Several structurally distinct lectin families have evolved independently to recognize glycan structures, each built on a different protein fold but converging on the shared functional requirement of discriminating among closely related carbohydrate epitopes. C-type lectins, which require calcium ions for carbohydrate binding, mediate processes ranging from pathogen recognition by dendritic cells to platelet leukocyte adhesion; galectins, which recognize beta-galactosidecontaining glycans independent of calcium, regulate processes including T-cell apoptosis and tumor immune evasion; and siglecs, a subset of the immunoglobulin superfamily specialized for sialic acid recognition, modulate innate immune cell activation thresholds. The existence of multiple, independently evolved lectin folds converging on carbohydrate recognition underscores how fundamental glycan mediated recognition is to metazoan biology, having been selected for repeatedly across evolutionary history rather than arising once and simply being conserved.

3.6 Glycans in Reproduction and Development

Beyond the Notch signalingexample discussed above, glycan dependent recognition events recur at multiple stages of reproduction and early development, including sperm oocyte binding, the maternal fetal immune interface, and stem cell pluripotency markers, several of which (including well known pluripotency-associated cell surface antigens used routinely to identify undifferentiated stem cells in the laboratory) are themselves defined glycan epitopes rather than protein or nucleic acid markers.

4. Therapeutic Frontiers Built on Carbohydrate Chemistry

4.1 Glycoconjugate Vaccines

Polysaccharide capsules surrounding many clinically important bacterial pathogens are poorly immunogenic on their own, particularly in young children, because carbohydrate antigens typically elicit a T-cell independent immune response that generates limited immunological memory. Glycoconjugate vaccine technology addresses this limitation by covalently linking a bacterial capsular polysaccharide (or a synthetic

oligosaccharide mimic) to a carrier protein, converting the immune response into a T-cell dependent one that generates robust memory responses and is effective in infants. This strategy underlies vaccines against Haemophilus influenzae type b, several pneumococcal serotypes, and meningococcal disease, and represents one of the most successful translations of carbohydrate chemistry into public health impact, contributing to substantial reductions in invasive bacterial disease in vaccinated populations.

4.2 Heparin and Glycosaminoglycan Based Anticoagulants

Heparin and its low molecular weight derivatives remain among the most widely used anticoagulants in clinical medicine, acting through a specific pentasaccharide sequence that binds antithrombin and accelerates its inhibition of clotting factors. The precise sulfation pattern of this pentasaccharide sequence is essential for activity, and its structural elucidation enabled the development of fondaparinux, a fully synthetic pentasaccharide anticoagulant that reproduces the active sequence without the batch to batch variability and contamination risk associated with heparin extracted from animal tissue a risk that was highlighted by a widely documented contamination incident in the heparin supply chain in the previous decade, which accelerated interest in synthetic and semi-synthetic glycosaminoglycan manufacture.

4.3 Glycomimetics and Carbohydrate Processing Enzyme Inhibitors

Because natural oligosaccharides are often metabolically unstable and poorly bioavailable, medicinal chemists have developed glycomimetics non-natural molecules that reproduce the three-dimensional binding epitope of a carbohydrate ligand while replacing the labile glycosidic bond or the sugar ring itself with a more stable scaffold. Neuraminidase inhibitors used as influenza antivirals are prominent examples, designed as transition state mimetics of the natural sialic acid substrate of the viral neuraminidase enzyme. Iminosugars, in which the ring oxygen of a monosaccharide is replaced by nitrogen, similarly act as potent inhibitors of glycosidases and glycosyltransferases and have found application both as antiviral agents and, in the case of miglustat and related compounds, as substrate-reduction therapies for lysosomal storage disorders.

4.4 Carbohydrate Antigens in Cancer Immunotherapy

Malignant transformation is frequently accompanied by aberrant glycosylation, including the appearance of truncated O-glycans (such as the Tn and sialyl-Tn antigens) and overexpression of specific gangliosides not normally displayed at high density on healthy adult tissue. These tumor-associated carbohydrate antigens have been pursued as targets for cancer vaccines and antibody-based immunotherapies, and monoclonal antibodies directed against ganglioside GD2, expressed at high density on neuroblastoma and certain other pediatrictumors, are now an established component of clinical treatment regimens for high-risk neuroblastoma. Synthetic carbohydrate antigen vaccines conjugated to immunogenic carrier proteins have additionally been investigated across multiple tumor types, aiming to elicit antibody responses against these aberrant surface markers.

4.5 Glycan Based Diagnostics and Biomarkers

Altered glycosylation of circulating glycoproteins accompanies numerous disease states, and specific glycoforms are used clinically as diagnostic or prognostic biomarkers for example, altered fucosylation of alpha fetoprotein assists in distinguishing hepatocellular carcinoma from benign liver disease, and aberrant glycosylation of prostate-specific antigen has been explored as a means of improving the specificity of prostate cancer screening beyond total antigen concentration alone.

Table 1: - Representative therapeutic strategies built on carbohydrate chemistry

Therapeutic Area	Carbohydrate Based Strategy	Representative Application
Vaccination	Polysaccharide protein conjugation	Pediatric bacterial meningitis/ pneumonia vaccines
Anticoagulation	Synthetic pentasaccharide	Fondaparinux
Antivirals	Transition-state glycomimetics	Influenza neuraminidase inhibitors
Metabolic/lysosomal disease	Iminosugar enzyme inhibitors	Substrate-reduction therapy
Oncology	Antibody targeting of tumorglycans	Anti-GD2 therapy in neuroblastoma

4.6 Carbohydrate-Mediated Drug Delivery and Targeting

Beyond serving as therapeutic agents or antigens in their own right, carbohydrate ligands are increasingly used as targeting moieties to direct drugs, nucleic acid therapeutics, and nanoparticle carriers to specific cell types that display a matching lectin receptor. Conjugation of triantennary N-acetylgalactosamine clusters to small interfering RNA therapeutics, exploiting the high affinity, high density recognition of this glycan by the asialoglycoprotein receptor expressed almost exclusively on hepatocytes, has become a clinically validated platform for liver targeted gene silencing therapeutics, illustrating how a naturally evolved recognition system can be repurposed as a delivery technology largely independent of the glycan's original biological role.

5. Analytical and Synthetic Technologies Enabling Glycoscience

5.1 Mass Spectrometry Based Glycomics

High-resolution mass spectrometry, frequently coupled with liquid chromatography separation and selective exoglycosidase digestion, has become the principal method for determining glycan composition, linkage, and branching from biological samples. Tandem mass spectrometry fragmentation patterns allow sequential loss of terminal monosaccharides to be tracked, reconstructing linkage and branching information that is not directly encoded in the parent mass alone, though full stereochemical and linkage-position assignment often still requires complementary methods.

5.2 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

NMR spectroscopy remains the gold standard for unambiguous determination of anomeric configuration and glycosidic linkage position, exploiting characteristic anomeric proton coupling constants and through space nuclear Overhauser effects between residues to establish both connectivity and three-dimensional conformation in solution. The technique's requirement for relatively large, pure sample quantities has historically limited its application to abundant or synthetically accessible glycans, motivating continued interest in higher sensitivity NMR methods for scarce biological samples.

5.3 Glycan Microarrays

Glycan microarray technology, in which hundreds to thousands of structurally defined oligosaccharides are immobilized at discrete positions on a solid support, has enabled rapid, high throughput profiling of lectin and antibody binding specificity, accelerating both basic glycobiology research and the characterization of pathogen receptor binding preferences relevant to public health surveillance, such as monitoring shifts in influenza receptor binding specificity.

5.4 Chemical and Chemoenzymatic Glycan Synthesis

Chemical synthesis of complex oligosaccharides has historically been far more

laborious than nucleic acid or peptide synthesis, owing to the need for elaborate protecting group strategies to control regiochemistry and stereochemistry at each glycosidic bond. Automated solid phase oligosaccharide synthesis platforms, developed to parallel the automation long available for DNA and peptide synthesis, have shortened access to defined synthetic glycans, while chemoenzymatic approaches that use glycosyltransferases to install each glycosidic bond with native stereochemical and regiochemical fidelity have proven particularly effective for producing complex, branched N-glycans and glycosaminoglycan fragments at scales sufficient for therapeutic development, including the synthetic route used for fondaparinux manufacture.

6. Persistent Challenges and Future Directions

- Non-template biosynthesis: because glycan assembly is governed by the competitive activity of many enzymes rather than a single templated polymerase, predicting glycan structure from genetic or transcriptomic data alone remains far less reliable than predicting protein sequence from a gene.
- Analytical throughput: comprehensive structural glycomics analysis of linkage, branching, and stereochemistry in a complex biological sample still typically requires combining multiple complementary techniques, in contrast to the single platform sequencing now routine for nucleic acids.
- Synthetic scale-up: while chemoenzymatic methods have improved access to defined glycans, large scale manufacture of structurally complex, highly sulfated glycosaminoglycan therapeutics remains technically demanding and, for several important targets, has not yet achieved fully synthetic routes competitive with animal derived extraction on cost grounds.
- Microheterogeneity in biologics manufacturing: because glycosylation is highly sensitive to cell culture conditions, biotherapeutic glycoproteins manufactured in mammalian cell lines require careful process control to maintain consistent glycoform distribution across production batches, since glycoform can affect efficacy, half-life, and immunogenicity.
- Database and informatics infrastructure: standardized glycan structure databases and computational tools for glycan structure prediction and interpretation remain less mature than the corresponding genomic and proteomic informatics ecosystems, though international glycoinformatics initiatives have made substantial progress in recent years.

Progress on each of these fronts is likely to be mutually reinforcing: improved analytical throughput will generate the large, well annotated glycan structure datasets needed to train predictive computational models, while improved chemoenzymatic synthetic access will make it feasible to validate those computational predictions against defined synthetic standards rather than relying solely on heterogeneous natural material. The maturation of glycoscience infrastructure to a level comparable with genomics and proteomics remains an active, well-resourced area of research rather than a solved problem, and is likely to remain a fertile area for both fundamental discovery and therapeutic translation over the coming decade.

7. Conclusion

Carbohydrates occupy a distinctive position among the major classes of biological macromolecules: their structural complexity, arising from combinatorial variation in monosaccharide identity, linkage position, anomeric configuration, branching, and secondary modification, exceeds that of nucleic acids and rivals or exceeds that of proteins, despite carbohydrates having received comparatively less historical research investment. This structural complexity is not incidental but is directly read out by lectins and other glycan binding proteins

to mediate cell recognition, immune surveillance, host pathogen interaction, and developmental signaling. Therapeutically, this same complexity has been harnessed rather than merely studied: glycoconjugate vaccines, synthetic glycosaminoglycan anticoagulants, glycomimetic enzyme inhibitors, and carbohydrate targeted cancer immunotherapies collectively demonstrate that carbohydrate chemistry has matured from a primarily descriptive discipline into a source of clinically validated therapeutic strategies. Continued advances in mass spectrometry-based glycomics, glycan microarray technology, and chemoenzymatic synthesis are steadily narrowing the historical gap between glycoscience and the more mature fields of genomics and proteomics, positioning carbohydrate based therapeutics for continued expansion across infectious disease, oncology, and metabolic medicine.

References

- Astronomo, R. D., & Burton, D. R. (2010). Carbohydrate vaccines: Developing sweet solutions to sticky situations? Nature Reviews Drug Discovery, 9(4), 308–324. https://doi.org/10.1038/nrd3012
- Petitou, M., & van Boeckel, C. A. A. (2004). A synthetic antithrombin III binding pentasaccharide is now a drug! What comes next? AngewandteChemie International Edition, 43(24), 3118–3133. https://doi.org/10.1002/anie.200300640
- Varki, A., Cummings, R. D., Esko, J. D., Stanley, P., Hart, G. W., Aebi, M., Darvill, A. G., Kinoshita, T., Packer, N. H., Prestegard, J. H., Schnaar, R. L., &Seeberger, P. H. (Eds.). (2022). Essentials of Glycobiology (4th ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Rabinovich, G. A., van Kooyk, Y., & Cobb, B. A. (2012). Glycobiology of immune responses. Annals of the New York Academy of Sciences, 1253(1), 1–15. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2012.06492.x
- Seeberger, P. H. (2008). Automated oligosaccharide synthesis. Chemical Society Reviews, 37(1), 19–28. https://doi.org/10.1039/B511197H
- Paulson, J. C., Blixt, O., & Collins, B. E. (2006). Sweet spots in functional glycomics. Nature Chemical Biology, 2(5), 238–248. https://doi.org/10.1038/nchembio785
- Sears, P., & Wong, C.-H. (2001). Toward automated synthesis of oligosaccharides and glycoproteins. Science, 291(5512), 2344–2350. https://doi.org/10.1126/science.1058899
- Varki, A. (2017). Biological roles of glycans. Glycobiology, 27(1), 3–49. https://doi.org/10.1093/glycob/cww086
- Blixt, O., Head, S., Mondala, T., Scanlan, C., Huflejt, M. E., Alvarez, R., Bryan, M. C., Fazio, F., Calarese, D., Stevens, J., Razi, N., Stevens, D. J., Skehel, J. J., van Die, I., Burton, D. R., Wilson, I. A., Cummings, R., Bovin, N., Wong, C.-H., & Paulson, J. C. (2004). Printed covalent glycan array for ligand profiling of diverse glycan binding proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(49), 17033–17038. https://doi.org/10.1073/pnas.0407902101

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778
Paper Received : 24th June 2026 **Paper Accepted : 28th June 2026**

हिन्दी साहित्य में नख-शिख परम्परा

▫ डॉ. (श्रीमती) सरोज गोस्वामी*

शोध-सारांश

हिन्दी साहित्य में नख–शिख वर्णन परम्परा की शुरूआत भक्ति काल से हुई, जहाँ भगवान के सौन्दर्य का नख से शिख तक वर्णन किया जाता था। बाद में रीतिकाल में यह परम्परा नायक–नायिका के सौन्दर्य वर्णन का प्रमुख माध्यम बन गई। इस काल में कवियों ने नारी के प्रत्येक अंग तथा आभूषणों का अत्यंत विस्तृत और श्रृंगारपूर्ण चित्रण किया। बिहारी, केशवदास, देव और मतिराम जैसे कवियों ने इस परम्परा को समृद्ध बनाया। लेख में यह भी बताया गया है कि समय के साथ नारी की सामाजिक स्थिति में आए परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर पड़ा और रीतिकाल में नख–शिख वर्णन कई स्थानों पर अत्यधिक श्रृंगारपूर्ण हो गया। अंततः लेखक निष्कर्ष देता है कि नख–शिख परम्परा हिन्दी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य परम्परा है, जिसने रीतिकालीन काव्य को विशिष्ट पहचान प्रदान की।

हिन्दी में नख–शिख परम्परा का मूल स्त्रोत विभिन्न भक्ति परक स्त्रोत ही है। जो परम्परा भगवान के नख–शिख और शिख–नख वर्णन के लिए प्रचलित थी बाद में वही परम्परा नायक नायिका के नख–शिख वर्णन में अपनाई गई। संस्कृत के भक्ति स्त्रोतों ,जयदेव के गीत–गोविन्द एवं विद्यापति की पदावली से प्रेरित होकर रीतिकालीन कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का श्रीगणेश किया। यद्यपि रासो ग्रंथों में भी कुछ श्रृंगारी चित्रण उपलब्ध होते है। पर श्रृंगार का उन्मुक्त एवं मादक प्रवाह विद्यापति की पदावली में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। अतः हिन्दी में विद्यापति ही नख–शिख परम्परा के जनक माने जाते है।

हिन्दी साहित्य में उत्तर–मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस काल को विद्वानों ने श्रृंगार काल भी कहा है। क्योकि इस काल में श्रृंगार की अतिशयता रही है। कवियो ने नायक–नायिका के प्रेम भाव को बहुत ही उन्मुक्त रूप से चित्रित किया है।

भक्ति काल में जहां सूर,तुलसी ,मीरा आदि की कविताओं में नख–शिख वर्णन अर्थात श्रृंगारिकता का वर्णन भक्ति के आवरण में ढंका था। वही रीतिकालीन कवियों के हाथ में पकड़कर हिन्दी की नख–शिख परम्परा पल्लवित, पुष्पित होती हुई अपने चरम विकास पर पहुंच कर अश्लील श्रृंगारिक वर्णन तक जा पहुंची। इसका प्रमुख कारण समाज में नारी के प्रति सोच में बदलाव था। नारी जिसके बिना हम सृष्टि के निर्माण की कल्पना नही कर सकते नारी जिसने भटकते हुए नर का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन दिया उसका घर

* प्रधानाचार्या, पी0 एम0 श्री रा0बा0इ0 कॉलेज, चरखारी महोबा (उ0प्र0)

बसाया उस नारी को हिन्दू परम्परा में पति की अर्धांगनी का स्थान दिया गया है तथापि मानव समाज के उदभव से लेकर वर्तमान युग तक नारी की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव देखे गए है। वैदिक काल में जहा स्त्रियां पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थी अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकती थी वही महाभारत काल तक आते आते नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत बदलाब दृष्टिगोचर होता है। अब पत्नी–पति की व्यक्तिगत संपंति बन गयी है।

मध्यकाल आते आते स्त्रियो की दशा में जबर्जस्त बदलाब आया ,स्त्री अब भोग बनकर रह गयी है। कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा । मध्यकाल नारी के जीवन का सबसे अन्धकार मययुग था। सुरा–सुन्दरी के लिए प्रसिद्व रीतिकाल में विलासिता की प्रवृत्ति राजा महाराजाओं से होती हुई पूरे समाज में फैल गयी है। परिणामतः रीतिकालीन कविता की मुख्य विशेषता श्रृंगारिकता बन गयी है।

भक्तिकाल में नख–शिख वर्णन जहां मर्यादित रहा वही रीतिकाल में यह वर्णन अश्लीलता तक पहुंच गया। रीतिकाल में नख–शिख वर्णन से संबंधित 250 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध है। इस काल के कवियों ने राधा–कृष्ण या नायक–नायिका के नख–शिख का विस्तार से वर्णन किया है।

इस युग के वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नायक के पैर के नाखूनो से लेकर सिर तक जितने भी अंग है यथा– भाल वर्णन ,पलक वर्णन ,अधर वर्णन ,नाभि वर्णन आदि तथा जो आभूषण पहन रखे है उनका भी यथा– बेनी वर्णन ,कुंकुम–बेदी वर्णन, बिछिया वर्णन ,पायल वर्णन आदि इन सभी का कवियों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।

रीतिकालीन सभी कवियों– बिहारी, गंगकवि, मतिराम, केशवदास, देव, घनानन्द, पदमाकर, आदि ने सौन्दर्य की अजस्र धारा प्रवाहित की है। बिहारी की पंक्तियां द्रष्टव्य है–

अहे दहेड़ी जिनि धरै, जिनि तू लेति उतारि।
नीके है छीके हुवै, ऐसे ही रह नारि ।।

अधखिली कलियों की तरफ भोरें क्यों मडराते है? काली–कजरारी घटाओ को देखकर मयूर क्यो नृत्य करने लगते है ? चांदनी को देखकर चकोर क्यो आंनदित होते है ? नायक– नायिका की तरफ क्यों आकृष्ट होता है ? इन सबका एक मात्र उत्तर है प्रेम। जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक प्रेम के इस स्वरूप को देखा जा सकता है । वस्तुतः यौवन और सौन्दर्य का समन्वित रूप ही प्रेम है। नारी का यौवन और सौन्दर्य ही रीतिकालीन कवियो को नारी के अश्लील नख–शिख वर्णन की तरफ प्रेरित किया ।

श्रृंगारिक अभिव्यक्तियो को विस्तार देने वाले कवियों ने नारी की अनुराग भरी चेष्टाओ का भी चित्रण किया है। उदाहारणार्थ–

त्रिवली नाभि दिखाई कर, सिर ढ़कि सकुचि समाहि।
गली अली की ओट कै, चली भली विधि चाहि।।

बिहारी ने नायक के नेत्रों एवं अधरो का वर्णन कितनी कुशलता के साथ किया है–

कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात।
भरे भौन में करत है, नयननि ही सों बात।।

बिहारी के दोहे नायिका के हाव भाव अनुभावों एवं चेष्टाओं से भरे पड़े है। विलास संबंधी दोहा दृष्टव्य है–

बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई।
सोंह करै भौहनु हंसे, देन कहे नटि जाइ।।

बिहारी की दुबली–पतली नायिका के अंग–अंग की छवि दर्शनीय है–

अंग अंग छबि की लपट, उपरति जाति उदेह।
खारी पातरीउ तऊ लगैं, भरी सी देह।।

वस्तुतः रीतिकालीन सभी कवियों ने नायिका के आपाद–मस्तक का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। नाखून, एड़ी, पैर, जांघे, नाभि, नेत्र, ओठ, गाल आदि कुछ भी इन कवियो की पैनी दृष्टि से नही बचा है। नख–शिख वर्णन की इस परम्परा का निर्वहन आधुनिक काल के कुछ कवियो ने भी करने

का प्रयास किया है । यद्यपि आज नारी को संवैधानिक रूप से पुरूषों के समान समानता का दर्जा प्राप्त है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मुक्तक काव्य परम्परा और बिहारी–डॉ. राम सागर त्रिपाठी अशोक प्रकाशन नई सड़क, दिल्ली
2. बिहारी का नया मूल्यांकन –डॉ. बच्चन सिंह ,लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद
3. बिहारी और उनका साहित्य–देशराज सिंह भाटी, भारतीय अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली
4. भारतीय काव्य शास्त्र–डॉ निशा अग्रवाल
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास– आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी
6. बिहारी और उनका साहित्य– डॉ. हरबंश शर्मा, डॉ. परमानन्द शास्त्री, भारती प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़
7. मध्यकालीन हिन्दी काव्य भाषा– डॉ. राम स्वरूप चर्तुवेदी
8. काव्य में बिम्ब–डॉ नागेन्द्र, नेशनल पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली

9– आधुनिक हिन्दी कविता में बिम्ब विधान– डॉ. केदारनाथ सिंह

10. बिहारी संग्रह– हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद वि0वि0
11. बिहारी की काव्य कला–डॉ. विजयेन्द्र स्नातक
12. बिहारी– आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संवत 2010, 2016, 2019, वाणी वितान ब्रह्मनाल, बनारस
13. बिहारी मीमांसा– डॉ. राम सागर त्रिपाठी प्रथम संस्करण, 1960 अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली
14. हिन्दी साहित्य का इतिहास–डॉ. रामकिशोर शर्मा, श्यामा प्रकाशन संस्थान, बक्सी खुर्द, इलाहाबाद

14. बिहारी रत्नाकार– जगन्नाथ दास रत्नाकार

16. रीतिकाव्य की भूमिका– डॉ. नागेन्द्र
17. मध्यकालीन दरवारी संस्कृति– डॉ. त्रिभुवन सिंह

SHODH CHETNA–YEAR-12, VOL. 2 (April to June, 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 7.778

Paper Received : 24th June 2026 **Paper Accepted : 28th June 2026**

पूर्वी चम्पारण जिला में जनसंख्या विकास की प्रवृत्तियाँ एवं क्षेत्रीय विकास पर उनका प्रभाव

❑ चन्द्र मोहन कुमार*
❑ प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार**

शोध-सारांश

जनसंख्या किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक विकास का आधारभूत घटक है। किसी की जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता तथा नगरीकरण का स्तर क्षेत्र की विकास प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। बिहार के उत्तर–पष्चिमी भाग स्थित पूर्वी चम्पाण जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा कृषि प्रधान विशेषताओं वाला जिला है, जहाँ पिछले दशकों में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने एक ओर श्रमशक्ति एवं मानव संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर कृषि भूमि पर दबाब बेरोजगारी, आधारभूत सुविधाओं की कमी, पर्यावरणीय क्षरण तथा संसाधनों के असमान उपयोग जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

इस शोध–पत्र का उद्देश्य पूर्वी चम्पारण जिले में जनसंख्या विकास की प्रवृतियाँ का भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। अध्ययन में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, क्षेत्रीय विकास के मध्य संबंधों का मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन के लिए भारत की जनगणना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी पुस्तिका तथा अन्य प्रामाणिक सरकारी स्रोतों से प्राप्त ऑकड़ों का उपयोग किया जाएगा। प्राप्त निष्कर्ष नीति–निर्माताओं शोधकर्ताओं एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए उपयोगी आधार प्रदान करेंगे।

मुख्य शब्द– जनसंख्या विकास, पूर्वीचम्पारण, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय विकास, साक्षरता।

* RESEARCH SCHOLAR, DEAPARTMENT OF GEOGRAPHY, B.R.A. BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR, SUPERVISOR,
** PRINCIPAL, NITISHWAR MAHAVIDYALAYA, MUZAFFARPUR

1. प्रस्तावना

जनसंख्या किसी भी राष्ट्र अथवा क्षेत्र के विकास का मूल आधार है। यह केवल व्यक्तियों की संख्या का संकेतक नहीं है, बल्कि मानव संसाधान, उत्पादन क्षमता, उपभोग, श्रम उपलब्धता तथा सामाजिक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करने वाला प्रमुख तत्व भी है। किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक संरचना, संसाधनों का उपयोग तथा विकास योजनाओं की सफलता काफी हद तक उसकी जनसंख्या की प्रकृति एवं विकास प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। इसलिए जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा विकास अध्ययन जैसे विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

वर्तमान समय में विकासशील देशों के समक्ष तीव्र जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरी है। जहाँ एक ओर जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए आवश्यक श्रमशक्ति प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर अनियोजित एवं तीव्र वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न करती है। परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विखंडन, बेरोजगारी, शहरी भीड़, आवास संकट, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर भार तथा पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ती हैं। अतः जनसंख्या विकास की प्रवृत्तियाँ का विश्लेषण सतत एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है।

पूर्वी चम्पारण जिला बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में से एक है। यह जिला ऐतिहासिक दृष्टि से महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह के कारण प्रसिद्ध है, जबकि आर्थिक दृष्टि से कृषि इसकी प्रमुख आजीविका है। जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि तथा उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। पिछले कई दशकों में जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण–नगरीय परिवर्तन, शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा परिवहन एवं संचार के विकास के कारण जिले की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।

पूर्वी चम्पारण में बढ़ती जनसंख्या ने क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। एक ओर श्रमशक्ति एवं उपभोक्ता आधार में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि पर दबाव, बेरोजगारी, सीमित औद्योगिकीकरण, प्रवासन, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जिले की जनसंख्या विकास की प्रवृतियों का विस्तृत भौगोलिक विश्लेषण किया जाए ताकि विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

यह अध्ययन केवल जनसंख्या वृद्धि के सांख्यिकीय विश्लेषण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनसंख्या और क्षेत्रीय विकास के मध्य अंतर्सबंधों का भी मूल्यांकन करेगा। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण–नगरीय संरचना, जनसंख्या वितरण तथा विकास संकेतकों के बीच संबंधों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अध्ययन से यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगा कि जनसंख्या विकास की वर्तमान प्रवृत्तियाँ भविष्य में जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पूर्वी चम्पारण जिले के जनसंख्या विकास की प्रकृति, प्रवृत्तियों तथा उनके क्षेत्रीय प्रभावों का समग्र एवं वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जो न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि नीति–निर्माण, जिला विकास योजना तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन क्षेत्र (Study Area)

पूर्वी चम्पारण जिला बागमती तथा इनकी सहायक नदियों के दो–आब में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार $26^0 16'$ उत्तरी अक्षांश से $27^0 10'$ उत्तरी अक्षांश तथा $84^0 30'$ पूर्वी देशान्तर से $85^0 16'$

पूर्वी देशान्तर तक है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मुजफ्फरपुर जिला, पूर्व में शिवहर एवं सीतामढ़ी जिला और पश्चिम में पश्चिमी चम्पारण जिला स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिला की जनसंख्या 5099371 थी जिसमें पुरुष जनसंख्या–2681209 तथा महिला जनसंख्या–2418162 है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 29.02 प्रतिशत रही। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष–महिला लिंगानुपात 1000 : 902 थी। यहाँ कुल साक्षरता दर 55.79 प्रतिशत है। जिला का कुल क्षेत्रफल 3968 वर्ग किलोमीटर है।

अध्ययन का उद्देश्य (Objective)

(i) पूर्वी चम्पारण जिला में जनसंख्या विकास की वर्तमान प्रवृतियों का विश्लेषण करना।

(ii) जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन करना।

(iii) जनसंख्या विकास एवं क्षेत्रीय विकास के मध्य संबंधों का भौगोलिक विश्लेषण करना।

(iv) जनसंख्या विकास से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों एवं संभावनाओं का आकलन करना।

शोध पद्धति (Research Methodology) एवं डेटा संग्रह

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) विश्लेषणात्मक (Analytical) एवं भौगोलिक (Graphical) शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य पूर्वी चम्पारण जिला में जनसंख्या विकास की प्रवृतियाँ का भौगोलिक विश्लेषण करना तथा क्षेत्रीय विकास पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ऑकड़ों के प्रमुख स्त्रोत भारत की जनगणना 2011, बिहार आर्थिक सवेक्षण 2022, जिला सांख्यिकी पुस्तिका मोतिहारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) सरकारी विभाग की रिपोर्ट, शोध–पत्र, पुस्तकें तथा अन्य प्रकाशित स्त्रोत है।

जनसंख्या का विकास (Growth of Population)

जनसंख्या में मात्रात्मक वृद्धि को जनसंख्या का विकास कहते हैं। विकास घनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर के कम होने पर जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि मानी जाती है, इसके विपरीत स्थिति को नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। आज विश्व के अनेक देशों में जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक हो गयी हैं जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में जनसंख्या ऋणात्मक गति में आ गयी है। चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश भी जनसंख्या में वृद्धि के लिए अनेक प्रलोभन दे रहा है। चीनी सरकार एक अतिरिक्त बच्चा को जन्म देने वाले को 35 लाख रुपये देगी। इससे सिद्ध होता है कि जनसंख्या का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। पूर्वी चम्पारण जिला के दशकीय वृद्धि को दर्शाया गया है। इसके अनुसार 2021 की जनगणना में पूर्वी चम्पारण की कुल जनसंख्या 5099371 थी। इसमें पुरुष एवं महिला जनसंख्या क्रमशः 2681209 एवं 2418167 थी। इस प्रकार यहाँ बिहार की कुल जनसंख्या का 4.89 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में इसका तीसरा स्थान है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। 2011 ब्मदेने के अनुसार कहा जा सकता है– "Purbi Champaran ranks 2nd in terms of population and 3rd in terms of area in the state of Bihar . Thus, this district is one of the best examples of mani land ratio. In the absence of proper development this region may be called an over populated region."

तालिका संख्या– 1 में जनंसख्या के दशकीय परिवर्तन को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या– 1

Decadal % age Variation in the growth of Population and its Density

Sl.No.	Year	Percentage Variation	Density Km^2
1.	1872	-	171
2.	1881	19.49	205
3.	1891	8.01	221
4.	1901	3.71	213
5.	1911	6.59	227
6.	1921	1.70	231
7.	1931	10.55	255
8.	1941	11.74	285
9.	1951	4.91	299
10.	1961	19.51	358
11.	1971	17.86	422
12.	1981	24.00	611
13.	1991	25.46	767
14.	2001	29.27	993
15.	2011	29.01	1285

Source–Complied from Census Hand-book of the East Champran & the present Purba Champaran district.

इस सारिणी में 1873 से 2011 एवं 2022 (अनुमानित) तक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में व्यक्त किया गया है। साथ ही जनसंख्या का घनत्व दर्शाया गया हैव। 1875 में जनसंख्या घनत्व 171 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. का जो बढ़कर 1285 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। बिहार सरकार की जातीय जनगणना के अनुमान के अनुसार पूर्वी चम्पारण की कुल जनसंख्या 28. 25 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से बढ़कर 1440572 हो गयी। 2010–2011 की तुलना में दशकीय वृद्धि दर थोड़ी शिथिल हो गयी है।

जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण

Density and Distribution of Population

प्रति इकाई भूमि पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। घनत्व के आधार पर ही जनसंख्या की सघनता एवं विरलता का ज्ञान होता है। 2011 में शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था (1867 कि.मी.2) इस दृष्टिकोण से पूर्वी चम्पारण में जनसंख्या का घनत्व कम है। लेकिन बिहार राज्य के औसत घनत्व (1160 कि.मी.2) से पूर्वी चम्पारण का घनत्व अधिक है। तालिका संख्या– 1.1 में पूर्वी चम्पारण में सी.डी.बी. तालिका संख्या के आधार पर घनत्व एवं जनसंख्या के वितरण को दर्शाया गया है। सभी प्रखण्डों में सर्वाधिक जनसंख्या मोतिहारी प्रखण्ड में है। इसके बाद ढ़ाका का स्थान आता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से पहला स्थान ढ़ाका प्रखण्ड में है जहाँ जनसंख्या का घनत्व 1882 कि.मी.^{2} है और रक्सौल का दूसरा स्थान है। (1766 कि.मी.^{2})। अरेराज प्रखण्ड में न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व है (865 कि.मी.^{2})। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रखण्ड संग्रामपुर है। (976 कि.मी.^{2})।

पूर्वी चम्पारण जिला वैसे तो सघन जनसंख्या वाला जिला है। किन्तु जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण एक समान नहीं है। स्थानीय स्तर पर भूमि उपलब्ध, जलापूर्ति, आर्थिक विकास दर एवं यातायात की सुविधा में भिन्नता देखने को मिलती है। जिसके कारण जनसंख्या के वितरण में एकरुपता परिलक्षित नहीं हो रही है। इस असमानता का अध्ययन घनत्व के आधार पर किया जा सकता है। घनत्व के आधार पर जिला को निम्नांकित समूह में बाँट सकते हैं–

1. उच्चतम जनसंख्या का क्षेत्र– 1400 से 1900 Person per Km^2
2. उच्च जनसंख्या का क्षेत्रा– 1200 लच 1400 Person per Km^2
3. मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र– 1000 से 1200 Person per Km^2
4. निम्न जनसंख्या का क्षेत्र–1– 1000 से नीचे Person per Km^2

प्रथम समूह में ढ़ाका, रक्सौल, घोड़सहन, मोतिहारी, पताही, फेनहारा एवं मेहसी प्रखण्ड आता है।

द्वितीय श्रेणी में आदापुर, सुगौली, नरकटिया, वनकटवा, चिरैया, टुरकौलिया, पिपराकोठी, चकिया,

Journal Starting Year-**2015**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

पकड़ीदयाल, मधुवन, तेतरिया आदि है।

तीसरी श्रेणी में रामगढ़वा वनजरिया, हरसिद्धि, पहाड़पुर, केसरिया, कल्याणपुर, कोटवा आदि प्रखण्ड आता है। चतुर्थ श्रेणी में संग्रामपुर, अरेराज दो ही प्रखण्ड आते हैं।

पूर्वी चम्पारण जिला का औसत जनसंख्या घनत्व 1285 व्यक्ति कि.मी.[2] है। इस दृष्टि से विचार करने पर 13 प्रखण्डों का औसत घनत्व जिला के औसत घनत्व से अधिक है जबकि 14 प्रखण्ड में जिला औसत से जनसंख्या का घनत्व कम है। मानचित्र से स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। रामगढ़वा एवं वनजरिया दो ऐसे प्रखण्ड है जो 1200 व्यक्ति कि.मी.[2] से अधिक जनसंख्या वाली पट्टी में घुसा हुआ है। पूर्वी चम्पारण के दो तिहाई उत्तर–पूर्व का हिस्सा अधिक सघन जनसंख्या की पट्टी है जबकि द0प0 का भाग विरल जनसंख्या वाला है।

तालिका संख्या– 1.1

DENSITY OF POPULATION , 2011

SI.No.	Anchal	Area	Population 2011	Density Per Sq. Km.
1.	Raxaul	131.37	232028	1766
2.	Adapur	153.18	203513	1329
3.	Ramgarhwa	167.66	200998	1199
4.	Sugauli	167.25	230807	1380
5.	Banjaria	139.35	162684	1167
6.	Narkatia	134.90	170758	1266
7.	Bankatwa	88.46	116863	1321
8.	Ghorasahan	119.01	174864	1469
9.	Dhaka	169.06	318144	1882
10.	Chiraiya	205.33	276809	1348
11.	Motihari	251.58	363976	1447
12.	Turkaulia	136.11	180366	1325
13.	Harsidhi	190.10	222551	1171
14.	Paharpur	156.66	183018	1168
15.	Areraj	189.47	163923	865
16.	Sangrampur	147.66	144071	976
17.	Kesaria	188.25	194579	1034
18.	Kalyanpur	238.11	267568	1124
19.	Kotwa	152.03	168788	1110
20.	Poprakothi	56.25	77089	1370
21.	Chakia (Pipra)	173.35	216276	1248
22.	Pakridayal	116.55	146216	1255
23.	Patahi	118.19	166445	1408
24.	Phenhara	54.59	80329	1471
25.	Madhuban	121.50	160760	1323
26.	Tetaria	80.35	102808	1208
27.	Mehsi	121.68	173140	1423
28.	Purbi Champaran	3968.00	5099371	1285

Source: Calculated on the basis of census data, 1981 & 2011

जनसंख्या का लिंग अनुपात

Sex tario of Pupulation

लिंग अनुपात जनसंख्या अध्ययन का एक अभिन्न अंग है। प्रति 1000 पुरूष पर महिला की जनसंख्या ही लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात में जितना कम अन्तर होगा जनसंख्या उतनी अधिक संतुलित होगी और इससे समाज के दृष्टिकोण का भी पता चलता है। 2011 जनगणना के अनुसार पूर्वी चम्पारण का समग्र लिंग अनुपात 902 प्रति हजार पुरूष था। बिहार के लिए यह अनुपात 918 प्रति एक हजार पुरूष है। इससे स्पष्ट है कि पूर्वी चम्पारण में पुरूष की तुलना में महिला कम है। कमोवेश शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा ही अनुपात देखने को मिलता है। निम्न तालिका संख्या 1.3 में लिंग अनुपात की प्रवृति 1901 से लेकर 2022 के अनुमानित जनसंख्या तक दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–1-3

Sex ratio East Champaran(1901-2011) & 2022 Estimated

Year	Sex-Ratio
1901	1022
1911	1026
1921	1004
1931	985
1941	976
1951	1005
1961	1005
1971	942
1981	925
1991	883
2001	897
2011	902
2022 Estimated	914

Source: District census Hand-Book, 2011

तालिका संख्या– 1.3 के अध्ययन से स्पष्ट है कि लिंग का अनुपात समरूप नहीं है। लिंग अनुपात में काफी परिवर्तन दखने को मिलता है। 1911 में पुरुष की तुलना में महिला की संख्या अधिक थी। संभवतः राज्य एवं राष्ट्र दोनों ही स्तर पर यह अनुपात सबों के लिए प्रेरणादायक रही है। सबसे कम महिला लिंग अनुपात 843 महिला प्रति 1000 पुरुष पर 1991 जनगणना वर्ष में निरुपित की गयी है। तालिका संख्या – 1.4 में लिंगानुपात का क्षेत्रीय वितरण को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या– 1.4

Sex -Ratio, 2011

Sl.No.	Name of Block	Sex Ratio		
		Total	Rural	Urban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Raxaul	897	899	888
2.	Adapur	886	886	0
3.	Ramgarhwa	885	885	0
4.	Sugauli	897	899	886
5.	Banjaria	890	890	0
6.	Chhauradano	905	905	0
7.	Bankatwa	916	916	0
8.	Ghorasahan	895	895	0
9.	Dhaka	907	906	911
10.	Chiraiya	890	890	0
11.	Motihari	8745	882	859
12.	Turkaulia	916	916	0
13.	Harsidhi	904	904	0
14.	Paharpur	908	908	0
15.	Areraj	888	888	888
16.	Sangrampur	922	922	0
17.	Kesaria	906	909	885
18.	Kalyanpur	943	943	0
19.	Kotwa	896	896	0
20.	Piprahothi	888	888	0
21.	Chakia	931	936	882
22.	Pakridayal	929	936	900
23.	Patahi	902	900	907
24.	Phenhara	881	881	0
25.	Madhuban	901	900	907
26.	Tetaria	896	896	0
27.	Mehsi	905	903	882
	Purbi Champarna	902	903	888

Source: Census of India, 2011. (Bihar Series, II)

पूरे जिला का औसत लिंगानुपात 902 प्रति 1000 पुरुष था। 27 प्रखण्डों में केवल 13 प्रखण्ड में औसत से अधिक लिंगानुपात देखने को मिला, वही शेष 14 प्रखण्ड में औसत से कम लिंगानुपात

था। सर्वाधिक लिंगानुपात चकिया प्रखण्ड में देखने को मिला है जबकि न्यूनतम लिंगानुपात फेनहारा प्रखण्ड में मिला है। सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर लिंगानुपात की खाई पाटी जा सकती है।

पूर्वी चम्पारण की साक्षरता दर

Literacy Rate of Population (East Champran)

भारतीय राष्ट्रीय जनगणना रजिस्ट्रार की दृष्टि में जिसे साधारण रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना आता है उसे साक्षर कहते हैं। पाश्चात्य देशों में साक्षरता को इस रूप में रेखांकित नहीं की गयी है। इतने अशुद्ध रूप में परिभाषित की गयी साक्षरता का प्रतिशत अभी भी कम है। समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का प्रकाश स्तम्भ साक्षरता ही है। जो समाज शिक्षा की दृष्टि से उन्नत है उसकी विकास–गति अत्यन्त तीव्र है। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो स्तर था उसकी तुलना आज भी किसी विकसित राज्य के स्तर से नहीं हो सकती है। लम्बी गुलामी की जंजीर में जकड़ा भारत अपने मूल स्वरूप को भूल गया है जिसका परिणाम जाति प्रथा के रूप में हमारे समाज को विघटित कर रहा है। अब न केवल साक्षरता अपितु शिक्षा के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा पर वल देना चाहिए। तालिका संख्या– 1.5 में साक्षरता दर से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या– 1.5

Total Literacy 2011

S.No.	Block	Total (% age)	Male (% age)	Female (% age)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Raxaul	56.31	65.98	45.45
2.	Adapur	52.22	63.78	38.92
3.	Ramgarhwa	55.77	65.6	44.50
4.	Sugauli	53.81	63.96	42.31
5.	Banjaria	54.07	62.95	43.88
6.	Chhauradano	57.16	68.99	13
7.	Bankatwa	50.64	62.14	38.02
8.	Ghorasahan	54.66	66.09	41.72
9.	Dhaka	55.66	64.51	45.83
10.	Chiraiya	50.13	59.60	39.41
11.	Motihari	63.94	71.03	55.79
12.	Turkaulia	53.58	62.68	43.62
13.	Harsidhi	58.35	68.30	47.28
14.	Paharpur	56.31	66.29	45.23
15.	Areraj	64.77	73.63	54.68
16.	Sangrampur	59.66	68.67	49.77
17.	Kesaria	57.89	68.03	46.58
18.	Kalyanpur	56.66	66.42	46.58
19.	Kotwa	54.24	63.82	43.49
20.	Piprahothi	58.34	67.98	47.45
21.	Chakia	58.57	68.14	48.26
22.	Pakridayal	51.54	61.02	41.28
23.	Patahi	53.03	61.98	43.07
24.	Phenhara	54.73	62.68	45.59
25.	Madhuban	50.51	59.56	40.34
26.	Tetaria	45.76	55.05	35.27
27.	Mehsi	55.55	64.75	45.21
	Purbi Champarna	55.79	65.34	45.12

Source: Census of India, 2011.

Result & Discussion (परिणाम एवं चर्चा)

पूर्वी चम्पारण जिले की जनसंख्या विकास प्रवृतियों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जिला में पिछले दशकों के दौरान जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के पीछे प्राकृतिक वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मृत्यु–दर में कमी तथा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन जैसे प्रमुख कारक रहे हैं। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि मानव संसाधन और श्रमशक्ति की उपलब्धता बढ़ाती है, परंतु यदि इसके अनुरूप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना तथा आर्थिक अवसरों का विस्तार न हों, तो यह विकास की गति को प्रभावित कर सकती है।

जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि का विखंडन, सीमांत जोतों की संख्या में वृद्धि तथा कृषि पर निर्भरता बढ़ी है। परिणामस्वरूप वैकल्पिक रोजगार, कौशल विकास एवं गैर–कृषि गतिविधियों के विस्तार की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट होती है।

साक्षरता दर में सुधार तथा महिला शिक्षा के विस्तार ने जिले के सामाजिक विकास को सकारात्मक दिशा दी है। इसके बावजूद महिला श्रम भागीदारी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। यदि शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को स्थानीय विकास रणनीति से जोड़ा जाए, तो जनसंख्या को उत्पादक मानव संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

जनसंख्या घनत्व एवं संसाधनों के बीच असंतुलन भी अध्ययन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में भूमि, जल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसी सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव देखा जाता है। इसलिए विकास योजनाओं में स्थानिक ै;चंजपंसद्ध असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का संतुलित वितरण आवश्यक है।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वी चम्पारण जिले में जनसंख्या विकास की दिशा एवं गति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि ने श्रमशक्ति एवं मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाई है, किन्तु इसके साथ–साथ रोजगार, आधारभूत संरचना, कृषि भूमि पर दबाव तथा सामाजिक सेवाओं की मांग भी बढ़ी है।

साक्षरता, स्वास्थ्य एवं संचार सुविधाओं में सुधार से जनसंख्या की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु ग्रामीण–नगरीय असमानता, सीमित औद्योगिक विकास तथा रोजगार के अवसरों की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान है। यदि जनसंख्या को शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए, तो वही जनसंख्या जिले के समावेशी एवं ससत विकास का आधार बन सकती है।

अतः पूर्वी चम्पारण के लिए ऐसी विकास राजनीति आवश्यक है जो जनसंख्या दृष्टि को चुनौती के बजाए अवसर के रूप में परिवर्तित करें तथा मानव पूँजी के विकास को प्राथमिकता दे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Census of India, (2001), Primary Census Abstract, Government of India.
2. Census of India, (2011), Primary Census Abstract, Government of India.
3. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (2011), District Census Handbook : East Champaran, Government of India.
4. Government of Bihar, Economic Survey of Bihar Finance Department, Government of Bihar.
5. Directorate of Economics and Statistics, Government of Bihar, Statistical Handbook of Bihar (विभिन्न वर्ष)
6. NITI Aayog (विभिन्न वर्ष), SDG India Index Report.
7. Chandna, R.C. Population Geography, Kalyani Publishers.
8. Clarke, J.I. Population Geography, Pergamon Press.
9. Garner, B.J. Population Geography, Longman.
10. Hassan, M.I. Population Geography, Rawat Publications
11. शर्मा नन्देश्वर,2009 – बिहार की भौगोलिक समीक्षा, वसुन्धरा प्रकाश, गोरखपुर।
12. District Census Hand _ District of Census Operation Book, East Champaran 1971 Bihar
13. राव वी.पी. एवं सिंह – बिहार का भौगोलिक स्वरूप, वसुन्धरा प्रकाशन, बोरखपुर।